राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 9] चतुर्थ विधान सभा के नवम् सत्र का अठारहवां दिवस [संख्या 10

गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर, 1970

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, कृषि, सामान्य प्रशासन जन-स्वास्थ्य, चिकित्सा, गृह, पशु-पालन, पुनर्वास, सहकारी, नगर नियोजन, सहकारिता विभाग]

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न।

श्री शंकरसिंह रावतः उपाध्यक्ष महोदय, सदन की कार्यवाही चालू हो उससे पहले एक निवेदन करूंगा, कल दर्शक दीर्घा में जिस व्यक्ति को.......

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को बाद में लिया जायेगा।

श्री शंकरसिंह रावतः उपाध्यक्ष महोदय, कल अध्यक्ष महोदय ने यह घोषणा की थी कि इस विषय को पहले लिया जायेगा।

एक माननीय सदस्य : यह बाद में । जायेगा

चित्तौड़गढ़ तहसील में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत किये गये अधूरे कार्य

206. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि राज्य सरकार ने ऐसी स्कीम बनाई है जिसके अनुसार अकाल राहत में किये गये अधूरे कार्यों को पूरा किया जायेगा ?

(2) क्या यह सत्य है कि चित्तौड़ तहसील में संग्रामपुरा से पाल 8 मील माताजी की पाण्डोली से घोसुण्डा देवरी रोड़ 8 मील, शम्भुपुरा स्टेशन से गिलुण्डा रोड 5 मील का कार्य सन् 1968-69 में फैमिन में प्रारम्भ हुआ था जो कि फैमिन के समाप्त होते ही रोक दिया गया और तब से वे रोड्स अधूरे हैं ? क्या राज्य सरकार की इन अधूरे कार्यों पर पुनः कार्य चलाये जाने की कोई योजना है ?

उप-मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) सरकार के विचाराधीन है।

(2) संग्रामपुरा से पालका खेड़ा व पाण्डोली-घोसुण्डा में कार्य करवाया था।

Page No 2

(श्री माधोसिंह)
शम्भूपुरा स्टेशन से गिलूण्डा मार्ग पर इस विभाग द्वारा कार्य नहीं करवाया। जी हां। मामला सरकार के विचाराधीन है।

श्री रामकुमार नन्दवाना : उपाध्यक्ष महोदय, माताजी-घोसुन्डा रोड पर मिट्टी का सारा काम कम्प्लीट कर दिया गया है। मन्त्री महोदय ने कहा है कि डिपार्टमेन्ट ने नहीं करवाया है।

श्री माधोसिंह : आपने अकाल राहत का पूछा है, वह बताया है।

श्री रामकुमार नन्दवाना : आपके पास पूरी सूचना आनी चाहिये।

श्री माधोसिंह : इसकी जांच करली जायेगी।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

प्रश्न सं० 207

श्री हरलाल मीणा।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हंसराज आर्य।

कर्मचारियों की संख्या में कटौती

208. **श्री हंसराज आर्य** (भादरा) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने कटौती करने के आधार पर कुल कितने कर्मचारी कमी में लिये हैं ?

(2) इस कटौती से सरकार को कितनी बचत हुई है ?

(3) जो कर्मचारी कमी में लिये गये हैं उनको कब तक सर्विस में वापिस ले लिया जावेगा ?

(4) किस किस पोस्ट के कितने कितने कर्मचारी कमी में लिये गये हैं ?

(5) किस किस विभाग से कर्मचारी कम किये गये हैं ?

उपमंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (1) सूची संलग्न है।

(2) इस कटौती से सरकार को 1970-71 में 1.93 करोड़ की बचत होने की सम्भावना है।

(3) मितव्ययता के कारण जो कर्मचारी 1-12-68 से सरप्लस घोषित किये गये हैं, और जिनकी सेवाएं एक साल से ज्यादा की हैं, उनके समावेश हेतु कार्यवाही की जा चुकी है। कमी से प्रभावित कर्मचारी जिनकी सेवाएं एक साल या एक साल से कम थीं, सेवा मुक्त कर दिये गये हैं और उनको सेवा में वापिस लेना अनिवार्य नहीं है। फिर भी उनको नई नियुक्तियां करते समय आवेदन-पत्र देने पर प्राथमिकता दिये जाने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(4) तालिका संलग्न है।

(5) तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री हंसराज आर्य : जो हटाये गये थे, वह कितने आदमी हैं ? उनमें ऐसे कितने हैं जो बेकार हैं ?

Page No 3

श्री प्रद्युम्नसिंह: मैंने निवेदन में जो तालिका दी है उसके अनुसार रिट्रेन्च किये गये थे। उनमें 40 या 45 आदमी अपाइण्ट हो चुके हैं। बाकी जो बच गये हैं, उनके लिए सरकार ने आर्डर कर दिये हैं। अगर नई भर्ती की जाये तो उनको प्राथमिकता दी जाये।

श्री हंसराज आर्य : मगर कब तक ?

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

बाड़मेर जिले के गांवों में पानी की समस्या

209. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले के देतांणी (हरसांणी) एवं रामसर गागरिया एवं भावबर गांवों में जल कष्ट की भयंकर समस्या है ?

(2) क्या राज्य सरकार ट्यूब वैल से स्थायी तौर से जल समस्या हल करने के लिए पाइप लाइन डालने की स्वीकृति देकर उक्त गांवों की जल समस्या हल करेगी ? अगर हां, तो कब तक ?

राज्य मन्त्री, चिकित्सा (श्रीमती सुमित्रा) : (1) जी हां।

(2) जी हां। योजना बनाई जा रही है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, योजना तो बन चुकी है। मैं यह पूछता हूं कि फाइनेशियल सेंक्शन हो चुकी है या नहीं ?

श्रीमती सुमित्रा : योजना के बारे में आप को बताया जा चुका है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह कब शुरू होगी, यह जानकारी लेना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा : मैंने प्रश्न के उत्तर में जवाब दे दिया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : 70-71 में स्वीकृति हो चुकी है तो कितना और समय लगेगा।

श्रीमती सुमित्रा : धन की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

मेडिकल कॉलेजों के इन्स्ट्रूमेण्ट्स

210. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य के पांच मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न पैथोलोजी और अन्य लैबोरेट्रीज में कौन कौन सी, कितनी कितनी कीमत की और कितनी कितनी इन्स्ट्रूमेण्ट्स खराब पड़ी हुई हैं ?

(2) यह इन्स्ट्रूमेन्टस कब से खराब पड़े है ?

(3) इनकी मरम्मत में देर के क्या कारण हैं तथा इनको ठीक करवाने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि सभी मेडिकल कॉलेजों में उनके स्वयं के वर्कशॉप हैं ? यदि हां, तो क्या वे उनकी आवश्यकताओं

Page No 4

(श्री ओमदत्त भाटी)
की पूर्ति कर सकते हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) इन खराब पड़े हुये इन्स्ट्रूमेन्ट्स के लिये कौन उत्तरदायी हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

राज्य मंत्री, चिकित्सा (श्रीमती-सुमित्रा) : (1) प्रत्येक कॉलेज की सूची संलग्न है।

(2) सूची में अंकित है।

(3) अधिकतर विदेशी पुर्जों के खराब होने के कारण अधिकृत एजेण्टों से ठीक कराने हेतु प्रिन्सिपल द्वारा पत्र व्यवहार चालू है।

(4) जी हां। जो मरम्मत वर्कशॉप में सम्भव होती है, वहीं पर करवा दी जाती है। किन्तु वर्कशॉप में जो मरम्मत सम्भव नहीं होती है, उन्हें अधिकृत कम्पनी के द्वारा ही ठीक करवाना पड़ता है।

(5) इस बारे में कोई उत्तरदायी नहीं है। क्योंकि ट्रांसफारमर एवं ट्रांजिस्टर आदि विद्युत् करेण्ट में असन्तुलन आदि के कारण जल जाते है अथवा अधिक चलने से मशीन खराब हो जाती है। अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

श्री ओमदत्त भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, कॉलेजेज 5 हैं उनमें से दो की सूची प्राप्त हुई है। जो इन्स्ट्रूमेण्ट्स अभी खरीदे गये थे, वह भी खराब हैं। फ्यूज हो चुके हैं। किसी सफाखाने में ठीक तरह से नहीं चलते हैं। यह वहां के अधिकारियों की गलती है। उनके स्पेयर पार्ट्स होने चाहिए थे। स्पेयर पार्ट्स क्यों नहीं मंगाये जाते हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : उपाध्यक्ष महोदय, जो मशीनें खराब पड़ी हैं, वह इम्पोर्टेड हैं। इसके लिए इम्पोर्ट लाइसेंस मिलता है। यह झंझट है। मशीन अवधि के बाद खराब होती है। इस वजह से खराब है।

श्री ओमदत्त भाटी : पहले तो कॉलेजेज की दो की सूची दी है। 3 कॉलेजेज की सूची कहां गई है ? दूसरी बात इम्पोर्ट करते हैं तो स्पेयर पार्ट्स उसी वक्त आर्डर करना चाहिए। एक ही वल्ब होगा तो वह फ्यूज होगा ही। इतने कीमती इन्स्ट्रूमेण्ट्स बेकार पड़े रहते हैं इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है, जब ऐसे इन्स्ट्रूमेण्ट्स खरीदे जायें तो उसके स्पेयर पार्ट्स भी खरीदे जायें।

श्रीमती सुमित्रा : आपको दो ही कॉलेजों की सूची मिली है। मैंने चार को दी है। आपको नहीं मिली है तो मैं भिजवा दूंगी।

एक माननीय सदस्य : आवाज नहीं आ रही है।

(विद्युत् की गड़बड़ी कुछ क्षणों में ठीक हो गई)

श्री पृथ्वीसिंह : माननीय सदस्य ने पूछा है, आप ने स्पेयर पार्ट्स क्यों नहीं मंगाये ?

श्रीमती सुमित्रा : यह आज से दस साल पहले से मंगाई हुई मशीनें हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : अब तो स्पेयर पार्ट्स के लिए आर्डर दे दिया है ?

श्रीमती सुमित्रा : जो अधिकृत एजेण्ट होते हैं, वही मंगाकर देते हैं।

श्री दिग्विजयसिंह : वह मंगाते हैं उनको आपने लिखा है, किसी एजेंट को लिखा है कि यह खराबी हो गई है।

श्रीमती सुमित्रा : जी हां।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) प्रश्नकर्ता !

श्री ओमदत्त भाटी : आपने जैसा फर्माया कि प्रिन्सिपल को मंगाना चाहिए, फिर आपकी ड्यूटी क्या है ? हम जब सजेस्ट करते हैं तो आपकी ड्यूटी हो जाती है और आपको देखभाल करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य : करेंगे।

श्रीमती सुमित्रा : प्रिन्सिपल की ड्यूटी है, यह काम उनका है और आप और हम सबका है। आप यह ध्यान में लाये हैं तो दुबारा लिखा जायगा कि जो मशीन खराब पड़ी हैं उनके सम्बन्ध में लिखा पढ़ी करके शीघ्रातिशीघ्र जिनकी मरम्मत करवा सकते हैं वह करा लें।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या आप यह एक्सप्लेनेशन पूछेंगी कि यह खराब क्यों पड़ी हैं ? इस लिस्ट के मुताबिक क्या आप एक्स्प्लेनेशन पूछेंगी ? उन्होंने कब आर्डर दिया है, कौन कौन से लैटर लिखे हैं ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्य अगर सूची देख लें तो मेरी समझ से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो मशीनें हैं उनकी अवधि समाप्त हो गई है। पांच साल, सात साल, दस साल हो गये हैं। इतने समय कोई मशीन चले तो उसकी टर्म इतनी हो जाती है कि उनको रिपेअर करना सम्भव नहीं होता। इसके अलावा जो कल पुर्जे की वजह से खराब हैं, जिनमें इम्पोर्टेड पुर्जे लगते हैं उनकी वजह से खराब पड़ी हैं तो उनके लिए एजेंट को लिख दिया गया है कि वह शीघ्रातिशीघ्र उन पुर्जों को सप्लाई करें और इसकी ताकीद बराबर की जा रही है।

श्री उपाध्यक्ष : (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) विपक्ष के नेता कुछ कहना चाहते हैं।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि वर्कशॉप के सम्बन्ध में आपकी क्या व्यवस्था है—यह जानना चाहूंगा। इन्स्ट्रूमेंट जो बिलकुल रद्दी हो जायं उनका प्रश्न नहीं है लेकिन जो काबिले मरम्मत होते हैं उनको मरम्मत के लिए स अस्पतालों के लिए, राजस्थान भर के अस्पतालों के लिए एक वर्कशॉप हो जाय या जगह जगह वर्कशॉप हो जायें तो उनकी मरम्मत हो सकती है।

श्रीमती सुमित्रा : जहां कहीं मैडिकल कॉलेज हैं उनके साथ में वर्कशॉप हैं। अगर वहां छोटी मोटी इस तरह की मशीनों में खराबी हो जाती है तो उसकी रिपेअर की व्यवस्था होती है लेकिन कुछ ऐसी खराबी होती है जिनकी मरम्मत वर्कशॉप में बिल्कुल सम्भव नहीं होती। वैसे पांचों

Page No 6

(श्रीमती सुमित्रा)
कॉलेज के साथ में वर्कशाप अटेच्ड हैं। इसके अलावा चण्डीगढ़ में मेडिकल संस्था से सम्बन्धित एक रीजनल वर्कशॉप है वहां भी वह कल पुर्जे नहीं मिले तो एजेंट से लिखा पढ़ी करते हैं. हो सकता है वहां पर रिपेअर की व्यवस्था हो सके।

श्री लक्ष्मणसिंह : क्या सरकार के विचारार्थ मैं यह सुझाव पेश कर सकता हूं जैसी कि सामान्य तौर पर कुछेक यूरोपियन देशों में व्यवस्था है, अस्पतालों के लिए एक वर्कशॉप होता है वहां इन्स्ट्रूमेंट आते हैं। उन इन्स्ट्रूमेंट्स की बहुत बारीकी से और टेक्निकल तरीके से मरम्मत का सवाल होता है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने कभी इस सम्बन्ध में विचार किया है कि इन इन्स्ट्रूमेंट्स की मरम्मत के लिये मितव्ययता को मद्देनजर रखते हुए एक वर्कशॉप की स्थापना की जाय ?

चिकित्सा मन्त्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा): उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने यह निर्णय दिया हुआ है कि आल इण्डिया बैसिस पर रीजनल वर्कशॉप इन्स्ट्रूमेंट्स की मरम्मत के लिए कायम किये जायें, उसके अनुसार छः वर्कशाप समस्त देश में स्थापित हुए हैं। इन में इक्विपमेंट वगैरह लगाने की व्यवस्था की जा रही है। अपने चण्डीगढ़ में इस रीजन के लिए एक वर्कशॉप कायम किया हुआ है, वहां जो मरम्मत सम्भव हो सकती है छोटी मोटी-वह कर दी जाती है। जो बड़ी मरम्मत का प्रश्न है, वह रीजनल वर्कशॉप में जाकर की जायगी और अगर किसी का गारन्टो पीरियड खत्म हो जाता है और कलपुर्जों की जरूरत पड़ती है तो कम्पनी से मंगाये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

श्री ओमदत्त भाटी : जो इन्स्ट्रूमेंट्स खराब पड़े हुए हैं उनको राइट ऑफ क्यों नहीं किया जाता ? यह किसकी ड्यूटी है ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जहां तक राइट ऑफ करने का सवाल है राइट ऑफ करने की फाइनेंस डिपार्टमेंट से, अगर ज्यादा कीमत की मशीन होती है, मंजूरी लेनी पड़ती है। राइट ऑफ करने लायक मशीन है तो उसको राइट ऑफ कर दिया जाय लेकिन अगर काम में आ सकती है तो उसको राइट आफ क्यों किया जाय। जब वह ऐसी हो जाय कि काम नहीं ले सकते है तब उसको राइट ऑफ करनी चाहिये, नहीं तो कहीं से भी पूर्जे मंगा कर अगर उसकी मरम्मत करा सकते हैं तो उनको मंगवाने की कोशिश करनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न। माननीय सदस्य ! काफी प्रश्न हो गये हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, जब सूची में लिखा है कि ठीक नहीं हो सकती तो फिर राइट ऑफ क्यों नहीं किया गया। यह इतने वर्षों से पड़ी है, अगर यह खराब चीज है तो इसको राइट ऑफ करें। प्रिंसिपल की ड्यूटी हो तो वह करे, विभाग की ड्यूटो हो तो वह करे, मंत्री की ड्यूटी हो तो वह करे। कोई कार्यवाही तो होनी चाहिए। ढेर का ढेर पड़ा हुआ है।

Page No 7

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जरूरी है।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : यह ठीक है, जो राइट ऑफ होने लायक होगी वह राइट ऑफ होगी।

श्री ओमदत्त भाटी : होगी कब जब कि इस लिस्ट में लिखा है।

पुलिस स्टेशन सेवर में बन्दी की मृत्यु

211. श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला भरतपुर के पुलिस स्टेशन सेवर में बन्दी होतीलाल नामक व्यक्ति की मृत्यु या हत्या गत एक माह के आसपास हुई है ? यदि हां, तो मृत्यु या हत्या किस तारीख को व किन किन कारणों से हुई ?

(2) क्या उक्त व्यक्ति को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया ? यदि हां, तो किस तारीख को भर्ती कराया गया और डॉक्टर द्वारा जो प्रेसक्रिप्शन स्लिप बनाई गई उसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त व्यक्ति से घायल अवस्था के समय मजिस्ट्रेट द्वारा बयान लिया गया है ? यदि हां, तो बयान की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि डॉक्टर ने डाइंग डिक्लेरेशन रिपोर्ट तैयार की है ? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(5) क्या यह सही है कि होतीलाल को जेल में जब वह अपने रिश्तेदारों से मिलने गया था तब पुलिस ने गिरफ्तार किया था ?

राज्य मन्त्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) मृतक होतीलाल पुलिस स्टेशन सेवर में दिनांक 18-4-70 को मु: नं. 57/70 थाना सेवर में बन्दी बनाया गया था। और दिनांक 19-4-70 को वह पुलिस हवालात में बन्द था जहां उसने एक टीन की बाल्टी से एक टीन का टुकड़ा तोड़ कर उसकी धार से अपने पेट में घाव किया और पेट की आंतें बाहर निकाल कर काट लीं। उसे फौरी अस्पताल पहुंचाया गया जहां दिनांक 22-4-70 को उसकी मृत्यु हो गई। डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु का कारण धारदार टिन के टुकड़े से पेट की आंतें काटने से हुई है।

(2) जी हां। उसे घायल अवस्था में दिनांक 19-4-70 को अस्पताल भरतपुर में भर्ती करवाया गया। प्रेसक्रिप्शन स्लिप गृह विभाग के पास उपलब्ध नहीं है।

(3) जी हां। बयान की नकल संलग्न है।

(4) जी नहीं। डॉक्टर ने कोई बयान नाजायज नहीं लिया। बयान मजिस्ट्रेट ने लिये थे जिन्हें डॉक्टर ने कलमबन्द किया था क्योंकि मजिस्ट्रेट की अंगुली में चोट आई हुई थी।

(5) होतीलाल को संदिग्ध अवस्था में भागते हुए पकड़ा था।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

Page No 8

श्री देवीदत्त गाड़िया : क्या यह सही है कि होतीलाल जो नौजवान लड़का था उसका भाई डालचन्द सेवर की जेल में बन्द था जिससे वह मिलने गया था ?

श्री हीरालाल देवपुरा : होतीलाल का भाई डालचन्द डकैती के जुर्म में बन्दी था, जेल में बन्द था। होतीलाल डालचन्द से मिलने के लिए नहीं बल्कि उसके पास से जो कागज बरामद हुआ है उससे मालूम होता है कि डालचन्द को किसी तरह से जेल से फरार कर दिया जाय, उसको भगा दिया जाय—इस बात के लिये आया जान पड़ता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, होतीलाल अपने भाई डालचन्द से जेल में मिलने के लिए गया था। जेलर की सूचना पर सेवर थाने का पुलिस थानेदार उसको पकड़ कर ले गया और उसको हवालात में बन्द कर दिया। आप जैसा कह रहे हैं कि उसने इस प्रकार से बाल्टी का, एक टीन का टुकड़ा तोड़कर उसको इस तरह से पेट में घुसेड़ लिया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि हवालात में बन्द रहने वाले मुलजिम ने किस प्रकार से बाल्टी की टीन का टुकड़ा तोड़ लिया ? क्या तोड़ने में समय नहीं लगता है ? किस तरह उसको तोड़ने दिया गया ? यह सारी मनगढ़न्त घटना है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो इस व्यक्ति के बयान हैं, जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें उसने बताया है कि उसको निरपराध होने पर भी पकड़ा है। उससे यह बयान एडीशनल मजिस्ट्रेट के सामने दिया है। उसमें लिखा है :

"मुझे कल 18-4-70 को 2 बजे श्रीमान कटारा साहब थानेदार सेवर ने पकड़ा। मुझसे तीन लेटर लिखवाये·······

श्री मूलचन्द डागा : सर्टिफाइड कॉपी है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप समझते तो हैं नहीं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप बोलिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : "मुझे कल 18-4-70 को 2 बजे श्रीमान् कटारा साहब थानेदार सेवर ने पकड़ा। मुझसे तीन लैटर लिखवाये। रात भर मुझे नंगा करके मारा फिर आज सुबह 19-4-70 को मारा। कहने लगे हम तुझे गोली मारेंगे पैरोकारी के लिये कैसे आया। मैंने जब कुछ नहीं कहा कि मैं लेटर में ये नहीं कहूंगा कि पुलिस ने जोर देके लिखाये मुझसे रात को फिर कहा। दिन में 302) रु० ले लिये, एक चश्मा और एक घड़ी ले लिये। मुझे मारने लगे तब मैं टट्टी में घुस गया और मेरे कागजात जो फायल थी ले ली जिसमें रसीदें थीं और तार की रसीदें थीं। फिर मुझे मारने लगे और जो पहरे पर संतरी था उसने संगीन घुसेड़ी तब मैं टट्टी में भागा और अन्दर से दरवाजा पकड़ लिया। संगीन एक बार घुसेड़ी। मेरा गवाह कोई नहीं हो सकता।"

उसके बाद कहा है :

"अनेस्थेसिया लेने से पहले होतीसिंह ने बुला कर यह और लिखाया कि याद आने पर जब मैं दरवाजे में घुसा हुआ था तो सन्तरी संगीन चला रहा था। एक पुलिस का आदमी और था वह भी चला रहा था। घाडिया सी थी जिसमें धार थी।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डाइंग डिक्लेरेशन है उसमें यह भी लिखा है : "Because of nail injury the dying declaration was recorded by Shri D. P. Mishra, Medical Jurist, Bharatpur, in my presence, hearing and as stated by Hotisingh."

मैं, माननीय मंत्री महोदय से आपके मार्फत यह पूछता हूं कि मृतक का जो बयान है उसमें यह लिखा है...

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा। प्रश्न पूछ लीजिये।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस मामले की जांच कराई है ? क्या किसी वरिष्ठ अधिकारी से, सी. आई. डी. से इस मामले की जांच कराई गई है ? मेरा निवेदन है कि इसकी मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए थी, वह उसने की है, तो जांच के नतीजे के आधार पर क्या कहा है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जांच कराई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किसने जांच की है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : सुनें नहीं तो उसका उपाय नहीं है। आप तसल्ली से सुनें, सिटी मजिस्ट्रेट से जांच कराई है—यह मैं कह चुका हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं सिटी मजिस्ट्रेट ने जांच करते समय इस बात पर गौर नहीं किया, जब यह व्यक्ति हास्पिटल में भर्ती हुआ था तो प्रारम्भिक चिकित्सा इसकी क्या की गई, कौनसा प्रेसक्रिप्शन था ? क्या आपके अधिकारी ने इसकी जांच की है ? प्रेसक्रिप्शन को जो डाक्टर का टिकट होता है उसको जब्त क्यों नहीं किया गया है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : प्रेसक्रिप्शन को जब्त करने का प्रश्न नहीं है। वह इन्डोर पेसेन्ट था, वह पुलिस की कस्टडी में हास्पिटल में रहा था, तो फिर जब्त करने की आवश्यकता नहीं थी। उस टिकिट को दिखा दिया था। सिटी मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मुलजिम ने राइलस ट्यूब के इन्ट्रोडक्शन को रेसिस्ट किया, बी. पी. मेजरमेंट लेने में काफी आना कानी की। जब उसको अनेस्थेसिया दिया जाने लगा तब भी उसने काफी रेसिस्ट किया। मुलजिम ने इन्जेक्शन लगाने में और इलाज करने में भी बाधा डाली।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जब जांच रिपोर्ट में सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया है कि वह पुलिस थाना सेवर में बन्दी था, तो वहां पर बाल्टी कहां से आई ? टीन का टुकड़ा वह कैसे तोड़ सका ?

श्री हीरालाल देवपुरा : पुलिस हवालात में बाल्टी का प्रश्न पूछा गया उसके लिए मैं निवेदन करूं कि मर्दाना लेट्रिन, हवालात के साथ में अटेच्ड है, उसमें काम में लेने के लिए बाल्टी नुमा डब्बा रखा हुआ था, जो पुराना डब्बा था, उस डब्बे के नीचे का भाग, जो पेंदे और

(श्री हीरालाल देवपुरा)
ऊपर के भाग को जोड़ने वाला था उसको तोड़ा गया और उससे यह कार्यवाही की गई।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक ओर कह रहे हैं कि बाल्टी का टुकड़ा तोड़ा और दूसरी ओर कहते हैं कि डिब्बे से। डिब्बे से बाल्टी नहीं टूटती। इस प्रकार से यह मनगढ़ंत है। क्या यह सही है कि राज्य सरकार के पास इस प्रकार से बलबीरसिंह के नाम के व्यक्ति इसकी जांच के लिए लिखा जिसमें राजनैतिक हत्याकांड संघर्ष समिति, नई दिल्ली की ओर से भी इस प्रकार का साइक्लोस्टाइल्ड कागज जांच हेतु राज्य सरकार के पास भेजा? वहां के जितने साप्ताहिक अखबार हैं लाल निशान, इत्यादि, उन्होंने उस संबंध में फैक्ट्स एण्ड फिगर्स दिये उस आधार पर जांच की?

श्री हीरालाल देवपुरा : जो फैक्ट्स व फिगर्स दिए गए हैं वह मुलजिम ने अपने बयान में भी दिए हैं उनके आधार पर जांच की गई है। जो पत्रों में निकला है या तार आए हैं, सभी जाँच के लिए भेजे गए हैं और जांच कराई है, मजिस्ट्रेट ने जांच की है, गवाहों ने अपने बयान दिए हैं, उसी आधार पर यह किया है।

श्री रामकिशन : आपने बताया कि बाल्टी है व डिब्बा है। डिब्बा था तो कितना बड़ा था और पत्तियां जो निकाली गईं वह कितनी लंबी थीं?

श्री हीरालाल देवपुरा ; मैंने डिब्बा शब्द यूज नहीं किया है बल्कि छोटी बाल्टी। मैंने स्पेसिफिक कहा है उसको पेंदे और ऊपर के हिस्से को जोड़ने के लिए 4 इंच इंटु 4 इंच, चार इंच लंबा और चार इंच चौड़ा, उसका मेजरमेंट बताया गया है इतना बड़ा टुकड़ा था।

श्री रामकिशन : डाक्टरों ने कितना बताया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : मेडिकल रिपोर्ट है 4 इंच लंबा व इंच चौड़ा और काफी गहरा घाव....

श्री रामकिशन : जैसा आपने कहा है बाल्टी का 4 इंच लंबा व 4 इंच चौड़ा टुकड़ा था तो क्या यह संभव है कि उसको सीधा कर लिया जाय और उसी स्थिति में पेट में डाला जाय?

श्री हीरालाल देवपुरा : संभव है। घाव 4 इंच लंबा व डेढ़ इंच गहरा है। तो जो थ्योरी कही जा रही है कि बदूंक बायोनेट से किया गया है तो उससे 4 इंच लंबा और इतना गहरा जखम नहीं हो सकता।

श्री रामकिशन : जहां पुलिस कस्टडी के सामने जिसमें उसको रखा गया था मुलजिम को, तो पहरे पर कौन सिपाही था सिपाही ने रिपोर्ट की उस समय....

श्री हीरालाल देवपुरा : ज्यों ही घटना हुई लेट्रिन के अन्दर, मुलजिम बाहर आया और सिपाही ने देखा तो तत्काल थाने पर सूचना दी, थानेदार को सूचना दी, गवाहों ने देख कर पर्चे बनाए और....

श्री रामकिशन : प्रश्न यह नहीं है। सेबर में जेल और लोक अप है। पहरे पर

Page No 11

(श्री रामकिशन)
सिपाही रहता है, डिस्टेन्स है, हम जानते हैं कि कितना दूर है। जब उसने यह घटना करने की कोशिश की तो उसको पकड़ा ? इस बात की मजिस्ट्रेट ने जांच की ?

श्री हीरालाल देवपुरा : घटना करने की कोशिश सिपाही देखता तो घटना होती नहीं। जख्म हो गया उसके बाद मालूम हुआ।

श्री रामकिशन : सिपाही सामने खड़ा रहता है।

श्री देवादत्त गाड़िया : जिस समय मुलजिम को लेट्रिन में ले जाते हैं तो सिपाही साथ में जाता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : जहां लैट्रिन लोकअप से एटैच्ड है, मुलजिम को बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती, सिपाही या बाहर जाने की आवश्यकता नहीं थी।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े हुए)

श्री देवीदत्त गाड़िया : जो संगीन थी और जिस सिपाही की थी वह 303 राइफल थी उसके बायोनेट की जांच की गई ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मन्त्री) : इस मामले में मन्त्री महोदय ने आपको बताया कि राइफल 303 नोट की नहीं थी बल्कि 410 नोट की थी। उसके ऊपर जो बायोनेट लगा हुआ था उसकी नोक शार्प थी। डाक्टर ने मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान भी रेकार्ड कराया है कि यदि वह बायोनेट को घुसेड़ता तो पंक्चर्ड वूंड बनता। शार्प आब्जेक्ट का 4 साढ़े चार इंच लम्बा वूंड किसी भी हालत में नहीं हो सकता था। उक्त स्टेटमेन्ट से बायोनेट घुसेड़ा—यह थ्योरी गलत सिद्ध होती है। मैडिकल रिपोर्ट से भी गलत है माननीय सदस्य खुद भी बायोनेट को देख कर विचार करेंगे कि इससे ऐसा घाव नहीं हो सकता था।

दूसरी थ्योरी है बाल्टी से मारने की मुलजिम से बाल्टी का टुकड़ा बरामद हुआ है, उस पर खून था, कैमिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजने पर एग्जामिनर ने उस पर ह्यूमन ब्लड लगा हुआ बताया।

श्री नत्थीसिंह : क्या आपने जो जांच की थी और मैडिकल ज्यूरिस्ट और गवाहों का उल्लेख किया, मुलजिम की ओर से किसी ने गवाहियां ली हैं, कब उनसे सवाल पूछने की इजाजत दी गई और जो ह्यूमन ब्लड की बात कही है, क्या यह सम्भव नहीं है कि मारने के बाद बाल्टी पर ह्यूमन ब्लड लगाया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास : सब कुछ सम्भव है, इन्कुएस्ट रिपोर्ट के लिए सूचना किसी को देने की जरूरत नहीं है। मजिस्ट्रेट सारे पहलुओं पर खुद जांच करता है और नतीजा निकालता है।

जिस तरह कि थ्योरी आप बताते हैं वह सही नहीं है। That is impossible. मुलजिम कहता है कि वह टट्टी में घुसा तब उसके बायोनेट मार दी। आपने बायोनेट देखी होगी, वह ऊपर से पोइन्टेड होता यदि उसे घुसेड़ते तो उससे पंक्चर्ड वूंड हो सकता था परन्तु जो घाव है वह ऐसा नहीं

(श्री दामोदरलाल व्यास)
है। वह थ्योरी बिल्कुल गलत प्रतीत होती है।

श्री उपाध्यक्ष : अगला प्रश्न।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

ऑर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने किसी टेक्नीकल एक्सपर्ट से यह जांच कराई कि उस बाल्टी के टुकड़े से इस प्रकार का वूंड काज हो सकता है ?

श्री दामोदरलाल व्यास : बाल्टी से हो सकता है। बाल्टी का टुकड़ा था, उससे हो सकता है।

(शोरगुल)

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : आज तक कोई घटना, मैं समझता हूं, गृह मन्त्री के नोटिस में भी नहीं आई, मैंने उनसे भी बात की, खुद कह रहे थे कि मुझे संदेहास्पद लगता है, बाल्टी से कैसे यह हो गया, हम जांच करायेंगे। आप फौजदारी के वकील रहे हैं। इस तरह की घटना आपके नोटिस में आई हो, आत्मा हत्या की हो, वह भी नहीं है तो क्या टेक्नीकल एक्सपर्ट से राय ली कि इतना बड़ा वूंड कैसे किया जा सकता है ? इस प्रकार की जांच कराना बहुत आवश्यक था।

दूसरी बात आप कैमीकल एग्जामिनेशन की कहते हैं। इसमें क्या एग्जामिनर ने यह नहीं कहा है कि यह ब्लड उसका था, यह ह्यूमन ब्लड हो सकता है, यह कहा हैं ? तो दोनों का मामला संदेहास्पद है और जांच की आवश्यकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : जहां तक ब्लड के ग्रुपिंग का सवाल है, ब्लड इतना काफी नहीं था, इसलिये डाक्टर्स ने ग्रुपिंग करने से इन्कार कर दिया। जहां तक टेक्नीकल एक्सपर्ट से जांच कराने का सवाल है कि अन्दर किस शार्प ओब्जेक्ट से चोट आ सकती है। उस सम्बन्ध में डाक्टर की राय है कि यह चोट बयोनेट की नहीं हो सकती, किसी शार्प ओब्जेक्ट से आई है।

श्री लाभचन्द वेद : किस औजार से घाव हुआ। बताते हैं कि घाव 4 इंच चौड़ा है। पकड़ने के लिए स्थान चाहिए। घुसेड़ा है तो 4 इन्च अन्दर चला गया, एक इन्च तो बाहर रहा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ओमदत्त भाटी।

श्री ओमदत्त भाटी : मैडिकल पोइन्ट आफ व्यू से कह रहा हू कि इस पतरे से यह जख्म नहीं हो सकता है। हमने कई अब्डोमन खोले हैं। मसल को काटना, बैंक बोन को काटना, यह सब पतरे से नहीं हो सकता हैं। पकड़ेगा किससे ? हैंडल भी तो होगा। 4½ इंच घाव है ..

श्री गिरधारीलाल व्यास : 1½ इंच घाव है।

एक माननीय सदस्य : 4 इंच कह रहे हैं।

श्री ओमदत्त भाटी : 4 इंच गहरा नहीं हैं....

श्री खेतसिंह : वह थ्योरी अब पुरानी पड़ गई है।

श्री नत्थीसिंह : यह आदमी की मौत का सवाल है। जिस प्रकार माननीय सदस्य इसको ले रहे हैं वह उचित नहीं है। भाई बन्ध है, मिलने आया था और पकड़ लिया गया। भरतपुर और आगरा के पास सब जगह इस बात की चर्चा हुई है कि किस प्रकार से उसकी मौत हुई है। डाक्टर ने कब कहा कि पतरे से हो गई। यह सारा मामला संदेहास्पद है और इसकी अच्छी तरह से जांच नहीं कराई गई है। पुलिस के थाने में इस प्रकार की हत्या होती है। इसकी सही तौर से जांच कराई जाय जिन परिस्थितियों में इसकी मौत हुई है। बिना काम ही आप खुद तसल्ली करें कि, कोई बिना काम ही अपनी आंते निकाल लेगा और मर जावेगा। इसलिये इसकी सही जांच होनी चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मामले की की पूरी तरह से जांच कराने की कोशिश की गई है क्राइम ब्रान्च के एस. पी. को इस मामले की खोज हेतु नियुक्त किया उसकी रिपोर्ट को एग्जामिन किया गया तथा उनसे विचार विमर्श भी किया गया। थानेदार की रिपोर्ट को भी एग्जामिन किया गया। डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कहा है कि इस प्रकार का घाव इस तरह की बोनेट के घुसेडने से नहीं हो सकता है।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : एक्सपर्ट ओपिनियन इनकी हो सकती है।

श्री दामोदरलाल व्यास : 1½ इंच गहरा घाव था और 4½ इंच लम्बा। हम किसी चीज को शील्ड करने के लिये तैयार नहीं है। इसकी हम मैडिकल ज्युरिस्ट के पास भेज देंगे कि पता लगाये कि इससे क्या ऐसी चोट आ सकती है। माननीय सदस्यों को पूरी तसल्ली कराने की कोशिश करूंगा। माननीय रामानन्द जी इस बात को जानते हैं कि जब इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव आया तो मैं काफी मैटेरियल अपने साथ लाया था और मैं इस बात से कन्वीन्स्ड हूं कि कम से कम बोनेट से तो यह चोट नहीं आ सकती है। दूसरा कोई इन्स्ट्रूमेन्ट हो सकता है। मैडिकल ज्यूरिस्ट की राय मंगा लूंगा।

एक बात और माननीय उपाध्यक्षजी, कहना चाहता हूं कि जो मफरूर, जिसके लिये कहा जाता है कि भाई से मिलने आया था, उसके पास दर असल कागज बरामद हुए हैं। एक डकैत की चिट्ठी बरामद हुई जो एम्युनिशन सप्लाई करने के लिये थी। यह कई मुकदमों में वान्टेट था और डिक्लेयर्ड ओफेन्डर था और बड़ी बेड करेक्टर था जिसके लिये कि यहां कहा जा रहा है कि ठीक था, भला आदमी था। उसके पास से इस प्रकार की चिट्ठियां ही नहीं, रिवाल्वर और एम्युनिशन बगैर लाइसेन्स बरामद हुई इसलिये उसको गिरफ्तार किया गया था। सब जेलर के टेलीफोन पर गिरफ्तार कर लिया हो ऐसी बात नहीं है। वजुहात पुलिस से पास थे इसलिये गिरफ्तार किया गया। उसने भी बयान दिया है। डाक्टर का स्टेटमेन्ट था कि इसको इलाज लेने में दिलचस्पी नहीं है and he was the most unco-operative patient. स्टिचिंग नहीं कराना चाहता था। ब्लड प्रेसर नहीं लिवाना चाहता। भरतपुर के सर्जन और डाक्टर के स्टेटमैन्ट को आप देख सकते हैं।

Page No 14

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिस समय इन्क्वायरी हुई वहां पर थानेदार था उसको आपने सस्पेन्ड क्यों नहीं किया ? आपने सस्पेन्ड किया नहीं और दूसरे से इन्क्वायरी नहीं कराई । गृह मंत्रीजी, ने यह स्वीकार किया है कि वह जेल पर गया । पहले आपने कहा कि भागते हुए पकड़ा है ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कब कहा कि वह जेल पर गया । आप पूरी तरह से सुनते तो हैं नहीं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने कहा कि जेल पर गया, प्रोसिडिंग्स देख लीजिये ।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने यह कहा कि जेलर ने इतला दी कि यह बात गलत है ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने यह शब्द कहे हैं कि जेल पर गया । आप इन चीजों की निष्पक्षरूप से जांच करायें । मन्त्री जी, यदि वह मर गया तो उसके परिवार वालों को सूचना क्यों नहीं ? उसकी लाश को पुलिस ने कैसे जला दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रश्न को आप अन्य किसी तरीके से उठा सकते हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इसको बढाना नहीं चाहता मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि बोनेट से पंक्चर नहीं हुआ यह बात मानी जा सकती है । यह तो आप नहीं मानते हैं कि बाल्टी से हो हुआ ?

श्री दामोदरलाल व्यास : डाक्टर का यह कहना है कि किसी शार्प ओब्जेक्ट से ऐसा हो सकता है । डाक्टर ने यह नहीं कहा हैं कि बाल्टी के टुकड़े से घाव हुआ है । कोई डॉक्टर सिवाय इसके कि जो घाव हुआ है वह शार्प ऑब्जेक्ट से हुआ है, अधिक नहीं कह सकता । आपकी तसल्ली के लिए मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूं कि बाल्टी के टुकड़े को मेडिकल ज्यूरिस्ट्स के पास भेज कर दरियाफ्त करा लूंगा कि इस प्रकार का वूंड उससे हो सकता है अथवा नहीं ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मृतक के परिवार को सूचना दी क्या यह बतायें ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पुलिस ने लाश को बालाबाला जला दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज । माननीय सदस्य ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अपने पापों को छिपाने के लिए पुलिस के कर्मचारियों ने उसकी लाश को जला दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य । बहुत प्रश्न पड़े हुए हैं । ऑर्डर प्लीज ।

श्री देवादत्त गाड़िया : पुलिस की जिम्मेदारी है कि किसी भी हवालाती की मृत्यु हो जाय तो परिवार वालों को सूचना दें । आपने नहीं दी ....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ।

(श्री देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर)

अंकित न हो ।

श्री देवीदत्त गाडिया : XXXX

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया ।

Page No 15

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सदन का समय ले रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXXX

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अन्य तरीकों से चर्चा उठा सकते हैं।

श्री हीराभाई : माननीय गृह मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं कि अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि मुलजिम को खुला क्यों छोड़ा। थानेदार हो या और कोई हो। इतने बदमाश मुलजिम को खुला क्यों छोड़ा ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : डाइंग डिक्लेरेशन उनका हुआ था उस आधार पर उनके वारिशान को बुलाया गया था....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर माननीय सदस्य। अंकित न हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : XXXX

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो.....

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं केवल एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूं। डाइंग डिक्लेरेशन की रिपोर्ट है उन पर फौजदारी मुकदमा बनाया जाना चाहिये क्या आपने बनाया क्या इन्वेस्टीगेशन किया ?

वह मुलजिम मरा यह बात सत्य है एक आदमी डाकू है तो उसके परिवार वाले सभी डाकू हैं यह तो माना नहीं जा सकता तो उसके रिस्तेदार को बुलाने को आवश्यकता आपने नहीं समझी बाला बाला ही उसको जला डाला ?

श्री दामोदरलाल व्यास : पुलिस इन्क्वायरी के सवाल के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जेल के अन्दर मरा है। यदि वह पुलिस कस्टडी में मरता है तो उसको बाकायदा मजिस्ट्रेट के सामने रखना पड़ता है। सिटी मजिस्ट्रेट ने इसकी इन्क्वायरी की तथा डाइंग डिक्लेरेशन को मद्देनजर रखते हुए फरदर एवीडेन्स ली। चश्मदीद गवाहान के बयानात हुए। मेडिकल ज्यूरिस्ट के बयान लिए। जब वे इस नतीजे पर पहुंचे कि यह खुदकशी का मामला है किसी ने उसको चोट नहीं पहुंचायी।

जहां तक डेड बोडी के डिस्पोजल का सवाल है वह मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स से होता है। मजिस्ट्रेट ने जब ऑर्डर्स दिये तब उस लाश को जलाया गया। जहां तक उसके वारिशान को इत्तला देने का सवाल है राजस्थान में उसका कोई रिस्तेदार नहीं था इसलिए इत्तला देने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह।

चने व बीज का वितरण

212. श्री रामानन्द अग्रवाल(अलवर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत अकबरपुर में गत रबी की फसल के अवसर पर बाढ़ पीड़ित किसानों को चने का बीज वितरित किया गया था ? यदि हां, तो यह बीज किस कर्मचारी द्वारा वितरित किया गया था ?

XXXX अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 16

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(2) ग्राम पंचायत अकबरपुर के क्षेत्र के लिये कुल कितना बीज वितरण के लिये दिया गया था और कितना कितना बीज किस किस को वितरित किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि बोरियों का वजन चने के वजन में शामिल करके ही चने की कीमत किसानों के नाम लिखी गई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि किसानों से बोरियां वापिस की गई औरीं बोरियों की कीमत कुल कीमत से नहीं काटी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि बोरियां किसानों को उनके सामने वजन करके नहीं दी गई बल्कि बोरियों पर जितना वजन लिखा हुआ था उतना वजन मानकर ही किसानों को वह चना लेने के लिये मजबूर किया गया ?

(5) क्या यह सही है कि इस चने के बीज वितरण के सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने जिलाधीश, अलवर से शिकायत की थी कि किसानों को जितना बीज दिया जा रहा है उससे ज्यादा उनके नाम लिखा गया है ? यदि हां तो शिकायत-पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें ।

(6) क्या उक्त शिकायत-पत्र की कोई जांच कराई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप मन्त्री, कृषि (राव श्री हरिसिंह) : (1) जी हां । बीज सम्बन्धित ग्राम सेवक के द्वारा वितरण किया गया था ।

(2) पंचायत समिति उमरैन द्वारा 241 क्विं. 82 किलो 400 ग्राम चने का बीज ग्राम पंचायत अकबरपुर के क्षेत्र में दिया गया था । काश्तकारों की सूची (तालिका 'क') सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(3) यह सही है कि बोरियों का वजन चने के वजन में शामिल है । यह सही नहीं है कि बोरियां किसानों से वापिस ली गयी इसलिये बोरियों की कीमत काटने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(4) चने की बोरियों का वजन उप जिला विकास अधिकारी एवं जिला कृषि अधिकारी के प्रतिनिधियों के समक्ष रेल्वे स्टेशन पर ही प्रत्येक बोरी विकास अधिकारी एवं उनके सम्बन्धित ग्राम सेवकों के सम्मुख तोली गयी थीं । उसी के आधार पर प्रत्येक बोरी पर वजन अंकित किया गया था । यह सही नहीं है कि किसानों को इसे लेने के लिये मजबूर किया गया था ।

(5) जी हां । शिकायत-पत्र की प्रतिलिपि (तालिका 'ख') सदन की मेज पर रख दी गयी है ।

(6) जी हां । जांच के आधार पर शिकायत में कोई तथ्य नहीं पाया गया ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि जैसा उत्तर आपने भाग 4 का दिया है उसके अनुसार आपने कहा है कि बोरियों का वजन नहीं कर सकते जितना उसके ऊपर लिखा हुआ है उतने में ही लेना

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
पड़ेगा। पंचायत समिति स्तर पर कस्टमर को तोल कर देने की व्यवस्था नहीं की गई थी ?

श्री हरिसिंह : जहां तक तोल का प्रश्न है वह सम्बन्धित अधिकारी है उनके समक्ष तोल करके उनके ऊपर वजन लिख दिया गया उसी आधार पर चार्ज किया गया उसी के साथ बोरियों का वितरण किया गया। प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना वितरित किया गया यह सूची में दे दिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तोल स्टेशन पर पंचायत स्तर पर जिनमें ग्राम सेवक हैं उसने कितना निकाल लिया जबकि खरीददार के सामने तोल नहीं किया तो बीच में किसी ने निकाल लिया तो उसका खमियाजा उस खरीददार को कैसे दिया जा रहा है क्या सरकार यह उचित समझती है ?

श्री हरिसिंह : आप जरा लिस्ट मुलाहिजा करलें जितनी जिस किसी को आवश्यकता थी अलग अलग किलो के अन्दर दे दी गई। किसी को जबरदस्ती बोरी नहीं दी गई। उस पर सरपंच की तस्दीक है। जिन काश्तकारों को दिया गया उन काश्तकारों से व्यक्तिगत तौर पर पूछा गया और उसी के अनुसार उनको वजन दिया गया। कइयों में बोरियां भी शामिल की हैं जहां बीज की कीमत 121 रुपया क्विन्टल कम से कम बोरी की कीमत ढ़ाई रुपया भी होती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बोरियां भी साथ साथ जानी चाहिये थीं उनको वापिस लेने का प्रावधान नहीं था ग्राम सेवक ने बोरियां वापिस ले ली हैं ?

श्री हरिसिंह : नहीं ली है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री हरिसिंह : डिप्टी डेवलपमेन्ट ऑफिसर को और सम्बन्धित विकास अधिकारी को जांच के लिये कहा गया जांच रिपोर्ट प्रस्तुत है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ग्राम सेवक और विकास अधिकारी का कोल्यूजन है इसलिये आप कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों से जांच करवाइये। मुझे इस बारे में काफी बड़े तादाद में लोगों ने शिकायत की थी। मैं निवेदन करना चाहूंगा आप विकास अधिकारी से जांच न करवाकर आपके विभाग से जांच करवाइये जिन लोगों ने माल खरीदा उसका स्टेटमेन्ट लिया जाय ताकि वास्तविकता सामने आ जाये।

श्री शोभाराम : जांच करली जायगी।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न संख्या 213, श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 214, श्री दिग्विजयसिंह !

टोंक जिले को सड़कों की मरम्मत

214. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि धनाभाव के कारण राज्य में नई सड़कों का निर्माण

(श्री दिग्विजयसिंह)
व पुरानी सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकती है ?

(2) क्या यह सही है कि धनाभाव के कारण इस वर्ष जिला टोंक में सड़कों का कार्य नहीं कराया जा रहा है जब कि इस वर्ष 13 लाख रुपया जिले में खर्च हो चुके हैं ?

(3) टोंक जिले में कौन कौन सी सड़कों का निर्माण कार्य वर्ष 70-71 में हाथ में लिया गया है ? कृपया सूची मय नाम सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि निम्न सड़कों के लिये कुछ प्रावधान वर्ष 70-71 के बजट में रखा था:—

(क) टोंक सवाई-माधोपुर रोड एक लाख

(ख) उनियारा-इन्द्रगढ़ पचास हजार

(5) क्या यह सही है कि प्रावधान को काट दिया गया है और किन्हीं अन्य सड़कों पर खर्च किया जा रहा है ?

(6) क्या यह सही है कि जूनिया-दूनी सड़क पर इस वर्ष 40,000 का कार्य मन्जूर किया है ? यदि हां, तो क्या इस वर्ष के बजट में इसका प्रावधान है ? यदि हां, तो कितनी धनराशि का ? यदि नहीं, तो कार्य कैसे चालू किया गया है ?

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों सड़कों का प्रावधान काट कर टोंक क्षेत्र की सड़कों पर डाइवर्ट कर दिया गया है ? जैसे—

(क) टोंक से नासेर घाट

(ख) टोंक से गहलोद घाट

यदि हां, तो क्या यह वर्ष 70-71, के बजट में रखे गये थे ? यदि नहीं, तो ऐसा क्यों किया गया ?

श्री माधोसिंह (उप मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण) : इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है अत: इसको पोस्टपोन किया जाय।

श्री दिग्विजयसिंह : आप इस प्रश्न को मुलाहिजा फरमावें इसमें ऐसी कौनसी सूचना है जो आपके यहां उपलब्ध नहीं है। सारे बजट प्रोवीजन्स दिये हुए हैं। उसको उठाकर बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : बजट के प्रोवीजन्स भी तो देखना होगा।

श्री नत्थीसिंह : टोंक जिले का इतनी आसानी से उत्तर नहीं मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष : बजट भी तो इनके पास नहीं है।

श्री दिग्विजयसिंह : कुछ तो जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी दे दिया जायगा

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जवाब दे दिया जायगा।

श्री दिग्विजयसिंह : जांच की कार्यवाही की है क्या ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जांच के बाद मालूमात करना जरूरी है।

श्री दिग्विजयसिंह : आपके विभाग की भी आपको मालूम नहीं है ?

श्री अमीनुद्दीन अहमद : विभाग इतना बड़ा है कि हरेक बात को याद रखना संभव नहीं है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे खयाल से सरकार को इस प्रश्न का उत्तर देने में किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिये। इसका जवाब तो मेरे खयाल में कुर्सी पर बैठे हुए दिया जा सकता है। इसमें कोई दरियाफ्त करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री अमीनुद्दीन अहमद : जांच पड़ताल की जरूरत है।

श्री दिग्विजयसिंह : जवाब के लिए हिम्मत की जरूरत है।

श्री लक्ष्मणसिंह : जवाब देने में आपको क्या गुरेज है ?

श्री विजयसिंह : कल भी इस बारे में काफी विवाद हुआ था आपकी तरफ से मन्त्री महोदय को ताड़ना होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : कितनी ही दफा हो चुकी है।

श्री विजयसिंह : ऐसा है तो सदन के बाहर निकाल दिया जाय। नहीं तो आप मुझे हुक्म दीजिए में निकाल देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित किया गया।

लोहे व स्टील की खरीद

215. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मार्च, 1966 में मैसर्स राधावल्लभ एन्ड सन्स से कृषि यन्त्रालय, जयपुर के लिये भारी मात्रा में लोहा व स्टील की खरीद की गई थी ? यदि हां, तो परचेज आर्डर्स की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने लोहा व स्टील के बिलों में स्पेसीफाइड लेंथ के लिये एक्सट्रा चार्ज 50 रुपया प्रति टन की दर से किया था ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म के बिलों को पास करते समय में स्पेसीफाइड लेंथ के एक्सट्रा चार्जेज को काट करके भुगतान किया गया ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त फर्म को 1968 में स्पेसीफाइड लेंथ चार्जेज के सप्लीमेन्टरी बिलों का भुगतान करीब चालीस हजार रुपये का विभाग द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर और किसकी स्वीकृति से ?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (1) जी हां मार्च, 1966 में राधा वल्लभ एन्ड सन्स से भारी मात्रा में लोहा व स्टील कृषि यंत्रालय में खरीदा गया था। पर्चेज आर्डर की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां उक्त फर्म ने निर्धारित लम्बाई के लिये 50 रुपये प्रति टन की दर से अलावा चार्ज किया था।

(3) जी हां उक्त फर्म के तीन बिलों में से निर्धारित लम्बाई की कीमत काट कर भुगतान किया गया है क्योंकि माल की स्पेसिफिक लम्बाई उस वक्त नापी नहीं जा सकी थी क्योंकि माल बहुत अधिक मात्रा

Page No 20

(श्री हरिसिंह)
में था। बाकी के निर्धारित लम्बाई के बिल फर्म ने देर से दिये और उनका भुगतान 1968 में किया गया था।

(4) जी हां सप्लीमेन्टरी बिलों का कुल भुगतान रु. 40,467.29 पैसे 16 बिलो के द्वारा किया गया है। यह भारत सरकार की जी. पी. सी. के सरक्यूलर नं. 22, दिनांक 23 अगस्त, 1965 के अन्तर्गत किया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिये)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि पर्चेज का आर्डर इश्यू करने के पहले राज्य सरकार और इस फर्म के बीच में किस भाव से किस प्रकार का लोहा दिया जायेगा, यह बातें तय हो गई थीं।

श्री हरिसिंह : वही की होगी जो टेन्डर के अन्दर निर्धारित होगी कि इस प्रकार का माल दिया जायेगा और इस प्रकार का माल होगा।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह माना जाये कि टेन्डर में स्पेसीफाइड लेंथ के अगेंस्ट में जिस प्राइज का भुगतान किया जाना था उससे ज्यादा भुगतान किया गया है।

श्री हरिसिंह : मैंने निवेदन कर दिया है प्रश्न 4 के उत्तर में। गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के सरक्यूलर के अन्तर्गत यह किया गया है कि जो स्पेसीफाइड लेंथ है उससे 50/- रुपया अधिक दिया है। जितनी उसकी लेंथ है और जितनी उसकी रेट है उससे 50/- रुपया ज्यादा।

श्री भैरोंसिंह : टेन्डर इन्वाइट करने के पहले और उसके स्वीकार करते समय जो रेट्स आपने स्पेसीफाइड लेंथ की निर्धारित की हैं उसके अगेंस्ट में क्या इसके ज्यादा भुगतान किया गया है।

श्री हरिसिंह : टेन्डर का प्रश्न नहीं पूछा गया है वरना टेन्डर की कॉपी ही प्रस्तुत कर देता।

श्री भैरोंसिंह : जो रेट्स सरकार और फर्म के बीच में तय हुई थी उसको पर्चेज आर्डर में दिया होगा। उसके अगेंस्ट में जिन रेट्स में भुगतान किया गया है वह ज्यादा किया गया है।

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : उपाध्यक्ष जी, जो टेन्डर की बात माननीय सदस्य ने उठाई है उसमें दो बातें हैं और उनकी जानकारी हम कर रहे हैं। टेन्डर में जो लैन्थ स्पेसीफाइड हैं और असली जो लेंथ है उसमें कितना फर्क है और उसमें 50/- रु. प्रति टन के हिसाब से उसको दिया गया है, वह उसको परमीसीबल था या नहीं इसको हम देख रहे हैं। और दूसरा प्रश्न यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ट्रेडीशन्स हैं इस प्रकार के स्पेसीफाइड लेंथ से 50/- रुपया अधिक दे दिया जाये उस टेन्डर की दर से। यह एक एप्रूव्ड रेट है। मैन्युफेक्चरिंग यूनिट के जो हमारे वर्कशॉप के चीफ इंजीनियर हैं वे 23 तारीख को आयेंगे। और उनके आने के बाद टेन्डर की जो असल दर है उससे इसका तालमेल बिठायेंगे और आया मुकाबला करते वक्त उससे ज्यादा पेमेन्ट हुआ है तो हम इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे और माननीय सदस्य को भी उस टेन्डर की नकल को पेश करूंगा।

श्री भैरोंसिंह : जो रेफरेन्स दिया है सरक्यूलर का गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का, रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से देने का डिसीजन क्या इस सरक्यूलर में है या यह स्वयं राज्य सरकार ने लिया है। 65 में पर्चेसेज़ हुईं और 68 का सरक्यूलर है और उसके मातहत यह भुगतान किया गया है।

श्री हरिसिंह : सरक्यूलर 65 का है।

श्री भैरोंसिंह : आपने 68 का बताया है।

श्री हरिसिंह : नहीं 65 का है।

श्री श्रवणलाल : मैं यह जानकारी करना चाहता हूं कि तीन बिलों का ज्यादा भुगतान किया गया है। जो लेंथ थी वह विभाग को कब मालूम पड़ी और जब नापा गया तो वह अधिक मात्रा में था या कम और यह जानकारी विभाग को कब प्राप्त हुई।

श्री शोभाराम : शुरू में एडहॉक बेसिस पर पेमेन्ट हो गया। इतनी बड़ी तादाद में माल आया था कि उसकी लेंथ को नापना मुश्किल काम था। हरेक माल को रिलीज़ करते वक्त उसकी लम्बाई को नापा गया है और सारा माल निकलने के बाद फिर पेमेन्ट में इसको एडजस्ट किया गया है। पहले वाले के बारे में मैं निवेदन कर चुका हूं कि टेन्डर के अन्दर जो कन्डीशन्स लैंड डाउन थी उसको देखने के बाद बताऊंगा।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 216।

श्री बालसिंह सोढ़ा

पाकिस्तान से आये अल्प संख्यकों का पुनर्वास

216. **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) 1965 के पाक संघर्ष के बाद आज तक राजस्थान की सीमा से बाड़मेर व जैसलमेर जिलों में कितने अल्प संख्यक पाकिस्तान से आये ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) पूर्ण संख्या में से आज तक राज्य सरकार ने कहां कहां कितनी कितनी संख्या में उनको बसाया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले अल्प संख्यकों को शरणार्थी की परिभाषा में नहीं लिया जा रहा जिससे उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं रही है ? अगर हां, तो इस प्रकार का पूर्व पश्चिम में भेद रखने के क्या कारण हैं और राज्य सरकार ने आज तक केन्द्र सरकार से इस बारे में क्या कार्यवाही की और अगर नहीं की है तो इसके क्या कारण हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि आज उपरोक्त अल्प संख्यकों को भारत में रहते तीन चार वर्ष से भी अधिक होने पर भी उनको भारत की नागरिकता नहीं दी गई है ? अगर दी गई है तो कितनों को ? जिलेवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें और अगर नहीं दी गई है तो क्यों ?

राज्य मंत्री, पुनर्वास (श्री जयकृष्ण शर्मा) : (1) सन् 1965 के भारत-पाक

Page No 22

(श्री जयकृष्ण शर्मा)
संघर्ष के बाद जिला बाड़मेर में 877 व जिला जैसलमेर मे 292 अल्प संख्यक आये जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) 523 अल्प संख्यक जिला बाड़मेर में व 7 अल्प संख्यक जिला जैसलमेर में बसाये गये हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, यह सही है। प्रारम्भ में भारत सरकार ने अपने अ० शा० पत्र दिनांक 20-5-66 के द्वारा राज्य सरकार को लिखा कि ताशकन्द घोषणा के बाद आने वाले परिवारों को भी उसी प्रकार सहायता दी जावे जिस प्रकार सीमा क्षेत्र से आने वाले विस्थापितों को दी जा रही है। लेकिन 4-10-66 को केन्द्रीय सरकार से तार द्वारा यह आदेश प्राप्त हुए कि ताशकन्द घोषणा के बाद आने वाले अल्प संख्यकों को किसी भी प्रकार की सहायता न दी जावे। अतः जिलाधीश बाड़मेर व जैसलमेर ने ऐसे व्यक्तियों को सहायता देना बन्द कर दिया। राज्य सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को सहायता दिलाये जाने हेतु दिनांक 27-2-68 को भारत सरकार को एक पत्र लिखा जिसके उत्तर में उन्होंने दिनांक 27-4-68 को यह सूचित किया कि ताशकन्द घोषणा के पश्चात् पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले अल्प समुदाय के लोगों के लिए राहत तथा पुनर्वास सहायता की दर निश्चित करने की आवश्यकता नहीं समझी गई है क्योंकि राजस्थान में पश्चिमी पाकिस्तान से अल्प समुदाय के लोग अधिक संख्या में नहीं आये हैं। अतः यह अनुभव किया जाता है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के लिए राहत तथा पुनर्वास सहायता की दरें निश्चित करने की आवश्यकता नहीं है।

(4) जी नहीं। जिला बाड़मेर में 859 व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता दी जा चुकी है। इस समय उनके पास कोई प्रार्थना-पत्र पेन्डिग नहीं है। जैसलमेर जिले में किसी भी अल्प संख्यक ने भारतीय नागरिकता हेतु कोई आवेदन-पत्र नहीं दिया है। जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करें कि यह जो सूची सदन की मेज पर रखी गई है वह किस तारीख तक की है?

श्री जयकृष्ण शर्मा : किस तारीख का कोई सवाल नहीं है, जो भी है वह आज तक की है और पूरी है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि यह सूची अप टू डेट नहीं है।

श्री जयकृष्ण शर्मा : मेरी जानकारी के अनुसार आपने जैसे 65 के बाद अब तक पूछा है यह उसके अनुसार है और यह सूची पूर्ण है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि इस सूची में जो करीब 1189 की सूची दी है उसमें 65 के बाद आज तक बाड़मेर, जैसलमेर में जितने आये हैं वे काफी कम हैं जैसलमेर में ही कम से कम

(श्री बालसिंह सोढ़ा)
हजारों की संख्या में हैं और जो 65 के बाद में आये हैं उनकी सूची नहीं बनाई गई है। एक एक गांव में पॉपुलेशन हजार हजार के करीब है। जहां तक जैसलमेर का सवाल है उसके एक गांव मसूरिया में करीब 300 से अधिक आदमी आये हैं और मैंने उन्हें अपने आंखों से देखा है। जैसलमेर के कलेक्टर को मसूरिया के लोगों ने मेरे साथ जाकर के एप्लीकेशन दी है और आप यहां पर बता रहे हैं कि कोई प्रार्थना-पत्र नहीं आया है। क्या आप सही हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : ऐसी कोई सूचना या इत्तला मेरे पास में नहीं है। माननीय सदस्य को इस प्रकार की ऐसी कोई सूचना है तो वह मुझे दे दें। मैं उसकी जानकारी करवा लूंगा।

श्री बालसिंह सोढ़ा : सूचना क्या दूं। मैं बता रहा हूं कि आपको जो सूचना विभाग के द्वारा दी गई है वह गलत है। हजारों की संख्या में लोग आये हैं और उनका नाम एन्टर नहीं किया गया है और उनको सिटीजन नहीं बनाया गया है और उनको आज तक नहीं बसाया गया।

श्री जयकृष्ण शर्मा : यह आपका कहना मैं समझता हूं तथ्य हीन है क्योंकि जो मेरे पास सूचना आई है और जो लेटेस्ट सूचना मैंने मांगी है वह सदन की मेज पर रख दी गई है, वह ठीक है। जो आप कह रहे हैं उसको स्वीकार किया जाय यह बात आपकी तब तक सही नहीं हो पाती है जब तक आप कोई उदाहरण पेश करें कि जैसलमेर के कलेक्टर ने और बाड़मेर के कलेक्टर ने उन्हें भारतीय नागरिकता देने से इन्कार किया है।

श्री भेरोंसिंह : क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले और पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने के सम्बन्ध में या उनको सहायता देने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेद रखा जाय ? क्या भारत सरकार भी और राज्य सरकार भी यह उचित समझती है ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को बसाने के बारे में भेद नहीं रखना चाहिये। मैं आपको बताऊं पश्चिमी पाकिस्तान से कोई ज्यादा लोग नहीं आये हैं फिर भी राज्य सरकार ने उनके पुनर्वास और राहत के लिये व्यवस्था की है। ताशकन्द घोषणा के बाद भारत सरकार ने मंजूर नहीं किया तो राज्य सरकार की मजबूरी है।

श्री भेरोंसिंह : क्या यह सही है कि ताशकन्द घोषणा के बाद उस सम्बन्ध में भारत सरकार ने दरें निर्धारित नहीं की बल्कि राज्य सरकार को मना नहीं किया कि उनके पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की जाय

श्री जयकृष्ण शर्मा : पुनर्वास का ही मतलब नहीं है, उनको सहायता दी है जो लोग आये हैं और जिनकी दरें निश्चित की हैं उसके अनुसार उनको सहायता दे रहे हैं।

श्री भेरोंसिंह : इसका मतलब यह हुआ भारत सरकार यह चाहती है कि ताशकन्द घोषणा के बाद जितने लोग आये हैं उनके पुनर्वास की व्यवस्था भारत सरकार को नहीं करनी चाहिये।

Page No 24

श्री जयकृष्ण शर्मा : राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है। अभी बंगाल के विस्थापितों के लिये भी व्यवस्था कर रही है।

श्री भैरोंसिंह : बंगाल का सवाल नहीं है। मैं पश्चिमी पाकिस्तान वालों के लिये जानना चाहता हूं। क्या राजस्थान की सरकार यह मानकर चल रही है कि भारत सरकार के ताशकन्द घोषणा के बाद जो शरणार्थी पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं, उनके पूर्नवास की व्यवस्था न की जाय।

श्री जयकृष्ण शर्मा : माननीय सदस्य अगर आप मेरे उत्तर को पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जायगा कि पश्चिमी पाकिस्तान से नहीं आये हैं इसलिये यह प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री भैरोंसिंह : फिर कहां से आये हैं ?

श्री जयकृष्ण शर्मा : जो लोग आये हैं ताशकन्द घोषणा के बाद नहीं आये हैं इसलिये प्रश्न पैदा नहीं होता है।

श्री बालसिंह सोढ़ा: बहुत सी तादाद में नहीं आये हैं इसलिये कोई व्यवस्था न की जाय—क्या राज्य सरकार यह उचित समझती है कि अल्प संख्यकों के लिये कोई व्यवस्था ही न की जाय ?

श्री प्रेमसिंह सिघवी (छबड़ा): आप तो समदर्शी हैं पहले आने वाले और बाद में आने वाले में क्या फर्क है ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। 234 की सूची भी नहीं मिली है। मैंने विधान सभा सचिवालय से भी दरियाफ्त किया लेकिन मुझे सूची नहीं दी गई है। वह सूची क्यों नहीं दी गई। यह नीति से सम्बन्धित प्रश्न है। क्या इसको स्थगित किया जा रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष : बहुत से प्रश्न स्थगित हो चुके हैं, माननीय सदस्य।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय यह इम्पोरटेन्ट मामला है।

श्री नत्थीसिंह : सहकारिता का मामला है। सूची तो कम से कम दे दें। इसको स्थगित किया जाय ताकि बाद में इस पर विवाद हो सके। आप तो उपाध्यक्ष महोदय स्वयं भी परिचित हैं।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष जी...

श्री नत्थीसिंह : यह सहकारिता का मामला है जो आश्वासन दिया गया था उससे सरकार बैक आऊट हो रही है इसलिये इसको स्थगित करके मामले को साफ कराया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : गबन से सम्बन्धित है इसका उत्तर जरूर मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : मामला समाप्त हो गया।

एक माननीय सदस्य: 224 का उत्तर दिला दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : अब सम्भव नहीं है।

श्री रामकिशन : यह 234 प्रश्न सहकारिता से सम्बन्धित है इसको स्थगित कर दिया जाय, अगले टर्न पर ले लिया जाय।

(श्री रामकिशन)
अभी तो विधान सभा चलेगी। इसको स्थगित करा दीजिये। इसका उत्तर आना जरूरी है।

श्री उपाध्यक्ष: ऑर्डर प्लीज।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : 25 तारीख से बस वाले हड़ताल करने जा रहे हैं। एक लाख जनता का सवाल है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : (साथ बोलते रहने पर अश्रव्य) किस को रोयें और किस को क्या करें, मामला समझ में नहीं आता हैं।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़)। उपाध्यक्ष जी पुलिस फायरिंग की चूरू में लोहिया कॉलेज का, उसकी न्यायोचित जांच से सम्बन्धित मेरा एक प्रश्न था। यह प्रश्न इस विधान सभा के लिये और सारे राजस्थान के लिये बड़ा महत्त्वपूर्ण रहा है। इसका उत्तर आप दिला दें तो अच्छा होगा क्योंकि उत्तर के रूप में मुझे सूची मिली है। आपके पधारने के समय यह सूची मुझे मिली है इतनी बड़ी लिस्ट को मैं पढ़ भी नहीं सका हूं। यह नहीं आयेगा तो मैं चर्चा के रूप में उठाना चाहूंगा। आप मुझे इसको फिर चर्चा के रूप में उठाने की इजाजत दे दें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बड़ा महत्त्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : मुझे कोई ऐतराज नहीं। एक आध प्रश्न के लिये कह दें तो स्थगित कर दिया जाय। सभी माननीय सदस्य यह चाहें कि उनके प्रश्न स्थगित कर दिये जायें तो स्थगित प्रश्न इतने हो जायेंगे कि उनको लेना भी सम्भव नहीं होगा।

श्री मूलचन्द डागा : प्रश्न सं० 234। नीति का प्रश्न है, पॉलिसी का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुये। ऑर्डर प्लीज।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह चोरों से सम्बन्धित है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य पहले ध्यान रखिये। थोड़ा समय लें तो सबको समय मिल जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बड़ा घोटाला है, इसका उत्तर होना चाहिये। आप आदेश कर दें।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषि उपज मंडी प्रतापगढ़ का चुनाव

207. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि प्रतापगढ़ कृषि उपज मण्डी का चुनाव हो चुका है? यदि हां, तो एक मण्डी कमेटी कायम करने का क्या आधार है?

Page No 26

(श्री हरलाल मीणा)

(2) क्या यह भी सही है कि इसी प्रतापगढ़ तहसील के पंचायत समिति एरिया अरनोद (अचनारा) के पूरे क्षेत्र को अलग रखा गया है ? यदि हां, तो क्यों और क्या यहां अलग मण्डी कमेटी कायम की जायगी ?

(3) क्या यह सच है कि इस क्षेत्र में कृषि उपज मण्डी नहीं होने से इस एरिये का माल मध्य प्रदेश में जाता है ? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। मण्डी कमेटी उस स्थान पर कायम की जाती है जहां 50,000 क्विन्टल से ज्यादा कृषि-उपज की आवक होती है।

(2) जी हां। अरनोद पंचायत समिति क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा रहा है जिसके आधार पर अलग मण्डी कायम करने का निर्णय लिया जावेगा।

(3) इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की जा रही है।

उदयपुर में मछली पकड़ने का ठेका

213. **श्री दुर्गालाल बाद्दार** (हवा-महल, जयपुर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिछोला और फतेह सागर तालाब उदयपुर में सन् 70 में मछली पकड़ने का ठेका किसको और कितने रुपये पर कितने समय के लिए दिया गया ?

(2) क्या यह सच है कि दो दिन मछली पकड़ने के बाद यह कार्य बन्द करा दिया गया ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

(3) क्या इस ठेके को राज्य सरकार ने रद्द किया है ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

उत्तर

(1) पिछोला तालाब का सन् 70 में कोई ठेका नहीं दिया गया था। फतेह सागर तालाब का राजस्थान फिशेरीज रूल्स, 1958 के तहत जून, 70 के लिये सीजनल लाईसेन्स निम्न दो पार्टियों के नाम जारी किये गये थे।

(क) मैसर्स श्याम सुन्दर एवं दौराव मोरवां को 5,400) रु०

(ख) मैसर्स मेवाड़ फिशरमैन को-ऑप-रेटिव सोसायटी, उदयपुर को 4,100) रु.

(2) जी हां। जन भावना की धार्मिक प्रवृत्ति के कारण कार्य चालू रखना वांछनीय नहीं था।

(3) ठेका रद्द नहीं किया गया था सिर्फ कार्य बन्द करवा दिया गया था।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रतनगढ़ नगर की स्ट्रीट लाइटें

208. **श्री लाभचन्द बैद** (सुजानगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला स्थित रतनगढ़ नगर में स्ट्रीट लाइटें करीब

(श्री लाभचन्द वैद)
तीन-चार महिनों से बहुत अधिक संख्या में बन्द पड़ी हुई हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि रतनगढ़ नगरपालिका को किसी दानी सज्जन ने 1969-70 में बडी मात्रा में ट्यूब लाइटें दान में दी थीं ? अगर हां, तो किसने ? क्या वे सब ट्यूब लाइटें नहीं जल रही हैं ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। श्री गनेड़ी वाला ने 54 ट्यूब लाइटें दी थीं। ट्यूब लाइटों में सामान खराब होने से जल्दी ही खराब हो गई।

नगरपालिका द्वारा ठीक करवा दी गई हैं और जलनी शुरू हो गई हैं।

बूंदी नगरपालिका के वार्डों में परिवर्तन

209. **श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली)**: क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बूंदी नगरपालिका के वार्डों में गत चुनाव में कोई परिवर्तन किया गया है ?

(2) क्या यह सत्य नहीं कि जिला जनसंघ बूंदी की ओर से नगर में सफाई, रोशनी व पानी की सुचारु रूप से व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में एक प्रतिनिधि मडल प्रशासक से दिनांक 7-9-70 को मिला था ?

(3) क्या यह सत्य है कि प्रशासक ने 15 दिनों में सफाई व रोशनी का प्रबन्ध करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो आश्वासन के पश्चात् क्या क्या कार्य किया गया है ?

उत्तर

(1) दिनांक 25-10-70 को हुए चुनाव विज्ञप्ति दिनांक 13-3-68 के अन्तर्गत निर्धारित वार्डों के अनुसार ही हुए हैं। निर्धारित सीमा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। प्रशासक ने नगरपालिका में सीमित वित्तीय साधनों के अनुसार अपने कार्यकाल में यथाशक्ति सफाई व रोशनी की सुचारु रूप से व्यवस्था करने के लिये कहा था तदनुसार दिनांक 7-9-70 से 31-10-70 तक सुधार किये हैं।

(क) सफाई व्यवस्था विशेष प्रकार से करने हेतु हरिजनों की एक विशेष गैंग लगाई थी। इस पर 847.50 रु. का खर्च हुआ है।

(ख) रोशनी की व्यवस्था में सुधार करने के लिये 3500) रुपया खर्च किया गया है।

27 ट्यूब लाइटें व 17 बल्ब लगाये गये हैं।

नगरपालिका क्षेत्र बूंदी में बिजली की व्यवस्था

210. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि दिनांक 22-10-70 से 25-10-70 तक नगरपालिका क्षेत्र बूंदी में अनेकों बिजली के बल्ब और ट्यूब लाइटें लगाई गई ?

(2) उपरोक्त तारीखों में किस किस गली में या मोहल्ले में किस प्रकार की लाइटें लगाई गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उपरोक्त कार्य किस के सुझाव पर किया गया ? अगर यह लाइटें लगाना अनिवार्य था तो प्रशासक, नगरपालिका ने इन तारीखों से पूर्व क्यों नहीं लगाई ?

(4) नई लाइटों की खरीद में कितनी रकम व्यय हुई ? क्या उसका भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किसे ?

उत्तर

(1) दिनांक 7-9-70 को प्रशासक, नगरपालिका से मिलने वाले जनसंघ के प्रतिनिधि मण्डल के सुझाव पर दिनांक 7-9-70 से 31-10-70 के बीच बिजली के बल्ब व ट्यूब लाइटें लगाई गई हैं। लगाई गई ट्यूब लाइटें व बल्ब में से कुछ दिनांक 22-10-70 व 25-10-70 के बीच में हो सकती हैं।

(2) तारीखों सम्बन्धी उत्तर प्रश्न के भाग (1) में दे दिया गया है। दिनांक 7-9-70 से 31-10-70 तक जितनी लाइटें जिस तरह की जिस वार्ड में लगाई गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जनसंघ के प्रतिनिधि मंडल के सुझाव पर जो दिनांक 7-9-70 को प्रशासक नगरपालिका से मिला था।

प्रतिनिधि मण्डल अगर पूर्व में भी प्रशासक से मिल गया होता तो सम्भव था कि लाइटें भी पूर्व में ही लग गई होती।

(4) रोशनी की व्यवस्था पर 3,500 रुपया लगभग खर्च हुआ है।

बिलका भुगतान हुआ या नहीं, जानकारी की जा रही है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

बूंदी नगर में पानी की व्यवस्था

211. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि बूंदी नगर की जल-प्रदाय योजना मकानों की दूसरी मंजिल पर और जो बस्ती पहाड़ पर बसी हुई है उसमें और अन्य बस्तियों में भी पानी पहुंचाने में सक्षम नहीं है ?

(2) क्या सरकार की जानकारी में है कि मोर्डी पाड़ा में हथाई के कुएं पर पम्प लगा कर सरकार कई बस्तियों का जल संकट दूर कर सकती है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं, सक्षम है, केवल गर्मियों में पानी की सतह कुएं, बावड़ियों

Page No 29

(जनस्वास्थ्य मन्त्री)
में कम हो जाने के कारण तदनुसार दवाब की कमी के कारण ही इस विषय में कुछ परेशानी पैदा हो जाती है।

(2) केवल पम्प लगाने से ही जनता को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा सकता किन्तु पानी के स्टोरेज की व्यवस्था भी आवश्यक है। इस पानी की कमी को दूर करने के लिये एक नल कूप निर्माणाधीन है।

मालपुरा ग्रामीण बहुउद्देशीय वृहद् सहकारी समिति

212. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मालपुरा ग्रामीण बहुउद्देशीय वृहद् सहकारी समिति का निर्माण कब हुआ और कब कब उसके कार्यकारिणी के चुनाव किन के द्वारा कराये गये ?

(2) इस समिति को अब तक कितना ऋण (कर्जा) व कितनी कितनी सहायता किस किस काम के लिए दी गई ? हर साल की तालिकायें सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जो राशि कर्जा या सहायत के रूप में दी गई थी वह समय पर उन्हीं कामों में खर्च करके उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेज दिये थे ? यदि हां, तो कब कब ?

(4) जो कर्जा दिया गया था उसको समय पर बैंक को लौटाया या नहीं ? यदि बाकी है, तो कब से व कितना ?

(5) क्या यह सच है कि समिति का समय समय पर ऑडिट होता रहा है ? यदि हां, तो कब कब ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखें।

(6) समिति की आम मीटिंगें कब हुईं और कार्यकारिणी की कब कब ?

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

सहकारी निरीक्षकों का फिक्सेशन

213. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे।

(1) राजस्थान में ऐसे सहकारी निरीक्षक कितने हैं जो पहले पंचायत निरीक्षकों के पदों पर काम करते थे उनको सहकारिता विभाग में कब लिया गया ?

(2) क्या निरीक्षकों का फिक्सेशन हो चुका है ? यदि हां, तो कब और नहीं तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियां

214. श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन सहकारी समितियों के पास कितनी कृषि भूमि उपलब्ध है ? इस भूमि में से कितने आबादी के प्लॉट बनाने की योजना है ?

(श्री पृथ्वीसिंह)

(3) इस कृषि भूमि को आबादी में परिवर्तित करने हेतु सरकार के पास क्या योजना है ? इस योजना पर अमल कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) जयपुर नगरपालिका क्षेत्र में 104 गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं। परिशिष्ट "क" सूची संलग्न है।

(2) इन सहकारी समितियों के पास 936 बीघा कृषि भूमि उपलब्ध है। इस भूमि में से 2808 आबादी के प्लॉट बनाने की योजना है।

(3) ऐसी भूमि को आबादी में परिवर्तित करने न करने से संबन्धित योजना का सम्बन्ध राजस्व विभाग से है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)।

रानी स्टेशन पर डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण

215. **श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर)**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) रानी स्टेशन, जिला पाली पर क्या कोई डिस्पेन्सरी भवन का निर्माण हो रहा है ?

(2) क्या उपर्युक्त भवन के निर्माण हेतु सरकार और दानदाता के बीच कोई एग्रीमेन्ट हुआ था ? यदि हां, तो उस एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखी जाय।

(3) क्या यह सही है कि एग्रीमेन्ट के अनुसार दानदाता ने प्रथम किश्त सरकार में जमा करा दी है ? यदि हाँ, तो कब रकम जमा करवाई गई व कितनी रकम जमा करवाई गई ?

(4) इस रकम के जमा करवाने के पश्चात् कब निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ ?

(5) क्या यह सही है कि चालू निर्माण कार्य बन्द कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब और क्यों बन्द कर दिया गया ?

(6) क्या यह सही है कि दानदाता ने बारबार डाइरेक्टर महोदय, चिकित्सा विभाग को पत्र लिखे और भवन के (चिकित्सालय व निवास क्वार्टरों) के ब्लू प्रिंट मंगवाये, परन्तु अभी तक मात्र चिकित्सा भवन के ही ब्लू प्रिंट भेजे गये हैं, लेकिन निवास क्वार्टरों के ब्लू प्रिंट अभी तक भी नहीं भेजे गये हैं जिसकी वजह से दानदाता कोष में रकम नहीं भर रहे हैं ?

(7) डाइरेक्टर महोदय, चिकित्सा, को निवास क्वार्टरों सहित पूरे भवन के ब्लू प्रिंट नहीं भेजने हेतु प्रथम पत्र दानदाता का किस तारीख को मिला ? अब तक निवास क्वार्टर का ब्लू प्रिंट नहीं भेजने के कारण क्या हैं।

(8) क्या यह सही है कि डाइरेक्टर, चिकित्सा ने चीफ इन्जीनियर महोदय को ब्लू प्रिंट हेतु पत्र लिखे हैं और दानदाता ने भी मूल पत्र की प्रतिलिपि बारबार भेजी है चीफ इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. को किन्तु चीफ इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी. ने ब्लू प्रिंट नहीं भेजी है अभी तक दानदाता को ?

Page No 31

(श्री फूलचन्द बाफना)

(9) ब्लू प्रिंट कब तक भेज दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। प्रतिलिपि संलग्न है, यद्यपि दानदाता द्वारा उक्त एग्रीमेण्ट का समापन नियमानुसार एक रुपये के स्टाम्प पेपर पर अभी तक नहीं किया गया है।

(3) जी हां, रुपया 40,000 का डिमान्ड ड्राफ्ट दिनांक 3-9-68 द्वारा एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर, पी. डब्ल्यू. डी., जोधपुर को जमा करा दिये गये हैं।

(4) पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा निर्माण कार्य माह नवम्बर, 69 में प्रारम्भ किया गया।

(5) जी हाँ, माह मई, 1970 से दानदाता द्वारा दूसरी किश्त की रकम जमा न कराने के कारण निर्माण कार्य पी. डब्ल्यू. डी. द्वारा बन्द कर दिया गया है।

(6) जी नहीं। पी. डब्ल्यू. डी. की प्राप्त सूचना के अनुसार दानदाता द्वारा वांछित सभी नक्शे भेज दिये गये हैं।

(7) दिनांक 27-7-70 को। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(8) निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर द्वारा चीफ इन्जीनियर पी डब्ल्यू. डी. राजस्थान, जयपुर को लिखा गया था एवं नक्शे भिजवा भी दिये हैं।

(9) प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

चिकित्सा सुविधा

216. **श्री हंसराज आर्य** (मादरा) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में औसतन कितने व्यक्तियों के पीछे एक डॉक्टर है।

(2) प्रति व्यक्ति सरकार उपचार में एक वर्ष में कितनी धनराशि खर्च करती है ?

(3) राजस्थान में कितनी जनसंख्या पर एक अस्पताल है ?

(4) राजस्थान में अस्पतालों में बीमारों को जो खाना रोजाना दिया जाता है औसतन एक वक्त का क्या खर्च आता है ?

(5) जो खाना बीमारों को रोजाना दिया जाता है क्या टैस्ट के तौर पर अस्पताल की पाकशाला में जाकर आज तक कभी किसी मंत्री ने या डॉक्टर ने खाकर देखा है ?

(6) राज्य कर्मचारी के लिये या उस व्यक्ति के लिये जिसे मुफ्त चिकित्सा-सुविधा सरकार देती है एक साल में अधिक से अधिक कितनी सहायता दी जा सकती है ?

(7) इस प्रकार की सहायता पर गत साल में राज्य भर में कुल कितना खर्च आया है ?

(8) क्या किसी कर्मचारी को खास कारणवश उपचार के लिए सरकारी खर्चे

(श्री हंसराज आर्य)
पर विदेश भी भेजा गया है या भेजा जा सकता है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में वर्ष 1966 की अनुमानित जनसंख्या पर प्रति 12,900 व्यक्तियों पर एक डॉक्टर है।

(2) वर्ष 69-70 में अनुमानित जन संख्या पर प्रति व्यक्ति खर्च निम्न प्रकार है:—

	रु०	पैसे
1. मेडीकल पब्लिक हैल्थ	4	54
2. मेडीकल	2	99
3. पब्लिक हैल्थ परिवार नियोजन सहित	1	85
4. केवल पब्लिक हैल्थ	1	36
5. केवल परिवार नियोजन	0	49

(3) दिनांक 1-1-70 को राजस्थान में कार्यरत्त चिकित्सा संस्थाओं का ब्यौरा:-

1. अस्पताल	348
2. डिस्पेन्सरी एड पोस्ट	231
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	232
4. मातृशिशु कल्याण केन्द्र	74

5. वर्ष 1969 की अनुमानित जनसंख्या पर प्रति 27,700 व्यक्तियों पर एक चिकित्सा संस्था है।

(4) 0.52 पैसे प्रति व्यक्ति एक वक्त का खर्चा।

(5) मंत्री द्वारा खुराक के खाकर देखने की सूचना तो उपलब्ध नहीं है पर प्रत्येक अस्पताल में एक डॉक्टर को इस कार्य के लिए पाबन्द किया हुआ है कि मरीजों को दी जाने वाली खुराक का नित्य निरीक्षण करे एवं आवश्यकतानुसार खाकर भी देखले।

(6) राज कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों पर हुए पूर्ण चिकित्सा व्यय की राज्य सरकार प्रति पूर्ति करती है। राज सरकार ने आदेश सं० एफ 1 (4) एफ. डी. (आर) 70, दिनांक 1-6-70 के अनुसार 1000) रु. की धनराशि वर्ष के लिये प्रति पूर्ति करने के पश्चात् उनकी वास्तविकता जांच कर यदि फिर भी आवश्यक हुआ तो रज्य सरकार अधिक धनराशि प्रदान करती है।

(7) आंकड़े महालेखाकार द्वारा इस विभाग को सूचित नहीं किए जाते न ही वहां अलग से रखे जाते हैं अतः सूचना देना असम्भव है।

(8) इस प्रकार की कोई सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं है।

लालसोट प्रसूतिगृह में महिला डॉक्टर की व्यवस्था

217. श्री शम्भूराम (लालसोट): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लालसोट प्रसूतिगृह में दस बारह केस रोज आते हैं परन्तु वहां महिला डॉक्टर के न होने के कारण तथा अन्य सुविधायें उपलब्ध न होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है ?

(2) क्या यह सही है कि महिला डॉक्टर के लिए बारबार आदेश हुए हैं, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं पहुंची है ?

(श्री शम्भूराम)

(3) इस सम्बन्ध में सरकार अब क्या व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) लालसोट प्रसूतिगृह में सन् 1969 में कुल 326 प्रसव रोगी आये । राज्य में महिला चिकित्सक के अभाव में पद रिक्त रहा। शेष स्वीकृत स्टाफ कार्यरत है ।

(2) जी हां, किन्तु जिनको वहां लगाया गया था उसके स्थानान्तरण आदेश वहां से उन्हें भेजा जा रहा था वहां की स्थानीय जनता की मांग पर रद्द करने पड़े ।

(3) अब डॉ. कुमारी पुष्पा चौधरी को कालाडेरा से स्थानान्तरित कर पदस्थापित किया जा रहा है ।

क्षय रोग परीक्षण केन्द्र बून्दी

218. श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिंडोली): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे:—

(1) बूंदी शहर के वार्ड नं. 1 में क्षय रोग का परीक्षण केन्द्र कब खोला गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जन स्वास्थ्य की दृष्टि से क्षय रोगियों का चिकित्सालय नगर के मध्य रखना उचित नहीं है ?

(3) उपरोक्त क्षय रोग चिकित्सालय क्या सरकारी इमारत में स्थापित किया गया है ? अगर नहीं, तो किसके मकान में और उसका किराया मासिक कितना दिया जाता है ?

(4) इस क्षय रोग चिकित्सालय के स्थापित होने के बाद से अब तक कितने मरीजों की परीक्षा की गई और उनको बाद में कहां पर चिकित्सा हेतु भेजा गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(5) इस चिकित्सालय पर सालाना व्यय किस किस मद में कितना कितना किया जाता है ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(6) क्या सरकार इसको यहां से हटा कर दूसरे स्थान पर रखना उचित समझती है ?

उत्तर

(1) मार्च, 1970 में ।

(2) जी नहीं । इससे जन स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता ।

(3) जी नहीं । यह संस्था श्री कृष्ण वल्लभ हरिशंकर माथुर के निजी मकान में स्थापित की गई है जिसका किराया 480) रु. मासिक दिया जाता है ।

(4) केन्द्र स्थापित होने के बाद मार्च, 1970 से सितम्बर, 1970 तक 2025 रोगियों का परीक्षण किया गया जिसमें 223 क्षय रोग से पीड़ित पाये गए । उनमें से 157 बूंदी केन्द्र से 13 व 53 रोगी केशोराय पाटन व नेनवास केन्द्र से क्रमशः उपचार प्राप्त कर रहे हैं ।

(5) सूची संलग्न है ।

(6) आवश्यकता पड़ने पर विचार किया जा सकता है ।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

Page No 34

सर्किट हाउस में ठहरने की व्यवस्था

219. **श्री बार्नसिंह सोढ़ा (जैसलमेर):** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आई.ए.एस. अधिकारियों को कुछ विशेष सुविधाएं सर्किट हाउस में ठहरने की राज्य सरकार ने दे रखी है, जो दूसरी सर्विसेज को प्राप्त नहीं हैं?

(2) क्या यह सही है कि आई.ए.एस. अधिकारियों को डाक बंगले व सर्किट हाउसेज में रियायती दर पर अनिश्चित काल तक रह सकने की सुविधा है? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं।

(3) क्या यह भी सही है कि इसी कारण सर्किट हाउस, आबू व दिल्ली में विधान सभा सदस्य व अन्य अधिकारियों को यह सुविधा प्राप्त नहीं होती है?

(4) क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती है कि आबू व दिल्ली सर्किट हाउसेज में सबको यह सुविधा बिना भेद-भाव दी जावे?

(5) क्या यह सही है कि अजमेर स्थित राजस्व बोर्ड के सदस्यों को बंगले नहीं मिलने के कारण सर्किट हाउस व डाक बंगलों में रहना पड़ रहा है जिससे और किसी भी आदमी को यहां ठहरने का लाभ नहीं मिलता है और आर्थिक नुकसान भी राज्य सरकार को होता है?

(6) क्या यह भी सही है कि प्रति माह कई सदस्य लम्बे अरसे तक डाक बंगलों व सर्किट हाउस में ही अपना हैड क्वार्टर रखते हैं और यहां तक कि डाक बंगले में स्थाई तौर से टेलीफोन जैसी व्यवस्था करते रहते हैं? अगर हां, तो पिछले दो वर्षों में कौन सदस्य कितने कितने दिन डाक बंगले व सर्किट हाउस में रहे? महीने वार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सभी सेवाओं के अधिकारियों को सुविधायें उपलब्ध हैं। भारत सरकार के अधिकारी जिनका वेतन 1000) रुपये मासिक या इससे अधिक है तथा राज्य सरकार के अधिकारी जिनका वेतन 800) रुपये मासिक या इससे अधिक है उन्हें भी परिधि गृहों में आवास सुविधा उपलब्ध की जाती है।

(2) आई. ए. एस. अधिकारियों को अनिश्चित काल तक ठहरने की ऐसी सुविधा नहीं है जो अन्य भारतीय सेवा के अधिकारियों को न हो। किसी भी सेवा के अधिकारी जो परिधि गृह में ठहरने के हकदार हैं ये सब विशेष स्थितियों जैसे स्थानान्तरण आदि के अवसर पर प्रथम 15 दिन के 3.00 रुपये प्रति दिन, फिर 15 दिन 4) रुपये प्रति दिन से तथा इससे अधिक समय ठहरने पर 5) रुपये प्रति दिन या उनके वेतन का 10 प्रतिशत के हिसाब से जो भी अधिक हो, को दर पर ठहर सकते हैं। भारत सरकार व केन्द्रीय कर्मचारियों व अन्य के लिए यह दर प्रथम 15 दिन के लिए 7.50 एव बाद के 15 दिन के लिए 10) रुपये एवं उससे ज्यादा समय के लिए 15) रुपये प्रति दिन या 10 प्रतिशत कुल वेतन का, जो भी अधिक हो।

(3) जी नहीं, । राजस्थान हाउस दिल्ली में राजस्थान के अधिकारियों को

(मुख्य मंत्री)
समय समय पर जाना होता है और वहाँ सीमित आवास व्यवस्था उपलब्ध होने के कारण विधान सभा सदस्यों को ठहरने की सुविधा उपलब्ध नहीं की जा रही है। इसी प्रकार सर्किट हाउस माउन्ट आबू में सीजन के समय सीमित आवास व्यवस्था होने के कारण यह सुविधा विधान सभा के सदस्यों को उपलब्ध नहीं की जा सकी है। राजस्थान सरकार के आई. ए. एस. व अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी राजस्थान हाउस व माउन्ट आबू में अनिश्चित काल तक ठहरने का नियम नहीं है।

(4) भाग 3 के उत्तर में उल्लेखित कारणों की वजह से यह सुविधा दिया जाना सम्भव नहीं है।

(5) जी नहीं। राजस्व मण्डल के सदस्यों के परिधि गृह में ठहरने के कारण किसी को वहां ठहरने की सुविधा नहीं मिली है ऐसी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और आर्थिक हानि का तो प्रश्न नहीं उठता क्योंकि नियमानुसार किराया रोजाना की दर से अधिक ही है।

(6) प्राप्त सूचना के आधार पर संलग्न परिशिष्ट में सूचना उपलब्ध है।

मकराना में अतिरिक्त पोस्ट ऑफिस की ब्रान्च

220. **श्री विजयसिंह** (मकराना): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मकराना की भारी आबादी को देखते हुए वह केवल एक पोस्ट ऑफिस से जनता को पर्याप्त सहूलियत प्राप्त नहीं होती ?

(2) क्या राज्य सरकार बाजार में एक पोस्ट ऑफिस की शाखा खोलनेके लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में मकराना की जनता या और किसी दिशा से राज्य सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(2) माननीय सदस्य का प्रस्ताव निदेशक डाक व तार विभाग, जयपुर को विचारार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था। उन्होंने सूचित किया है कि बाजार के क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस की शाखा निकट भविष्य में खोलने की अनुकूल कार्यवाही विचाराधीन है।

राजकीय चिकित्सालय मेड़ता शहर

221. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) मेड़ता शहर के राजकीय चिकित्सालय में प्रति वर्ष कितने रोगी आते हैं ? उनकी सन् 1960 से अब तक वर्ष-वाइज सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त अस्पताल में प्रति वर्ष कितने रुपयों की दवाइयां भेजी जाती हैं ? कृपया सन् 60 से सूची वर्ष वाइज सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बढ़ती हुई बीमारियों एवं रोगी संख्या को देखते हुए दवाइयों के

(श्री गोरधन सोनी)
लिये अधिक रकम का प्रावधान करने का विचार रखती है ?

(4) क्या यह सही है कि इस समय रोगियों को पर्याप्त मात्रा में दवाइयां नहीं मिलती एवं पट्टी बांधने का सामान भी अस्पताल में नहीं मिलता ?

(5) क्या यह सही है कि अस्पताल की एक्स-रे मशीन खराब पड़ी है ? यदि हां, तो उसे कब सुधरवाया जायेगा ?

उत्तर

(1) सूची संलग्न है।

(2) सूची संलग्न है।

(3) दवाईयों के वजट में 40 प्रतिशत की वृद्धि दिनांक 1-4-68 से पहिले ही की जा चुकी है। आवश्यकतानुसार और धन राशि भी प्रदान की जाती रही है।

(4) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

(5) इस मामले में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है जानकारी प्राप्त की जा रही है शीघ्र ही कार्यवाही की जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

आशुलिपिकों की राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति

222. **श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)** : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर एवं आशुलिपिकों तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में नियुक्त कार्यालय अधीक्षक, आशुलिपिक तथा एकाउन्टेन्ट्स के कार्य का आउट-पुट, कर्तव्य-दायित्व और वेतन शृंखला क्या है ? तुलनात्मक तालिका सदन की मेज पर रखे।

(2) क्या यह सही है कि सचिवालय के सेक्शन ऑफिसर राज-पत्रित हैं और विभागाध्यक्षों के सुपरिण्टेण्डेण्ट्स राज-पत्रित नहीं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि सचिवालय में नियुक्त सेक्शन ऑफिसर तथा आशुलिपिकों के विभागाध्यक्षों के कार्यालय में नियुक्त कार्यालय अधीक्षकों की अपेक्षा उन्नति व पदोन्नति के अधिक अवसर हैं ? यदि हां, तो यह अन्तर क्यों ?

(4) क्या यह भी सही है कि आशुलिपिकों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के अवसर दिये जाते रहे हैं किन्तु कार्यालय अधीक्षकों को नहीं ?

उत्तर

(1) तुलनात्मक तालिका सदन को मेज पर रख दी गई है।

(2) हां। सचिवालय के सेक्शन ऑफिसरों को उनके कर्तव्य एवं दायित्व को ध्यान में रखते हुये राज-पत्रित अधिकारी का दर्जा दिया गया है। वे राज्य सरकार की ओर से आदेश अपने हस्ताक्षरों से जारी करने के सक्षम हैं जबकि विभागाध्यक्षों के कार्यालयों में सुपरिन्टेन्डेन्ट्स को इस प्रकार के अधिकार देने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(मुख्य मंत्री)

(3) हां। सचिवालय में आशुलिपिकों को सेक्शन ऑफिसर के पद पर तथा सेक्शन ऑफिसरों को राजस्थान सचिवालय सेवा में सहायक सचिव के पद पर पदोन्नति का अवसर मिलता है। सचिवालय के कर्मचारियों की पृथक सेवा होने के कारण बाहर के कार्यालयों के कर्मचारियों को समान अवसर नहीं दिया जा सकता। विभागाध्यक्षों के कार्यालयों के अधीक्षकों ग्रेड II व आशुलिपिकों को भी सबॉर्डिनेट मिनिस्ट्रीयल सर्विसेज नियम, 1957 के अन्तर्गत अधीक्षक ग्रेड I में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हैं।

(4) राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आशुलिपिकों को पदोन्नति के लिये कोई प्रावधान नहीं है। प्रशासनिक सेवा में स्पेशल सलेक्शन के द्वारा पदोन्नति के लिये कोई भी कर्मचारी जिसमें आशुलिपिक भी शामिल हैं, जो स्थाई रूप से नियुक्त है और निर्धारित सेवा अवधि पार कर चुका है वह विशिष्ट योग्यता के आधार पर हकदार होता है।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

निगमों की स्थापना

223. **श्री रूपसिंह** (सरदार शहर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये व उसमें अधिक से अधिक तेज गति देने के लिये कितने निगमों की स्थापना की गई है? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इन निगमों के चेयरमैन व सदस्य कौन कौन हैं? उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार द्वारा विभिन्न कारणों से सात निगमों की स्थापना की गई है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 10 देखिये)

रक्षा कोष में एकत्रित राशि

224. **श्री केसरीसिंह हाड़ा** (हिन्डोली): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में भारत-पाक युद्ध के दौरान जिलेवार कितना धन रक्षा-कोष में जमा किया गया?

(2) क्या जिलाधीशों, सरपंचों, प्रधानों व प्रमुखों द्वारा राजस्थान में अलग अलग रक्षा कोष में धन जमा किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या रक्षा कोष में प्राप्त राशि की छपी हुई रसीदें दी गई थीं?

(4) कितना धन ऐसा था जिसकी कोई रसीद नहीं दी गई और वह किसके द्वारा प्राप्त किया गया? क्या सरकार ने

(श्री केसरीसिंह हाड़ा)
ऐसे आदेश थे कि बिना रसीद दान न लिया जाय ?

(5) रक्षा कोष में जमा किये धन का किस किस जिले में किस किस के द्वारा गबन करने पर मुकद्दमें चल रहे हैं ?

उत्तर

(1) भारत-पाक युद्ध के दौरान मुख्य मन्त्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष । रक्षा कोष में जिलेवार संलग्न सूची 'क' के अनुसार रु० 97,93,079.79 की धन-राशि प्राप्त हुई थी ।

(2) जी हाँ । जिलाधीशों, सरपंचों, प्रधानों, प्रमुखों आदि द्वारा एकत्रित की गई राशि का अलग-अलग विवरण नहीं रखा गया है ।

(3) जी हाँ ।

(4) सरकार के ऐसे आदेश थे कि बिना छपी रसीद दान न लिया जाय फिर भी बिना इन रसीदों के कुछ राशि एकत्र हुई थी जिसका विवरण संलग्न सूची 'ख' में अंकित है ।

(5) (क) जिला सीकर में श्री गंगासिंह, भूतपूर्व सरपंच, सिहासन पंचायत समिति, पिपराली व मोतीराम भूतपूर्व सरपंच श्यामगढ़ के विरुद्ध जांच चल रही है ।

(ख) जिला बाड़मेर में श्री नाथूदान सरपंच नीबली, पंचायत समिति शिव के विरुद्ध जांच चल रही है ।

(ग) जिला नागौर में मुंसिफ मजिस्ट्रेट, परवतसर के यहाँ मुकद्दमा चल रहा है ।

(कृपया परिशिष्ट 11 देखिये)

मेड़ता तहसील के ग्रामों में आयुर्वेदिक औषधालय

225. **श्री गोरधन सोनी (मेड़ता) :** क्या आयुर्वेद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि मेड़ता तहसील के गांव डांगाबास, गगराना एवं बगड़ में कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है ?

(2) क्या यह सही है कि लगातार तीन वर्षों से मैं इन गांवों में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने के लिये सरकार को बराबर प्रेरणा दे रहा हूं ?

(3) क्या इन गांवों की आबादी व महत्व को देखते हुए सरकार इन गांवों में शीघ्र औषधालय खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ ।

(2) वित्तीय साधनों के अभाव में औषधालय खोलना सम्भव नहीं हो सका ।

(3) यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ।

मछली पालने के तालाब

226. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कुल कितने स्थानों पर मछलियां पालने के तालाब हैं इनमें से निजी कितने हैं व सरकारी कितने हैं ? नाम व स्थान वाइज सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि मछली निकालने के तालाबों से काफी आमदनी होती है ? यदि हां, तो गत पांच साल में कुल कितनी आमदनी हुई है और किस किस रूप में हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) मछली पालन केन्द्र 21 स्थानों पर हैं जो सभी सरकारी हैं, निजी कोई नहीं है। सूची संलग्न है।

(2) जी हाँ, आय तालिका गत पांच साल की संलग्न है और यह आय आम नीलाम तथा रायल्टी द्वारा हुई है सूची सदन की मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट 12 देखिये)

शाहबाद किशनगंज क्षेत्र में पशु चिकित्सा की व्यवस्था

227. श्री नन्दलाल (किशनगंज): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के शाहबाद किशनगंज क्षेत्र में अधिकांश भाग में जंगल है और जंगल की अधिकता के कारण वहां पशुधन भी अधिक है ?

(2) जंगल में चराई का घास अधिक होने की वजह से जब जब भी राजस्थान में किसी भाग में अकाल पड़ता है तो अधिकांश मवेशी शाहबाद के जंगलों मे भेजा जाता है ?

(3) क्या यह सही नहीं है कि इस क्षेत्र में पशु चिकित्सा हेतु एक भी डॉक्टर/डिस्पेन्सरी नहीं है ?

(4) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष अकाल में डॉक्टर/डिस्पेन्सरी के अभाव में हजारों पशु से मौत मारे गये ?

(5) क्या राज्य सरकार शाहबाद क्षेत्र में डॉक्टर/डिस्पेन्सरी खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हाँ।

(2) जी हां।

(3) जी हाँ—परन्तु पशु चिकित्सा सुविधायें, पशु औषधालय एवं लघु औषधालय के इस क्षेत्र में स्थित होने के कारण उपलब्ध हैं।

(4) ऐसी कोई सूचना इस विभाग को प्राप्त नहीं है।

(5) वर्ष 1970-71 में विचार किया जावेगा।

Page No 40

कोटा-कैथून वाया सांगोद जाने वाली सड़क

228. श्री बृजवल्लभ वोहरा (दीगोद): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटा से कैथून वाया सांगोद जाने वाली सड़क का सन् 1970-71 में मरम्मत का तथा डामर बिछाने का क्या बजट है ?

(2) इस सड़क पर काम करने वाले परमानेन्ट मजदूरों की क्या संख्या है ?

(3) इस साल अगस्त से अब तक इस गेंग ने प्रत्येक दिन कहां कहां काम किया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि इस सड़क की हालत खराब होने से दुर्घटनाएं होती रहती हैं ?

(5) क्या सरकार इसकी मरम्मत कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब से काम चालू कर दिया जायगा ?

(स्थगित किया गया)

ल्हासी नदी पर पुल

229. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कोटा जिले के छीपा बड़ोद कस्बे से सालपुरा स्टेशन तक जाने वाली सड़क पर ग्राम मवासा के नजदीक ल्हासी नदी पर पुल बना हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि इस पुल की एक दीवार करीब 80 से 100 फुट तक की लम्बाई की टूट कर गिर गई है ?

(3) क्या सरकार इस पुल के महत्व को ध्यान में रखते हुए शीघ्र ही जीर्णोद्धार करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां, कोटा स्टेट के समय का बना हुआ है।

(2) पुल की डाउन स्ट्रीम की दीवार 100 फुट की लम्बाई में गिरी हुई है।

(3) अर्थाभाव के कारण अभी कोई योजना नहीं है।

इकलेरा—बीनागंज वाया मनोहर थाना सड़क

230. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि इकलेरा जिला झालावाड़ से बीनागंज (मध्य प्रदेश) को वाया मनोहरथाना होकर पक्की सड़क जाती है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क पर पिछले वर्ष अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कार्य हुआ था ? यदि हाँ, तो कहां से कहां तक और कौन से मील के बीच का काम करवाया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि यह सड़क अभी भी अपूर्ण है जिसकी वजह से यहां का आवागमन अवरुद्ध है ?

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(4) अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत इस सड़क पर कितना रुपया खर्च किया गया है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। 1 किलो मीटर से 16 कि. मी. के बीच मिट्टी व पटरी भराई व काली खाड़ नदी के एप्रोच पर कटिंग कराई गई व 8, 9, 10 व 15 किलो मी. में नवीन पुलिया का निर्माण कराया गया है। मोटर स्टेन्ड चोराहे तक व परवन नदी की एप्रोच तक डामर सड़क बनाई गई है।

(3) क्रोस ड्रेनेज के अभाव में अधिक वर्षा में यातायात अवरुद्ध हो जाता है।

(4) वर्ष 69·70 में 2,90,995)रु. मनोहर थाना से महाराजपुर रोड पर खर्च किया गया है।

छबड़ा-गूगोर होते हुए फतहगढ़ सड़क

231. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या सरकार का विचार राजस्थान की सड़कों का मध्यप्रदेश, उत्तर-प्रदेश आदि प्रान्तों से जोड़ने का है ?

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले का छबड़ा कस्बा मध्यप्रदेश की सीमा पर है तथा मध्यप्रदेश की पक्की सड़कें इस कस्बे से 10-15 मील की दूरी पर ही हैं, जैसे फतेहगढ़ जिला गुना तक सड़क है जो वाया गूगोर छबड़ा से 13 मील ही है ?

(3) क्या सरकार राजस्थान को व्यापार की बढ़ौतरी की दृष्टि से छबड़ा से गूगोर होते हुए फतेहगढ़ तक नई पक्की सड़क बनाने का विचार रखती है जो राजस्थान की सीमा में करीब 6 मील ही है ?

(4) क्या यह सही है कि पंचायत समिति छबड़ा ने इस सड़क का निर्माण करवाने के लिये राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है और इस निमित्त पंचायत समिति छबड़ा ने एक प्रस्ताव भी पास करके राज्य सरकार के समक्ष भेजा है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

(4) इस विभाग को ऐसी जानकारी नहीं है।

कदड़ा-पमाणा-भाब ग्रेवल सड़क

232. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि कदड़ा-पमाणा, भाब ग्रेवल सड़क पर अकाल सहायता कार्य में तारीख 8-8-70 से तारीख 16-8-70 तक 15 गेंगें कच्ची मस्टररोल से कार्य पर लगाई गई थीं ? अगर हां, तो उनकी मजदूरी के भुगतान के बारे में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(2) क्या यह भी सत्य है कि उप-रोक्त मजदूरों की मजदूरी अब तक नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)
मिलने पर मजदूरों की ओर से सरकार को कई दरख्वास्तें दी जा चुकी हैं ? अगर हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

(3) अब उपरोक्त मजदूरों की वास्तविक मजदूरी का भुगतान अकाल सहायता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड जालौर द्वारा कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। इस विभाग द्वारा कच्चे मस्टररोल पर कोई गैंगें नहीं लगाई गई। अतः कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं थी।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

मंडावरी-खुर्री सड़क

233. **श्री शम्भूराम (लालसोट)**: क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जो सड़क मन्डावरी से खुर्री तक अकाल राहत समय में कच्ची बनी हुई है उसे पक्की कब तक बनाई जावेगी ?

(2) जो सड़क सूतपुरा का बंधा पर से बलोरी का बालाजी तक की कच्ची बनी हुई है वह पक्की कब तक बनाई जावेगी ?

उत्तर

(1) सड़क को पक्का बनाने की अभी कोई योजना नहीं है।

(2) यह कार्य योजना में अभी स्वीकृत नहीं है।

राज्य में हत्याओं के मामले

234. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) वर्ष 1969-70 में राज्य में कुल कितनी हत्यायें कब कब, कहां कहां पर हुई और उनमें कितने कितने अपराधी थे जिनको पुलिस ने हत्याओं के कितने कितने दिन बाद कब कब गिरफ्तार किया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त मामलों का कितने कितने दिन बाद चालान किया गया ?

उत्तर

(1) वांछित सूचना जिलेवार संलग्न तालिका के कालम नं. 1, 2, 3, 4, 5, में दर्ज है।

(2) संलग्न तालिका के कालम नं. 6 में दर्ज है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

कोटा शहर में यातायात दुर्घटनाएं

235. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा)**: क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत एक वर्ष में कोटा शहर में सड़क यातायात के कितने एक्सीडेन्ट हुए ? कोटा शहर में कितनी मौतें हुई हैं ?

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी)

(2) इस अवधि में सड़क दुर्घटना में कोटा शहर में कितनी मौतें हुई हैं ?

उत्तर

(1) गत वर्ष कोटा शहर में सड़क यातायात की कुल 107 दुर्घटनाएं हुई।

(2) इस अवधि में इन दुर्घटनाओं में कुल 30 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

एस. एच. ओ. थाना हरनावदी के विरुद्ध शिकायतें

236. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि थाना हरनावदी के एस. एच. ओ. के खिलाफ थानों के अन्तर्गत आने वाले एरिये के काश्तकारों ने शिकायत के प्रार्थना-पत्र दिये थे ?

(2) क्या यह सही है कि उन प्रार्थना-पत्रों के जवाब में गृह मंत्री ने एक दो शिकायती दरख्वास्त पर जवाब में कार्यवाही करवाने का आश्वासन भी दरख्वास्तें भिजवाने वालों को जरिये पत्र दिये थे ? यदि हां, तो अब तक उन दरख्वास्तों पर क्या प्रगति हुई है ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) शिकायत कर्त्ताओं के प्रार्थना-पत्र भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के पास वास्ते जांच भेजे गये। शिकायतों की जांच जारी है। शीघ्र पूर्ण करने के लिये आदेश दे दिये हैं।

थाना नदबई के अन्तर्गत कत्ल के मामले

237. **श्री रामकिशन** (वैर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1967 से लगायत अब तक थाना नदबई, जिला भरतपुर में कुल कितने कत्ल हुए हैं विवरण सदन की मेज पर रखा जावे ?

(2) क्या कत्ल के अपराधियों को पकड़ कर चालान पेश किये जा चुके हैं ? अगर हां, तो किस किस केस में किस किस अपराधी के ?

उत्तर

(1) सन् 1967 से लगा कर अब तक थाना नदबई, जिला भरतपुर में कुल 10 कत्ल की वारदातें हुई जिनका विस्तृत विवरण संलग्न तालिका "क" में दर्ज है।

(2) जी हां। 5 कत्ल की वारदातों में अपराधियों के चालान पेश किये जा चुके हैं। जिनका विस्तृत विवरण संलग्न तालिका "ख" में अंकित है।

(कृपया परिशिष्ट 13 देखिये)

ट्यूब वैल्स के लिये धनराशि

238. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या कृषि मंत्रीजी यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान सरकार ने सन् 70-71 में ट्यूब वैल्स के निर्माण एवं कमीशन करने के लिये कितनी राशि का प्रावधान रखा है ?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

(2) राज्य सरकार ने सन् 70-71 में विभिन्न जिलों में कितने कितने ट्यूब वेल्स खुदवा कर कमीशन कराने का निश्चय किया है ? कृपया जिलेवार सूचना दें।

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार ने सन् 1970-71 में राजकीय ट्यूब वेल्स के निर्माण एवं उन्हें कमीशन करने के लिये रुपये 5.75 लाख का प्रावधान रखा है। इसके अतिरिक्त अकाल सहायता विभाग द्वारा रु. 3 लाख मेन्टेनेन्स एण्ड ऑपरेशन हेतु तथा रु. 4 लाख वर्ष 1969-70 में बनाये गये नलकूपों को कमीशन कराने हेतु आवंटित किये गये। नये नलकूप निर्माण हेतु राहत विभाग से कोई राशि आवंटित नहीं की गई।

(2) राजस्थान सरकार ने सन् 1970-71 में भरतपुर की राजाखेड़ा तहसील में 11 राजकीय नलकूप खुदवा कर कमीशन करने का निश्चय किया है।

ट्रैक्टर खरीदने हेतु ऋण

239. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि श्री बृजप्रकाश पुत्र श्री नारायण दास साकिन हनुमानगढ़ ने तारीख 30-3-65 को सरकार से दस हजार रुपये ट्रैक्टर खरीदने का लोन लिया था ? यदि हां, तो कौन से मोडल का ट्रैक्टर कब खरीदा गया ?

उत्तर

कृषि विभाग द्वारा श्री बृजप्रकाश को ट्रैक्टर खरीदने के लिये कोई ऋण स्वीकृत नहीं किया गया।

गंगागढ़ ग्राम में भूमि का आवंटन

240. श्री भैरोंसिंह शेखावत (किशनपोल, जयपुर) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) श्यामसुन्दर एण्ड कम्पनी हनुमानगढ़, जिसको दिनांक 26-6-51 को अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत गंगानगर जिले के गंगागढ़ ग्राम में 150 बीघा भूमि का आवंटन किया गया था, उसका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था और उसके सदस्य कौन-कौन हैं ?

(2) क्या यह सही है कि भूतपूर्व विधायक चौधरी श्री रामचन्द्र की शिकायत पर तत्कालीन एस. डी. ओ. श्री गांधी ने दिनांक 1-6-56 को जिलाधीश, गंगानगर को लिखा कि उपरोक्त सदस्यों में कोई भी काश्तकार नहीं हैं, अतः यह आवंटन रद्द किया जाना चाहिये ?

(3) क्या यह सही है कि दिनांक 14-5-57 को डाइरेक्टर, कोलोनाइजेशन ने सम्बन्धित तहसीलदार को आदेश दिया कि यह भूमि केवल आरजी काश्त के लिये दी गई थी अतः अब इनको बेदखल किया जाय ?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 10-8-60 को तहसील हनुमानगढ़ द्वारा उपरोक्त कम्पनी को बेदखली तथा 453॥)॥। का तावान वसूली की कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(5) क्या यह सही है कि दिनाक 29-6-61 को एस. डी. ओ. ने श्री श्याम-सुन्दर जो इस कम्पनी के मुखिया बने हुए थे के दावे को प्रार्थना-पत्र मान कर काश्तकारी कानून की धारा 15 के अन्तर्गत खातेदारी हकूक दे दिये ?

(6) एस डी. ओ. के इस गलत निर्णय की अपील क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। कम्पनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। सदस्यों की सूची संलग्न है।

(2) ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो सका है।

(3) जी नहीं। तहसीलदार को दिनांक 14-6-57 को राजस्थान टिनेन्सी अधिनियमों के तहत कार्यवाही के लिये लिखा गया।

(4) जी हां। अपील में तावान माफ किया गया।

(5) जी हां।

(6) राजस्व बोर्ड में चाराजोरी की गई थी एस. डी. ओ. के निर्णय को राजस्व बोर्ड ने नहीं बदला। अतः निर्णय को गलत मानना उचित नहीं होगा।

(कृपया परिशिष्ट 14 देखिये)

जिला गंगानगर से अपीलों के रूप में आये विचाराधीन मामले

241. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)। क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य मन्त्री उपनिवेशन विभाग के पास जिला गंगानगर से अपीलों के रूप में आये कितने मामले कब कब से विचाराधीन हैं तथा उनमें स्टे ऑर्डर कब कब से दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उपरोक्त विचाराधीन मामलों में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें फैसले होने के बाद पुनः कार्यवाही शुरू की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राज्य मन्त्री महोदय के समक्ष विचाराधीन मामले जिनमें स्थगन आदेश दिये गये हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रख दी गई)

बीकानेर व चूरू जिले में भूमि का अलॉटमेन्ट

242. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) सन् 50 से अब तक चूरू व बीकानेर जिलों के किन किन व्यक्तियों को

Page No 46

(श्री दौलतराम सारण)
गंगानगर जिले के नहरी क्षेत्र में कितनी कितनी भूमि कहां कहां पर कब कब अलॉट की ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(2) प्रत्येक अलॉटी ने कब प्रार्थना-पत्र दिया कब उसे भूमि अलॉट हुई ? उसने कब्जा कब किया तथा उस भूमि का लगान कब कब किसके द्वारा जमा हुआ ?

(3) अब उस भूमि पर कौन कब से काबिज है ?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान नहर तथा भाखरा नहर क्षेत्र में भू-आवंटन में अनियमितताएं

243. श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि उपनिवेशन मन्त्री की अध्यक्षता में राजस्थान नहर भाखरा नहर क्षेत्र में भू-आवंटन की अनियमितताओं को लेकर एक समिति का गठन हुआ था और उसने अपनी एक रिपोर्ट तैयार की ? अगर हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त समिति ने केवल एक तहसील में ही दौरा किया और अस्थाई आवंटन के लोगों को ही अपने कार्य गुजारी में बताया ? यदि हां, तो स्थायी आवंटन के लोगों को क्यों छोड़ा ?

(3) क्या यह सही है कि समिति ने जो फसलें कुड़क की व गैर कानूनी तरीके से की क्योंकि कमेटी को ऐसी कोई भी शक्ति नियमों द्वारा नहीं दी गई थी ? अगर शक्ति प्रदान की हुई थी तो आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि अस्थाई आवंटन 1968 तक का रिन्यूअल किया गया और 1969 वालों का नहीं किया गया? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

(5) गंगानगर जिले में अस्थाई आवंटन गत वर्ष कितना किया गया था और इस वर्ष कितना आवंटन किया गया है ? तहसील-वार ब्यौरा सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि इस वर्ष गत वर्ष से भूमि आवंटन कम हुआ जिससे हजारों बीघा जमीन बिना खरीफ की रह गई है ? अगर हां, तो किस तहसील में किस तारीख को आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन किया गया और उस कमेटी में कौन कौन सदस्य उपस्थित थे और उसमें कितने प्रार्थना-पत्र आए थे और कितनों को भूमि आवंटित की गई ? तहसीलवार मय तारीख व प्रार्थना-पत्र संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि वही भूमि आवंटित की जाती हैं जिसमें सिंचाई सम्भव हो और उसकी सूचना उपनिवेशन विभाग व सिंचाई विभाग दोनों को होती है ? अगर हां, तो आवंटन के बाद अगर भूमि को पानी नहीं मिले तो इसकी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है या उपनिवेशन की ? संबन्धित नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

Page No 47

(श्री वार्लसिंह सोढ़ा)

(8) क्या यह सही है कि गत वर्ष हजारों की संख्या में अकाल पीड़ित जनता ने अस्थाई तौर पर नीलामी में भूमि आवंटन गंगानगर व बीकानेर की छतरगढ़ तहसील में कराया था जिसमें लाखों रुपया जनता से राज्य सरकार ने जमा कराया और उनको पानी नहीं दिया जिससे वे लोग उस भूमि पर खेती नहीं कर सके ? अगर हां, तो कितने आदमी हैं, जिनकी भूमि में पानी नहीं दिया गया और उसका दोषी कौन है और राज्य सरकार ने आज तक उसके खिलाफ क्या कदम उठाया ? अगर नहीं उठाया तो इसके क्या कारण हैं और सरकार उपरोक्त लोगों को उनका रुपया वापिस कब तक चुकायेगी और नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

(2) जी नहीं।

(3) समिति ने कोई फसलें कुर्क नहीं की हैं।

(4) यह सही नहीं है। सन् 1969 वालों को अस्थायी आवंटित भूमि का पुनः आवंटन राजस्थान उपनिवेशन अस्थाई कृषि पट्टे वर्ष सन्, 1960 के चतुर्थ एवं पंचम संशोधन के अनुसार किया गया है।

(5) तहसीलवाइज सूची संलग्न है।

(6) जी नहीं। विवरण संलग्न है।

(7) यह सही नहीं है। उपनिवेशन विभाग द्वारा राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में सिंचित एवं असिंचित दोनों किस्म की भूमियों का आवंटन किया जाता है। जिसकी जानकारी दोनों विभागों उपनिवेशन एवं सिंचाई विभाग को होती है। आवंटन के बाद पानी देने को जिम्मेदारी उपनिवेशन विभाग की नहीं होती है। उपनिवेशन सम्बन्धित शरायतों एवं नियमों में ऐसा कोई जिक्र नहीं है।

(8) जी नहीं। पानी देने की सूचना का सम्बन्ध सिंचाई विभाग से है।

(कृपया परिशिष्ट 15 देखिये)

भाखरा नहर क्षेत्र में खारिज की गई भूमि

244. श्री हंसराज आर्य (भादरा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) भाखरा नहर क्षेत्र में ऐसे कितने किसान हैं, जिनकी भूमि उनके नाम से इसलिए खारिज कर दी गई कि वे समय पर अपनी किश्तें दाखिल नहीं कर सके थे तथा ऐसी कुल कितने एकड़ भूमि है ?

(2) क्या ऐसी भूमि को बकाया किश्तें लेकर वापिस बहाल कर दिया जावेगा ?

(3) यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

(4) यदि हां, तो कब तक ?

(5) सूची सदन की मेज पर रखी जावे ?

उत्तर

(1) कुल 117 व्यक्तियों की भूमि किश्तें समय पर न दाखिल कराने के कारण

(उप-निवेशन मन्त्री)
खारिज की गई थी भूमि का कुल रकबा 1075 एकड़ था।

(2) प्रत्येक केस पर नियमानुसार निर्णय लिया जाएगा।

(3) प्रश्न नहीं उठता।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) तहसीलवार सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 16 देखिये)

श्री उपाध्यक्ष : कल श्री टीकम सिंह चौहान ने दर्शक दीर्घा से नारे लगा कर सदन की कार्यवाही में बाधा डाली थी उसके सम्बन्ध में मैं सूचित करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय स्वयं उसकी कार्यवाही से सदन को अवगत करा देंगे। इसलिये मैं स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे देता हूं।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य विधान सभा ने ज़िला टोंक के देवली कैम्प के विस्थापितों में से कुछ स्त्री, पुरुषों ..

श्री देवीदत्त गाड़िया : कुछ नहीं, 157।

श्री उपाध्यक्ष :....एवं बच्चों की मृत्यु हो जाने एवं वहां की अव्यवस्था के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस विषय में सदन में पहले स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है किन्तु चूंकि स्थिति गम्भीर बतलायी जाती है अतः माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा स्थिति को स्पष्ट करते हुये शीघ्र वक्तव्य दिया जाय।

इसके अतिरिक्त और भी स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार है

(1) निम्नांकित सदस्यों ने जयपुर में उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ स्थापित करने के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(1) श्री किशनलाल वर्मा
(2) श्री शिवनाथ सिंह
(3) श्री नथमल चौहला
(4) श्री मजलिस खां
(5) श्री मोहनलाल मोदी
(6) श्री राम कुमार
(7) श्री पृथ्वीसिंह
(8) श्री हरि प्रसाद शर्मा
(9) श्री अमीलाल यादव
(10) श्री नाथूराम
(11) श्री कल्याण मल

यह मामला पुराना है तथा न्याय प्रशासन की मांगों पर गत बजट सत्र में इस पर वाद विवाद हो चुका है।

(2) श्री रामकिशन व श्री नत्थीसिंह ने भरतपुर जिले में बिजली की अव्यवस्था के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी सत्र में विद्युत् मण्डल के बजट पर विस्तृत रूप से बहस हुई थी और यदि सदस्य चाहते तो उस समय अपने विचार व्यक्त कर सकते थे....

श्री नत्थीसिंह : उस समय नगरपालिका के चुनाव हो रहे थे....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

(3) श्री मनोहरसिंह मेहता ने मांडलगढ़ क्षेत्र जिला भीलवाड़ा में जोजुआ, खटवाड़ा, गेनोली, मुणापुरा, धाकड़खेड़ी, सुरास, जाल्या, सरथला, थल, मंभौला, मालकाखेड़ा, छोटी बिजोलिया और बांकरन आदि पंचायतों के हैड क्वाटर्स में बस न चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(4) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना भी श्री मनोहरसिंह मेहता से प्राप्त हुई है जिसमें राजस्थान में कई जगह स्कूलों तथा कॉलेजों व धार्मिक स्थानों के पास तथा मजदूरों, हरिजनों व आदिवासी मोहल्लों में शराब की दुकानें खोले जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है।

(5) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदारनाथ ने जिला गंगानगर में सिंचाई क्षेत्र की फसल कपास व कमाद में कीड़ा लग जाने से हुई उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

ये स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्त्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर इन पर विचार किया जाये। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी गई है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिजली के बारे में जो भरतपुर जिले में बिजली की कमी, ट्रान्सफार्मर्स की कमी है, वोल्टेज नहीं हैं। यह सही है कि बिजली के सम्बन्ध में सदन में बहस हुई थी लेकिन आज की परिस्थिति में फर्क है और कहा गया था कि जल्दी से जल्दी इन्तजाम किया जायेगा लेकिन आज तक कुछ भी नहीं किया गया है और लोगों के खेत सूख रहे हैं, वह पानी नहीं दे पाते हैं इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि मंत्री जी इस विषय में स्थिति को स्पष्ट करें और हरित क्रांति के नाम पर आप सूखी क्रान्ति ला रहे हैं ··

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर प्लीज। कुछ स्थगन प्रस्ताव रह गये हैं। इनके अलावा दो विचाराधीन स्थगन प्रस्तावों पर निर्णय लिये गये हैं। वे प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(1) अलवर में राजऋषि कॉलेज के एक विद्यार्थी की गैर कानूनी गिरफ्तारी के सम्बन्ध में श्री रामानन्द अग्रवाल सदस्य विधान सभा द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

(2) जैसलमेर बाड़मेर जिलों में मलेरिया की बीमारी फैल जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री बालसिंह सोढ़ा, श्री आईदानसिंह, श्री पृथ्वीसिंह व श्री गोवर्धन सोनी द्वारा स्थगन प्रस्ताव।

इन स्थगन प्रस्तावों में ऐसे तथ्य भी नहीं हैं जिनसे इनको अविलम्बनीय लोक महत्त्व का माना जाये। अतः इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गयी है।

एक और स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें श्री गंगानगर में राजस्थान स्टेट रोडवेज कारपोरेशन के कर्मचारियों द्वारा 20 नवम्बर, 1970 से हड़ताल के नोटिस से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया

(श्री उपाध्यक्ष)
गया है। इस स्थगन प्रस्ताव को विचाराधीन रखा गया है तथा इस पर यथाशीघ्र निर्णय लिया जाकर माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय इतना कह दें कि वहां पर मलेरिया है या नहीं। राज्य में छुआछूत की बीमारी फैल रही है और वह आगे बढ़ती जाये और अब तो जैसलमेर बाड़मेर के अलावा जालोर में भी फैल रही है और इसकी रिपोर्ट सिरोही में भेज दी गयी है जहां कि मलेरिया का कन्ट्रोल है वहां से आई या नहीं ? मलेरिया डिक्लेयर कर दिया या नहीं और वह आगे आगे फैलता जायगा तब आप कहेंगे कि यह तो बहुत बढ़ गया। तो माननीय मन्त्री महोदय इतना ही कह दें कि वहां पर मलेरिया है या नहीं ?

श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव हाईकोर्ट की बेंच की जयपुर में स्थापना के बारे में है। यहां की जनता बिना इसके बड़ी परेशान है और लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए उसका लिया जाना बहुत आवश्यक है ...

श्री उपाध्यक्ष : स्थगन प्रस्ताव किसी हाल ही की हुई घटना के बारे में होता है।

श्री किशनलाल वर्मा : यह हाल ही की घटना से सम्बन्धित है। इससे राजस्थान की आधे से ज्याद जनता प्रभावित है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सबसे पहले की घटना है।

श्री किशनलाल वर्मा : इसके लिए जनता आन्दोलन करने के लिए तैयार हो रही है इसलिए इस स्थगन प्रस्ताव को लिया जाना बहुत आवश्यक है....

श्री उपाध्यक्ष : आन्दोलन होने पर तो हाल की घटना हो जाती है।

श्री किशनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इसको टाला जा रहा है और जान-बूझकर सरकार की तरफ से टाला जा रहा है इसलिए मेरे इस स्थगन प्रस्ताव को लिया जाना बहुत आवश्यक है।

श्री आईदानसिंह : मैंने निवेदन किया था उसका क्या हुआ ? मलेरिया फैल रहा है या नहीं, मंत्री महोदय इतना ही बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय, चाहते तो उत्तर दे सकते थे। वह मौन रहे।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री आईदानसिंह : मौन रहने का मतलब वह जवाब नहीं देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : मौन रहने का मतलब यह भी होता है कि आपकी बात सही हो सकती है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : हो सकता है नहीं, सही है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री आईदानसिंह : मंत्री महोदय से इसका उत्तर दिलाया जाये।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : इसके बारे में जानकारी दिलाना जरूरी है।

Page No 51

श्री विजयसिंह : चिकित्सा मंत्री जो विदेश पधारे हुए थे।

श्री बृजसुन्दर शर्मा (चिकित्सा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं रात को ही यहां आया हूं और इसकी मैं जानकारी कर रहा हूं जो मैं बाद में दे दूंगा।

श्री आईदानसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जानकारी दे दें।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर उनको कहने दें।

श्री आईदानसिंह : क्या राज्य सरकार बन्द थी जो वह कह रहे हैं कि मैं रात को ही आया हूं ?

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : ऐसा है कि आज इसके बारे में सारा अध्ययन करके और बातचीत करके इस बारे में कल सदन के सामने जो भी स्थिति होगी, जो भी व्यवस्था में कमी होगी उसकी सब मैं पूर्ति कर दूंगा।

(शोरगुज, व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विरोधी दल के माननीय नेता।

श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कहावत मशहूर है।

"मौनम् सम्मति लक्षणम्"

तो यहां जो चर्चा उठाई गई है उसमें कुछ तथ्य तो लगते हैं और मंत्री महोदय भी अनुभव करते हैं कि कुछ तथ्य हैं। तो आपकी आखिरकार सरकार है और उप-मंत्री जी आकर कुछ कागज हाथ में भी दे गये हैं तो इसके बारे में क्या आपको कहना है दो ही शब्द कहें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : उप-मंत्री नहीं राज्य-मंत्री हैं।

श्री बृजसुन्दर शर्मा : मैं कल सदन के सामने सब कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वर्मा।

श्री किशनलाल वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो कटौती प्रस्ताव है वह हाईकोर्ट की बेंच को जयपुर में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है और यह बहुत महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव है। उसका यहां राजस्थान की 3/4 जनता से संबंध है और जनता को सस्ता न्याय और सुलभ न्याय दिलाना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है इसलिए यह आवश्यक है कि मेरे प्रस्ताव को लिया जाये। यह बहुत महत्त्व का प्रश्न है। जनता सस्ते और सुलभ न्याय से महरूम रह रही है इसलिए मेरा निवेदन है कि इस स्थगन प्रस्ताव को लिया जाये और हाईकोर्ट की बेंच को यहां स्थापित करने की कोशिश की जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। इसका रिप्लाई नहीं होगा।

श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता (मांडलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने दो स्थगन प्रस्ताव पेश किये थे। मैंने एक में यह अर्ज किया

Page No 52

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
है कि धार्मिक स्थानों, कॉलेजों और मोटर स्टेन्डों पर शराब की दुकानें हैं। श्रीमान का जो फैसला है वह तो शिरोधार्य करता हूं लेकिन यही सिलसिला रहा तो राजस्थान पूरा मिट्टी में मिलेगा जैसी कि आज गंगानगर की स्थिति है वहां आये दिन कत्ल होते हैं। इसलिए कृपा करके इस स्थगन प्रस्ताव को यदि आप लें तो बड़ी कृपा होगी।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव में मैंने यह निवेदन किया है कि आज जबकि लोग चन्द्रलोक में पहुंचने का समय आ गया और मांडलगढ़ क्षेत्र में कई पंचायतें ऐसी हैं कि जहां बस रूट आज भी कायम नहीं किया गया है। वहां पर नदियां बहती हैं और आवागमन रुक जाता है और गर्भवती स्त्री को भी अस्पताल में नहीं लाया जा सकता और वहां के लोग आवागमन की सुविधाओं से वंचित हैं इसलिए मैंने प्रार्थना की है कि यह लोकमहत्त्व का है इसलिए इसे ले लें तो कृपा होगी। आपने जो फैसला किया वह तो शिरोधार्य है इसलिए मेरा निवेदन है कि आप आबकारी मंत्री जी से कहें कि वह स्टेटमेन्ट दें और यातायात मंत्री जी से भी कहें कि क्या वाकई ऐसी स्थिति है कि बसें नहीं जाती हैं और वह बसों के रूट का इन्तजाम क्यों नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष । श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में।

श्री रामचन्द्र आर्य : कि गंगानगर जिले में गत वर्ष भी फसल कपास की समाप्त हो गई थी और इस साल भी कपास, नरमा और कमाद की फसल में कोड़ा लगने की वजह से उसकी फसल समाप्त हो गई है। इस बारे में आपने मेरा स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, लेकिन राज्य सरकार की रिपोर्ट आपको मंगाना चाहिए और इस बारे में कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि गत वर्ष भी काश्तकारों को सरकार की तरफ से सहायता नहीं दी गई और इस साल भी फसल मारी गई इसलिए लोगों को बड़ी चिन्ता है। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारे में कम से कम गंगानगर जिले के काश्तकारों के सम्बन्ध में रिपोर्ट मंगा कर हमें जानकारी दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक स्थगन प्रस्ताव आज से एक हफ्ते पहले दिया था श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा द्वारा एक बावड़ी पर कब्जा करने के सम्बन्ध में। उस पर आपने व्यवस्था दी थी कि सरकार से जानकारी की जा रही है। एक सप्ताह हो चुका है और अब तो इस अधिवेशन का अन्त होने वाला है। मैं समझता हूं कि उसके बारे में अभी तक व्यवस्था नहीं दिये जाने से कि ज्वालाप्रसाद जी एक उच्च स्थान रखते हैं और पहले भी इस तरीके से उनको पट्टा दिया गया या कब्जा दिया गया उसके सम्बन्ध में भी यह शिकायत है कि पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है और जिनके साथ में ज्यादती की जा रही है उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तहसील की तरफ से बिल्कुल

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
नाजायज तौर पर उनको 50 हजार रुपये की जायदाद केवल 25 रुपये में दे दी गई है, और मैंने यह तथ्य सदन के सामने रखे थे। तो मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि उसका उत्तर सरकार की तरफ से आना चाहिये। सरकार के पास जानकारी आ गई होगी। वह पट्टा कैन्सिल करना चाहिए उस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इसकी जानकारी शीघ्र मांगी जा रही है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे आश्वासन मिलना चाहिए कि इसी सत्र में इसके समाप्त होने से पहले इसका उत्तर दे दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : जानकारी प्राप्त करने के लिए दुबारा लिया गया है उसके आने पर दुबारा विचार करेंगे और उसके बाद में उत्तर दिलाने की बात है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जानकारी तो जयपुर से ही मंगानी थी।

श्री उपाध्यक्ष : उसकी जानकारी कल तक प्राप्त कर लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उसकी फाइल आ चुकी है और अभी तक आपके यहां फाइल में रखे हुए उसका उत्तर नहीं मिला तो यह खेद जनक बात है। उसके बारे में कल उत्तर मिल जायगा क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : यह आपकी सही सूचना नहीं है कि यहां पर उसका उत्तर प्राप्त हो गया है। उसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। उत्तर प्राप्त होते ही हम सूचित कर देंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कल जानकारी दे दी जावेगी उसका आश्वासन मिल जाय।

श्री मोहनलाल मोदी (नीम का थाना) : उपाध्यक्ष महोदय मैंने एक स्थगन प्रस्ताव जयपुर में हाई कोर्ट की बेंच कायम करने के बारे में दिया था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके बारे में विचार किया जाय। राजस्थान के इस ओर की जनता बहुत परेशान है और उनको जोधपुर जाना पड़ता है। राजस्थान की तीन-चौथाई जनता इस एरिया में है उसको बहुत बड़ी दिक्कत होती है और उनको सस्ता न्याय नहीं मिलता है। इस पर विचार करना चाहिये और राजस्थान के इस एरिया की जनता को सस्ता न्याय मिले इसके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : मुख्यमंत्री दामोदर जी को बना दें तो फिर तो हो जायगी सुखाड़िया जी को हटाकर।

श्री रामकिशन : विरोधी दल तैयार है अगर ये हिम्मत करें तो।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हाईकोर्ट का मसला जो है यह कांग्रेस और अकांग्रेस का मसला नहीं है वह जनता का मसला है। और अगर राजस्थान का उदाहरण लिया जाय तो हमें उसके साथ-साथ अन्य पड़ौसी राज्यों में जो न्याय की व्यवस्था है उसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। यह जो जयपुर का क्षेत्र है यह सारे राजस्थान के अन्दर महत्वपूर्ण क्षेत्र है पापुलेशन के अनुपात से,

(श्री लक्ष्मणसिंह)

और सबसे ज्यादा और घनी आबादी इसी क्षेत्र के अन्दर स्थित है। जयपुर के अन्दर राजधानी होने के साथ-साथ हाईकोर्ट की बैन्च भी न हो तो यह एक आश्चर्यजनक व्यवस्था है। मैं इसको न्याय संगत नहीं मान सकता। सरकार का इस सम्बन्ध में बार बार ध्यान आकर्षित किया गया है। न मालूम क्यों सरकार इस सम्बन्ध में उपेक्षा वृत्ति रखती है। जोधपुर से मेरा कोई विरोध नहीं है। जोधपुर का महत्व रहे, अवश्य रहे, जोधपुर के अन्दर हाईकोर्ट बराबर रहे लेकिन यू. पी. के अन्दर भी देखा जाय तो बैन्चेज जगह जगह हैं, और अगर जोधपुर को प्राथमिकता दी जाय तो जयपुर को उपेक्षा वृत्ति के रूप में बिल्कुल बालाये ताक रख कर उसको इस महत्वपूर्ण विषय में बिल्कुल ही कतई ही वंचित रखा जाय। यह मुख्यमंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि यह घोर अन्याय है, और आज की सिविलाइज्ड और सभ्य सरकार के लिए मेरे ख्याल से यह एक तरफा न्याय है, और सरकार को इस सम्बन्ध मे निष्पक्षता प्रदर्शित करते हुए जयपुर को अपना हक देना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में आज दोनों पक्षों की ओर से जो यह बात उठाई गई है, इस ओर से तो कई बार उठाई जा चुकी है और आन्दोलन भी हुए हैं। केवल इसको किसी तरह की प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर और जो पूर्वी राजस्थान की बहुत बड़ी जनता है उसकी यह मांग है। उसको उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाय और इसको राजनैतिक हथियार की तरह से इस्तेमाल न किया जाय इसकी सुविधा के लिए यहां पर हाईकोर्ट का उप खण्ड होना चाहिए। जोधपुर में उसकी सीट रहे, लेकिन यहां पर बेंच रहे तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिये। कई बार सदन में यह भावना व्यक्त की गई है और बाहर भी की गई है, और आज इस तरफ से (कांग्रेस पक्ष से) इस मामले को उठाया जा रहा है और एक स्थगन प्रस्ताव पेश करने की हिम्मत की है, तो मैं यह कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी यह जानें की जनता की भावना का असर पड़ रहा है इस सदन पर। इस संकेत को पहचानें और इस संकेत को पहचानते हुए और उसकी भावना का आदर करते हुए निश्चित रूप से राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या की मांग है और भावना है कि जयपुर में बेंच होना चाहिए हाईकोर्ट उसके बारे में घोषणा करेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। अब इस पर अधिक भाषण नहीं होंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहूंगा।

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव पर व्यवस्था आपने बाकायदा दी और जिस व्यक्ति का स्थगन प्रस्ताव है वही विचार प्रकट करे....

श्री नत्थीसिंह : आप इसको जयपुर और जोधपुर का मामला मत बनाओ।

श्री विजयसिंह : यह क्षेत्रीय भावना का सवाल नहीं है। इस मसले पर हर

Page No 55

(श्री विजयसिंह)

सदस्य बोलने लगेगा तो डिबेट हो जायगी मेरा एक अतारांकित प्रश्न है वह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है उसको भी आप ले लें।

श्री नरसींसिंह : कम से कम आपके नेता महोदय के निर्देशों का पालन तो कीजिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : इसमें ह्विप का प्रयोग नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर अब चर्चा नहीं होगी। स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था दे दी गई है उसके बाद में चर्चा नहीं होना चाहिए।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी भावना व्यक्त कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : भावनाएं व्यक्त हो चुकी हैं। आज की कार्य सूची काफी लम्बी है इसलिए मैं सोचता हूं कि इस प्रश्न को यहीं पर समाप्त कर दिया जाय।

श्री रामानन्द जी कुछ कहना चाहते थे ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं लम्बी बात नहीं कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मन्त्री जी ने इस सम्बन्ध में यह कहा था कि हाईकोर्ट के प्रश्न पर अगर मिलजुल कर कोई बात हो सके तो उनको कोई ऐतराज नहीं है। मेरे खयाल से इस पीरियड में उसके बाद ऐसी स्थिति आई है जिसमें नई आस्थायें सामने आई हैं जिनमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष श्री नाथूराम मिर्धा जो जोधपुर क्षेत्र से हैं उन्होंने भी मेरी जानकारी के अनुसार जो अखबारों में आया है, यह कहा है कि हाईकोर्ट की बैन्च अगर जयपुर में स्थापित हो तो जोधपुर के लोगों को नुकसान नहीं होगा। इस बात का उन्होंने समर्थन किया है। अब ब्राड एग्रीमेंट इस प्रश्न पर है कि जोधपुर में हाईकोर्ट की सीट रहे और उसकी बैन्च जयपुर में कायम हो जाय। तो ब्राड एग्रीमेंट तो है इसलिए प्रयत्न करें मुख्यमन्त्री जी सब एलिमेंट्स को बुलाकर और इस पर ब्राड एग्रीमेंट और कन्सेन्स नजर आये तो मैं समझता हूं कि उस पर निर्णय करने की स्थिति पैदा हो सकती है। यह इनीशियेटिव मुख्यमन्त्री जी लें। ऐसा मेरा निवेदन है।

श्री नरसींसिंह : मुख्यमन्त्री जी वक्तव्य दें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, यहां जयपुर में हाईकोर्ट की खण्डपीठ स्थापित करने के बारे में कांग्रेस के सम्मानीय सदस्यों ने स्थगन प्रस्ताव रखा है वह वास्तव में साहस की बात है और इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। यह बात तो तथ्य है कि इसके बारे में पिछले 12 सालों से बराबर यह प्रश्न यहां पर उठाया गया है कि पूर्वी राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता बड़ी दुःखी है सस्ता न्याय प्राप्त करने के लिए। हाई कोर्ट की सीट जोधपुर में रहे इसके बारे में किसी को आपत्ति करने का प्रश्न नहीं है। लेकिन उसकी एक खण्डपीठ जयपुर में स्थापित की जाय इसकी कन्सेशस तो पिछली बार ही मालूम हो चुकी थी जब कि 105 सदस्यों ने अपने दस्तखत करके एक ज्ञापन दिया था जो कि बहुमत से ज्यादा थे।

Page No 56

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
कांग्रेस के 110 सदस्यों में से 58 एम. एल. एज. ने इस बात के लिए उस पर दस्तखत किये थे कि हाई कोर्ट की बैंच जयपुर में स्थापित की जाय। मैं समझता हूं कि सारे प्रश्न को मुख्यमन्त्री जी राजनैतिक दृष्टि से विचार न करें। पूर्वी राजस्थान की जनता को सस्ता और सुलभ न्याय मिले। आज नई दिशायें और नये मानक हम कायम कर रहे हैं और देश में नये नये····

एक माननीय सदस्य : नई नई स्टेट्स बन रही हैं····

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नई स्टेट्स बन रही हैं, नई नई बैंन्चेज बन रही हैं। नई बैंन्च दिल्ली में बनी है। मध्यप्रदेश में 2-3 बैंन्चेज हैं, केरल जैसी छोटी सी स्टेट में दो बैंन्चेज कायम कर रहे हैं तो इन सारी बदलती हुई परिस्थितियों में इस सारी पृष्ठभूमि में इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। इस प्रश्न पर मैं पोलिटिकल दृष्टि से नहीं देखना चाहता हूं और न ही मैं वह रूप देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मुख्यमन्त्री जनता के शुद्ध हित में विचार करेंगे। और इस दृष्टि से शीघ्र से शीघ्र जयपुर में हाई कोर्ट की बैंन्च स्थापित की जाये। इसके लिए सदन में वक्तव्य देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : कुछ तो कहना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : यह समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

श्री नत्थीसिंह : कुछ तो कहें क्या मामला है।

श्री विजयसिंह : इनको जो कुछ कहना है, इशारे से कह दिया है। अब भी आप नहीं समझे।

श्री नत्थीसिंह : वह आप समझ गये हैं।

श्री दौलतराम सारण : यह मसला कोई वाद-विवाद का मसला नहीं है। यह विशुद्ध रूप से जनता की सुविधा का मसला है। इसलिए राजस्थान सरकार को कोई डर नहीं होना चाहिए। पहले तो मुख्यमन्त्री जी डरते थे कि कहीं कांग्रेस अध्यक्ष नाराज न हो जायें। लेकिन अब तो वह भी जयपुर में हाईकोर्ट बैंन्च स्थापित करने के पक्ष में हैं। इसलिये बिना किसी हिचकिचाहट के शीघ्र निर्णय करके जयपुर में हाईकोर्ट बैंन्च स्थापित करनी चाहिए। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा जन-भावना और जनता को सुविधा पहुंचाने की दृष्टि से इस पर अविलम्ब निर्णय लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय····

श्री विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय ··

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री):** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना निवेदन कर दूं कि किसी राजनैतिक कारण से या राजनैतिक दृष्टि से इस प्रश्न पर मैं विचार कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। सारी पूर्व भूमिका में मैं नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना ही

(श्री मोहनलाल सुखाड़िया)
निवेदन करना चाहता हूं कि मैं गम्भीरता पूर्वक देख रहा हूं और मैं इस कोशिश में हूं कि कोई उचित हल निकल सके तो बेहतर होगा।

श्री रामकिशन : इतना ही ठीक है। आप का इतना कहना ही काफी है। यह आपने कोई वेदमन्त्र कहा है या भाषण दिया है ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने साम्य योग की बात कही है।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : मैं अभी बोला हूं, उसके सम्बन्ध में जब आवश्यकता होगी तो मुझे आशा है, आप सबका ही मुझे सहयोग प्राप्त होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कृषि मन्त्री जी !

श्री शोभाराम (कृषि मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ओराई सिंचित क्षेत्र जिला चित्तौड़गढ़ में गतवर्ष सिंचित व असिंचित भूमि के आवंटन में प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा भूमि लिये जाने के बारे में जो मुद्दे उठाये हैं, उनके सम्बन्ध में यह बताना उचित होगा कि इस परियोजना में आने वाली भूमि के आवंटन के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने राजस्थान उपनिवेशन मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना राजकीय भूमि आवंटन नियम, 1968 जारी किये थे। इन नियमों में राज्य सरकार की नीति स्पष्ट कर दी गई है कि आवंटी के लिए कौन कौन व्यक्ति योग्य होंगे और आवंटन में क्या प्राथमिकता होगी। नियम 5 के अनुसार भूमिहीन किसान, विस्थापित किसान, पंचायत व पंचायत समिति, भूमि प्राप्त करने के योग्य हैं। प्राथमिकता का जिक्र भी नियमों में किया गया है जिसके अनुसार सबसे पहले विस्थापित किसान को और उसके बाद भूमिहीन किसान को भूमि देने का प्रावधान है। राज्य सरकार की जानकारी में कई ऐसे मामले आये हैं जिनमें आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ की गई है। जिलाधीश, चित्तौड़गढ़ ने ऐसे 68 मामलों की पत्रावलियां राज्य सरकार को अपनी सिफारिश के साथ प्रेषित की हैं। 19 पत्रावलियां अभी परसों ही प्राप्त हुई है। इन आवंटितों को सुनने का मौका दिया जाकर इनके आवंटनों को निरस्त किये जाने के बारे में निर्णय लिया जाकर कार्यवाही की जावेगी। माननीय सदस्य ने जिन मामलों की तरफ ध्यान आकर्षित किया है, उनकी सूची परसों शाम को हमें बताई गई है। ऐसे मामलों की तादाद करीब 200 के है। इन सबको जिलाधीश, चित्तौड़ के पास जांच के लिए भेज रहे है। उनके लिए यह भी लिखा जा रहा है कि शीघ्र ही जांच करके अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार के पास भेजें। जांच करके अपनी रिपोर्ट आने पर सरकार द्वारा उन पर उचित कार्यवाही की जावेगी।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने और माननीय श्री हरजीराम जी ने एक स्थगन प्रस्ताव ओराई कमाण्ड ऐरिया में जो गलत अलॉटमेन्ट हुये हैं उस सम्बन्ध में प्रस्तुत किया था। इस सम्बन्ध में मुझे जो सूची मिली है, जैसाकि माननीय मन्त्री जी ने कहा है, लगभग 200 नाम हैं ? उस सूची को आपको भी मुलाहीजा करवाया था। उस

(श्री दौलतराम सारण)

सूची को देखने से ज्ञात होगा कि किस प्रकार राजकीय भूमि को अलॉटमेन्ट के नाम पर हड़पा गया है। उपाध्यक्ष जी, आश्चर्य होगा आपको, लगभग 200 नामों में गम्भीर अनियमितताएं हैं। इन नामों वाला कोई भी भूमिहीन नहीं है। न अधिकांश लोग वहां के रहने वाले हैं। न वह विस्थापित हैं। न विस्थापित हैं, न भूमिहीन हैं। न इस नियम की सीमा में आने वाले हैं। कृषक भी नहीं हैं। अधिकाँश व्यापारी या राज्य कर्मचारी हैं। नेता हैं या प्रधान हैं, या उनके रिश्तेदार हैं। भूतपूर्व विधायक हैं या उनके रिश्तेदार हैं। या वर्तमान विधायक हैं या उनके रिश्तेदार हैं। सरपंच हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : आप गोल-मोल आरोप नहीं लगायें।

श्री दौलतराम सारण : मैं गोलमोल आरोप नहीं लगा रहा हूं। अगर आप सुनना चाहते हैं जो 200 नाम हैं, उनको एक एक सुनाने को तैयार हूं। मैंने आरोप लगाये हैं जो सूची दी है, उसमें किसका कौन सम्बन्धी है, कौन व्यक्ति है, क्या नाम है, किसको अलॉटमेन्ट हुआ है ? किस नम्बर में हुआ है। यह सारे मुद्दे दिये हैं। आपकी आदत हो गई है बीच मे बोलने की। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आदत नहीं है मैं किसी पर झूठे आरोप नहीं लगाता हूं। इसलिए मैं सूची के नाम पढ़ना भी नहीं चाहता। लेकिन मैंने जो लिस्ट दी है वह बताती है कि शासन कि शक्ति के द्वारा, दुरुपयोग करके गरीबों के हितों को हड़पा गया है। भूमिहीनों को भूमि प्राप्त करने से महरूम रखा है और राज्य सरकार ने किस प्रकार इनकी उपेक्षा की है, और राज्य के उच्च अधिकारियों ने किस प्रकार इनकी उपेक्षा की है—यह एक बड़ा सनसनीखेज मुद्दा है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी पूर्व में मैंने इसी सदन के अन्दर चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के अन्दर अवैधानिक अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में एक प्रश्न रखा था। मुझे प्रसन्नता है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस पक्ष और उस पक्ष, दोनों पक्ष, पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों ने उन मुद्दों पर मुझे समर्थन दिया था और उस पर राज्य सरकार ने इन्क्वायरी बैठाने का आश्वासन भी दिया था और अपोजीशन के सब माननीय नेताओं को बुलाकर अध्यक्ष महोदय के चेम्बर में 1962 से 1969 के समय के अन्दर रेवेन्यू अलॉटमेन्ट, जो गलत तरीके से हुए हैं, जिनमे सरपंच, प्रधान, पंच, प्रमुख, एम. एल. ए., एम. पी., मिनिस्टरों और सरकारी अधिकारियों ने अपने नाम से और अपने रिश्तेदार सम्बन्धियों के नाम से अलॉटमेन्ट करवाये हैं उनके सम्बन्ध में, 1962-69 तक के अलॉटमेन्ट की कलेक्टर द्वारा जांच करवाने की मन्जूरी दी। उस इन्क्वायरी का क्या हुआ ? यह सदन में नहीं बताया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि उस इन्क्वायरी के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की, क्या कार्यवाही हुई, जो गैरवाजिब अलॉटमेंट हुए थे, वह खारिज हुए या नहीं—इस सम्बन्ध में मुझे कोई ज्ञान नहीं है कि राज्य सरकार ने क्या एक्शन लिया। एक साल होने को आया है जब कि जांच की बात सरकार ने मानी थी। दूसरी तरफ मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस प्रश्न के बाद मैंने एक लिस्ट

(श्री दौलतराम सारण)

राज्य सरकार और मंत्री महोदय की जानकारी के हेतु और भेजी थी चित्तौड़गढ़ जिले की, उस लिस्ट के सम्बन्ध में मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग राज्य सरकार के सामने ऐसे गम्भीर मुद्दे पेश करते हैं लेकिन राज्य सरकार के मंत्रिगण हमारे पत्रों के एक्नोलेजमेंट तक नहीं भेजते हैं। उनका उत्तर देने की बात दूर है, उस पर कार्यवाही करने की बात दूर रही--उन पत्रों का एक्नोलेजमेंट तक नहीं मिलता है। मैंने रिमाइन्डर भी दिया लेकिन उसकी भी कोई खोज खबर नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का अभिप्राय केवल यह है कि क्या उस लिस्ट की तरह, क्या उस इन्क्वायरी की तरह यह केस भी घपले में नहीं डाल दिया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा बड़ा सनसनीखेज है, डी. वाई. एस. पी. ने अपने पुत्रों के नाम से, अपने रिश्तेदारों के नाम से, एस. पी. ने अपने पुत्रों के नाम से, एस. डी. ओ. ने अपने चहेतों के नाम से, विकास अधिकारी ने अपनी औरतों के नाम से, पटवारियों ने अपनी औरतों और रिश्तेदारों के नाम से, अध्यापकों ने अपने रिश्तेदारों और औरत व पुत्रों के नाम से अलॉटमेंट करवाये हैं और जिस तरह से मैंने कहा था, प्रधान ने अपने सब पुत्रों के नाम अपने सब रिश्तेदारों के नाम से जमीन अलॉट कराई है। यही नहीं, चित्तौड़गढ़ के बाहर के रहने वाले लोग, जिनका वहां से कोई वास्ता नहीं है, उन्होंने गलत लिखवा कर, एड्रेस गलत देकर भी अलॉटमेंट करवाये हैं। यू. पी. में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने वहां का अपने को निवासी बता कर वहां जमीन का अलॉटमेंट करवाया है। इस प्रकार से जैसे खुली लूट हो, यह लोग जमीन हड़प गये हैं। यह एक सनसनीखेज मुद्दा है। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि वह केवल इन अलॉटमेंट को खारिज करने की कार्यवाही ही नहीं करे, बल्कि इसके साथ ही जिन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस प्रकार की कार्यवाही की है उनके विरुद्ध सरकार को कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए, उनके विरुद्ध अपनी ड्यूटी के विरुद्ध काम करने का, राज्य सरकार के कानून और नियमों में हस्तक्षेप करने का, गैर वाजिब तरीके का काम करने का चार्ज लगा कर उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्यवाही करनी चाहिए···

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में माननीय सदस्य !

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं पढ़ना चाहता हूं····

श्री मनोहरसिंह मेहता : यह मामला बहुत गम्भीर है, हजारों लोग इससे पीड़ित हैं, कृपा करके ··

श्री दौलतराम सारण : वह नाम नहीं पढ़ना चाहता, उनको पढ़ना इस समय उचित नहीं समझता। मैंने केवल संकेत रूप में आपके जरिये से इशारे के रूप में इस बारे में बता दिया है, लेकिन आप इस सूची को देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जायेंगे। ऐसी स्थिति है। एक एक आदमी ने एक बार नहीं, दो-दो बार, तीन-तीन बार कहीं नाम के साथ जाति के नाम से, कहीं जाति का नाम छिपा कर भी

Page No 60

(श्री दौलतराम सारण)

अलॉटमेंट करवाये हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि परिवार में जितने आदमी हैं, नाबालिग बच्चे, औरत और रिश्तेदार सबके नाम से अलॉटमेंट हुआ है। खुली लूट हुई है। भूमिहीनों को जो भूमि अलॉट हुई है वह लिस्ट में देखें जो राज्य सरकार ने लिस्ट दी है, उसमें एक बीघा से पांच बीघा तक जमीन का अलॉटमेंट हुआ है, इससे अधिक किसी को नहीं हुआ है। मेरी जानकारी के अनुसार, जो मैंने जानकारी की है, आपको आश्चर्य होगा यह जान कर कि इन भूमि हड़पू लोगों ने, राजकीय भूमि को नाजायज हड़पने वाले लोगों ने तीस-तीस, पचास-पचास, साठ-साठ बीघा भूमि हड़प ली है ...

श्री लक्ष्मणसिंह : बाड़ ही खेत को खा रही है।

श्री दौलतराम सारण : उन्होंने हजारों बीघा जमीन हड़प ली है उसकी जांच या जानकारी करने की किसी ने चेष्टा नहीं की है। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें और भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इस भूमि के अलॉटमेंट में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने पहले जमीनें ले ली थी, जिन लोगों के पास जमीन थी लेकिन वह उन्होंने बेच दी और फिर दुबारा जमीन ले ली। वह जमीन लेकर कइयों ने बेच दी और फिर दुबारा, दूसरी जगह जमीन ले ली। ऐसे मुद्दे भी आये हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें केवल भूमि के अलॉटमेंट को कैंसिल करने का सवाल नहीं है, रूल्स के वायालेशन का ही सवाल नहीं है, मनी के गलत उपयोग का सवाल नहीं है, जमीन हड़पने का ही सवाल नहीं है, गरीबों के साथ अन्याय करने का सवाल नहीं है, कानून और नियमों की अवहेलना का सवाल नहीं है बल्कि सामाजिक न्याय के अन्दर जो अतिक्रमण किया गया है उसका मामला है। मैं कहना चाहता हूं, जिन लोगों ने ऐसा किया है उनके खिलाफ मुकदमे चलाये जांय और उन्होंने जमीन से फसल ली है उनसे हर्जाने का फैसला करके उस रकम की रिकवरी की जाय। मैं चाहूंगा राज्य सरकार इस सम्बन्ध में कोई आर्डिनेन्स लाना चाहती है तो लाये, सदन के चलते हुए कोई बिल लाना चाहती है, कानूनी नुक्ते निगाह से तो वह लाये, हम सहर्ष सरकार को अनुमति देंगे। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं कि आप यह करेंगे। किसी बोर्ड के उपाध्यक्ष या अध्यक्ष का मामला हो तो आप आर्डिनेन्स ला सकते हैं, कमेटी का किसी को चेयरमेन बनाने का मामला हो तो आप आर्डिनेन्स ले आयेंगे, लेकिन जमीन के मामले में गैर वाजिब कब्जे को रोकने के लिए आज तक इस सरकार ने कोई क्रांतिकारी कदम नहीं उठाया है जिसके द्वारा गैर वाजिब जमीन हड़पने वाले लोगों को नसीहत देने की कोई कार्यवाही की जा सके। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि मंत्री महोदय वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते हैं, वह समाजवाद के हामी हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि वह इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे। लेकिन मुझे शंका तब होती है जबकि वहां पर इतने ज्यादा प्रभावशाली लोग हैं इस लिस्ट के अनुसार कि मंत्री महोदय शायद ही कुछ कर पायेंगे। मंत्री जी कुछ करेंगे तो मेवाड़ का तख्ता हिलने की गुंजाइश हो जायगी इसलिए मंत्री महोदय को दबा दिया जायगा ....

श्री विजयसिंह : प्रभावशाली लोग इनकी टांगे खींचेंगे।

श्री दौलतराम सारण : और मंत्री महोदय रुक जायेंगे, कार्यवाही करने से। इसलिए मैं मंत्री महोदय को एक टेस्ट केस देता हूं। एक टेस्ट केस पहले दिया था, अब फिर देना चाहता हूं, यह आपकी परीक्षा की कसौटी है। मैं देखूंगा कि इस जमीन के अलॉटमेंट को तो आपको कैंसिल करना होगा इसको खुदा भी नहीं रोक सकता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गलत तरीके से अलॉटमेंट कराने वाले लोगों के खिलाफ, गलत तरीके से ज़मीन लेने वाले लोगों के खिलाफ, जमीन की फसल का उपभोग करने वाले लोगों के खिलाफ, आप क्या कार्यवाही करते हैं और कितनी संजीदगी के साथ कितनी जल्दी करते हैं ? यह आपके लिए एक टेस्ट केस है। मैं चाहता हूं आप इस परीक्षा में खरे उतरेंगे चाहे आपको मंत्रिमण्डल छोड़ना पड़े, त्याग-पत्र देना पड़े। मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान के गरीब आपके पीछे खड़े हो जायेंगे। यदि आप कसौटी पर खरे उतरे····

श्री विजयसिंह : ऐसे त्यागी नहीं हैं।

श्री दौलतराम सारण : आप राजनैतिक घोटाले की ताजपोशी करते हैं या इसकी बखिया उधेड़ते हैं यह हमें पता लगेगा— उपाध्यक्ष महोदय, केवल यह ओराई डेम का मामला नहीं है, उदयपुर में कोई ऐसा डेम नहीं है जहां जमीन के मामले में घोटाले नहीं हुए हों। मैंने दो लिस्ट पेश की हैं, एक पहले सेशन में की थी और एक इस सेशन में कर रहा हूं। इन पर आप कार्यवाही करेंगे तो एक तीसरी लिस्ट और तुरन्त आ रही है, उसको भी मैं सप्रमाण पेश करूंगा कि घोटाले किस प्रकार से राजस्थान में किये जा रहे हैं और जो राजस्थान के अन्दर गरीब हैं····

श्री मदनसिंह : इस्तीफा पहले ले लो।

श्री दौलतराम सारण : उनकी जमीन हड़पी गई है, जो भूमिहीन आदिवासी और हरिजन हैं उनकी जमीन हड़पी गई है, राजनैतिक योजना द्वारा, प्रशासनिक ताकत के द्वारा—इसका उससे पर्दाफाश हो जायगा, अगर आप कार्यवाही करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर शीघ्र कार्यवाही करें और यह भी बतायें कि 1962 से 1969 तक गलत अलॉटमेंट की इन्क्वायरी के सम्बन्ध में क्या हुआ ?

श्री मनोहरसिंह मेहता (माण्डलगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनिट लूंगा। मैं भी इससे पीड़ित हूं इसलिए अर्ज कर रहा हूं इस सम्बन्ध में।

यह सचमुच सौभाग्य की बात है कि उपनिवेशन मंत्री ऐसे आदमी हैं जिनके प्रति हमारे मन में बहुत आदर है और श्रद्धा है। मैं अत्यन्त श्रद्धा के साथ आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले और चित्तौड़गढ़ जिले इन दोनों जिलों के अन्दर गरीब अत्यन्त पीड़ित हैं। उनके बच्चे भुट्टे के लिए तरस रहे हैं, दूसरों के यहां सिजारे पर खेती कर रहे हैं, उन हजारों आदमियों का नाम लेकर किस तरह से नाजायज तरीके से जमीन का अलॉटमेंट हुआ है। इससे ज्यादा तो और क्या होगा,

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
कल ही ऐसा केस आया था कि जंगलात की जमीन का 1967-68 में अलॉटमेंट कर दिया गया। आप भी भीलवाड़ा में जाकर देखिये, कोई क्लर्क नहीं मिलेगा जिसने जमीन नहीं ली हो। चित्तौड़गढ़ में हमने देखा है कि किस तरह नहरी जमीन का अलॉटमेंट हुआ है, जिस तरह श्री नाथ जी के यहां प्रसाद बंटता है या ख्वाजा साहब की दरगाह में देग लुटती है—उसी तरह से जमीन लूटी गई है। आपका इससे खून खौलना चाहिए। यदि आपको सचमुच त्याग पत्र भी देना पड़ेगा तो आप उसके लिए तैयार रहें। आप त्याग पत्र देंगे तो हमें प्राणों की आहूति भी देनी पड़ेगी तो हम उसके लिएतैयार हैं। आप जो नाजायज कब्जे जमीन पर हुए हैं उनसे उन नाजायज कब्जा करने वाले लोगों को हटाइये, जिनको डिस्मिस किया जा सकता है उनको आप खुद करिये। कहीं के रहने वाले हैं और कहीं पर जमीन ले ली-ऐसे लोगों को हटाइये। इन शब्दों के साथ मैं बैठता हूं। आप तुरन्त इस सम्बन्ध में कार्यवाही करें और भूमिहीनों के नाम से भूमि हड़पने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा समाप्त हुई।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सूची सदन के सामने आई है और मंत्री महोदय ने बड़ी आसानी के साथ यह कह दिया है कि वह सारे मामले को कलेक्टर के द्वारा जांच करा लेंगे। इस सूची को आप देखेंगे, कभी तो इसमें आपके अधीनस्थ उप-मंत्री के किसी लड़के का नाम है....

श्री उपाध्यक्ष : तथ्य आ चुके हैं।

श्री नत्थीसिंह : इतने बड़े घोटाले की बात है। इसमें लिखा है कि आपके विभाग के उप-मंत्री सबसे ज्यादा इन्वाल्वड हैं. हरिसिंह वेगू. आप जांच करें कि कितना उन्होंने फायदा उठाया है। एक तरफ आप दिखाते हैं कि आप न्याय देंगे दूसरी तरफ कहते हैं कि कलेक्टर से जांच करवायेंगे। मुझे इतमिनान नहीं कि इतने प्रभावशाली लोग जहां हैं जिन पर राज्य के सबसे बड़े....

श्री उपाध्यक्ष : उम्मीद पर दुनिया कायम है।

श्री नत्थीसिंह : मुख्य मंत्री का जिनकी पीठ पर हाथ होगा, वह चाहते हैं कि आगे भी उम्मीद कायम हो कि जब जब दल बदल करने का इनाम दिया जाय ...

श्री उपाध्यक्ष : विषयांतर हो रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह : एक दल बदल करे तो उसको मुन्सिफ कोर्ट दिया जाय, दूसरे दल बदलू को उप-मंत्री बनादें और जमीन दे दें और फिर आप कहें कि जांच करायेंगे। किससे ? कलेक्टर से ? कोई हिम्मत नहीं कलेक्टर की कि वह जांच कर ले। अगर वास्तव में जांच कराना चाहते हैं तो इस सदन की समिति बनायें, सारे घोटालों की इस सदन की समिति जांच करे। अध्यक्ष महोदय को उसका अध्यक्ष बनाया जाय जब भी घोटाला आता है आप कलेक्टर को देते हैं, वह एस. डी. ओ. पर टालेगा। कलेक्टर एस.डी.ओ. से प्राइवेटली पूछेगा। उनकी गर्दन झुकी हुई है, वे परेशान हैं। मंत्रियों की फौज रोज जिलों में घूमती है

(श्री नत्थीसिंह)
वह उनको मुश्किल कर देती है। कैसे निष्पक्ष रूप से जांच करें ? इसलिए कलेक्टर को मत फसाइए। हिम्मत है तो सदन की समिति बनायें। इस सूची में 200 नाम हैं जिनमें 3/4 नाम हरिसिंह बेग से संबंधित हैं उप मंत्री से जो इनको दलबदल का इनाम है, जांच कराइए, सदन की समिति बनाइए…

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री नत्थीसिंह : मैं मंत्री महोदय से ऐसी तो आशा नहीं करूंगा कि वह बुढ़ापे में मन्त्री पद से त्याग-पत्र दें। बड़ा मुश्किल का मामला है, वह 1972 तक तो पकड़ कर रखेंगे लेकिन इतनी हिम्मत जरूर करें कि जो इस सदन में आपने घोषणा की कि कलेक्टर से जांच करवायेंगे, वह वापस लें। घोषणा करिए कि सदन की समिति बनाई जायगी और वह अगले सत्र से पहले शुरू होते ही, वह रिपोर्ट सदन में आ जाय। अगर इतनी हिम्मत हो तो समझेंगे कि आप समाजवाद में विश्वास करते हैं नहीं तो आपकी कहनी और कथनी में भेद और चौड़ाई के साथ सामने आएगा।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं तो सिर्फ एक ही मिनट इस सम्बन्ध में लेना चाहूंगा। जो कुछ भी आपाधापी, पक्षपात, नियमों की अवहेलना, जो कुछ भी हुई है, वह एक बड़ा गम्भीर विषय है और मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कलेक्टर के द्वारा आप इस सम्बन्ध में कोई जांच करायेंगे तो आज की मनोवृत्ति और राजस्थान में जो वातावरण है, खास तौर से सर्विसेज का, उसको देखते हुए कभी भी निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो सकती, यह मेरी निश्चित धारणा है।

(12.55 म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत, सभानेत्री, पीठासीन)

अगर मन्त्री महोदय, वास्तविक रूप से गम्भीरता पूर्वक इस सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था करना चाहते हैं तो कोई न कोई निष्पक्ष व्यक्ति द्वारा जांच करवायें और बेहतर तो यही होगा जैसा कि माननीय नत्थीसिंह जी ने सुझाव रखा, इस सदन के सदस्यों की समिति कायम हो और वह जाकर जांच करे। यदि कोई कारणवश यह व्यवस्था पसन्द न हो तो कोई न कोई निष्पक्ष रूप से जांच कराने की व्यवस्था करें। वहां पर जो बाड खेत को खा रही है और कलेक्टर के द्वारा ही आप जांच करवायेंगे तो उससे क्या लाभ मिलेगा मन्त्री महोदय ? इसलिए जो कुछ मेरा निवेदन है, मैं आशा करता हूं, आप निष्पक्षता के खातिर, न्याय के खातिर, कोई न कोई व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र करेंगे।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल बाजार, जयपुर) : सभापति महोदया, जिस स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में चर्चा हो रही है, उस विषय में इस सदन में एक बार पहले भी चर्चा हुई थी और सदन के कई माननीय सदस्यों ने भूमि आवंटन में सरकारी अधिकारियों, राजनीतिज्ञों व ऐसे लोगों को जो भूमिहीन की परिभाषा में नहीं आते थे, उनको भूमि आवंटन के कई उदाहरण देकर इस सदन ने इस बात के लिए तैयार किया

(श्री भैरोंसिंह)
था कि सारे मसले को एक विधान सभा की समिति द्वारा जांच कराई जाय। उस समय अध्यक्ष महोदय ने स्वीकार भी किया था और उसके तुरन्त बाद इस विषय में अध्यक्ष महोदय के कक्ष में बैठक हुई, जिसमें स्वयं राजस्व मन्त्री उपस्थित थे, जिस विभाग को मन्त्री महोदय रिप्रेजेन्ट करते हैं उस विभाग के राज्य मन्त्री भी उपस्थित थे और इस बात का निर्णय लिया गया कि सारे आवंटन के सम्बन्ध में 1962 से लेकर अब तक किस,किस विधायक को, जिला प्रमुख, सरकारी कर्मचारी, प्रधान आदि लोगों को जो भूमि का आवंटन किया गया है, उसका एक स्टेटमेन्ट तैयार किया जाय और उसकी आवश्यकतानुसार जांच आरम्भ कराई जाय। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज तक इस प्रकार की सूचना विधान सभा एकत्रित नहीं कर पाई। मैंने कई बार अध्यक्ष महोदय को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखे। इस सदन में प्रश्न उठाया जैसे औराई के मामले म माननीय सदस्य ने सूची प्रस्तुत की है, गम्भीरी बांध के सम्बन्ध में जिन लोगों को भूमि आवंटित की गई, इस सदन में कई बार उनके नाम बता कर कहा गया कि किस प्रकार मे अनियमिततायें हुई हैं। उस सम्बन्ध में सारा ब्यौरा देकर मांग की गई थी कि सारे मसले की जांच कराई जाय। दुर्भाग्य से जांच नहीं हुई है। इस सम्बन्ध में मन्त्री महोदय से प्रश्न भी पूछा था कि गम्भीरी व औराई बाध पर किन किन व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई है। इस सम्बन्ध में पिछले 6 महीनों से मैं प्रयास कर रहा हूं कि राज्य सरकार से इसकी सूचना प्राप्त हो जाय।

मैंने सबसे पहले राजस्व मन्त्री को पत्र लिखा। उसके बाद सिंचाई मन्त्री और उसके बाद में शोभारामजी को लिखे। उसका उत्तर तो नहीं आया लेकिन मुझे फोन पर जरूर कहा गया था इसकी जल्दी से जल्दी मैं सूचना दूंगा। कल भी इसी प्रकार का प्रश्न था, लेकिन उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। तो इससे मतलब स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार उस सूची को देख कर इस बात का अनुभव करती है कि जो आवंटन किया गया है, वह गलत है। लेकिन आज के वातारण में मन्त्री महोदय इस सारे आवंटन को रद्द कर दें, ऐसी हिम्मत न तो राज्य सरकार की हो सकती है न मन्त्री महोदय की। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि स्वयं मन्त्री महोदय इस बात की सदन में घोषणा कर दें कि औराई और गम्भीरी पर मीडियम व माइनर प्रोजेक्ट्स पर जो भूमि का आवंटन किया गया है, उसकी जांच विधान सभा की एक समिति करेगी तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसके परिणाम निकलेंगे।

इसी प्रकार मैं राजस्व मन्त्री से भी अपील करना चाहूंगा कि राजस्व विभाग द्वारा जिस भूमि का आवंटन किया गया है, उस सम्बन्ध में इस प्रकार के व्यक्तियों की जांच कराई जाय। मैंने इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित की। मेरे पास प्रत्येक जिले की सूचना है कि किस किस जिले में सरकारी कर्मचारियों को कितनी कितनी भूमि प्राप्त हुई है, उसी प्रकार विधायक भी हैं, लोक सभा सदस्य भी हैं, जिला प्रमुख व पंचायत समितियों के प्रधान भी हैं लेकिन मैं उस सूची को यहां पर रखने में कोई सार नहीं समझता जब तक राज्य सरकार इस बात पर निर्णय न करे कि सारे अलॉटमेंट्स की

(श्री भैरोंसिंह)
नियमित रूप से जांच कराई जायगी, तब तक कोई परिणाम नहीं निकलने वाला है। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि भूमि आवंटन के सम्बन्ध में आरम्भ करने की गरज से, सभी मामलों की जांच न करें लेकिन जो वास्तव में भूमिहीन किसान नहीं थे और भूमिहीन किसान की आड़ में जमीन को हथिया लिया-सरकारी कर्मचारी या राजनीतिज्ञ थे, अपने प्रभाव से भूमि पर अधिकार कर लिया, उन लोगों के सम्बन्ध में जांच कराई जाय, जांच के परिणामों के अनुसार निर्णय लिया जाय तो उचित होगा।

मैं आज विधान सभा में आ रहा था तो सांगानेर के कुछ काश्तकार मिले। एक मिनट का समय आपकी अनुमति से मैं लेना चाहता हूं कि किस प्रकार से डिफेक्टर्स को राजी करने के लिए राज्य सरकार काम करती है। मुझको एक नोटिस दिया गया वह तहसीलदार, सांगानेर की तरफ से था जिसमें लिखा है:—

"दरख्वास्त। आम जनता को सूचित किया जाता है ग्राम शोपा खसरा नम्बर 683, रकबा 27, बीघा 20711 चरागाह। जयपुर से टोंक रोड पर है, उसको सवाई चक में परिवर्तित करने, आवन्टन करने हेतु लोकसभा सदस्य श्री जमनालाल ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।" और बाद में ऐतराज मांगते हैं कि यदि कोई ऐतराज हो तो प्रस्तुत करें। यह बात सही है कि जिन लोगों का आपने डिफेक्शन कराके और चीजों से उनको खुश करने के साथ साथ भूमि का आवटन कराके भी जागीर दी है। इस तरह की जागीर बांटने का काम आपकी राज्य सरकार ने न सोचा और न ही भूमि सुधार कानून बनाते समय ऐसी मंशा रही।

यह उचित होगा कि इन सारे प्रश्नों की जांच कराने के लिये इस विधान सभा की एक समिति बनायी जाय। सभापति महोदया, आपकी मार्फत मैं अध्यक्ष महोदय से जानकारी चाहूंगा कि इस प्रकार को समिति के गठन के लिये अध्यक्ष महोदय के यह सुपुर्द किया गया था तो उसमें कितनी प्रगति हुई है और जानकारी हुई है और इस विषय की जानकारी आसन सदन को देगा तो ज्यादा अच्छा होगा ताकि आगे क्या कदम उठाया जाय उस पर यह सदन विचार कर सके।

श्री विजयसिंह (मकराना) : सभापति महोदया, मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये मसले कई बार उठते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं जैसा हमारे नेता महोदय ने फरमाया कि इसकी जांच विधान सभा समिति के द्वारा होनी चाहिये।

इसमें दो बातें रहती हैं। जो गरीब लोग न्याय के प्रति आस्था रखते हैं उनको तब ही न्याय मिल सकता है जबकि बराबर के लोग उसकी जांच करें क्योंकि जिलाधीश हो या कमिश्नर हो या सेक्रेटरी हो उनसे जांच होने में जांच दब जाती है।

माननीय सदस्यों ने दो तीन बातें फरमायीं। इस्तीफे के लिये कहा कि मन्त्री महोदय को इस्तीफा दे देना चाहिये। वे इस्तीफा नहीं दे सकते। क्योंकि हमारे पूजनीय नेहरूजी को जिनको लकवा हो गया था उन्होंने भी इस्तीफा नहीं दिया, ये देने वाले नहीं क्योंकि उन्हीं के ये चेले चांटी हैं।

Page No 66

(श्री विजयसिंह)
यह कहा कि शर्म आनी चाहिये तो वह शर्म महसूस करते हैं लेकिन यहां इतनी बात होते हुए भी मन्त्री महोदय शर्म महसूस नहीं करते हैं। इसका एक ही रास्ता है कि विधान सभा की कमेटी बननी चाहिये और इसकी जांच होनी चाहिये। पोलिटिकल दल बदलू को बेनिफिट मिलता है उसको रोकने के लिये यह आवश्यक है, दल बदलू की समस्या को रोकने के लिये जिसके लिये सारा हिन्दुस्तान परेशान और चिन्तित है, विधान सभा की समिति बैठनी चाहिये और जांच होनी चाहिये और ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिये।

श्री आलम अलीखां: सभापति महोदया, सन् 47 में जितने भी लीडर थे उनमें से एक दो उधर बैठे हैं। वे कहा करता हा कि राजा महाराजा लूट कर खा गये मुल्क को, बरबाद कर दिया मुल्क को। वां नेता की जबान कट गयी। अब बोलो क्यों नहीं? जनता ने धोखो दिया करता। जनता के साथ धोखो हुओ। दिखावे की बात करण्या प्रजातन्त्र के साथ खिलवाड़ करण्या पचास बीघा जमीन कोई साबित कर दे कि हरिजन ने मिली। कोई गरीब हरिजन नहीं, जीने पचास बीघा जमीन मिली।

श्री विजयसिंह: सबसे बड़े गरीब हरिजन मन्त्री हैं।

श्री आलम अली खां: सभापति महोदया, मैं या कहना चाहूं कि ये क्यों नाटक करे है प्रजातन्त्र की दुहाई देवा वाला? कह्योंके मुल्क में प्रजातन्त्र है। कठे है प्रजातन्त्र? थांके बन्दूकां का पहरा लागे, गार्ड लागे थांकें। यो प्रजातन्त्र है? बिल्ली ने दूध की रखवाली बिठायी दी तो मलाई भी नहीं छोड़े। खुद जमीन लो। खुद जमीन हड़पो। कलेक्टर कठे थारीं इन्क्वायरी करेगा। 47 से पहले की हिम्मत करो जो किया करता कि अंग्रेज और राजा महाराज तो बदमाश हैं, देश ने, मुल्क ने खा गया। जो आज पांच रुपया भी टी.ए.डी.ए. का हजम कर जावे वे कांई त्याग करेगा?

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा): सभापति महोदया, एलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में......

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य इस पर डिबेट नहीं होगी। कोई खास बात कहनी हो तो कह दें।

श्री मदनसिंह: डिबेट तो शुरू हो गई। इट हैज आलरेडी स्टार्टेड।

श्रीमती सभानेत्री: फिर सदन का अधिक समय बढ़ाया जायगा आगे।

श्री मदनसिंह: यह मसला ही ऐसा है। कोई न कोई समिति तो बननी चाहिये जो जांच करे।

श्री शिवनाथसिंह: विरोधी पक्ष की ओर से सदन में यह वातावरण बनाया जा रहा है कि गलत एलॉटमेन्ट होते हैं और हुए हैं उनके लिये वे वास्तव में चिन्तित हैं, मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी पक्ष भी उतना ही चिन्तित है कि गलत एलॉटमेन्ट हुए हैं उनके विषय में, और वह यह भी चाहते हैं कि केन्सल हों (विरोधी पक्ष द्वारा हियर हियर, करतल-ध्वनि)। हमारी सरकार ने केन्सल भी

(श्री शिवनाथसिंह)
किये हैं ऐसे एलॉटमेन्ट। आज जो कांग्रेस शासन में हैं वह यह नहीं चाहती है कि गलत एलॉटमेन्ट हो। सदन के माननीय सदस्यों को और सदन के बाहर भी लोगों को आश्वासन मिले हैं कि जिन्होंने गलत तरीके से जमीन हथियाई है उसका निराकरण हो। सदन की एक कमेटी बिठायी जाय या दूसरी कोई कमेटी बिठाई जाय। कलेक्टर से जांच कराने से वह जांच सही नहीं हो सकती हैं। इसके लिये एक हाई पॉवर कमेटी बिठाकर इसकी जांच कराई जाय, चाहे किसी ने सही तरीके से ली हो या गलत तरीके से ली हो, तो इससे जनता में खुशी हो सकेगी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन(बाड़मेर) :सभापति महोदया सदन में हम बार बार यह कह चुके हैं कि जो भी एलॉटमेंट गलत हुए हैं उस गलत एलॉटमेण्ट को कैन्सिल कराया जाय। गवर्नमेण्ट का यह कर्त्तव्य हो जाता है वह इस प्रकार के एलॉटमेण्ट को कैन्सिल करे इसमें गवर्नमेण्ट को क्या हिचकिचाहट है? जो गलत एलॉटमेण्ट किये गये हैं ऐसी बात नहीं कि वे प्रभावशाली व्यक्ति हों स्वतंत्र पार्टी के भी हो सकते हैं जनसंघ के भी हो सकते हैं। गलत एलॉटमेण्ट जिन्होंने करवाया है उनमें प्रभावशाली व्यक्ति हैं। यदि कांग्रेस पार्टी के भी हों तो उनको कैन्सिल किया जाना चाहिए। पार्टी में भी अगर ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना प्रभाव डालकर गलत एलॉटमेण्ट करवा लेते हैं तो कांग्रेस की प्रतिष्ठा के लिए यह आवश्यक है कि उनकी भूमि को भी कैन्सिल किया जाए। इस तरह के लोग ही कांग्रेस की प्रतिष्ठा को कमजोर करते हैं. आपको उनसे क्यों डरना चाहिए? यदि वे कांग्रेस से निकल भी जाते हैं तो पार्टी कमजोर नहीं होगी उल्टी मजबूत होगी। इस प्रकार के व्यक्तियों को निकालने से कांग्रेस शुद्ध व श्रेष्ठ बनेगी। एलॉटमेण्ट का जो प्रश्न है वह सीधा सा प्रश्न है आपको इसे गम्भीरता से लेना चाहिए। और आपको इसकी पूरी तरह से जांच करवाने के लिए तैयार रहना चाहिए। जो गलत एलॉटमेण्ट किये हैं वे कैन्सिल करने चाहिए और यह प्रयास होना चाहिये कि वाकई जो भूमिहीन है उन्हीं को आप एलॉटमेण्ट करें।

श्री मूलचन्द डागा(पाली) :सभापति महोदया राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 84 है उसके अन्तर्गत स्टेट गवर्नमेण्ट को पूरे पॉवर्स हैं जिस किसी को गलत आवंटन किसी भी समय हुआ है तो उसको कैन्सिल कर सकते हैं। रद्द नहीं करने का मतलब यह होगा भले आदमी तो यह काम नहीं कर सकते कि गलत आवंटन करा लें लेकिन जो हिम्मतवार और हर तरीके से भूमि आवंटन करा लेते हैं उनको आप रोकना नहीं चाहते। यह समाजवादी दृष्टिकोण के विरुद्ध है। पहला कदम यह होना चाहिए इस पाप को धोने के लिए, इस कलंक को मिटाने के लिए जिन लोगों ने गलत भूमि दबा ली है वे यहां जो व्हाइट कॉलर परसन बनकर रहना चाहते हैं, उनकी भूमि को तुरन्त सब से पहले ले लेना चाहिये यह मैं समझता हूं सीलिंग से भी बढ़कर काम होगा।

श्री शंकरसिंह : जमीन एलॉटमेण्ट के सम्बन्ध में जो बातें आयी हैं मैं भी उस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा...

श्रीमती सभानेत्री : श्री यशवन्तसिंह

Page No 68

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा): आज जब कि सत्ताधारी पार्टी के लोग बोल रहे हैं और विरोधी पार्टियों की ओर से तालियां बज रही हैं तो किसको उत्साह बोलने का नहीं होगा ।

एक माननीय सदस्य : आप भी बोलें ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं आप की आवाज में आवाज उठाऊंगा । मेरा यह निवेदन है कि जितने भी गलत आवंटन हुए हैं उसके लिए नये कानून में परिवर्तन करके उन सब को निरस्त कर दिया जाना चाहिए ।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह मसला यहां अभी नया ही उठाया जा रहा हो ऐसी बात नहीं है । कांग्रेस के सदस्य फर्मा रहे हैं कि हम भी इसमें हाथ क्यों नहीं बटायें । यह मामला चार वर्ष से चल रहा है आपको सब मालूम है कि गलत आवंटन हुए हैं । ये सब आप ही लोगों की सिफारिशों से होते हैं आप लोग अपने मंत्रियों को भी मजबूर नहीं कर सकते ।

जहां तक आवंटन का सवाल है यह कई वर्षों से मसला चल रहा है । माननीय भैरोंसिंह जी ने भी फर्माया था । मैं यह चाहता हूं कि विधान सभा के सदस्यों की एक समिति हो लेकिन इसके लिए आक्षेप होते हैं । मैं सुझाव दूंगा कि समिति का अध्यक्ष रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य हो । यह मेरा सुझाव है····

श्री रघुनाथ विश्नोई : माननीय सदस्यों की कमेटी का चेयरमैन रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य हो यह कैसे हो सकता है ?

श्री मदनसिंह : मुझे जो बात आज उपजती है वह आपको दस दिन बाद उपजती है । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि यदि आवंटन रद्द करते हैं तो ये मसले आगे जायेंगे रिटें हो जायेंगी । जिनको खातेदारी मिल चुकी है क्या उनको निरस्त कर सकेंगे ? अगर करते हैं तो वे रिट में जायेंगे । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि रेवेन्यू बोर्ड इस प्रकार की अपीलें सुनने की हाईएस्ट ऑथोरिटी है अगर उसका चेयरमैन साथ होता है तो उसके निर्णय को कोई चैलेन्ज नहीं कर सकेगा । उस पर स्टे नहीं आयेगा । एक व्यक्ति ऐसा जरूर होना चाहिये जो कानूनी तौर पर इस पर निगाह रख सके । आज कई कानून हम पास कर चुके हैं लेकिन आज भी हमें उनको लागू करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है । राजाओं का सवाल आता है उसके लिये रामानन्द जी कहते हैं उनसे एक दम जमीन ले ली जाय । वे स्टे ले आते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि हाउस की कमेटी बनने से कोई मतलब हल होने वाला नहीं । अगर यह कमेटी विधान सभा के सदस्यों की बनती है तो वे घूमने जायं तो उनको भत्ता नहीं मिलना चाहिये उनको कहना चाहिये कि बिना भत्ते के काम करो तो यह हो सकता है ।

(1.15 म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

गये सत्र में भी यह मसला आया था रेवेन्यु मिनिस्टर ने जांच कमेटी बिठाने के लिए निवेदन किया । अगर वे ही स्वयं इस बात के लिये तैयार हो जाते हैं तो फिर इस तरह की कमेटी की जरूरत नहीं रहेगी ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर लें, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था के बाद भी माननीय सदस्यों ने कई बार सहयोग दिया है और इसी सहयोग के आधार पर भाषण पर प्रतिबन्ध हुआ था। अब मैं चाहता हूं कि अब इस प्रथा को व्यापक और विस्तृत न बनाया जाय। एक दफा भाषण आरम्भ हो जाते हैं तो होते ही रहते हैं। मेरा निवेदन है आप बोलें लेकिन कुछ सीमा में ही बोलें। आप ऐसे सुझाव दें जिस पर मन्त्री महोदय भी कुछ कह सकें और किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके।

श्री विजयसिंह : कुप्रथा प्रथा बन गई है।

श्री अध्यक्ष : आप बोल तो गये लेकिन अर्थ निकला नहीं।

श्री विजयसिंह : अर्थ तो निकल गया लेकिन समझ में नहीं आया।

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : जांच समिति के लिये जो प्रस्ताव आया है मैं भी इस बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। यह समिति का गठन करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जब ऐलान किया था कि एक साल में सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को ही भूमि का एलॉटमेन्ट होगा लेकिन हुआ क्या कि अन्य लोगों को 400-500 बीघा भूमि दे दी गई। आज वह अधिकृत हो जाती है क्योंकि दो साल उसने काश्त करली है। आज हम देखते हैं कि गांवों में जहां दो सौ-चार सौ बीघा जमीन होती है उसके मांगने के लिये सौ, दो सौ आदमी आ जाते हैं एक और डेढ़-डेढ़ बीघा भी भूमि उनके हिस्से में नहीं आती है इस तरह एक-एक, डेढ़-डेढ़ बीघा भूमि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज वालों को दी गई है। क्या वे एक बीघा में काश्त करके अपनी आजीविका कमा सकते हैं? ऐसी स्थिति में निवेदन करना चाहता हूं जिन लोगों ने गलत एलॉटमेंट करवाये हैं उनकी भूमि पर कब्जा किया जाकर उनकी भूमि ऐसे लोगों में बांटनी चाहिये जिनके पास एक-एक या डेढ़-डेढ़ बीघा भूमि है। जिन पर मुश्किल से गुजारा चलता है। गत समय भी राज्य सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जांच समिति बनायी जायगी, लेकिन नहीं बनायी। मैं निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी जांच समिति गठित की जाय और जो एलॉटमेंट गलत हुए हैं उनको कैन्सिल करके पिछड़े तबके के लोगों को जिनके पास कम भूमि है उनको वह मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय, ऑर्डर प्लीज।

श्री हरिसिंह (उपमन्त्री, कृषि) : माननीय अध्यक्ष जी, ओराई के बांध के आवंटन के लिये, जब मैं हाउस में उपस्थित नहीं था, मुझे यह ज्ञात हुआ है कि इस प्रश्न को लेकर मेरा नाम भी उसमें लिया गया है कि मैंने एलॉटमेंट में करीब तीन चौथाई एलॉटमेंट मेरे रिश्तेदारों को किया है। मैं माननीय नत्थीसिंह जी को निवेदन करूंगा कि वे इस बात को जो आपने कही है, तथ्यपूर्ण ढंग से यहां पर कही है तो उसको सिद्ध कर दें। जो बात आपने कही है कि तीन चौथाई जमीन मैंने अपने रिश्तेदारों को एलॉट की है, उसमें

Page No 70

(श्री हरिसिंह)
किसको दी है या नहीं दी है इसका पहले वे पता लग लें।

दूसरा, जो उन्होंने अनियमितता के बारे में कहा है कि जमीन अनियमित ढंग से एलॉट की गई है। अध्यक्ष जी, इसके बारे में मैं स्पष्टीकरण और कर देना चाहता हूं। यह एलॉटमेंट दो, तीन तारीखों के अन्दर हुआ है और तीन-तीन और चार-चार दिनों तक जारी रहा है और हर एलॉटमेंट के अन्दर करीब तीन हजार व्यक्तियों की उपस्थिति थी। बाहर से भी लोग आये हुए थे। उनमें से अधिकांश को नियम ज्ञात नहीं थे कि किस प्रकार से फार्म भरने की प्रक्रिया है। फार्मों के भरने की जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में उनको, अधिकांश को, नियम ज्ञात नहीं था और एलॉटमेन्ट कमेटी के सामने यह बात आई थी और उन प्रार्थना-पत्रों को रिजेक्ट कर देते तो उनमें से 10% को भी जमीन एलॉट नहीं हो सकती थी। हमने जो रूल्स हैं उनके बीहाफ पर माइनर और मीडियम प्रोजेक्ट के जो आवंटन के रूल्स हैं और उसके अन्तर्गत जो प्रक्रिया होती है उसको ध्यान में मोटे रूप से रखा और जहां तक सम्भव हो सका, फार्म भरने के 15 दिन के पहले उसका नोटिस इश्यु होता है उसके अन्दर इसको अनियमित कर सकते थे किन्तु हमने ऐसा नहीं किया और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये उस समय उनको मन्जूर किया। फिर इसको गलत समझें और आपत्ति करें तो अलग बात है। और जहां तक रिश्तेदारों का सवाल है अगर आप तीन चौथाई आप कहते हैं एक चौथाई भी आप बता दें तो मैं इसको चेलेन्ज करता हूं...

श्री मदनसिंह : उस इलाके में आपके रिश्तेदार दस-बारह हजार हैं।

श्री हरिसिंह : जितने भी राजपूत हैं वे सब मेरे रिश्तेदार हैं। कांग्रेस के एक माननीय सदस्य ने भी यह बात कही है। मुझे इस बात का सख्त अफसोस है। वे कहते हैं कि एलॉटमेंट गलत हुआ है। उन्होंने इस बात की जांच करने की कोशिश नहीं की है और उसके पहले ही आपने जो इन्फरेंस निकाला है, वह गलत है। गलत आवंटन हुआ इससे आपका कहना यह है कि इससे कांग्रेस के सम्मान की क्षति हुई है। मैं उनको निवेदन कर देना चाहता हूं कि मुझे भी कांग्रेस के सम्मान का पूरा ख्याल है जितना कि माननीय सदस्य को।

श्री नत्थीसिंह : माननीय उपमंत्री जी ने यहां पर अपनी बात कही है। मैंने अपनी बात में यह कहा था कि इसके अन्दर जो अधिकांश एलॉटमेंट हुआ था उनमें से तीन चौथाई ऐसे हैं जो या तो उनके रिश्तेदार हैं या उन्होंने अपने असर वाले व्यक्तियों को दिलाई है और इसका दुरुपयोग किया है। आप कहें तो मैं उनके नाम पढ़ कर सदन को सुना सकता हूं। यह सूची आपके सम्मुख है। इसमें यह लिखा हुआ है कि इसमें कैसे कैसे रिश्तेदार हैं, किस तरह के इनके रिश्तेदार हैं और इसको आप डिनाई करते हैं। एक जांच कमेटी, अध्यक्ष महोदय, सदन के माननीय सदस्यों की बनाई जाये। मेरा निवेदन है कि सदन की जांच कमेटी हो तो आपको क्यों गुरेज होना चाहिये?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इसको...

श्री नत्थीसिंह : एक हैं राव साहब के बुआ के पुत्र एक है राव साहब के भाई, बुआ का लड़का। इससे क्या सिद्ध होता है। क्या यह आपके रिश्तेदार नहीं हैं? और दूसरे वे लोग हैं जो आपके कभी कर्मचारी रहे हैं और जिन पर आप ऐहसान करना चाहते हैं। और गरीब, छोटे लोगों को यह जमीन नहीं मिली है। यह कहते हैं कि हरिजनों को जमीन दी जायेगी लेकिन इससे यह सिद्ध होता है कि कमाण्ड की जमीन को किस तरह से बांट कर ये खा रहे हैं। यह 200 नामों की सूची है। आप कहें तो इसको पढ़कर सुना देता हूं।

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार हरिजनों के नाम पर ··

श्री अध्यक्ष : एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिये। ऑर्डर, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री नत्थीसिंह : माननीय अध्यक्ष जी, एक यह सज्जनसिंह हैं····

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय यह जानकर अफसोस होता है कि हमारे यहां राजस्थान में 30-40 वर्ष के हट्टे कट्टे हरिजन भाई हैं उनको जमीन एलॉट नहीं की जाकर औरतों को की जा रही है ·····

श्री अध्यक्ष : यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : मैं माननीय उपमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि ये सज्जनसिंह तख्तसिंह, बेनसिंह, ये व्यक्ति कौन हैं? एक राव साहब का छोटा भाई है, इनको क्या जमीन नहीं मिली है और क्या यह तथ्य नहीं है? क्या यह तथ्य गलत है और क्या ये आपके रिश्तेदार नहीं हैं? फिर नम्बर दो में आप लीजिये।

एक माननीय सदस्य : यह कानून में है क्या कि इनको जमीन एलॉट नहीं की जायेगी।

श्री नत्थीसिंह : तो क्या यह कानून में है कि इनके रिश्तेदारों को मिल जाये, इनके कृपापात्रों को मिल जाये और जो गरीब, हरिजन आदिवासी हैं उनको नहीं मिले? क्या यह आप करना चाहते हैं? मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, कि इस बात की जांच करायी जाये और माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा है····

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को इस पर सुझाव दूंगा। मंत्री महोदय को कह लेने दीजिये, फिर मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा। उसके बाद ऐसी स्थिति आने पर कम से कम किसी निर्णय पर पहुंचना होगा। आपने कहा है। किसी न किसी मुकाम पर ठहरना होगा। इसको यहां पर स्थगित करता हूं। माननीय मन्त्री महोदय को स्पष्टीकरण करने दें।

श्री दौलतराम सारण : माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अध्यक्षजी, मैंने यह समझ कर ही कि सदन में अनावश्यक रूप से नामों पर विवाद न हो मैंने किसी का नाम नहीं लिया। हरेक की लिस्ट मैंने प्रस्तुत कर दी है फिर भी मैंने

(श्री दौलतराम सारण)

नाम नहीं लिये हैं। मैंने केवल पदों का संकेत किया है और मैंने किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया है। मैंने यह बताया है कि किस प्रकार के लोगों ने गलत तरीके से भूमिहीन न होते हुए भी अनधिकृत रूप से, अनधिकृत तरीके से भूमि का आवंटन अपने नाम करा लिया है और मैंने जैसी कि अध्यक्ष जी, मांग की है और अध्यक्ष जी गत सत्र में आपके चेम्बर में विरोधी पक्ष के नेताओं के सम्मुख राजस्व मन्त्री जी ने भूमि के गलत आवंटन जो 62 से 69 तक हुआ है उसके लिये एक निर्देश आपने उनको दिया था कि इसकी इन्क्वायरी करायी जाये और उन्होंने उस आदेश को स्वीकार किया था परन्तु उसकी रिपोर्ट आज तक हमें नहीं मिली है उन्होंने आपको निवेदन किया होगा परन्तु आपकी ओर से हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। मैं माननीय राव साहब बैगू से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वे अपना स्पष्टीकरण देकर व्यर्थ में यहां न उलझें क्योंकि यह लिस्ट सनसनीखेज है। शायद वे इसके कानूनी पेचों को नहीं समझते हैं और वे इसमें ख्वामख्वाह ही उलझ जायेंगे यह नियमों के विरुद्ध तो है ही। इसके अलावा इसमें यह भी बताया गया है कि इसमें क्या क्या खामियां हैं। इसलिये आप इस विवाद में न पड़ें। आपने एक प्रकार से इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है कि आप भी इस एलॉटमेन्ट में शरीक थे और आपने ही यह एलॉटमेन्ट करवाया है। यह एक बहुत बड़ी बात है हाउस के सामने। मैं इस विवाद में नहीं जाना चाहता कि क्या क्या दोष हैं और क्या नहीं। यह एक सच्ची स्थिति है और मैं यह मांग करता हूं कि यह केवल औरांई डेम का ही सवाल नहीं है यह सारे राजस्थान के कॉलोनाईजेशन का भू-आवंटन का सवाल है और इसमें बड़ा भारी गलत रूप से आवंटन हुआ है, नाजायज तरीके से हुआ है, गैर-वाजिब लोगों ने भूमि को हड़पा है। मेरी यह मांग है कि राज्य सरकार इस सदन की एक समिति बनावे जो इस सम्बन्ध में जांच का काम करे सारे राजस्थान के आवंटन का जो कि आवंटन से सम्बन्धित है.......

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री दौलतराम सारण : सन् 62 से 69 तक जो गलत आवंटन हुए हैं उसके बारे में राजस्व मन्त्री ने जांच का आश्वासन दिया था, शायद इसकी आपको जानकारी हो परन्तु हमें जानकारी नहीं मिली है कि क्या हुआ है। इसके बारे में मैं नहीं कह सकता।

श्री अध्यक्ष : मैं इसका समय पर स्पष्टीकरण दे दूंगा।

श्री दौलतराम सारण : मेरी मांग है पुरजोर शब्दों में। यह भयंकर बात है। दो-दो लिस्टों का उल्लेख यहां पर किया गया है। एक लिस्ट मैंने अपने पत्र द्वारा भी आपको दी है। इसके अलावा एक और लिस्ट आपको दूंगा लेकिन इस मांग के साथ माननीय अध्यक्ष जी कि मन्त्री जो इस सदन की एक समिति बनाकर, और एलॉटमेन्ट्स जो आज उपनिवेशन के भागों में हुए हैं सारे एलॉटमेन्ट को उपनिवेशन मन्त्री जी जांच करवायें और इस सदन के सदस्यों की एक कमेटी बनायें जो इस बात की पूरी जांच करे। चाहे सरपंच हो, पंच हो,

(श्री दौलतराम सारण)
प्रधान हो, उप-प्रधान हो, एम. एल. ए. हो, एम. पी. हो, मिनिस्टर हो और चाहे कोई सरकारी अधिकारी हो या सरकारी कर्मचारी हो जिन्होंने गलत तरीके से भूमि आवन्टित करवाई है। किसी व्यापारी ने प्रभाव डाल कर अलॉट करवाई है तो उनकी वह सारी जमीन तो खारिज होनी ही चाहिये उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी होनी चाहिए और अगर कानून में कोई विशेष प्रावधान उनके लिये करवाना है तो इस सदन से करवाइये, इसके लिये कोई आर्डिनेन्स लाना हो तो वह ले आइये लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं इस स्थिति को गम्भीरता से लिया जाना चाहिये। यह सार्वजनिक लोक हित का प्रश्न है ·—

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

यह भूमि हरिजनों, आदिवासियों, गरीब पिछड़ी जाति के लोगों को और भूमिहीन किसानों को नहीं मिल पा रही है, उनको यह जमीन हर हालत में दिलवाई जाय। ये बड़े बड़े लोग, प्रभावशाली व्यापारी, प्रभावशाली नेता अपने काले धनको सफेद धन बनाने के लिए भूमि हड़प रहे हैं। आज, अध्यक्ष महोदय, आपको सुनकर ताज्जुब होगा इस जयपुर के आस पास जमीन का भाव 13 हजार रुपया बीघा से लेकर 16 हजार रुपया बीघा हो गया है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान के हित में, राजस्थान की अर्थ व्यवस्था के हित में इसकी जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब स्थान ग्रहण करें। माननीय मन्त्री महोदय····

श्री शोभाराम (कृषि मंत्री) : अध्यक्ष महोदय,···

श्री लादूराम सुलानिया : अध्यक्ष महोदय, गरीबों के साथ न्याय कतई नहीं हो रहा है···· –

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं।

(माननीय सदस्य श्री लादूराम सुलानिया के बराबर बोलते रहने पर व्यवधान

माननीय सदस्य। कृपया स्थान ग्रहण करें। आप (मन्त्री महोदय) आरम्भ रखिये।

श्री शोभाराम : 15 सदस्यों की एक सदन की समिति बनाई जाय······

(पुनः श्री लादूराम सुलानिया जी के व्यवधान करने पर, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : अजी सदस्य महोदय जी स्थान ग्रहण करें। मन्त्री महोदय।

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, दो-तीन मुद्दों की तरफ मैं इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहली बात, इस बात, को समझ लें जो कुछ प्रश्न पिछली मर्तबा या पिछले सत्र में, 68 में, 69 में उन सबको राजस्व विभाग के पास भेजा गया था और जो यह प्रश्न···

श्री दौलतराम सारण : हमने तो अध्यक्ष महोदय, यह सवाल उठाया था राजस्व का मामला है, उपनिवेशन मन्त्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था······

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय आरम्भ रखिये।

श्री शोभाराम : यह जो जमीन का प्रश्न उठाया गया या इसी सत्र में वह भी राजस्व विभाग को प्रेषित कर दिया गया है। तारीख 12 को आज से करीब 5-6 दिन पहले हमारे उपनिवेशन विभाग में परिवर्तन किये गये है और 3-4 दिन के अन्दर जो जानकारी प्राप्त की वह भी और जो सूची आपने अध्यक्ष के कार्यालय में भेजी थी उसकी कॉपी भी हमें नहीं मिली लेकिन परसों शाम को मैंने खुद ने जाकर उस पूरी सूची का अवलोकन किया। जिन 200 केसेज के बारे में मैंने वक्तव्य में इशारा किया मैं समझता हूं जहां तक उपनिवेशन विभाग का ताल्लुक है इन सबकी जानकारी 7 दिन के पहले नहीं आ सकती पर कोई जनरल क्वेश्चन राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग का है और वह अवैध आवन्टन के खिलाफ चल रहा है तो हम उसको जल्दी ही देख लेंगे।

मैं माननीय भैरोंसिंह जी से निवेदन कर दूं—परसों शाम को जब टेलीफोन पर बात कर रहे थे इन्होंने कहा था कि हमको सूची दे दी जाय। हमने निवेदन किया दो रजिस्टर इतने मोटे मोटे हैं। कम से कम 4-5 रोज पहले कॉपी करवाना सम्भव नहीं है लेकिन मैं यह कोशिश कर रहा हूं इतने बड़े रजिस्टर हैं उनकी टाइप कापी करवा कर आपको भेज दी जाय लेकिन 24 घन्टे में सम्भव नहीं है।

दूसरी बात आवन्टनों के बारे में, अनियमितताओं के बारे में आपने कही उसको भी मैंने सरसरी तरीके से परसों शाम को देखा है। मैं यह मानकर नहीं चलता हूं कि हमारा उत्तरदायित्व नहीं है। कुछ केसेज ऐसे लगते हैं जो मैं समझता हूं अलॉटमेन्ट नहीं होने चाहिये थे लेकिन जहां सवाल उनकी इन्क्वायरी करने का आता है जिसमें मतभेद हो सकते हैं। विरोधी पक्ष के सदस्य यह कहते हैं कि सदन के सदस्यों की समिति का निर्माण किया जाय और वह समिति इस सारे मामले की जांच करके कदम उठाये। जो मैंने नियम (5) की तरफ ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको बताना चाहता हूं लैण्ड लैस टिनेन्ट्स को और खासतौर से शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्राथमिकता दी जायगी। तीन ऐसी केटेगरीज हैं जिनके बारे में मैं समझता हूं हर जिले के बारे में कलेक्टर को लिखा है कि विस्थापित किसान को, या पंचायत का मामला है या पंचायत समिति का है या भूमिहीन किसान का हैं—भूमिहीन किसान लैण्डलैस टिनेन्ट वह है उसको प्राथमिकता दी जाय और इसके अलावा हम यह भी करना चाहते हैं कि इसकी भी जानकारी की जाय जिस आदमी ने भूमि आवंटित करवाई है चाहे लैण्ड लैस के नाम से कराई हो और चाहे किसी नाम से कराई हो—क्या इस भूमि के अलावा उसके पास किसी संयुक्त परिवार की भूमि थी या नहीं? जब स्पष्ट तरीके से मुद्दे कलेक्टर के सामने आयेंगे तो उसको अपना पूरा विवरण देना पड़ेगा। मैं समझता हूं उस फेक्चुअल रिपोर्ट के बारे में कलेक्टर कोताही नहीं कर सकता है और न छिपा सकता है। उसमें सब तरह की बात होगी वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स है या नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट है या नहीं, मैं समझता हूं लैण्ड लैस टिनेन्ट्स की बात भी जो आपकी और मेरी मान्यता रही है आपके सामने स्पष्ट हो जायगी। लैण्ड लैस

(श्री शोभाराम)

टिनेन्ट्स की डेफिनेशन को निर्धारित करें तो मैं समझता हूं उसका रीजनेबल अर्थ यह होना चाहिये कि He is expected to cultivate। इसके बारे में मैं समझता हूं सदन को एक मत होकर तय कर देना चाहिये.......

श्री भेरोंसिंह : With retrospective effect.

श्री शोभाराम : कुछ केसेज में बताया गया जिनके हस्बैन्ड काम करते थे–कार्यालय में किसी में भी हो सकते हैं तो किसी भी शक्ल में औरतों को दे दिया गया। एक ही खानदान है—हस्बैन्ड और वाइफ हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं–एक साथ रहते हों, हस्बैन्ड कमाता हो तो मेरी मान्यता है व्यक्तिगत इन्टरप्रिटेशन का क्या होगा ? ऐसी सूरत में औरतों के लिये भूमिहीन किसान मानना किसी भी दशा में न्यायसंगत नहीं है।

श्री दौलतराम सारण : पढ़ने वाले नाबालिग लड़के.......

श्री शोभाराम : मैं समझता हूं हर एक दृष्टिकोण .....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह दृष्टिकोण तो आपका है।

श्री शोभाराम : थोड़ा सा मैं निवेदन कर दूं। 20-25 हजार की कुर्की अभी रुकी पड़ी है और अभी तक दो हजार रिट पिटिशन पड़ी हुई हैं। यह नहीं हो सकता है कि आर्बीट्रेरी रूप से एक्शन लें। कोई काम करना होगा तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही होती है उसको भी देखना होगा। हम कोई ऐसी जल्दी में कार्यवाही करलें और केसेज हाई कोर्ट में जाते रहें तो भी मैं समझता हूं उचित नहीं है। इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। 3-4 बड़े मुद्दे हैं जिन पर हर कलेक्टर अपनी राय पेश करें—जहां तक समय लगने का सवाल है वह अवश्य है। दो महीने के अन्दर कलक्टर से जानकारी प्राप्त हो जायगी-यह भी कम सम्भावना लगती है। लेकिन मैं समझता हूं अगले तीन महीने में प्रशासन इन तरीकों को इस्तेमाल करती है तो वह जाहिर है कि उसको नोटिस देना पड़ता है नहीं तो नेचरल जस्टिस की आड़ में जाकर बहुत से रिट पिटिशन में जीतकर आ जाते हैं। हमारे पास 68 केसेज पड़े हुये हैं। उनके लिये मैं समझता हूं 3-4 महीने में, 19 तारीख को अभी वे परसों ही आये हैं किन्तु 3-4 महीने में निपटाना चाहता हूं। और दो महीने के अन्दर जिलाधीश चित्तौड़ की तरफ से यह रिपोर्ट आती हैं उसके लिये ताकीद करेंगे और फिर हम यह समझते हैं कि उस रिपोर्ट के आने के बाद अगर कोई जानकारी करने का और और भी कुछ कोताही का मामला हमारे सामने आयेगा कि करना बाकी है तो मैं समझता हूं कि मैं खुद जाकर जो कुछ भी उन्होंने रिपोर्ट की है, या जांच की है वहां जाकर इसकी जानकारी कर लूंगा। जो सवाल माननीय सदस्यों ने उठाया कि सदन की एक समिति बनाई जाये, मैं समझता हूं कि यह काफी बड़ा विषय है और यह संबंध राजस्व विभाग से भी रखता है और कोलोनाईजेशन विभाग से भी रखता है और यह मानकर नहीं चल सकते कि जहां तक राज-

(श्री शोभाराम)
स्थान केनाल का सवाल है उसके लिये तो परमानेन्ट रूल्स बन रहे हैं, वह फाइनल होंगे और आपके सामने आयेंगे और फिर जो भी अस्थाई रूप से अलॉमेंट हुए हैं उनकी कोई कीमत नहीं होगी। तो बहुत बड़ा रकबा राजस्थान केनाल का निकल जाता है और बाकी की लघु और खासतौर से जो छोटी सिचाई योजनाओं का सवाल है मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा जमीन उसमें है....

श्री भैरोंसिंह : इसलिए जल्दी जांच हो जायगी।

श्री शोभाराम : मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि राजस्व विभाग की तरफ से जो भी अलाॅटमेन्ट्स हुए हैं, खासतौर से नहरी परियोजना के बाहर के क्षेत्र में उसमें एक तरह से प्रभावित होते हैं। तो मैं समझता हूं कि इस मसले को उपनिवेशन विभाग के दो-तीन सौ केसेज जिसमें नियमों में साफ है कि यह केटेगरीज में हम टिप्पणी मान करके कार्यवाही करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा और मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इन्क्वायरी होगी और गवर्नमेन्ट उसमें काम करेगी तो किसी विभाग को नहीं दबाकर और जो नियमों के अन्तर्गत नहीं आये हैं और जो इल्लीगल अलाॅटमेंट की तारीफ में आते हैं मैं समझता हूं कि सब को निरस्त किया जायेगा। रहा सवाल यह कि अगर बड़ी तादाद के अन्दर यह देखने की बात है कि अलाटमेन्ट नान-आफिशियल्स ने किये या किसी आॅफिसर ने किये लेकिन हम साथ ही साथ यह पूछ रहे हैं कि उसमें जो अलाॅटमेन्ट्स हुए हैं वह कमेटी के माध्यम से हुए या किसी आॅफिसर ने किए हैं अपनी स्पेशल पावर्स के तहत-मैं दोनों की जानकारी करने के बाद अगर जो बेजा कार्यवाही हुई है और जान बूझकर की गई है तो मैं समझता हूं कि उस पर क्या कदम उठाया जाये उसके ऊपर भी राज्य सरकार गौर करेगी।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अलाॅटमेन्ट दो तरह से गलत होते हैं। एक तो या तो भूमिहीन नहीं हों और फिर अलाॅट कर दी जाये और दूसरे भूमिहीनों को परिभाषा में लेकर किया जाये और गरीबों को वंचित किया है और जिसको न्याय दिलाना था उसको वंचित किया है। गलत अलाॅटमेन्ट के लिये मेरा निवेदन है कि या तो उसमें तहसीलदार, सरपंच या प्रधान जो भी है अभी यह चिल्लाहट कई दिनों से है कि गलत अलाॅटमेन्ट हुए हैं तो आप एक पोकेट को ले लें और पांच सदस्यों को ले लें और वहां के तहसीलदार ने गलत किया है तो मैं समझता हूं कि आप कैम्प करके उसको सस्पेन्ड पहले किया जाये। इसलिए मेरा निवेदन है कि सारा सदन तैयार है तो सामुहिक रूप से आपकी अध्यक्षता में कर लें तो मालूम हो जाये कि यहां कितने भले और खराब बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिये जरूर जांच कराई जाये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष : इसके बाद कोई पर्चा नहीं होगी।

श्री नरसिंह : अध्यक्ष महोदय, इस बात का दोनों तरफ से समर्थन हो रहा है

Page No 77

(श्री नत्थीसिंह)

तो उनको दिक्कत ही क्या है। फैक्चुअल रिपोर्ट तो आ जायेगी लेकिन कहां पाप हुआ है वह तो मालूम पड़ जायेगा। इस लिये हाउस की एक कमेटी बनानी चाहिए और हाउस के सामने सारी बातें आनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता था कि यह जानकारी कलेक्टर के स्तर पर मिलेगी ?

श्री शोभाराम : अध्यक्ष महोदय, इस में तीन-चार मुद्दे हैं.........

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर जानकारी देगा ?

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तो कमेटी के सामने आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। कलेक्टर द्वारा जानकारी देने पर आप सीमा निर्धारित कर रहे हैं। दो महीने में आ जायेगी इसमें विश्वास होता है क्या ? मैं चाहता हूं कि कलेक्टर से जानकारी प्राप्त करने का मतलब विलम्ब, विलम्ब, विलम्ब। आप क्या ऐसी मशीनरी लगा सकते हैं कि जो कलेक्टर को भी सजग करे और दो महीने के अन्दर ही जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करे।

श्री शोभाराम : कलेक्टर दो महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट पेश करें इसके लिए कोई भी मशीनरी का इस्तेमाल करना पड़े, किसी ऑफिसर को डेप्यूट करना पड़े तो आज के दिन तो नहीं कह सकता पर कौन से सीनियर ऑफिसर को लगाया जाये लेकिन इस सदन में विचार लाया जा सकता है। लेकिन जहां तक हमारा सवाल है दो महीने के अन्दर 2-3 सौ केसेज हैं।

श्री दौलतराम सारण : इसको भी ये सीमित कर रहे हैं....

श्री विजयसिंह : आप ऑफिसरों को गंगाजी भेज दो, यहां सेवक भेजे हैं उनको लगा दो।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप क्यों नहीं सारे राजस्थान को ले लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, लैन्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 101 के अन्तर्गत जो जमीन गलत आवंटन हुई आपने निर्णय दिया कि उसकी जांच होनी चाहिये वह कहां हुई ? वह कब तक जांच होगी या जमीनों को सबको नियमित कर दी जायगी या जांच यह होगी कि उनको पट्टे दे दिये जायेंगे ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दे दिये पट्टे।

श्री मूलचन्द डागा : अपन गलत कर सकते हैं। रात को दे दो और सवेरे गलत कर दो। तो बात यह है कि उसके लिये कमेटी निर्णय जल्दी ले।

श्री अध्यक्ष : श्री फूलचन्द बाफना।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : अध्यक्ष महोदय, गलत आवंटन के सम्बन्ध में जो जांच चल रही है उस पर अपने विचार प्रकट करना चाहता था....

श्री अध्यक्ष : कहां विचार होगा ? विचार तो सम्पन्न हो गया।

श्री फूलचन्द बाफना : थोड़ा मैं भी कह देता हूं क्योंकि अपना अपना दृष्टिकोण है। मेरा ऐसा ख्याल है कि समाज में जिन चीजों के लिये इज्जत होती है उसी चीज को प्राप्त करने की आदमी कोशिश करता है। समाज में पैसे की इज्जत है, जमीन की इज्जत है पद की इज्जत है इसलिये इन तीनों चीजों के लिये आदमी इसको प्राप्त करने के लिये प्राणपन से कोशिश करता है और लोगों की लालसा है कि एनी हाऊ, येनकेन प्रकारण इन चीजों को प्राप्त किया जाय। तो समाज के नियम ही नहीं बदले, क्रांति तो हुई नहीं और भ्रांति हो गयी। आज समाज में सौ में से 80 आदमी गरीब है और उन 80 आदमियों के हाथ में तो राज्य आया नहीं। इसका मतलब यह है कि 80 लोग भी बिकते हैं, शराब से बिकते हैं···

श्री अध्यक्ष : आपने तो प्रारम्भ से शुरू किया है और हम तो अंत पर आ रहे हैं।

श्री फूलचन्द बाफना : सब लूट-पाट का मसाला चालू हो गया है इसलिये न्यूसेन्स वेल्यू बढ़ गई है, मनी वेल्यू बढ़ गई है इसलिये मैं मूल चीज के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यह लाइलाज है और इसका इलाज भगवान ही कर सकता है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आवन्टन गलत हुए हैं इसका बार-बार सवाल उठता है। आवन्टन कमेटी में एम. एल. ए. हैं या आवन्टन गवर्नमेन्ट लेवल पर होता है और मिनिस्टर और एम. एल. ए. पर आरोप लगता है तो किसी अधिकारी के सामर्थ्य की बात नहीं है या उससे यह एक्सपेक्ट नहीं किया जाना चाहिए कि यह जांच ठीक तरह से हो सकेगी। इस पर दोनों तरफ से चिन्ता व्यक्त की गई है। यह ठीक बात है दोनों तरफ के एम. एल. ए. हैं और अलॉटमेन्ट कमेटी में गलती हो सकती है इसलिए हाउस की कमेटी बनाई जाये और मैजॉरिटी पार्टी का उसमें बहुमत हो इसमें मुझे आपत्ति नहीं है और यह ओराई का केस पहले ले लिया जाये और मेरी कान्सटीट्यूएन्सी में जो अलॉटमेन्ट हुए हैं मैं उसकी ऑफर करता हूं, उसका चेकिंग कर लिया जाये और जहां भी गलत हुआ हो उसको निरस्त किया जाये।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, जिस समय अभी आप विराज रहे थे तो मैंने प्रश्न खड़ा किया था कि इस सदन में एक कमेटी बनाने का प्रपोजल रखा गया था··

श्री अध्यक्ष : मैं कहां था ? मैं यहां ही था।

श्री नत्थीसिंह : यन्त्र वहां होगा।

श्री भैरोंसिंह : मुझे पता नहीं आप अन्दर का यन्त्र भी चालू रखते हैं।

इसलिए मैं निवेदन कर रहा था कि उस समय निर्णय लिया गया था कि एक समिति बनाई जायेगी और उसमें राजस्व विभाग और उपनिवेशन विभाग के जो अलॉटमेन्ट्स हैं उनकी जांच होगी। आपको,

(श्री भैरोंसिंह)

स्मरण होगा कि आपने विरोधी दल के प्रतिनिधियों की और कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की एक बैठक अपने चेम्बर में बुलाई थी। उसमें राजस्व मन्त्री जी थे और उपनिवेशन राज्य मन्त्री जी भी उपस्थित थे। उसमें निर्णय लिया गया कि 62 से लेकर आज तक जिन एम. पी., एम. एल. ए., सरकारी कर्मचारी, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच आदि को जो भूमि का आवन्टन किया गया है उसका प्रोफार्मा बनाकर यहां भेजा जाये और उसमें सारी इन्फार्मेशन जो कलेक्टर से, तहसीलदार से, एस. डी. ओ. से मंगवानी चाहिए वह राजस्व मन्त्री जी और दूसरे सम्बन्धित मन्त्री जी विधान सभा को लाकर इस प्रकार की सूचना देंगे और मैं खेद के साथ कहता हूं कि इस प्रकार की सूचना की जानकारी अभी तक विधान सभा में नहीं मिली है। मैं जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार ने आपके उन आदेशों का पालन किया या नहीं ? यह हमारी इच्छा का सवाल नहीं है कि हमारी इच्छा की पूर्ति हुई या नहीं, लेकिन मैं इसको दूसरे रूप में जानना चाहूंगा कि आपने अपने चैम्बर में राजस्व मन्त्री और उपनिवेशन विभाग के राज्य मन्त्री को आदेश दिये थे उन आदेशों का पालन हुआ या नहीं ? एक । जिस परपज से वे आदेश दिये गये कि समिति बनाई जाने की आगे बात है उस निर्णय पर पहुंचा जाय वह उस प्रकार की इन्फार्मेशन के आधार पर वह समिति गठित की जाना आवश्यक है या नहीं ? यह विधान सभा का निर्णय है। मन्त्री महोदय अपना निर्णय दें, अपनी सम्मति दें इसका सवाल नहीं है। विधान सभा की समिति बनाई जाय या नहीं—यह उनकी पावर के बाहर है। मन्त्रीजी से निवेदन करेंगे यह उस हालत में निवेदन कर सकते हैं जब आप अपने आदेशों का पालन कराने में असमर्थ हों, लेकिन मेरा विश्वास है कि अध्यक्ष महोदय अपने आदेशों का पालन कराने में समर्थ हैं ....

श्री अध्यक्ष : दोनों ही बात आ गई हैं।

श्री भैरोंसिंह : यदि आपके हाथों में शक्ति नहीं होगी तो विरोधी दल अध्यक्ष महोदय के हाथों को.... ....

श्री अध्यक्ष : सशक्त कर देगा।

श्री भैरोंसिंह : सशक्त कर देगा। आज तो पुरानी बात का रिन्यूअल एक प्रकार से हो रहा है। इस विधान सभा ने आपको अधिकार दिया था उस अधिकार को आज विधान सभा रिन्यू कर रही है। उस अधिकार को वापिस नहीं ले रहे हैं। हम किसी मन्त्री महोदय से निवेदन करना नहीं चाहते कि इस प्रकार एलॉटमेन्ट के बारे में एक समिति बनाई जाय। इस विधान सभा ने आपको अधिकार दिया है कि आप इस प्रकार की इन्फार्मेशन मंगाकर, उस इन्फार्मेशन के आधार पर जरूरी समझें तो इस प्रकार की समिति का गठन किया जाय। मैं समझता हूं कि जब आपके आदेश का पालन नहीं किया गया तो सरकार की मन्शा तो स्पष्ट हो गई है। ऐसी स्थिति में हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम आपसे निर्णय लेना चाहते हैं कि आप इस प्रकार की समिति गठित करने के पक्ष में हैं या नहीं ? यदि हां, तो किस समय और किस प्रकार से यह समिति गठित की जायगी ?

श्री जगन्नाथ पटेल : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : अब कुछ नहीं है।

श्री जगन्नाथ पटेल : है साहब। मुझे कभी आज्ञा नहीं दी आपने अपने कमाण्ड के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको दे दूंगा किसी दूसरे मसले पर क्योंकि इस वक्त मैं खड़ा हो गया हूं अपने पैरों पर।

आज यह जो प्रश्न सदन के सामने आया है वह चिन्ता का विषय अवश्य है। माननीय सदस्य श्री भैरोंसिंह जी ने इस बात की ओर संकेत किया है कि पहले सत्र में जो प्रश्न इस सदन के प्रांगण में आया था और उस वक्त भी यही आभास माननीय सदस्यों के वक्तव्यों से बना था कि इस सदन की एक समिति बनाई जाय लेकिन समिति बनाने से पूर्व यह निश्चित हुआ था कि विरोधी दलों के प्रमुख सदस्य हैं दलों के या गुटों के नेता हैं मय राजस्व मंत्री जी के मेरे चेम्बर में मिलें। तदनुसार एक मीटिंग हुई थी। उसमें यह तय हुआ था कि समिति बनाने के प्रश्न को बाद में लिया जाय। पहले इस सम्बन्ध में सूचनाएं संकलित की जायं। इसलिए माननीय राजस्व मंत्री जी को यह संकेत दिया गया था कि जिले के स्तर पर···

श्री रामचन्द्र आर्य : यहां घोषणा करके भी ये कमेटी नहीं बनायेंगे। पहले भी घोषणा की थी मनफूलसिंह को लेकर लेकिन वह भी नहीं बनाई है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर।

इसलिए मंत्री महोदय को यह कहा गया कि जिले के स्तर पर भी सूचनाएं प्राप्त करें। सूचनाओं के सम्बन्ध में बार बार मैं माननीय मंत्री महोदय को लिखता रहा। आग्रह करने के बाद कुछ सूचनाएं प्राप्त हुईं कुछ जिलों की और वे जिले हैं। कोटा, झालावाड़, जोधपुर, गंगानगर, बूंदी जैसलमेर आदि आदि। 17 जिले हैं जिनमें बाड़मेर, डूंगरपुर, चूरू, सीकर, सिरोही, नागौर, अलवर, सवाई माधोपुर और टौंक, उदयपुर इत्यादि, इत्यादि।···

एक माननीय सदस्य : जयपुर नहीं है।

श्री फूलचन्द बाफना : सब इत्यादि इत्यादि में है।

श्री अध्यक्ष : मुझे 17 जिलों की सूचनाएं प्राप्त हुईं। सुचनाओं को देखने पर जैसा कि माननीय सदस्य ने सूचित किया राजनेताओं, जिनमें प्रधान, प्रमुख, सरपंच, उनके रिश्तेदार, विधायक, मंत्री, आदि इन सबके सम्बन्ध में सूचनाएं मांगी गई थीं। इनमें से कई सूचनाएं आना अवशेष हैं। जिसका अर्थ यह हुआ कि हम सूचनाएं अगर राज्य स्तर पर मांगें तो मुझे शंका है कि वह सूचनाएं समय पर प्राप्त नहीं हो सकेंगी···

श्री मनोहरसिंह मेहता : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : इसके आधार पर आप यह कहें कि आप मुझे सशक्त बनाना चाहें तो सशक्त बनने पर भी मैं राज्य सरकार से आग्रह ही तो कर सकता हूं। इसके अतिरिक्त शक्ति का उपयोग होना सम्भव नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आप अगर चाहें तो सशक्त है। शक्ति का प्रयोग करना चाहें तो आपके हाथों में शक्ति है।

श्री अध्यक्ष : फिर मैं प्राप्त कर लूंगा। अभी तक तो कुछ नहीं है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था कि जैसा कि माननीय सदस्यों का यह सुझाव है कि समिति का निर्माण किया जाय, उस वक्त इस सुझाव को इसलिए स्थगित रखा गया कि पहले इसके आंकड़े आ जायं, नामावलियां आ जायं।

श्री मूलचन्द डागा : It will take time.

श्री अध्यक्ष : उसके बाद ही इस विषय पर विचार करने की बात स्वयं आप समझ सकते हैं। अत: अब इस विषय पर अधिक विचार यहां नहीं उठाकर आपने और माननीय सदस्यों ने जो उग्रता, व्यग्रता का संकेत दिया है उसके संदर्भ में आज या कल प्रमुख गुटों के नेता व दलों के नेताओं को बुलाकर माननीय राजस्व मंत्री जी और माननीय उप मंत्री जी उपनिवेशन····

एक माननीय सदस्य : राज्य मंत्री।

श्री अध्यक्ष : जो यहां विराजमान हैं उनकी उपस्थिति में इस प्रश्न पर वापिस विचार कर लिया जायगा कि क्या माध्यम हो सकता है कि जिससे हम जल्दी से जल्दी ये सूचनायें प्राप्त कर सकें। मेरे मतानुसार जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने यहां कहा कि वे अपने स्तर पर इसकी सूचनाएं संग्रह कर लेंगे, यदि सूचनाएं संग्रह कर लेंगे तो दूसरा प्रश्न होता है कि सूचनाएं संग्रह करने के बाद क्या एक्शन हो सकता है? यह कानूनी विषय है इसलिए मैं चाहता हूं कि आपने जो सुझाव दिये हैं उन सुझावों के संदर्भ में किन स्थितियों में क्या हो सकता है इस पर विचार किया जाय। दूसरा प्रश्न है सदस्यों की समिति का निर्माण करने का, और यदि किया जाना चाहिए तो यह स्पीडिली इस काम को कर सकेगी या नहीं।

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इसका उत्तरदायित्व आपने राज्य सरकार पर रखा है; उस उत्तरदायित्व को यदि आप लें लेंगे तो इस सदन में आगे विचार नहीं हो पायेगा। मैंने अपना मत प्रकट कर दिया। मेरा यह विश्वास है कि आप राज्य सरकार की जिम्मेदारियां वहन करने का आग्रह करें या सदन की समिति बनायें। जैसा कि मैंने अभी सुझाव दिया था कि आप कलेक्टर के स्तर पर कैसी सूचना मंगाना चाहते हैं। कलेक्टर को सूचियां संग्रह करने के सम्बन्ध में क्या तरीका उपयोग में आ सकता है? मैं इस प्रश्न को यहां पर छोड़ देता हूं।

मैं तो माननीय सदस्यों को आमन्त्रित कर लूंगा इस विषय पर विचार करने के लिए ताकि वह निर्णय वहां पर लिया जा सके। यहां सदन में निर्णय आप लेने बैठेंगे यदि तो आज का समय सारे का सारा इसी प्रश्न पर चला जायगा, और वहां पर निर्णय लिये जाने के बाद सहुलियत से सदन के सामने यह प्रश्न रख सकेंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात···

श्री नत्थीसिंह : सिद्धान्त रूप में इसको स्वीकार कर लिया जाय कि समिति बनाई जायगी उसके बाद में इस पर विचार हो सकता है, लेकिन सिद्धान्त रूप में इसको मान लिया जाय ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहूंगा कि क्या आप स्वयं इस हाउस की कन्सेंसस यह मानते हैं ? इस सदन का बहुमत इस प्रकार का है कि वह समिति के गठन करने के पक्ष में हैं । इसका निर्णय कर दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता हूं और मुझे माननीय सदस्यों को सजेस्ट करना है कि आपको गवर्नमेंट पर डिपेन्ड नहीं करना पड़े और आपके पास में वह पावर हो कि समस्या हल हो जाय तो उसका सुझाव मैं देता हूं । जिस तरह से आपने विधान सभा के रूल्स के प्रोवीजन्स के तहत राजकीय उपक्रम समिति बनाई है, एक स्टैंण्डिंग कमेटी इस हाउस की बनाई है तो इसी तरीके से लैण्ड रिफार्म्स और एलॉटमेंट के लिए एक कमेटी बना दें । यह स्टैण्डिंग कमेटी आप अपने अधिकार से बना दें ताकि उस तरीके से इन तमाम मामलों की देखभाल करती रहे, गवर्नमेंट को एग्जामिन करती रहे और गवर्नमेंट को उसके अनुसार एक्शन लेने को मजबूर होना पड़े । मैं समझता हूं कि यह बात आप स्वयं कर सकते हैं जिसके लिए आप एम्पावर्ड हैं ।

श्री अध्यक्ष : मेरे खयाल से इसकी प्रारम्भिक रिपोर्ट जैसा कि मैंने निवेदन किया कि आ जाय । स्टैण्डिंग कमेटी का नियमों में प्रावधान नहीं है । यह मेरे अधिकार में नहीं है । नियमों के अन्तर्गत वह प्रश्न पैदा नहीं होता है । मैं आज ही माननीय सदस्यों को आमन्त्रित करके जैसा भी निर्णय हो ले लिया जाय । जैसा कि माननीय भैरोंसिंह जी ने कहा उससे सभी की सहमति है । यह असेसमेंट का प्रश्न है । मैं इसको वोट पर रख दूंगा ।

श्री नत्थीसिंह : वोट पर रखने के चक्कर में न पड़े । वोट पर रखेंगे तो गिरधारीलाल जी का कोड़ा आ जायेगा ।

श्री भैरोंसिंह : वोट नहीं । यह पूछ लें कि इस सदन की समिति गठन करने के विरोध में हैं क्या तो अभी पता लग जायगा ।

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को अब प्रस्ताव के रूप में नहीं लेता हूं ।

श्री भैरोंसिंह : जानकारी के रूप में, प्रस्ताव नहीं ।

श्री अध्यक्ष : अधिक से अधिक मैं यही कर सकता हूं कि माननीय सदस्यों की सहमति लेकर जिसका अर्थ यह हो सकता है कि आप भी इधर आ सकते हैं । सहमति होने पर आज ही सदन में प्रस्ताव रखना चाहता हूं । इससे आगे बढ़ना चाहता हूं

श्री परसराम मदेरणा ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री परसराम मदेरणा : (पंचायत मंत्री) अध्यक्ष महोदय, मैं पंचायत एवं विकास विभाग की अधि-सूचना संख्या 4/एल. पी. एस. / ए-आर. /6/66-67 /3422-29, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 को सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री दौलतराम सारण : वक्तव्य देने वाले थे ?

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री पुखराज कालानी ।

प्रतिवेदनों का उपस्थापन

श्री शंकरसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल आपने व्यवस्था दी थी दर्शक दीर्घा में एक व्यक्ति द्वारा शोरगुल करने पर····

श्री अध्यक्ष : वह मैं दे दूंगा ।

श्री पुखराज कालानी : अध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग लेखे, 1967-68, वित्त लेखे 1967-68 एवं वर्ष 1967-68 के लेखाओं पर अंकेक्षा प्रतिवेदन के सम्बन्ध में जनलेखा समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री बाढ़दार ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के 12वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आधे घण्टे की चर्चा रख लें ।

दर्शक दीर्घा में नारे लगाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने सम्बन्धी

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों को याद होगा कि कल दिनांक 18 नवम्बर, 1970 को जिस समय श्री रामकिशन द्वारा प्रस्तुत परिनियमित सकल्प पर आसन द्वारा मतदान हेतु विभाजन का आदेश दिया गया था, एक व्यक्ति ने दर्शक दीर्घा से सभा भवन में नारे लगाकर सदन की कार्यवाही में बाधा पहुंचाई । उस व्यक्ति को वाच-एण्ड-वार्ड स्टॉफ ने मेरी आज्ञा से तत्काल हिरासत में ले लिया ।

सदन ने इस घटना पर स्वयं विचार करने और उस पर कोई निर्णय लेने के बजाय मुझे प्राधिकृत कर दिया था कि मैं सदन की ओर से, दोषी व्यक्ति को अपने चेम्बर में बुलाकर समस्त मामले की आवश्यक जांच कर लूं और यदि वह व्यक्ति बिना शर्त क्षमा (Unconditional apology) मांग ले तो उसको क्षमा प्रदान कर दी जाये।

सदन की बैठक स्थगित हो जाने के पश्चात् सारजेन्ट-एट-आर्म्स ने इस व्यक्ति को सायं 6.20 बजे मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया। इस व्यक्ति ने अपना नाम श्री टीकमसिंह चौहान पुत्र श्री नवावसिंह चौहान बतलाया है। इसकी आयु 33 वर्ष की है और वह ग्राम चौकड़ा (जिला आगरा) का रहने वाला है। हाल राम मोहल्ला, नागौरी गेट, जोधपुर में उसका निवास है। अभियुक्त ने बताया कि वह 5 वर्ष पूर्व राज्य सेवा में था परन्तु सेवा-समाप्ति के बाद वह अब अण्डर ग्राउण्ड वाटर बोर्ड कर्मचारी यूनियन, मुख्यालय, जोधपुर के जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्य करता है।

अभियुक्त श्री टीकमसिंह चौहान ने दर्शक दीर्घा से नारे लगा कर सदन की कार्यवाही में व्यवधान पहुंचाने तथा सदन

(श्री अध्यक्ष)
के अपमान का दोषी होने का अपराध स्वीकार किया। उसने अपने अपराध पर खेद प्रकट करते हुए मेरे समक्ष लिखित रूप में सखेद क्षमा याचना (Unconditional apology) का प्रार्थना-पत्र भी प्रस्तुत किया।

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, सदन का यह आदेश था कि यदि अभियुक्त बिना शर्त सखेद क्षमा याचना कर ले तो उसको क्षमा कर दिया जाये। चूंकि अभियुक्त श्री टीकमसिंह चौहान ने अपने अपराध को स्वीकार कर अपने कृत्य पर खेद प्रकट किया और साथ ही लिखित रूप में बिना शर्त सदन से माफी मांगी। अतः मैंने सदन की भावनाओं और आदेश को ध्यान में रखते हुये श्री टीकमसिंह चौहान को क्षमा प्रदान कर दी और बाद में उसे सायं 7.00 बजे सारजेण्ट-एट-आर्म्स की अभिरक्षा (Custody) से रिहा भी कर दिया गया।

श्री भैरोंसिंह : एक स्पष्टीकरण चाहूंगा, यह जो खेद प्रकट करने के बाद क्षमा कर दिया, यह खेद प्रकट करना ही क्षमा है? आपने बताया है कि वह सरकारी कर्मचारी है।

श्री अध्यक्ष : सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, टर्मिनेटेड है।

आधा घण्टे की चर्चा

श्री रघुनाथ विश्नोई! आधे घण्टे के लिए मोटे अनाज के सम्बन्ध में चर्चा उठायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, सदन के दोनों पक्षों की ओर से यह मांग की गई थी कि राज्य में मोटे अनाज के भाव गिर रहे हैं— इस विषय पर चर्चा की जाये। ईश्वर की कृपा से खरीफ की फसल अच्छी हुई है। काश्तकारों को बीज डालने में भारी खर्चा हुआ। लोगों ने उधार लेकर बहुत ही मंहगे बीज 100-125 रुपये क्विण्टल तक खरीद कर बीज डाला है। औरतों के गहने बेच कर बीज डाला है। परन्तु दुर्भाग्य से बाजार में, जब तक फसल नहीं आई तो 100 और 125 रुपये क्विण्टल भी अकाल राहत में बांटने के लिए उपलब्ध नहीं था। और अब कीमत गिरकर 45 और 50 रुपये पर आ गई है। बाड़मेर तहसील और सांचोर में जहां पहले भी अच्छी फसल होती है। वहां पहले से ही लोगों को सबसे कम कीमत मिल पाती है। आज बाजार में धान आना शुरू नहीं हुआ है कि उसकी कीमत 40 रु० क्विण्टल तक हो गई है। पिछले समय में अकाल होने के कारण वह मंहगा बीज खरीद कर ले जाते हैं। मैंने सुना है कि लोगों को वहां बाजारों से एक किलो मिर्ची का 25 किलो धान देना पड़ता है। इस प्रकार अनाज से 10 गुना महंगी चीजें काश्तकार को पड़ती हैं। इस साल अच्छी फसल हुई है तो यह जरूरी है कि काश्तकार को अच्छी कीमत मिले। इसलिए उसका मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। पहले भी मैंने समय समय पर कीमतों के बारे में सवाल उठाया है। परन्तु हमारी जिम्मेदारी है कि काश्तकार जिस कीमत पर अपनी उपज पैदा करता है इसकी जानकारी रखनी चाहिए। उस

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

इलाके में काश्तकार जिस कीमत में अपनी उपज पैदा करता है, वह राजस्थान के हर इलाके में एक सी नहीं हो सकती क्योंकि सिंचाई के साधन, आवागमन के साधन और भूमि है-तो इन साधनों को मद्दे नजर रखते हुए अलग अलग इलाकों के अन्दर उपज करने की कीमत अलग अलग आती है। मैं, अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से इस बारे में जानकारी चाहूंगा। मेरा निवेदन है कि पिछले इतने भयंकर अकाल के बाद में काश्तकार उत्पादन कर सके हैं, वह उत्पादन' अनाज जब बाजार में आता है तो काश्तकार ने उसे किस कीमत पर पैदा किया है—इसकी जानकारी राज्य सरकार को इकट्ठी करनी चाहिए। मोटे तौर से कृषि मंत्री और खाद्य मंत्री ने बताया था कि केन्द्रीय सरकार ने कीमत पचास रुपया क्विन्टल के हिसाब से तय की है, उसको बढ़ा कर प्रोक्योरमेन्ट लेवल पर पचपन रुपये क्विन्टल के हिसाब से देने का निर्णय लिया है। परन्तु, अध्यक्ष जी, यह भी हम सोचें, जो भयंकर अकाल के बाद में काश्तकारों ने अनाज पैदा किया है वह मंहगा पैदा किया है। हमारा रोज का अनुभव है, वह अनाज काश्तकारों ने अपनी खून और पसीने को कमाई लगा कर, रात दिन महनत करके, ऋण लेकर·······

(2. 3 म. प)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

पैदा किया है। इस अनाज की कीमत कौड़ियों के भाव हो गई है, इसका नतीजा यह होगा कि राज्य सरकार का जो ऋण है, बाहर का जो ऋण है, मनी लैन्डर का जो ऋण है, कई तरह के जो ऋण हैं जो लोगों ने गरीब काश्तकारों पर चढ़ा रखे हैं वह वह नहीं चुका पायेंगे और किसान के सामने एक गम्भीर स्थिति पैदा हो जायगी, गम्भीर आर्थिक स्थिति पैदा हो जाएगी। इससे बचाने के लिये, राज्य सरकार को काश्तकारों को विषम स्थिति से बचाने के लिए कोई न कोई सक्रिय कदम उठाना जरूरी है। उपाध्यक्ष जी, आज ही मेरे पास समाचार आया है, सांचोर के अन्दर इस वक्त भाव जो बाजार में मिलता है, वह तियालीस रुपये क्विंटल तक है। कलेक्टर सांचोर की सूचना के अनुसार शायद इन्होंने उससे ओपन मार्केट की रेट मांगी है, वह पैंतालिस रुपये क्विन्टल बताई है। सारे हिन्दुस्तान में कोर्स जाने के लिये खुला कर दिया, उसके बावजूद भी इतनी कीमत आ गई है जब कि राज्य सरकार की घोषणा है कि 55 रुपये से नीचे भाव नहीं जाने देंगे और जब भाव गिरेंगे तो बाजार में खरीददारी शुरू कर देंगे। परन्तु आपको यह सुन कर दुःख होगा कि इस बारे में राज्य सरकार की ओर से किसी मन्डी में आज तक कोई दुकान नहीं खोली गई है जब कि पचपन रुपये के भाव रखने की सरकार ने गारन्टी दी थी। मंत्री जी की घोषणा थी कि इससे नीचे भाव नहीं गिरने देंगे। आपने जो खरीददारी के लिए फूड कॉर्पोरेशन की एजेन्सी बनाई उस फूड कोर्पोरेशन पर, उस एजेन्सी पर इस राज्य सरकार का कोई अंकुश नहीं है। हम बार बार जब जनरल मैनेजर से बात करते हैं, एजेन्ट और डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से बात करते हैं तो उनका रवैया बड़ा खराब है। हम पूछते हैं कि आप काश्तकारों की काश्त खरीद पायेंगे या नहीं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तो इसका वह उपेक्षापूर्ण जवाब देते हैं। मेरा निवेदन है कि इसके बारे में राज्य सरकार जब तक सक्रिय कदम नहीं उठायेगी तब तक काश्तकारों को अपनी काश्त, अनाज कौड़ियों की कीमत पर मजबूरी की हालत में बेचना पड़ेगा। वह अनाज के सिवाय कोई दूसरी चीज लेना चाहें या बेचना चाहें तो उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। अनाज के सिवाय उनका कुछ उत्पादन नहीं है। यह उनकी आर्थिक कन्डीशन है, यह स्थिति है इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम काश्तकारों को इस स्थिति से बचाने के लिए राज्य सरकार के जो ऋण हैं उनकी वसूलियों को रोक दें। राज्य सरकार का जो ऋण है और अन्य तरह का ऋण है उनकी वसूली के लिए फाइनेन्स डिपार्टमेंट की एक सूचना, एक सरक्यूलर निकला है उसके अनुसार कलेक्टर उनको मजबूर करके, कुर्की करके वसूल करेंगे। इसके अलावा बेंक, सहकारी समितियों की वसूली भी काश्तकारों के सिर पर आई हुई है। ऐसी हालत में काश्तकारों की क्या स्थिति होगी? आपकी गारन्टी है कि पचपन से नीचे भाव नहीं गिरने देंगे, इसलिए आपको ही काश्तकारों को आज बचाना है। उनके यहां इस साल अनाज पैदा हो गया है फिर भी वह लोग बड़े चिन्तित हैं। अकाल के समय में उनको खाना भी समय पर नहीं मिलता था। अब जब उनके पास अनाज है तब भी वह बड़े चिन्तित हैं। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत खाद्य मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस बारे में वह कार्यवाही करें। अब कीमत दस बारह रुपये नीचे चली गई है। आपने पूर्व में आश्वासन दिया था कि पचपन रुपये से कीमत गिरेगी तो खरीददारी का इन्तजाम कर देंगे। एक प्रश्न के उत्तर में सरकार ने यह सूचना दी कि आदेश जारी कर दिया गया है, खरीदारी का इन्तजाम कर दिया गया है लेकिन आज 19 तारीख है, आप सुनकर ताज्जुब करेंगे कि आज तक जालोर, बाड़मेर में....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बाड़मेर में 93 रुपये क्विन्टल है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : बाड़मेर में 93 रुपये क्विन्टल की जानकारी माननीय सदस्य ने दी है। मैंने ध्यान आकर्षित किया है कि जालोर की सांचोर तहसील में राजस्थान में सबसे नीची कीमत है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज दिन तक किसी भी मण्डी में उनके अनाज की खरीददारी के लिए कोई दुकान क्यों नहीं खोली गई? इसके बारे में जो कठिनाई है, वह कठिनाई हम भी महसूस करते हैं। फूड कोर्पोरेशन की तरफ से एक कठिनाई उपस्थित कर दी गई है। उपाध्यक्ष जी, जैसा कि आपको मालूम है, फसल के आखिरी समय में, जब कि बाजरा पका हुआ था, दाना पक गया था उस समय बरसात हो गई थी। उसके कारण दाने में ब्लेकनैस आ गई। अनाज खराब नहीं हुआ है, बहुत अच्छा पका हुआ है, केवल ब्लेकिस रंग है। ज्यादा ब्लेकिस नहीं है, परन्तु कुछ काला है। आज इस कारण जो खाद्य निगम इन्सपेक्टर हैं वह यह बताते हैं कि दो पर्सेन्ट से ज्यादा ब्लेकनैस अनाज में हुई तो खाद्य निगम नहीं खरीदेगा। इससे डर लगता है कि फूड कॉर्पोरेशन हमारे जिले में, और और जिलों

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

में जहां इस तरह बरसात हुई, वहां अनाज नहीं खरीदेगा। वैसे अनाज अच्छा है, बाजार में साफ सुथरा और बगैर कंकर के लाते हैं, तब भी वह नहीं तोलते हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से आश्वासन चाहूंगा कि राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को कुछ भी करना पड़े, परन्तु इस साल जो कि इतना अच्छा अनाज पैदा हुआ है, इसको खाद्य निगम इस आधार पर रिजेक्ट कर देता है तो काश्तकारों की क्या हालत होगी। एक तरफ तो इस सदन के माननीय सदस्य सोचते थे कि जो पचपन रुपये क्विन्टल का भाव है वह बहुत कम है, विरोधी पक्ष के नेता महोदय ने तो कहा था कि कम से कम साठ रुपये क्विन्टल के भाव किये जाने चाहिए, क्योंकि दूसरी चीजों के भाव बाजार में कम्पीटीशन के आधार पर, स्केअरसिटी की हालत में इतने मंहगे हैं, जब दूसरी चीजों के भाव बढ़ते जा रहे हैं तब अनाज के भाव इतने सस्ते हो जायं और उनको राज्य सरकार कंट्रोल नहीं करे तो काश्तकार फिर किस तरह से बच सकेंगे? आज आप कहते हैं कि काश्तकारों की हालत अच्छी है, इस बार अच्छा अनाज पैदा हुआ है। लेकिन इससे क्या होता है? अगर वह बिकेगा नहीं या कम कीमत पर बिकेगा तो आप वसूली कैसे करेंगे। यह आज विषम स्थिति है। आज वह लोग सारा अनाज भी बेच दें तो भी तमाम ऋण की वसूली नहीं हो सकती है। इसलिए राज्य सरकार को जो भी वसूलियां इस साल करनी हैं, वह कम से कम यदि पचपन रुपये क्विन्टल के हिसाब से अनाज का प्रोक्योरमेंट हो तो वह वसूली करें। मेरा तो निवेदन है कि राज्य सरकार हिम्मत करके, जिस तरह पहले हांसिल लिया जाता था, अनाज में, उसी तरह अनाज में वसूली करे। यह राज्य सरकार के सामर्थ्य के भीतर की बात है फूड कार्पोरेशन आपकी बात को मानता नहीं है, उसने तो अपनी क्वालिटी निर्धारित कर रखी है, इसलिए वह एक किलो अनाज भी खरीदने नहीं जा रहा है और मेन डिफीकल्टी एक यही बताई जा रही है। जालौर में उसने एक किलो अनाज भी नहीं खरीदा है। इसके अलावा दूसरी जगह जहां ज्वार और मक्का ब्लेकिस हो गई है तो वहां भी वह यही जवाब दे देगा। इस तरह से तो काश्तकारों की हालत खराब हो जायगी। राज्य सरकार ने वैसे गारन्टी दी है पचपन रुपये क्विन्टल के हिसाब से खरीदने की लेकिन राज्य सरकार के द्वारा अभी तक कोई इन्तजाम नहीं किया गया है। बाजार में जब भाव पैंतालीस रुपये हो गये हैं तब भी खरीदने का इन्तजाम नहीं है.......

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में, माननीय सदस्य! काफी समय हो गया है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस बारे में विशेष निवेदन करना है क्यों कि मामला ऐसा है।

श्री उपाध्यक्ष : मामला तो ऐसा है लेकिन नई बात आप कोई नहीं कह रहे हैं। आप दोहरा रहे हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इतना अनाज बाजार में आने की गुंजाइश पूरी है लेकिन काश्तकार निकाल नहीं रहे हैं। मुख्य मंत्री जो दस तारीख को आये थे और नाथूराम जो आए थे, उन्होंने कहा था कुछ दिन, काश्तकारों को कहो, वह बेचें नहीं। उन्होंने कुछ दिन तक रखा। लेकिन जब वसूलियां उनके सिर पर आ गई हैं

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

तो आप खरीददारी के लिए व्यवस्था, जो अनाज मंडियों में आये उसको खरीदने की व्यवस्था मण्डी में कब तक कर देंगे ? क्वालिटी की जो दिक्कत है उसको आप कब तक मिटा देंगे । एज ए स्पेशल केस मंत्री महोदय फूड कोर्पोरेशन से बात करके क्वालिटी की समस्या को हल करें नहीं तो वह खरीदेंगे नहीं । वैसे ही राजस्थान का जो प्रोक्योरमेन्ट का टार्जेट है वह चालीस हजार क्विन्टल है, यह कम है, नेगलीजेबल है । इसके अन्दर से पच्चीस हजार क्विन्टल तो अब तक खरीद लिया है थोड़ा और खरीदेंगे, उसके बाद में ठप्प कर देंगे खरीददारी । फिर काश्तकारों से कौन खरीदेगा ? इससे उनके सामने गम्भीर समस्या उपस्थित हो जायगी । काश्तकारों ने जिस कीमत पर अनाज का उत्पादन किया है वह तो आप देने में असमर्थ हैं, लेकिन जो कीमत आपने निर्धारित की है, उसके अनुसार भी खरीददारी की व्यवस्था राजस्थान में क्यों नहीं की गई है ? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत, राज्य सरकार का ध्यान इस ओर पुरजोर शब्दों में खींचना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में तुरन्त ऐसी व्यवस्था कर दें जिससे जो भाव आपने निर्धारित किये हैं वह तो कम से कम काश्तकारों को मिल जायं ताकि काश्तकार आने वाले समय में आने वाली कठिनाइयों से बच सकें ।

श्री उपाध्यक्ष : (श्री मदनसिंह के खड़े होने पर) इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री मदनसिंह : मैं एक चीज...

श्री नत्थीसिंह : यह सभी माननीय सदस्यों की दिलचस्पी का विषय है । महत्वपूर्ण है ।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करूं कि सब महत्त्वपूर्ण विषय हैं । इस पर चर्चा नहीं होगी ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : काश्तकारों के सामने गम्भीर परिस्थिति है । दूसरे विषयों पर घण्टे भर चर्चा होती है तो इस पर चर्चा क्यों नहीं हो अन्यथा फूड कोर्पोरेशन कभी मानने वाला नहीं है और किसान मर जायेंगे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि यह विषय महत्त्वपूर्ण है—

श्री मदनसिंह : मेरा एक आध सुझाव है ।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं होगा ।

श्री आईदानसिंह (भीनमाल) : मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करे । आपके 40 हजार टन में से 25 हजार क्विन्टल तो ले लिए हैं, बाकी भी शायद ले लिए जायं । जालौर जिला ऐसा है जहां पर तीन मंडियां हैं । वहां से एक दाना भी नहीं लिया गया । आप इस बात का निर्णय लें कि जहां जो वसूली हो कैश में न होकर काइंड में हो तो करो । कठिनाई हो सकती है आपको । गांव-गांव में जाकर अनाज तोला गया था । आपके पटवारी पंचायत सर्किल पर जाकर कैश में नहीं काइंड.........

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दिया कि काइंड में वसूली कर दें ।

श्री आईदान सिंह : इस पर विचार करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : आपने आश्वासन दिया था, उपाध्यक्ष महोदय, कि हालांकि यह प्रश्न आधे घन्टे की चर्चा का है लेकिन चर्चा दो घन्टे भी हो सकती है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने दिया था।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं होगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक प्रश्न यह है कि आपने जो उत्पादन के आंकड़े दिये हैं कि राजस्थान में इस वर्ष उत्पादन 24.50 लाख टन होने की सम्भावना है मोटे अनाज की, आपने यह विचार प्रकट किया था कि 40 हजार टन खरीदेंगे। आपने यह भी कहा कि निकासी का तो आपने अन्दाजा लगाया कि राजस्थान को निर्धन और मध्यम वर्ग की जनता की एक वर्ष के अन्दर मोटे अनाज की खपत कितनी है ? जो उत्पादन आपने बताया 24.50 लाख टन उसके अनुपात में राजस्थान में मोटे अनाज की खपत कितनी है ? आप कह रहे हैं कि 40 हजार टन खरीदेंगे। आपने यह भी निश्चय किया कि जो आपने निकासी खोली है, कितना मोटा अनाज राजस्थान से बाहर जाय····

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं प्रश्न पूछें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न पूछ रहा हूं····

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न छोटा होता है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : तो क्या इस प्रकार से अनाज बाहर गया तो तीन महीनों के बाद यदि अनाज के भाव ऊंचे जायं तो सरकार गारन्टी देने के लिए तैयार है कि वर्ष भर इसी दाम में मजदूरों और किसानों को अनाज देंगे। एक प्रश्न आप और बता सकते हैं कि खपत कितनी होती है मोटे अनाज की और बाहर जाने के बाद क्या स्टाक में रह जायगा ? क्या राज्य सरकार इस बात के लिए आंकड़ा देने के लिए तैयार है कि जिस समय फसल आती है उसके दो-तीन महीने बाद अनाज के भाव बढ़ते हैं, प्रति वर्ष के आंकड़े उठाकर देखें।

श्री उपाध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसी से संबंधित है। किसान जिस समय अनाज पैदा करके लाता है, फसल बेचता है तो पूंजीपति पंखों के नीचे बैठने वाले जिनके पास बहुत पैसा है, अन्न का संग्रह···

श्री उपाध्यक्ष : भाषण नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये बड़े बड़े पैसे वाले टाटा, बिरला····

श्री उपाध्यक्ष : अब पैसे वालों पर आ गए। आप प्रश्न पूछें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ओलावृष्टि व अकाल से पीड़ित इस साल ही किसान की फसल आई है। वह भी फसल बिकेगी ·

श्री उपाध्यक्ष : यही बात कही गई है।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

ऑर्डर प्लीज। अब समाप्त करें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : राजस्थान सरकार ने 173 टन का जिक्र किया है। बारां सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। अक्टूबर में ज्वार काफी मात्रा में आई है। एक भी बोरी आपने नहीं खरीदी, क्यों? सरकार नहीं खरीद रही है और व्यापारी सस्ता खरीद कर बाहर भेज रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की?

श्री उपाध्यक्ष : अगर सभी प्रश्न आपसे वापस पूछें तो आपको याद रहेंगे?

श्री देवीदत्त गाड़िया : राज्य सरकार ने जो टिप्पणी दी है इसके अन्दर भावों का क्वालिटी के आधार पर डेढ़ रुपया, तृतीय श्रेणी क्वालिटी का आपने तीन रुपए क्विंटल की कमी की है। सारा भार क्वालिटी इन्सपेक्टर पर छोड़ा है। यह आपको मालूम नहीं कि मंडी में अनाज एजेन्ट्स खरीदने जाते हैं। वह गांव में किसानों से सस्ता लेंगे और उसी भाव में लेंगे और किसान से कहेंगे कि तीन रुपया प्रति क्विंटल नीचे भाव है। इसमें किसान का शोषण होगा। अकेले क्वालिटी इन्स्पेक्टर चाहे बारां हो या और कहीं, हमेशा शिकायतें आती रही हैं····

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदनसिंह।

श्री देवीदत्त गाड़िया : किसान का मुनाफा बिचौलिया जो एफ. सी. आई. का एजेंट है खा जाता है। अन्त में मैं यही पूछता हूं कि राजस्थान को निर्धन और मजदूर जनता का ध्यान रखा है? किसान जो कि 10 बीघा, 20 बीघा, और 50 बीघा का किसान है जो साल भर अन्न नहीं रख सकता, वर्ष भर में जनता को इसी भाव पर अनाज मिलता रहेगा, इसके लिए सरकार गारन्टी देने के लिये तैयार है और समय पर अनाज देगी और किसान को भी उसके अनाज के भाव जो गिरते जा रहे हैं, उसी अनुपात में चीजें सस्ती दिलवायेंगे? खाद आज 87 रुपए क्विंटल बेच रहे हैं ब्लैक है····

श्री उपाध्यक्ष : विषयांतर हो रहे हैं। ऑर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : वेयर हाऊसिंग निगम व खाद्य निगम के बीच सामंजस्य नहीं है। गोदामों की हालत खराब है····

श्री उपाध्यक्ष : भाषण दे रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप इस संबंध में डेटा दें, अन्य संग्रह कितना रहेगा, राजस्थान की जनता को इस भाव पर मिलता रहेगा, कितना बाहर जायगा····

श्री मदनसिंह : पाइन्ट ऑफ ऑर्डर। (श्री देवीदत्त गाड़िया से) कह लिया?

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री मदनसिंह : पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर यह था····

श्री उपाध्यक्ष : भाषण शुरू करें।

श्री मदनसिंह : अच्छा। मैंने पहले भी सवाल रखा था और उसको मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया था कि जिन किसानों ने गत फसल में सरकार से जो भाव तय करके खरीदा था 55) क्विन्टल भाव की पूर्ति होती है नहीं तो कम से कम

(श्री मदनसिंह)

इस फसल में उसको बढ़ाकर वह पूर्ति हो जाय तब तो समझेंगे कि इस फसल से किसान को फायदा होगा । आपने 55) कर दिया और 70) क्विन्टल का लिया तो भी उसको फायदा नहीं हुआ । तो सारी बातों को छोड़कर कम से कम इस फसल में भावों को कम से कम रेट इतनी ऊंची होनी चाहिए कि गत फसल में जो सरकार से फसल ली थी उसकी दर भी 55) क्विन्टल के आधार पर ली जाय तो मैं समझता हूं कि पूर्ति होगी, और इसके लिये खुद मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया था कि वाकई विचारणीय प्रश्न है ।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं केवल एक ही मिनट बोलना चाहूंगा । माननीय सदस्य, श्री रघुनाथ विश्नोई ने जो मुद्दे सदन के सामने रखे उनके साथ मेरी एक हद तक सहानुभूति है । यह मोटे अनाज की समस्या है, क्या बाजरा, क्या ज्वार, क्या मक्का । इस सम्बन्ध में सबसे पहले तो मैं मन्त्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान 6-7 साल से संकट की स्थिति से गुजर रहा है । इस साल वर्षा हुई और अधिकांश राजस्थान के क्षेत्र में मोटा अनाज का उत्पादन हुआ, किन्तु यह उत्पादान किस कीमत पर हुआ ? क्या मन्त्री महोदय नहीं जानते हैं कि अगर सरकार तत्काल कोई न कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो चिड़िया चुग गई खेत वाला मसला होगा ? अभी खलिहान से अनाज मन्डियों में आ रहा है और मुझे दया आती है आपकी दूरदर्शिता और बुद्धि पर कि आपने अधिकतम 55) रुपये क्विन्टल निर्धारित किए, न्यूनतम 55) निर्धारित किए । किसानों के मुंह में खाने का अनाज, निवाला आया, वह भी छीना जायगा, मन्त्री महोदय नहीं जानते कि बहुत से लोग छोले के भाव से अनाज खरीद रहे हैं । माननीय सदस्य ने जो यह मुद्दा उठाया, उन्होंने यह कहा कि यह बार्टर सिस्टम बेसिस पर है, राजस्थान सरकार तो क्या करेगी, लेकिन मैंने कहा था कि इस समस्या को हल करना चाहते हैं तो इसके लिये तत्काल कदम उठाने चाहिये । सरकार तत्काल कदम नहीं उठायेगी और 60) मिनिमम न्यूनतम भाव निर्धारित करके सबसेडाइज्ड बेसिस पर अनाज नहीं खरीदेगी, सरकार तो सस्ती दर पर अनाज खरीद कर कहां, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास भेज कर 75) क्विन्टल के हिसाब से पैसा कमा रही है ? आप किसान के रक्षक हैं किसान ही रीढ़ की हड्डी हैं राजस्थान की और उत्पादन और खाद्य समस्या को मद्दे नजर रखते हुए क्या सरकार उचित नहीं समझती है कि न्यूनतम 60) रुपये निर्धारित करें जिससे कि कुछ तो मेहनताने के रूप में किसान को मिले । इस मुद्दे पर भी सरकार गम्भीरता से विचार करे ।

श्री देवीदत्त गाड़िया : खुद मंहगा देकर मुनाफा कमा रहे हैं और किसान बरबाद हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह ।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) : आपके नेता महोदय बोल चुके हैं । सब ही माननीय सदस्य बोलेंगे तो इसमें काफी समय लगेगा ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, क्या सरकार की यह नीति है कि राजस्थान में सूखे की वजह से अकाल पड़ा और इस वर्ष अब की बार वर्षा से अच्छी फसल हुई है इसलिये किसान फिर अकाल ग्रस्त न हो जाय, उनके खाद्यान्न को सरकार नहीं खरीद सकती है तो, किसान के पास तो स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है इसलिये वह उसकी व्यवस्था करे उनके लिये 75 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था करे ताकि वह स्वयम् इसकी व्यवस्था कर सकें।

पक्के आधार पर नहीं किन्तु पैदावार जो हुई है उसके स्टोरेज के आधार पर राज्य सरकार जिम्मा लेगी कि उचित दाम उस पैदावार के दिलाने की दृष्टि से सरकार कदम उठाये खाद्य निगम की ओर से या दूसरी एजेन्सी हो जिसको वह उपयोग में लावे।

दूसरी बात पूछना चाहता हूं खाद्य निगम के विषय में। खाद्य मंत्रीजी को इस बात का अनुभव है कि हमारे जिले में गेहूं की खरीद हुई इस खरीद में किसान लुट गया और बीच के व्यापारी, सब नहीं, कुछ व्यापारी निहाल हो गये, बन गये, खाद्य निगम के अधिकारी बन गये। गेहूं व्यापारियों से खरीदा गया और किसान से नहीं। इस प्रकार की स्थिति राजस्थान में फिर न पैदा हो उसके लिये तुरन्त कदम उठावें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दौलतराम सारण!

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : उपाध्यक्षजी चार वर्ष से राजस्थान अकाल से पीड़ित था अधिक क्षेत्र में किसान अकाल से पीड़ित था और कुछ क्षेत्रों में किसान ओलावृष्टि और अधिक वर्षा से भी पीड़ित था। इस तरह से किसान अपनी कृषि की पैदावार से पिछले वर्षों में वंचित रहा है। इस वर्ष एक फसल हुई। किसान के ऊपर कई भार हैं। राज्य सरकार की तकावी, ऋण, बीज आदि की तकावी और अकाल में लिया हुआ कर्जा और घरेलू जरूरतों के कारण बोहरे का भी कर्जा है ऐसी स्थिति में किसान चार पांच वर्ष से काफी दबा हुआ है। अब उसकी काश्त आई है उसके खेत से निकलने के पहले ही भाव साधारण दर पर तय करके उसको खरीदी की जा रही है। बाजार में यह स्थिति आ रही है कि किसान के अनाज को लेने वाला कोई नहीं। ऐसी स्थिति आज पैदा हो गई है। राज्य सरकार की तरफ से खाद्य निगम को खरीदने के लिए कहा गया और न्यूनतम और उच्चतम भाव तय करने की बात कही गई। उच्चतम और न्यूनतम भावों पर खरीद का काम शुरू हुआ हो ऐसा मेरी जानकारी में तो नहीं है, कहीं हुआ हो और माननीय सदस्यों की जानकारी में हो। यह स्पष्ट है कि जब फसल खलिहान से निकल बाजार में आ रही है उसको चन्द लोगों के द्वारा सस्ती दरों पर खरीदी जा रही है। खाद्य निगम जब खरीदने आवेगा तो किसान के घरों में वह नहीं मिलेगी। बिचौलिया जो किसान के शोषक हैं उनके पास मिलेगी। खाद्य निगम और सरकार को वह मिलनी चाहिये वह व्यापारियों को मिलेगी। चन्द व्यापारियों को मिलेगी। सब को नहीं। पहले गेहूं की खरीद में जो किया गया और मोटे अनाज की खरीद में किया गया वही अब भी किया जा रहा है। देरी इसलिये की जा रही है योजनाबद्ध

(श्री दौलतराम सारण)
कोई लूट का तरीका है, कागजों को इधर उधर करके देरी की जा रही है। इसमें लाखों करोड़ों के घोटाले छिपे हुए हैं।

वास्तव में यदि आप किसान को लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो दो तीन बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक तो यह है कि व्यापारियों से निगम की खरीद न हो। इस पर पाबन्दी लगाई जाय। सीधी किसान से खरीद की जाय। व व्यापारियों से खरीद करते हैं तो इस प्रकार की पेनेल्टी और कोई तरीका कायम किया जाय जिससे व्यापारियों से खरीदी रुक जाय। सीधी किसान से अविलम्ब खरीदी की व्यवस्था की जाय निगम जब तक किसान से नहीं खरीद रहा है तब तक मार्केटिंग सोसाइटीज को अग्रिम देकर 75 पर्सेन्ट अग्रिम देकर खरीद की व्यवस्था करनी चाहिये। समय पर राज्य सरकार नहीं कर सकेगी तो किसान को कोई फायदा नहीं हो सकेगा आपकी व्यवस्था से।

भाव निर्धारण के मामले में पुनर्विचार करना चाहिये। किसान ने फसल बोने के समय 115 और 120 के भाव में बाजरा लिया। सवा रुपया डेढ़ रुपया किलो के भाव से लिया। मैं मेरे क्षेत्र की बात कहता हूं कि ऊंट का चारा पन्द्रह रुपया, 16 रुपया मन, बैलों को डालने के लिये भी यही भाव था। इतना मंहगा लेने के बाद भी उसका परिश्रम अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न अन्य माननीय सदस्यों ने उठा दिया है।

श्री दौलतराम सारण : उठा दिया होगा। इसको पुनरुक्ति दोष ही मान लें। बार बार उनको कहा जायगा तो वे ज्यादा ध्यान देंगे। इसलिये पुनरुक्ति दोष होते हुए भी कहने की धृष्टता करते हुए कहना चाहता हूं कि किसान के लागत मूल्य का किसान के हित की दृष्टि से विचार किया जाकर भावों का निर्धारण करें। विशेषज्ञ लोग जिस आधार पर मूल्य निकालते हैं वह सही नहीं है। प्रेक्टिकल आधार पर मूल्य निकालने चाहिये। न्यूनतम 55) और अधिकतम 70) रु. क्विन्टल होने चाहिये। यह रखते हैं तो किसान को फायदा हो सकता है। 45) रु. न्यूनतम मूल्य रखते हैं तो किसान को कोई फायदा नहीं हो सकता है। प्रचार के लिये आपके पास मौका हो जावेगा कि किसानको बचा लिया। इसके अलावा कोई फायदा किसानों को नहीं है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा इसमें शंका आशंकाओं का खतरा है इसके लिए सावधान कर देना चाहता हूं। व्यापारियों के साथ निगम की एजेन्सी मिलकर गड़बड़ घोटाला करने का षडयन्त्र करती है उस पर नियन्त्रण करने की चेष्टा करनी चाहिये। इन शब्दों के साथ अविलंब निर्णय लेकर मोटे अनाज की खरीद के लिये सहूलियत प्रदान की जाय और इसके मूल्य ठीक तरह से निर्धारित किये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : आमतौर पर इस तरह से चर्चा नहीं होती किन्तु यह महत्वपूर्ण विषय था इसलिए इस पर कुछ माननीय सदस्यों के सुझाव आये। आसन ने इस बात की इजाजत दी। यह आसन भी जानता है कि माननीय मंत्री महोदय भी

Page No 94

(श्री उपाध्यक्ष)
जानते हैं सभी सदस्यगण जानते हैं कि अनाज का भाव ठीक से निर्धारित किया जाय। इसके समर्थन में और ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। कोई नया सुझाव हो तो आप दे सकते हैं।

श्री विजयसिंह : मेरा सुझाव है।

श्री उपाध्यक्ष : अब तो नई बात बहुत कम बची होगी। नए सुझाव देने के लिए एक एक मिनिट का समय दे सकता हूं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं एक ही मिनट में कह दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप कहते एक मिनट का हैं लेकिन समाप्त करने में दस मिनट लगा देते हैं।

श्री बिरदाराम (जालौर) : मैं एक मिनिट में कहना चाहता हूं। सरकार को अनाज खरीद करने से पहले मकान का प्रबन्ध करना चाहिए। बाजरा, मक्का के वास्ते मकान का होना जरूरी है। काश्तकार जब अनाज लेकर मण्डी में आयगा तो उसको अपने अनाज तुलवाने के लिए एक-एक, दो-दो दिन वहां रहना पड़ेगा। इसके लिए सरकार को बन्दोबस्त करना पड़ेगा। आज किसान को बीज खरीदते समय तो बहुत मंहगा दिया जाता है जबकि उसकी पैदावार आती है उसको कम दामों में खरीदा जाता है। मकान का पहले बन्दोबस्त होना चाहिये। हमारे यहां जालौर में घोसियों के मकान का आवंटन किया गया लेकिन उनको दो साल हो गये किराया तक मिला नहीं, सौ रुपया किराया तय कर दिया था लेकिन नहीं मिला। मकान का बन्दोबस्त अनाज के वास्ते पहले होना चाहिये और अनाज का भाव बढ़ना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पृथ्वीसिंह !

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बारे में इतना ही अर्ज करना चाहता हूं एक प्रश्न के उत्तर में पहले मन्त्री महोदय ने फरमाया था जो सीड प्रोडक्शन की रेट्स हैं उस पर उन्होंने 400) रुपया प्रति क्विन्टल खर्च किया है। अगर उस हिसाब से कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन करेंगे आपने 400) रुपया पर जस्टिफाइड किया था और उसको आप 800) रुपया प्रति क्विण्टल के हिसाब से बेचेंगे इसको आपने बेचना जस्टिफाइड किया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं उसी सीड से पैदा किया हुआ अनाज का भाव आपने किस आधार पर 55) रुपया क्विन्टल तय किया है इसका असेसमेन्ट आपने किस आधार पर किया है। एक तरफ बीज का 400) रुपया क्विन्टल असेस किया जाता है तो उससे पैदा होने वाले अनाज का 55) रुपये किस आधार पर ? एक तो मेरा यह प्रश्न है।

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि आप 55) रुपया काश्तकारों को दिलाने की बात नहीं करें बल्कि उनको कम से कम 70) रुपया क्विन्टल दिलावें तभी उत्तम रहेगा और जस्टिफिकेशन इसी में नजर आयगा।

श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, भाव निकालने का तरीका क्या है वह यह है कि तमाम वस्तुयें

(श्री फूलचन्द बाफना)

पैदा होती हैं उसकी पड़त रेट निकाली जाती है। कारखाने में जो माल पैदा होता है उसका पूरा ब्यौरा तैयार करके पड़त रेट निकाली जाती है। यदि आप इसी आधार पर अनाज की उपज जो होती है उसमें कितनी मेहनत लगती है कितने मूल्य का बीज लगता है पानी किस तरह का लगता है उसी आधार पर इसका रेट का निर्धारण होना चाहिये। इस तरह से रेट निकालेंगे तो वह कम रेट नहीं होगी। मार्केटिंग को-ऑपरेटिव सोसाइटीज कृषि उपज मंडी आदि में इसकी पालना नहीं होती। दूसरी तरफ कन्जूमर इस बात की प्रतीक्षा में रहता है कि सस्ते दामों पर उसको अनाज मिले। इसलिये मेरा सुझाव है कि सबसीडाइज्ड रेट पर उसको मिलना चाहिये। गवर्नमेन्ट कोर्स सब्सिडी देकर उस घाटे को पूरा करना चाहिये ताकि कन्जूमर को सस्ता अनाज मिल सके।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों को जिस दिन बीज के लिए अनाज लेना पड़ा सौ रुपया और 120 रुपया प्रति क्विन्टल के हिसाब से लेना पड़ा। आज उसका अनाज चालीस और पैंतालीस रुपया क्विन्टल के हिसाब से बिक रहा है। मैं समाजवादी सरकार से कहना चाहता हूं कि बीज जिस भाव लिया गया है उसमें और काश्तकार के अनाज की खरीद में दस रुपये से ज्यादा भाव का फर्क नहीं होना चाहिये। काश्तकार को अपना अनाज बेचते हुए पैसा कम मिले और जब वह खरीदता है तो उसको महंगा मिले यह उचित नहीं है। सरकार खाली समाजवाद का प्रचार करती है इसकी इस प्रकार की समाजवाद की नीतियां चलने वाली नहीं है। काश्तकारों के साथ में यह सरकार हमेशा भेदभाव बरतती रही है। मेरा निवेदन है कि भाव बढ़ना चाहिये और जब वह खरीदे उसको भी ज्यादा ऊंचे भाव न लेना पड़े इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री बृद्धिचन्द्र जैन : ऐसा मुझे विदित होता है राज्य सरकार का सम्बन्ध जो खाद्य निगम से है वह कैसा सम्बन्ध है? क्या राज्य सरकार खाद्य निगम को जितना भी खरीदने को कहे वह खरीदवा सकती है। कहां कहां से वह प्रोक्योर करे इस बारे में डाइरेक्शन्स दे सकती है?

दूसरा मेरा प्रश्न है चालीस हजार टन का प्रोक्योरमेण्ट है क्या इसको अधिक बढ़ा सकती है?

श्री शंकरसिंह रावत : काश्तकारों की पैदावार के सम्बन्ध में जो कुछ होता है उसका कारण या तो सरकार यह समझती है कि काश्तकारों को आन्दोलन करना आता नहीं। कई वर्षों से जब पैदावार हुई है उसके बाद भी इस प्रकार से छीनाझपटी, उसका माल सस्ता खरीद कर मालदार बनने की प्रवृत्ति है वह खतरनाक है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन साधनों से वह पैदावार बढ़ाता है उनमें किस प्रकार से सस्तापन आये यह हमें देखना है। मेरा पहला सुझाव तो यह है कि उनके लिये खाद्य पैदावार बढ़ाने के साधन हैं वे सस्ते उपलब्ध कराये जायं। एक तरफ उससे 55 रुपये में अनाज खरीदना चाहे और उसके काम आने वाले साधनों को सस्ता न करे यह उचित नहीं

(श्री शंकरसिंह रावत)

है। खाद-बीज उनको सस्ता मिले इस प्रकार का प्रबन्ध होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करोल।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न ही पूछें।

श्री नाथूलाल करोल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सब ने मोटे अनाज की बात यहां पर की है लेकिन ग्वार के लिये किसी ने भी नहीं कहा है। आखिर ग्वार की बात आपने क्यों नहीं की ? क्या भाव है ? इसका क्या भाव है आपको मालूम है ? क्या काश्तकारों की पैदावार नहीं है ? परन्तु किसी ने भी इसके लिये नहीं कहा है ? आज इसकी निकासी बन्द है और ग्वार का भाव डाउन है।

दूसरा मेरा सुझाव यह है कि जो बदले की चीजें हैं वे काश्तकारों को कितनी सस्ती मिलनी चाहिये, उतनी ही सस्ती मिलनी चाहिये कि जितने में उनका गल्ला खरीदा जाता है और बदले से जो फर्टीलाइजर है....

श्री उपाध्यक्ष : यह सब जानते हैं।

श्री नाथूलाल करोल : यह निवेदन मेरा है मन्त्री महोदय से कि काश्तकारों के लिये समय पर उनको फर्टीलाइजर और लाइट डीजल उपलब्ध कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठलप्रसाद।

श्री विट्ठलप्रसाद शर्मा (अकलेरा) : इसके लिये जो मंडिया कायम की हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि इसकी ओर भी वे ध्यान दें। हमारे क्षेत्र में एक भी मण्डी नहीं है जो क्षेत्र मक्का, ज्वार आदि के लिये ज्वार मशहूर है और इसकी ज्यादा पैदावार उसी क्षेत्र में होती है। कोटा जिले के अन्दर रामगंज मन्डी में एक मंडी आपने कायम की है। क्या आप सोच सकते हैं पिड़ावा और दूसरे क्षेत्र के लोग वहां जाकर अपना अनाज बेच सकते हैं ? क्या एक आदमी वहां जाकर अपना अनाज तुला सकता है ? इसलिये मेरा निवेदन है कि झालावाड़ जिले में पाटन कस्बे में इस प्रकार की एक और मण्डी कायम करना चाहिये।

श्री मदनसिंह : या अनाज के लाने की?

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : उपाध्यक्ष जी भावों के सम्बन्ध में जो विचार यहां पर प्रकट हुए हैं उनका समर्थन करता हुआ मैं यह जानकारी करना चाहूंगा आपके माध्यम से मन्त्रीजी से कि आपने जो फूड कॉर्पोरेशन के माध्यम से केवल 40,000 टन तक खरीदने का जो लक्ष्य रखा है, या बनाया है उसका आधार क्या है ? जब कि राजस्थान के अन्दर आपका एस्टीमेटेड प्रोडक्शन 24 लाख 50 हजार है तो केवल 40 हजार टन का ही आप प्रोक्योरमेंट करेंगे इसके पीछे तर्क क्या है ? इससे सारी शंकाए पैदा की जा रही हैं और वह यह है कि एक ओर किसान अपना माल बेचकर अच्छा पैसा वसूल करे और दूसरी ओर जो माल बाजार में आये और फसल के बाद भाव बढ़ने शुरू हो जाते हैं तो

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई मंहगाई का शिकार होना पड़ता है जिसका कि पैसा किसान के पास नहीं जाता है और उपभोक्ताओं को बीच में पिसना पड़ता है। इस बीच में प्रोडक्शन का जो बफर स्टॉक आपने कर रखा है उसको जब बाजार में सप्लाई करेंगे तो क्या उस बफर स्टॉक से बाजार के भाव स्थिर हो सकेंगे और मंहगाई का पंजा कम कर सकते हैं? तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की जन संख्या जो अधिकांश रूप में मोटे अनाज पर ही आश्रित है, उसकी जन संख्या को ध्यान में रख कर क्या यह अनाज इतनी पर्याप्त मात्रा में है कि वह बाजार भावों को बैलेन्स कर सकेगा ? यह किस आधार पर आपने तय किया है ?

श्री उपाध्यक्ष: मन्त्री महोदय।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री उपाध्यक्ष : आपके वहां अनाज कहां पैदा होता है ?

श्री बालसिंह सोढा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इतने भयंकर अकाल के बाद वर्षा हुई है और अनाज पैदा हुआ है। अकाल के समय आपने साढ़े बारह रुपया प्रति माह का भत्ता अकालग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को दिया था और उस वक्त वहां पर मक्का 80 रुपये क्विन्टल उपलब्ध उन लोगों को कराई थी। 111/2 में से 6/11 रुपया ऋण का है और 55 का भाव तय करके उसकी वसूली करना चाहते हैं तो क्या यह शोषण नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा (खाद्यान्न मन्त्री): माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन के माननीय सदस्यों ने प्रोक्योरमेंट की प्राइस के सम्बन्ध में सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य ने गत तीन नवम्बर को जो बात यहां पर, इस सदन में रखी थी उससे उत्पन्न मुद्दों पर अपने विचार प्रकट किये हैं। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यहां पर सरकार ने यह दावा नहीं किया है कि वह फूड ग्रेन का स्टेट ट्रेडिंग करना चाहती है। इसलिये यहां समाजवाद की बात नहीं कह सकता हूं। समाजवाद तो तब आयेगा जब पूरे अनाज का व्यापार राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेगी। सदन में इस बात का वक्तव्य दिया था कि राजस्थान में फूड ग्रेन का स्टेट ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता है। राज्य की वित्तीय स्थिति इसको नहीं करने देती है।

उपाध्यक्ष जी, यहां पर माननीय सदस्यों ने कई मुद्दों को उठाया है, प्रोक्योरमेंट के प्राइस के सम्बन्ध में और और कई बातें कही हैं: उनकी जो आशंका है कि खरीफ की जो लिमिटेड क्रय हो रही है उसकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। एक मुख्य बात यह भी कही गई है कि अब तक राजस्थान में क.ों पर भी खाद्य निगम ने खरीद शुरू नहीं की है। उनका यह कहना स.ी नहीं है। जो टिप्पणी मैंने माननीय सदस्यों को वितरित की है उसमें 33 स्थानों पर 25 हजार और कुछ क्विन्टल, जो टारगेट है 40 हजार टन का उसमें से 25 हजार तक, मैंने अपनी टिप्पणी में यह आंकड़ा दिया है कि 25303 क्विन्टल अनाज आज तक

(श्री परसराम मदेरणा)

33 सेन्टर्स पर क्रय केन्द्रों के द्वारा खरीदा जा चुका है। इसके बाद में आज जो मेरे पास में फीगर हैं वह है 26240 क्विन्टल। आज 17 तारीख की शाम तक एफ.सी. आई. के 37 सेन्टर्स पर खरीदा जा चुका है। इसलिये माननीय सदस्यों को यह जानकारी देना चाहता हूं। और मैंने अपनी टिप्पणी में भी इस बात का जिक्र किया है और उसमें क्रय केन्द्रों की सूची भी दी है वह संख्या 87 की है, और इसमें हमको कल, जो सूचना मिली है उसके आधार पर 13 और केन्द्र स्थापित किये गये हैं और अब पर्चेज सेन्टर्स की संख्या 100 है और इन 100 केन्द्रों के ऊपर एफ. सी. आई. ने प्रोक्योरमेंट रेट्स के ऊपर अनाज खरीदना शुरू कर दिया है...

श्री दौलतराम सारण : चूरू में कितना खरीदा है ?

श्री देवीदत्त गाड़िया : बारां में कितना खरीदा है ? यह राजस्थान की सबसे बड़ी मण्डी है।

श्री परसराम मदेरणा : सब से अन्त में बताऊँगा। कितना खरीदा है यह भी बता दूँगा। परन्तु आपको अभी यह कह देता हूँ कि बारां में पर्चेजेज शुरू हो गई हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब ?

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, इस सदन में मुख्य प्रश्न सांचोर को लेकर उठा था और इस बात पर उठा था कि सांचोर में हमेशा मोटे अनाज की प्राईसेज गिर जाती हैं इसलिये वहां पर पर्चेजेज शुरू की जानी चाहिये। इसके साथ ही कई बातें कहीं और खासतौर से यह बात कही गई कि जो भाव निर्धारित किये गये हैं वे बहुत ही कम हैं जो पर्चेजेज हों वे सीधी होनी चाहिये किसानों से और बिचौलियों से नहीं होनी चाहिये। बिचौलियों के सम्बन्ध में इस बात के इन्स्ट्रक्शन्स दिये गये हैं कि व्यापारी से अनाज नहीं खरीदा जाय। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह मांग की थी। पहले जो खरीद हुई थी उसके अन्दर कुछ घोटाला हुआ था। इस सम्बन्ध में शिकायतें थीं माननीय सदस्यों की ओर वे इसलिये थीं कि उन्होंने प्रिजम्शन के आधार पर, उसी बेसिस पर अनाज लिया था, उससे खरीदते थे। इस साल इस बात का विशेषतौर से ध्यान रखा गया है कि अनाज काश्तकारों से ही सीधा खरीदा जाये और बनियों से नहीं खरीदा जाये।

एक माननीय सदस्य : प्रोक्योरमेंट की प्राइस कम है।

श्री परसराम मदेरणा : आ रहा हूँ। बहुत से माननीय सदस्यों ने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मुद्दा उठाया है। मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूँ कि प्रोक्योरमेंट प्राइस में किसी भी प्रकार का रद्दोबदल करना यह राज्य सरकार के बूते की बात नहीं है। यह जो प्रोक्योरमेंट प्राइस निर्धारित की गई है यह भारत सरकार ने की है और भारत सरकार ने भी इसके लिये एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाई है जिसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन प्राइस कमीशन कहते हैं....

श्री दौलतराम सारण : इसमें कोई खेतीहर था क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दौलतराम जी, ऑर्डर प्लीज...

श्री परसराम मदेरणा : खेती करने वाले थे या नहीं थे लेकिन तीन आदमियों की एक कमेटी थी जिसके डॉ राव चेयरमैन थे। मैं यह निवेदन कर रहा था कि यह बात ठीक है। बहुत मंहगे भावों पर काश्तकार ने बीज लिया है। जालौर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा लास्ट ईयर जो चारे के भाव थे वे आज अनाज के भाव हो गये। लेकिन आज मैं यह भी बताना चाहता हूं कि चारे को कोई लेने वाला नहीं है। उस वक्त 30 रुपये क्विन्टल खाखला बिक गया था लेकिन आज एक रुपये किलो में डिस्ट्रिक्ट में लेने वाला नहीं है। आज खेतों में हजारों मन सेवन घास खड़ी है। मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप पिछले साल से इस साल को कम्पेयर नहीं करें। पिछले साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परिस्थितियां थीं और इस साल की परिस्थितियां और हैं। इस साल भावों में गिरावट आई है....

श्री देवीदत्त गाड़िया : कपड़े के भाव गिरे क्या ?

श्री उपाध्यक्ष : कृपया स्थान...
करें।

श्री ...

बारे में कही थी वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस थी। आज जो 55 के नीचे के भाव हैं वह दो तरह की केटेगरी के हैं—दो ग्रेड के हैं। फर्स्ट ग्रेड के भावों में डेढ़ रुपये की कमी आई है और सेकेन्ड ग्रेड में तीन रुपये कम हो जावेंगे—55 से।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यही तो रुलाने की बात है।

श्री परसराम मदेरणा : यह नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : कौनसी है, वह बता दीजिये।

एक माननीय सदस्य : रिश्वत खिलाने की बात रखी है...

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपने जो कम किया है डेढ़ रुपया वह

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : ...

श्री परसराम मदेरणा : दूसरे राजस्थान में इस प्रकार की स्थिति है कि फेयर क्वालिटी माल है—फर्स्ट ग्रेड बिलो है और सेकन्ड ग्रेड बिलो माल है इसमें काला पड़ गया है दाना, और जो डिसक्वालिफाइड हो गया है उसको दो पर्सेन्ट मानते हैं, और जो फर्स्ट ग्रेड बिलो है उसमें काला दाना पड़ गया है तो उसमें तीन पर्सेन्ट की कटौती मानते हैं। अगर 100 के पीछे 5 दाने हैं तो उसको रिजेक्ट करेंगे ···

श्री रघुनाथ विश्नोई : इस तरह तो वे एक किलो ही दाना नहीं खरीदेंगे।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय आफिट काली हो तो वह क्या करें।

श्री परसराम मदेरणा : बरसात होने की वजह से रंग बदल गया, ब्लेक हो गया लेकिन उसके टेस्ट में फरक नहीं है···

श्री दौलतराम सारण : टेस्ट बढ़ा है।

श्री परसराम मदेरणा : आटे की लोच

हमारे यहां के स्टेट मिनिस्टर फार होम हैं उनको भी चिट्ठी लिखी है और एक दो रोज में मुख्य मंत्री जी, वहां से यदि कोई सूचना नहीं आई तो, भारत सरकार के फूडमिनिस्टर को लिखेंगे और इस सैशन के समाप्त होने के बाद मैं दिल्ली भी जाऊंगा। यह जो राज्य सरकार का चिन्ता का विषय है वह यह है। इस पर भारत सरकार और एफ. सी. आई. वाले कह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन भारत सरकार ने निर्धारित किये हैं। तो हम उसमें रद्दोबदल नहीं कर सकते हैं इसलिये हम भारत सरकार से परामर्श कर रहे हैं, हम उसमें जल्दी से जल्दी रद्दोबदल करवाना चाहेंगे।

रहा सवाल सांचौर से आने वाले माननीय सदस्य का। मेरे पास इत्तला आ गई है कि आपके यहां इन्स्पेक्टर पहुंच गया है। इस साल अधिकतम···

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री रघुनाथ विश्नोई : आज क्या है ?

[illegible] परसराम मदेरणा : आज आपके [illegible] रहा है ···

[illegible] माननीय मंत्री

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : वह यह है कि जैसा कि माननीय मंत्री जी ने फरमाया....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, माननीय सदस्य ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वैसी बात कह रहा हूं जैसी माननीय मंत्री जी कह रहे हैं ।

श्री परसराम मदेरणा : मैं बीच में जवाब नहीं दे सकूंगा इसलिए मुझे डिस्टर्ब नहीं करें । आपके यहां 15 तारीख को 13 क्विन्टल था और 16, 17 को अराइवल बढ़ी है । यह तो एफ. सी. आई. का टेलीग्राम है उसके आधार पर कह रहा हूं । कल मैंने कलेक्टर से बात की, सुबह भी बात की और शाम को भी बात की । उन्होंने बताया सांचौर में अराइवल बढ़ गई है । 16 तारीख को 174 क्विन्टल और 17 तारीख को अराइवल 227 क्विन्टल लेकिन क्वालिटी इन्स्पेक्टर यह कह रहा है बिलो स्पेसिफिकेशन है, यह काला है । इसलिये समस्या काले अनाज के खरीदने की है न कि पर्चेजिंग की । आपके यहां क्वालिटी इन्सपेक्टर पहुंच गया है लेकिन वह कहता है एवरेज क्वालिटी से बिलो फर्स्ट और सैकिन्ड है तो भी आप देखेंगे राजस्थान में जैसी इस साल फसल हुई है, मैं तो यह सोचता था मिनिमम प्राइस सपोर्ट न आ जाये । आज जयपुर के बाजार में 60 रु० क्विन्टल मोटा अनाज बिक रहा है दूसरे मार्केट्स में भी आप देखेंगे 50 रु० से लेकर 75 रु० तक के भावों पर बिक रहा है । इस तरह अलग अलग मंडियों में ...लग अलग भावों पर मोटा अनाज बिक ...है । गंगानगर में 75 रु० क्विन्टल ...ल रहा है । अलग अलग दरें, अलग अलग मंडियों में हैं । आप जानते हैं अनाज के भावों का बेलेन्स निर्धारित होना कई बातों पर निर्भर करता है मनी मार्केट टाइट है या नहीं, डिमाण्ड एण्ड सप्लाई बाजार में ठीक फंक्शन कर रही है या नहीं हमारे यहां से मोटा अनाज बाहर एक्सपोर्ट होता है या नहीं, हमारे यहां का मोटा अनाज जैसा कि मुझे फूड डिपार्टमेन्ट के ऑफिसर्स ने बताया गुजरात, महाराष्ट्र को जा रहा है इसलिए भावों में स्थिरता रही है सरकार ने भी मंडियों में खरीदना शुरू कर दिया है । हमने करीब 100 जगह क्वालिटी इन्स्पेक्टर मुकर्रर कर दिये हैं और हमने सभी को इस बात के निर्देश दिये हैं कि दिन भर मंडियों में घूमते रहें, कठिन परिश्रम से काम करें ऐसा न हो कि कहीं काश्तकार का शोषण हो रहा हो । अगर कहीं गड़बड़ी पाई जाती है तो फूड डिपार्टमेंट को उसकी सूचना तुरन्त देनी चाहिये । हमने इस तरह के सरक्यूलर्स इश्यू कर दिये हैं ।

अब माननीय सदस्य ने बारटर सिस्टम पर और एक दो माननीय सदस्य ने हाईपोथेकेट की बात कही और सब्सीडाइजिंग की बात भी कही है । राज्य सरकार इस प्रकार का कोई फैसला नहीं कर सकती कि जो लैण्ड रेवेन्यू है उसके अगेन्स्ट में हम अनाज लें । अनाज कई तरह का ले सकते हैं । हमारे पास में मशीनरी नहीं है और उस मशीनरी के साथ ही साथ इतना ज्यादा स्टाक करने की हमारी पोजीशन नहीं है । हमारा टारगेट 40 हजार टन की खरीद का रखा है और यह टारगेट हमारा भारत सरकार ने रखा है । हमने भारत सरकार से निवेदन कर दिया है कि यह टारगेट हमारे लिए कम है इसलिए यह टारगेट 1 लाख

(श्री परसराम मदेरणा)

टन का होना चाहिये और इस एक लाख टन के हिसाब से मैं समझता हूं कि भारत सरकार से जो बरवल बातचीत हुई है वहां के सेक्रेटरी और हमारे सेक्रेटरी के बीच में वह हमारे टारगेट को बढ़ाने के लिए तैयार हैं, और इस प्रकार की भारत सरकार के निर्णय की सूचना जल्दी ही प्राप्त हो जायेगी। इसलिए न तो हम काइन्ड में ले सकते हैं और न हमारी स्टोरिंग की इतनी बड़ी केपेसिटी है।

दूसरा सजेशन भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दिया कि पूरे के पूरे अनाज को हाईपोथेकेट कर दिया जाये और काश्तकारों को ऋण दे दिया जाये। तो इस प्रकार की न तो हमारी पोजीशन है और न हमारी स्टोरेज केपेसिटी है। आप मोटा अनाज जिसको कहते हैं कि जल्दी ही इविल हो जाता है, जल्दी ही खराब हो जाता है और एक के बाद दूसरी फसल ऐसी ही होती गई तो मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को करोड़ों रुपयों का घाटा हो जायेगा।

श्री नत्थीसिंह : किसान बरबाद हो जायेंगे जो ?

श्री परसराम मदेरणा : इसके लिए मुख्य मंत्री जी ने काफी कह दिया था इसलिए मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, बारां मण्डी का सवाल है ...

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री देवीदत्त गाड़िया : सरकार अनाज नहीं खरीद सकती तो किसान किस के भरोसे पर रहेंगे ?

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं। क्या यह सही है कि राजस्थान की विभिन्न मंडियों, छबड़ा, छीपाबड़ोद, बारां, अन्ता और मांगरोल और कोटा-इनमें कई, मंडियां ऐसी हैं कि जहां इनके क्वालिटी इन्स्पेक्टर्स एफ. सी. आई. की तरफ से तो जा चुके हैं लेकिन विभिन्न मन्डियों को जो खर्चे की दरें हैं वह अलग अलग तरह की हैं-कहीं तो हमारी ज्यादा हैं और कहीं और बात है। उसकी वजह से इनको पर्चेजिंग के लिए एजेन्ट्स नहीं मिले हैं और इसलिए आज उन मण्डियों में पर्चेजेज नहीं हो रही हैं और वहां के काश्तकारों का शोषण हो रहा है, क्या सही है ?

इसके साथ ही साथ...

श्री उपाध्यक्ष : इस तरह से यह चर्चा कभी समाप्त ही नहीं होने वाली है। (श्री प्रेमसिंह सिंघवी के बोलने पर) ऑर्डर प्लीज मंत्री महोदय ने सुन लिया।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री महोदय मेरे पहले वाले प्रश्न के साथ ही जवाब दे देंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह कोई डिबेट का तरीका नहीं है। मंत्री महोदय बोल रहे हैं और आप बीच में ही बोल रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री महोद[illegible] सुन रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। क्य[illegible] सही है।

Page No 103

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज, यह प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मंत्री महोदय तो सुनने को तैयार हैं

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय तैयार हैं लेकिन मैं सुनने के लिये तैयार नहीं हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो आपकी मर्जी आये जो करो।

श्री परसराम मदेरणा : जहां तक छबड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि जो भी मण्डियां निर्धारित की हैं मुझे ऐसा बताया गया है कि सभी जगह उन्होंने अपने पर्चेजिंग एजेन्टस मुकर्रर कर दिये हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : अभी नहीं हुए।

श्री परसराम मदेरणा : मेरे पास लिस्ट है और मैं चाहता था कि लिस्ट को यहां पढ़ूं लेकिन समय नहीं है। 13 मंडियों का तो नहीं कह सकता कि अभी जो पर्चेजिंग सेन्टर मुकर्रर किये हैं, उनमें भी कर दिया है लेकिन मुझे बताया गया है कि सभी मण्डियों में क्वालिटी इन्स्पेक्टर का पोस्टिंग कर दिया गया है। मैं नहीं कह सकता कि वे सभी जगह पहुंच गये हैं। एजेन्ट्स मुकर्रर नहीं किये गये हैं यह कहा गया है लेकिन मुझे लिस्ट दी है और नाम दिये हैं। जो 87 मंडियां पहले मुकर्रर हो गयी थीं और सभी मंडियों में मुकर्रर कर दिये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया। मैं तो माननीय खाद्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि राजस्थान में मोटे अनाज की कितनी खपत है और—

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होगी। यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था और मंत्री महोदय के ध्यान में बात आ जानी चाहिये थी सो आ चुकी है। चर्चा समाप्त हुई।

श्री देवीदत्त गाड़िया: दूसरा प्रश्न यह है कि जो भाव अभी है वही भाव साल भर तक रहेंगे यह मन्त्री महोदय गारन्टी दे दें।

श्री बालसिंह सोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है···

श्री उपाध्यक्ष: सभी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया: आप तो यह बता दें कि मोटे अनाज की राजस्थान में खपत कितनी है और साल भर तक यही भाव रहेंगे और बढ़ेंगे नहीं तो इसकी गारन्टी दें ताकि किसानों का शोषण नहीं हो।

श्री डूंगाराम राजोरिया: यही भाव रहेंगे इसके बारे में मंत्री महोदय ने कुछ नहीं कहा।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

(श्री डूंगाराम एवं देवीदत्त गाड़िया के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य। कोई उत्तर नहीं दिया जायेगा। कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री डूंगाराम राजोरिया: अभी मंत्री महोदय ने····

श्री उपाध्यक्ष : मन्त्री महोदय, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे, माननीय सदस्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया: यह तो इम्पार्टेन्ट है। क्या यह भाव जो इस समय हैं साल भर तक यही के यही भाव रहेंगे इसके बारे में उत्तर नहीं दिया।

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर प्लीज। विधायी कार्य।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है…

श्री डूंगाराम राजोरिया: उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्न का उत्तर तो दिया जावे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य मैंने निवेदन कर दिया कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव था उस पर और चर्चा नहीं हो सकती।

श्री डूंगाराम राजोरिया: इस तरह का उत्तर दिया गया है कि जिससे सन्तोष नहीं हो सका।

श्री उपाध्यक्ष: पहले स्थान ग्रहण करें।

श्री रामकिशन: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पंचायत मन्त्री जी ने आज से दो तीन दिन पहले आश्वासन दिया था कि 19 तारीख को पंचायतों के चुनाव कब हो रहे हैं इस सम्बन्ध में वे स्थान देंगे। आज 19 तारीख है और पंचायत विधेयक नहीं आ रहा है इसलिए इस सम्बन्ध में स्थिति को स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष: पंचायत विभाग से रखा हुआ है।

श्री नत्थीसिंह: बताया गया है कि आज नहीं आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: मेरी सूची में रखा हुआ है। विधायी कार्य।

श्री डूंगाराम राजोरिया: खाद्य मन्त्री जी उत्तर दे रहे हैं आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे सख्त ऐतराज है इसलिए निवेदन कर रहा हूं। विधायी कार्य-गृह मन्त्री जी।

राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 पर विचार

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 को विचारार्थ लिया जावे।

श्री भैरोंसिह: (किशनपोल बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, जो विधेयक माननीय गृह मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में कल माननीय मुख्य मन्त्री जी ने विधेयक प्रस्तुत करने के कारणों का एक छोटा सा विश्लेषण दिया था। उस विश्लेषण में उन्होंने सरकारी पक्ष तो रखा लेकिन…

श्री यशवंतसिंह नाहर (बलेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक पॉइन्ट ऑफ आर्डर है। जो आपका शिड्यूल्ड कार्यक्रम है उसमें आपका कहीं नाम नहीं है। पहले संशोधन होगा, प्रवर समिति का प्रस्ताव प्रस्तुत होगा या कोई ऐसी चीज हो जिस पर आप बोलना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिह: मैं पार्टी की तरफ से बोल रहा हूं मेरी पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोला है। देवीदत्तजी गाड़िया का प्रस्ताव था।

श्री उपाध्यक्ष: पहले जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं उनको अवसर दिया जाय।

श्री देवीदत्त गाड़िया। मेरे बजाय भैरोंसिंह जी को बोलने दिया जाय।

श्री भैरोंसिंह: मैं समझता हूं, नाहर साहब को आपत्ति नहीं है। पॉइंट आफ आर्डर रेज करने की तो उनकी आदत हो गई है। बाकी वैसे कोई बात नहीं है। आप पूछ लें।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत तो पहले किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी तो इस सम्बन्ध में विचार कर लूं।

एक माननीय सदस्य : वह प्रस्ताव है कि प्रवर समिति को भेजा जाय।

श्री भैरोंसिंह: उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ ऑर्डर। मै एक पाइंट ऑफ ऑर्डर सदा के लिए प्रस्तुत करना चाहता हूं। कई प्रश्न तो इस तरह के आते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाय या पब्लिक ओपीनियन के लिए भेजा जाय। जो मेम्बर इस प्रकार के मोशन नहीं देते हैं उनके लिए आज व्यवस्था नहीं है। जो आउट राइट रिजेक्ट करने की मांग करें उन व्यक्तियों को जो न यह चाहते हैं कि सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाय, न यह चाहते हैं कि पब्लिक ओपीनियन इलिसिट करने के लिए सर्क्यूलेट किया जाय, बल्कि जिनकी इच्छा यह है कि पूरे के पूरे को आउट राइट रिजेक्ट किया जाय…

श्री रामानन्द अग्रवाल : कन्सीडरेशन के लिए नहीं आया है।

श्री भैरोंसिंह : आउट राइट रिजेक्ट करने वाले को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा : उसका रूल्स में नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : प्रेसीडेन्स इस तरह के हैं।

एक माननीय सदस्य : अस्वीकार का तो कल हो चुका है।

श्री भैरोंसिंह : ऑर्डिनेन्स को अस्वीकार करने का प्रश्न कल था और अब बिल को अस्वीकार करने का प्रश्न है। मुझे आपत्ति नहीं है। समय दें तो बोलने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : समय देने में आपत्ति नहीं है। पहले प्रस्ताव आ जाय और वे माननीय सदस्य मूव कर दें उसके पश्चात् आपको अवसर दे देंगे।

श्री देवीदत्त गाड़िया उपाध्यक्ष महोदय····

श्री उपाध्यक्ष : गाड़िया जी के स्थान पर आप बोलेंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं मूव कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष : मूलचन्द जी डागा मूव कर दें उसके बाद में आप बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : नम्बर मेरा है पहले। मैं मूव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मूव कर दें। फिर इन को बोलने में सुविधा हो जाएगी।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मैं सारे को ही मूव कर देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये:—

(1) श्री देवीदत्त गाड़िया (वि. सं. 52)
(2) श्री मूलचन्द डागा (वि. सं. 113)
(3) श्री केसरी सिंह हाड़ा (वि. सं. 21)
(4) श्री शिवनाथसिंह (वि. सं. 158)
(5) श्री वृद्धिचन्द्र जैन (वि. सं. 86)
(6) श्री रामचन्द्र आर्य (वि. सं. 130)
(7) श्री हरजीराम बुरड़क (वि. सं. 174)
(8) श्री राजवी श्री रूपसिंह (वि. सं. 140)
(9) श्री हरिवल्लभ शर्मा (वि. सं. 179)
(10) श्री प्रेमसिंह सिंघवी (वि. सं. 78)
(11) श्री कृष्णकुमार गोयल (वि. सं. 17)

ने क्रमश: प्रस्ताव किया कि:—

1. "राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 को तीन माह/एक माह/दो माह/तीन माह/चार माह/तीन माह/छः माह/तीन माह/एक माह के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

(1) श्री लाभचन्द वैद (वि. सं. 147)
(2) श्री पृथ्वीसिंह चौहान (वि. सं. 75)

ने क्रमश: प्रस्ताव किया कि:—

2. "राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह/एक माह में प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"

3. श्री यशवन्तसिंह नाहर (वि. सं. 120) ने प्रस्ताव किया कि:—

"राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जायेगी)।"

श्री उपाध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा भी यह मूव किया हुआ प्रस्ताव है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पहले मेरा है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। प्रस्ताव प्रस्तुत हो गया है। उसके बाद सदन का कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है।

श्री मूलचन्द डागा : एक प्रश्न उठाना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के अन्दर या तो समय निर्धारित किया जाये बोलने के लिए नहीं तो यह होता है कि

(श्री मूलचन्द डागा)
10-5-20 मिनिट लोगों को मिलते हैं और कुछ लोग हाउस को डोमीनेट करते और घन्टों तक बोलते रहते हैं और कुछ लोग जो बोलना चाहते हैं उनको 10 मिनिट भी नहीं मिलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं ऐसा नहीं है। जो बोलते हैं उनको अवसर देने की बात है।

श्री मूलचन्द डागा : यह सवाल नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री विजयसिंह : वे ही बोल सकते हैं जिनमें दम होता है।

श्री मूलचन्द डागा : आप में दम है मानते हैं। बीच बीच में बोलने का दम है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आप में है बोलने का दम।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, कल यह व्यवस्था दी थी अध्यक्ष महोदय ने कि पार्टियों को समय एलॉर्ट किया जाये, जनसंघ पार्टी इतना समय लेगी स्वतंत्र पार्टी इतना समय लेगी, कांग्रेस पाट इतना लेगी, या फिर बोलने वालों का समय निर्धारित किया जाय। नियमों में भी यह व्यवस्था है। अब साढ़े तीन बज चुके हैं और डेढ़ घन्टा बाकी है कार्यवाही के समाप्त होने में तथा और भी बिजिनेस है। अगर बोलना चाहते हैं तो समय निर्धारित किया जाय। हम लोग जो बोलना चाहते हैं वे उससे वंचित रह जाते हैं और इसका नतीजा यह होता है कि बोलने की गरज से जो ज्यादा इन्टरफियर करते हैं या ज्यादा आपत्ति उठाते हैं वे ज्यादा बोल जाते हैं ...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : इसमें क्या व्यवस्था की बात है ?

श्री मूलचन्द डागा : समय निर्धारित नहीं होता है तो उस स्थिति में सभी माननीय सदस्य जितना समय लेना चाहते हैं उतना ले लेते हैं उसमें मैं समझता हूं समय का कन्ट्रोल होता नहीं है। एक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े होते हैं और एक घन्टे तक बोलते रहते हैं और दूसरो के लिए 10-10 मिनट का समय नहीं बचता है। तो आज समय को निर्धारित कर दें कि 10, 15 या 20 मिनिट में माननीय सदस्य ध्यान आकर्षित कर दें, लेकिन यह नहीं होना चाहिए कि किन्हीं को तो ज्यादा बोलने देते हैं और किन्हीं को कम बोलने देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसी स्थिति मैंने नहीं देखी है। श्री भैरोंसिंह।

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने निवेदन किया था कल कि इस विधेयक को पुरः स्थापित करने के कारणों के सम्बन्ध में कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने विश्लेषण करते हुए सरकारी पक्ष को रखा है। मैं समझता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार का विश्लेषण किया है वह वास्तविकता से परे है। इस सदन को जानकारी होगी कि सन् 1969 में राजस्थान सरकार के कर्मचारियों ने इस विधान सभा के समक्ष कई दिनों तक लगातार प्रदर्शन किया था, भूख हड़ताल की थी और धरना दिया था। विधान सभा अन्तिम दिनों में सरकारी कर्मचारियों और राज्य सरकार के बीच उनकी मांगों के सम्बन्ध में वार्ता करने के लिए निर्णय हुआ, और जहां तक मेरी

(श्री मंरोंसिह)

जानकारी है 22 अगस्त, 1969 को राजस्थान सरकार के कर्मचारी तथा राज्य सरकार के मंत्री मण्डल के कुछ सदस्यों के बीच में वार्ता हुई। उस वार्ता में कई मुद्दों पर निर्णय लिये गये, लेकिन कुछ मुद्दे इस प्रकार के थे कि उन मुद्दों के बारे में तत्काल राज्य सरकार कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती थी। इसलिए राज्य सरकार ने इस बात के लिए समय मांगा कि इन सारे पहलुओं पर फाइनेन्शियल बर्डन राज्य सरकार पर कितना आता है इस प्रश्न के आधार पर विचार करेंगे और विचार करने के बाद ही इन पर निर्णय लिया जायेगा। मैं भी उस मीटिंग में उपस्थित था, और इस कारण उस बैठक में जो कार्यवाही हुई उस कार्यवाही का विवरण भी मुझे प्राप्त हुआ, और साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को भी इस प्रकार का विवरण उपलब्ध कराया गया। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस समय की मीटिंग की प्रोसीडिंग्स को सही तरीके से रिकार्ड नहीं किया गया। लेकिन जब मिनिट्स के प्रश्न को लेकर कुछ वाद-विवाद चला तो न तो सरकारी कर्मचारी सरकार से उलझना चाहते थे और न मैंने स्वयं ने यह उचित समझा। लेकिन एक प्रश्न सामने आकर खड़ा हुआ कि सरकारी कर्मचारियों से बातचीत का माध्यम किस प्रकार से निर्धारित किया जाये? सरकारी कर्मचारियों की समस्याएं आये दिन सरकार के सामने आती हैं। सरकार उनकी समस्याओं को विचार सके और आश्वासन दे सके कि किस समय तक पूरा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सरकार की असमर्थता को देखते हुए कोई इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाये जिस प्रकार की व्यवस्था के आधार पर सरकारी कर्मचारियों में विश्वास हो सके कि सरकारी प्रतिनिधि सरकार के पक्ष को सही तरीके से रखते हैं। राज्य सरकार ने उसके बाद में कन्सलटेटिव कमेटी—इस प्रकार की एक समिति भी बनाई। मुझे याद है कि इस कन्सलटेटिव कमेटी के सामने सरकारी कर्मचारियों ने अपने सवालों को रखा। अपनी बातों को रखने के बाद वहां पर यह प्रश्न खड़ा हुआ कि जिन मुद्दों को राजस्थान मंत्रिमण्डल ने अस्वीकार करने का निर्णय ले लिया उन सारे प्रश्नों पर कन्सलटेटिव कमेटी किसी प्रकार से विचार नहीं कर सकती है। यह प्रश्न था जिसकी पृष्ठभूमि को लेकर राजस्थान राज्य कर्मचारी महासंघ ने इस प्रकार से आन्दोलन करने का निर्णय लिया।

तो पहले यह प्रश्न आता है कि यह स्थिति किस प्रकार से बनी? उसके लिए यह स्पष्ट है मैं समझता हूं कि राज्य सरकार यह स्वीकार करके चलती थी कि कन्सलटेटिव कमेटी की मीटिंग के अन्दर राज्य सरकार की तरफ से इस बात की सूचना दी गई कि ऐसे प्रश्नों पर कन्सलटेटिव कमेटी विचार नहीं कर सकती है तो सरकारी कर्मचारियों की ओर से यह कहा गया कि इस प्रकार की कन्सलटेटिव कमेटी का किसी प्रकार का कोई उपयोग नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि दो दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य दिया उस वक्तव्य में कई मांगों के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने न्यूनाधिक रूप से स्वीकार किया है और अन्तरिम राहत की मांग को उन्होंने अस्वीकार किया है। मोटे रूप से यह एक मांग है जिसको कि पूर्णतः राज्य सरकार ने अस्वीकार

Page No 109

(श्री भैरोंसिंह)

किया है बाकी की जितनी मांगे हैं वे किसी न किसी अंश के अन्दर स्वीकार की गई हैं। मैं दूसरे रूप में यह पूछना चाहता हूं कि यह मांगें कन्सलटेटिव कमेटी के सामने रखी गई थीं और यही मांगें थीं जिन्हें राज्य सरकार के मुख्य मंत्री से लेकर हर मंत्री तक सरकारी कर्मचारियों ने उनके सामने प्रस्तुत की हैं। उस समय राज्य सरकार ने इन मांगों को क्यों नहीं स्वीकार किया ? अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है दक्षतावरोध का। एफिशियेन्सी बार पर इन्क्रीमेन्ट्स और प्रोमोशन्स रुके हुए थे। उस बार को हटाने के लिए सरकारी कर्मचारी निरंतर मांग कर रहे थे 22 अगस्त की बैठक में भी इस प्रश्न पर विचार किया गया। मुझे याद है वित्त मंत्री महोदय ने उस समय यह कहा था कि यदि 3-4 लाख का मसला होगा तो राज्य सरकार इस एफिशियेन्सी बार के क्वेश्चन को स्वीकार कर लेगी। उस समय कन्सलटेटिव कमेटी के सामने जब यह मसला गया तो उन्होंने इन्कार कर दिया। जब राज्य कर्मचारियों ने यह बात मुझे बताई तो मैंने राजस्थान के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखा। उनका उत्तर प्राप्त हुआ। उस उत्तर में इस बात का उल्लेख है कि दक्षतावरोध के क्वेश्चन को राज्य सरकार कभी भी स्वीकार नहीं करने वाली है। यह स्थिति आन्दोलन के पहले थी। आज आन्दोलन के बाद राज्य सरकार इस एफिशियेन्सी बार के प्रश्न को स्वीकार करती है तो यह सदन मानकर चलेगा कि सरकारी कर्मचारियों ने जो आन्दोलन किया यदि वह आन्दोलन नहीं होता तो उस एफिशियेन्सी बार के क्वेश्चन को कभी भी स्वीकार नहीं करके चल रही थी। तो क्वेश्चन आकर यह खड़ा होता है कि जो सरकारी कर्मचारियों ने आन्दोलन किया उस आन्दोलन के लिए उनको किसने इनसाइट किया, किसने प्रोवोक किया ? आन्दोलन करने के लिए कौन प्रेरित कर रहा था ? तो सारे तथ्यों को यदि देखेंगे तो प्रमाणित होगा, इन सारी चीजों को इनसाइट करने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार पर आती है। राजस्थान सरकार ने समय पर कुछ नहीं दिया जिससे कि उनको आन्दोलन करना पड़ा। इन्क्रीमेण्ट का क्वेश्चन है, एडवांस इन्क्रीमेण्ट का क्वेश्चन उठा। आप को जानकर प्रसन्नता होगी कि सरकार ने जो हरिश्चन्द्र माथुर एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी कायम की थी और जो राणावत कमीशन कायम किया था, उन लोगो की रिपोर्ट्स में स्पष्ट लिखा हुआ है कि एडवांस इन्क्रीमेण्ट जरूर मिलना चाहिए। यह हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी की रिपोर्ट में है। राणावत कमीशन ने यह कहा है। राणावत कमीशन ने अपनी जांच के आधार पर कहा है। लेकिन सरकार ने उस समय नहीं माना क्योंकि वह उनके पक्ष में बोले थे। जब सरकारी कर्मचारियों ने आन्दोलन किया, टूलडाउन स्ट्राइक की तो सरकार मान गई। क्या आप कह सकते हैं कि एडवांस इन्क्रीमेण्ट से इन्कार किया जाये ? आप की आदत पड़ी हुई है। जब तक कि आपके खिलाफ नारे नहीं लगाये जायें, आप के पुतले नहीं जलाये जायें, आपकी अकल ठिकाने नहीं आती है चाहे किसी प्रकार का मसला हो। आप समझते तभी हैं जब कि नारे बाजी की जाये। राजस्थान के मुख्य मन्त्री ने इस सदन में घोषणा की थी, एल. डी. सीज. के कन्फर्मेशन के सम्बन्ध में आखिर राजस्थान सरकार ने वह स्वीकार किया।

(श्री भैरोंसिंह)

आज भी राजस्थान सरकार स्पष्ट स्वीकार नहीं करती है। लेकिन आंशिक रूप से उसने स्वीकार किया है। फूडग्रेन्स के बारे में राजस्थान सरकार स्वीकार नहीं करती थी लेकिन अब फूडग्रेन परचेज के लिए एडवांस देना स्वीकार किया है। इसी प्रकार से एफीशिएन्सी बार का सवाल है, मेल नर्स और फीमेल नर्स के अलाउन्स का सवाल है, जिसको राणावत कमीशन ने स्वीकार किया है, हरिश्चन्द्र माथुर कमेटी ने स्वीकार किया है, लेकिन राजस्थान सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। मगर उसके लिए आन्दोलन किया तो मुख्य मन्त्री को घोषणा करनी पड़ी। वह कहेंगे कि हम इस अन्तर को निकालने की कोशिश करेंगे। सरकार ने मूल शब्दों में यह स्वीकार कर लिया है कि सरकार को डिसीजन इम्प्लीमेण्ट करने में कई कठिनाइयां आई हैं। तो उन्होंने यह स्वाभाविक प्रवृत्ति आन्दोलन के रूप में प्रकट की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा, आप अमेरिका और इंगलैंड की तो बात करते हैं लेकिन आप हिन्दुस्तान की बात नहीं करते हैं। भारत सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म कमीशन बनाया। उस कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, उसके पेज 92 पर लिखा है—

"While strikes should be prohibited in Government departnments, it is necessary that there should be a machinery for redressing the legitimate grievances of Government employees. Such a machinery has already been provided by the constitution of the Joint Consultative Committee. It has also been mentioned on the floor of Parliament that the Government intends to bring forward a Bill to provide a statutory basis for this. It is proposed that disputes relating to conditions of services of the employees in regard to pay and allowances and hours of work etc., which could not be settled by this machinery, would be referred to a Board of Arbitration. This should be subject to the authority of Parliament as supreme arbiter. We welcome such legislation which we hope, will render unnecessary the application of the penal provisions of the Essential Services Maintenance Act."

"We recommend that joint consultative machinery should be set up for settling the grievances of Government employees in States also and given a statutory basis."

मैं राज्य सरकार से पूछना चाहूंगा, आप इस प्रकार का कानून तो लाये हैं

(श्री भैरोंसिंह)

लेकिन इस कानून से पहले सरकारी कर्मचारियों की ग्रीवेन्सेज सुनने के लिए किस कमेटी को बनाया है ? कोई राज्य कर्मचारियों के हित के लिए सोचा होता। आज आवश्यकता थी इस बात की कि इस आन्दोलन से सबक लेकर सरकारी कर्मचारियों का हित करने वाला कोई बिल प्रस्तुत करते। आप पहले एसेंशियल सर्विसेज का बिल पेश कर रहे हैं। उसके बाद में अगर सरकारी कर्मचारी विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ सरकार कार्यवाही करेगी। मैं समझता हूं कि यह राजस्थान सरकार का तरीका अच्छा नहीं है। राणावत कमीशन ने असेम्बली और सेक्रेटेरिएट के स्टेनोग्राफर्स को एक ग्रेड में रखा है। इससे बाहर के लोगों का ग्रेड दूसरा होगा। एक प्रकार का तरीका एक प्रकार का लेबर, एक प्रकार की योग्यता इन तीनों चीजों के होते हुए भी राजस्थान सरकार ने दो भागों में इनको विभाजित किया है। असेम्बली, सेक्रेटरियेट और विजीलेन्स कमीशन में एक प्रकार का होगा। तो निश्चित मानिये उनको क्यों जलन पैदा नहीं होगी ? उनके सामने तरीका एक ही है। जब कि जेनुइन मसले हमारे सामने नहीं आये। अब आप आर्डिनेन्स ले आये। चाहे जो ले आयें। आन्दोलन और हड़तालें इसी प्रकार चलेंगी। यहां पर जितनी भी मांगे इन लोगों ने रखी थीं उनको किसी न किसी रूप में राजस्थान सरकार ने स्वीकार किया है। तो यह मानकर चलना पड़ेगा कि सरकारी कर्मचारियों ने जो मांग-पत्र दिया था, वह उचित था। सरकार ने नहीं माना यह अनुचित था। कर्मचारियों ने आन्दोलन किया। उसको दबाने के लिए जबकि आज आन्दोलन नहीं चल रहा है आप उसको सदा सर्वदा को समाप्त करने के लिए बिल ला रहे हैं। तो मेरा राजस्थान की हुकूमत के ऊपर चार्ज है, यह आन्दोलन सरकारी कर्मचारियों ने नहीं किया, इस आन्दोलन को किसी पोलिटिकल पार्टी ने इनसाइट नहीं किया, इस आन्दोलन को कर्मचारी संघ ने इनसाइट नहीं किया, अगर किसी ने इस आन्दोलन को इनसाइट किया है तो वह राजस्थान की हुकूमत है और राजस्थान के मुख्य मंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इनसाइट किया है। इसलिए अगर इस आर्डिनेन्स के अन्तर्गत किसी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है तो वह मोहन लाल सुखाड़िया को गिरफ्तार करने की आवश्यकता है जिन्होंने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को स्वीकार न करके उन लोगों को आन्दोलन करने की प्रेरणा दी है। ऐसी स्थिति में अगर राजस्थान सरकार यह कह कर चले कि हम आन्दोलन राजस्थान में कभी चलने नहीं देंगे हम आन्दोलन के बारे में इस प्रकार की स्थिति लेकर चलेंगे कि कोई भी आन्दोलन कर ही नहीं सके, तो राजस्थान के अन्दर किस किस आन्दोलन को आप रोकना चाहते हैं ? आप सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन को रोकने के लिए तो आर्डिनेन्स ले आये लेकिन आपके पीछे बैठने वाले जो मंत्री हैं, जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ, आपके खिलाफ भूख-हड़ताल की थी, क्या आप उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके ? एक हरिजन मंत्री ने सरकार के खिलाफ भूख-हड़ताल कर दी तो उनको तो आपने हटा दिया, उनके खिलाफ एक्शन

(श्री भैरोंसिंह)

ले लिया, लेकिन दूसरे मंत्री, आपके खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ भूख-हड़ताल करके भी आज भी आपकी छाती पर बैठे हैं, क्या उनके खिलाफ उनके आचरण के खिलाफ, आपने कोई एक्शन लिया है? आज तक आपने कोई एक्शन नहीं लिया। आप दुनियां भर को कहते हैं कि हड़ताल नहीं करनी चाहिए। अगर हड़ताल कर दी तो वह अच्छी चीज नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान की सर्विसेज इतनी असुरक्षित हैं कि मैं निवेदन करूं, जब राजस्थान की सर्विसेज के पे एण्ड अलाउन्सेज का सब्जेक्ट इस सदन में डिस्कस हो रहा था उस समय हमने मांग की थी कि राजस्थान में सर्विस रूल्स का प्रश्न है जिसे इस प्रकार की राजस्थान हुकूमत ने अपनी इच्छा पूर्ति का साधन बना रखा है, उसको इच्छा पूर्ति के साधन में से हटा कर उसको कानूनी रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आज यदि राजस्थान के सर्विस रूल्स, उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें, गृह मंत्री जी उनको देखते होंगे, बाकी के मंत्री महोदय भी उन्हें देखते होंगे, राजस्थान के सर्विस रूल्स में कितने अमेंडमेंट हुए हैं? मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बना होगा जिसमें इतनी जल्दी जल्दी अमेंडमेंट किये गये हैं अपने किसी एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए अमेंडमेंट, अपने किसी रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए अमेंडमेंट, अपने किसी कृपा पात्र को फायदा पहुंचाने के लिए अमेंडमेंट। आप किसी भी डिपार्टमेंट के सर्विस रूल्स को उठाकर देख लें, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, राजस्थान के सर्विस रूल्स में साठ साठ प्रकार के अमेंडमेंट इन पिछले पन्द्रह वर्षों में राजस्थान की हुकूमत ने किये हैं। आप समझते हैं कि सर्विस में एफीशियेन्सी बढ़ाने के लिये यह अमेंडमेंट सर्विस रूल्स में किये गये? हमारी मांग थी कि सर्विसेज में फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, सर्विसेज में प्रोमोशन के बारे में और दूसरे मामलों में जिस प्रकार का कॉन्स्टीट्यूशन में प्रोविजन है उसके अनुरूप एक विधेयक राजस्थान सरकार को इस सदन में प्रस्तुत करना चाहिये था। उपाध्यक्ष महोदय, कॉन्स्टीट्यूशन के आर्टिकल 309 में लिखा है:

"Subject to the provisions of this Constitution, Acts of the appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State."

मैं राजस्थान की सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल रोकने के लिये ऑर्डिनेन्स लागू करने के लिये तो फैसला कर लिया लेकिन जो यह कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोविजन है इसके मातहत आप कोई विधेयक बना कर इस सदन के समक्ष क्यों नहीं आये? आज से दो वर्ष पहले मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में आश्वासन दिया था कि राजस्थान सरकार इस प्रश्न पर विचार कर रही है कि इस प्रकार का विधेयक इस

(श्री भैरोंसिंह)

विधान सभा में प्रस्तुत करें। मैं पूछना चाहता हूं कि इस ऑर्डिनेन्स को बनाने के बजाय यदि आप फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिये, कन्डीशन्स ऑफ सर्विस के सम्बन्ध में इस विधान सभा के समक्ष कोई विधेयक प्रस्तुत करते, तो मैं समझता हूं कि वह राज्य के सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन को दबाने के लिये अच्छा तरीका होता। लेकिन जैसा विधेयक इस सदन में प्रस्तुत करने के बजाय आप राजस्थान को पुलिस राज्य बना कर इस ऑर्डिनेन्स के जरिये से सरकारी कर्मचारियों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, इससे आपको लाभ नहीं होगा। यह राजस्थान सरकार का स्टेट्यूटरी ड्यूटी है कि वह इस प्रकार का विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करें, कन्सलटेटिव कमेटी स्टेट्यूट पर लाने के लिये कोई विधेयक इस सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। लेकिन राजस्थान की सरकार ने इस प्रकार के दोनों विधेयक इस विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये और एक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर अतिक्रमण करने के लिए वह ऑर्डिनेन्स के रूप में इस प्रश्न को विधान सभा के समक्ष लाना चाहती है। मैं समझता हूं कि सरकार के इस कदम की तारीफ करने वाला आज के दिन अपने को इस स्थिति में नहीं पायेगा कि वह सरकार की तारीफ करे। मैं चाहता हूं कि आप इस ऑर्डिनेन्स को वापिस लें और वापिस लेने के बाद जिन दो विधेयकों का मैंने उल्लेख किया है उनको इस विधान सभा में प्रस्तुत करें और फिर उनका प्रभाव आप देखें। उनके प्रभाव से अगर फिर सरकारी कर्मचारी आन्दोलन करते हैं तो उस समस्या का समाधान इस आधार पर उसके बाद किया जाय। कन्स्टीट्यूशन के अन्दर जो सर्विसेज के बारे में प्राविजन है उनको विधेयक लाकर कोई कानूनी रूप दिया तो मैं समझता हूं कि सरकारी कर्मचारियों की डिमाण्ड ठीक ढंग से मीट विद की जा सकेगी। लेकिन आप इसका निराकरण डण्डे के बल पर करना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह डण्डे के बल पर नहीं बल्कि न्याय के बल पर निराकरण किया जा सकता है।

इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने स्पष्ट रूप से यह कह दिया कि सरकारी कर्मचारियों को अब किसी प्रकार की अन्तरिम राहत नहीं मिल सकती है। इसके सम्बन्ध में राजस्थान की वित्तीय स्थिति का उन्होंने जिक्र किया। मैं समझता हूं मुख्य मन्त्री जी राजस्थान की वित्तीय स्थिति का जिक्र नहीं करते तो ज्यादा अच्छा होता। सरकारी कर्मचारियों के आन्दोलन के सम्बन्ध में अजमेर से वक्तव्य देते हुए उन्होंने राजस्थान की वित्तीय स्थिति को रखा था, कल फिर उसी बात को दोहराया है कि राजस्थान राज्य में बिजली के मामले में, सिंचाई के मामले में, सड़कों के मामले में प्रति व्यक्ति आय के मामले में, शिक्षा के मामले में जो व्यवस्था है वह हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों के पीछे है। मैं कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान को इन सब मामलों में पीछे रखने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या यह सदन की जिम्मेदारी है? उनकी खुद की राजस्थान को अन्य राज्यों से पीछे रखने की जिम्मेदारी है। वह राजा-महाराजाओं के जमाने से, आज राजस्थान की

(श्री भैरोंसिंह)
तुलना करते हैं। वह हिन्दुस्तान के अन्य राज्यों से राजस्थान की तुलना क्यों नहीं करते हैं ? मैं दावे के साथ कह सकता हूं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान को कोई अगर बीस वर्ष पीछे ले गया है तो वह सुखाड़िया जी ले गये हैं। पानी के मामले में बीस वर्ष पीछे ले गये हैं, बिजली के मामले में बीस वर्ष पीछे ले गये हैं, वित्तीय स्थिति के मामले में बीस वर्ष पीछे गये हैं पर कैपिटा इन्कम के मामले में बीस वर्ष पीछे ले गये हैं और उसका परिणाम है कि राजस्थान हिन्दुस्तान में सबसे गया बीता और पिछड़ा हुआ है।

श्री रामचन्द्र आर्य : भ्रष्टाचार में सबसे आगे गया है।

श्री भैरोंसिंह : उसमें तो शील्ड प्राप्त करली है, आगे नहीं गया है। मैं समझता हूं हमारे यहां के लोगों को और मामलों के कारण भारत सरकार एक्सपोर्ट करने से संकोच करती है, लेकिन जहां तक भ्रष्टाचार का मामला है तो इस बात के अधिकारी हैं कि यहां के लोगों को एक्सपोर्ट किया गया भ्रष्टाचार करने वालों की राजस्थान में और हिन्दुस्तान में कमी नहीं होगी, इस मामले में एक से एक ऊंचे मिलेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि आज वित्तीय स्थिति का सवाल यहां पर खड़ा नहीं किया जा सकता। सर्व मान्य सिद्धान्त है आप उस मंहगाई को रोकें। अगर मंहगाई को नहीं रोकते हैं तो इसके कारण से जो कर्मचारियों को क्षति होती है उसकी पूर्ति करें। मंहगाई भी नहीं रोकें और क्षति पूर्ति भी नहीं करें तो यह दोनों चीजें नहीं चलने वाली हैं। न तो राजस्थान सरकार मंहगाई को कंट्रोल कर पाती है, दूसरी ओर मंहगाई के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है सरकारी कर्मचारियों के समक्ष, इसके कारण से जो उनकी आर्थिक हानि होती है, उसकी भी क्षति पूर्ति सरकार नहीं करना चाहती है। तो इन दोनों स्थितियों के बीच में सरकारी कर्मचारी नहीं फंसेंगे। सुखाड़िया जी ने कहा कि अन्तरिम राहत देने के कारण जो अतिरिक्त व्यय होगा वह जनता टैक्स के रूप में नहीं देना चाहेगी। तो मैं सुखाडिया जी से और राजस्थान की सरकार से कहना चाहूंगा कि अकाल के नाम पर जो सौ करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं और जिसमें से दस बारह करोड़ का घोटाला हुआ है उसके लिये भी राजस्थान की जनता टैक्स नहीं देना चाहेगी।

श्री रामचन्द्र आर्य : आधा आधा !

श्री उपाध्यक्ष : आपस में बात नहीं।

श्री भैरोंसिंह : आधा हुआ हो, लेकिन मेरे पास प्रमाणित है उतना तो आज ही प्रमाणित करवा सकता हूं। सीमा सड़कों के बारे में कितना घोटाला हुआ, उसके लिये भी राजस्थान की जनता टैक्स नहीं देना चाहती है। बिजली के मामले में जो घोटाला हुआ, सिंचाई के मामले में जो घोटाला हुआ, सड़कों के मामले में जो घोटाला हुआ, आये दिन हर बात में घोटाले होते हैं और करोड़ों रुपये का अपव्यय होता है उसके लिये भी राजस्थान की जनता टैक्स देने को तैयार नहीं है, बढ़े हुए मंत्रि मंडल के खर्चे को करने के लिये राजस्थान की जनता टैक्स देने को तैयार नहीं है, सुखाड़िया जी मेरी इस चुनौती को स्वीकार करें, वह जनता के समक्ष जाकर खड़े हो जायं और कहें कि सैंतीस

(श्री भैरोंसिंह)

मंत्रियों के खर्च के लिये हम टैक्स लगा रहे हैं तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस का व्यक्ति भी आपको टैक्स नहीं देगा। तो एक तरफ तो आप कहें कि जनता इस कारण टैक्स नहीं देना चाहेगी और दूसरी तरफ सरकार इस तरह के खर्चों के लिये टैक्स लगाना चाहे—तो यह दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती है। योजना का नाम लेकर कहा गया कि राजस्थान के बजट में 29 करोड़ रुपये का डेफिसिट हैं। इस बात की गहराई क्या है? मैं कहना चाहता हूं कि डेफिसिट बजट आपके कारण से है, आपके कारण से राजस्थान सरकार घाटे में चल रही है, आपके कारण से ही राजस्थान में टैक्सेज का बर्डन बढ़ गया है, आपके कारण से औद्योगिग मामलों में राजस्थान पीछे रह गया है, आपके कारण से ही सरकारी कर्मचारियों में इनएफीशियेंसी बढ़ रही है। तो इन सारी चीजों का दोष सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया जा सकता है। इसलिये उनकी जो मांग थी, वह मांगें, सरकारी कर्मचारियों की मांगें वाजिब थी, सरकार उनको आज नहीं तो कल पूरा करेगी। यह कहा जाय, महाराष्ट्र का नाम लेकर, उड़ीसा का नाम लेकर, पंजाब का नाम लेकर कि इनकी वित्तीय स्थिति अच्छी है, उसके बाद भी वह पहल नहीं कर रही है, इसलिए हम कैसे पहल कर सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि उन्होंने पहले की है उन प्रदेशों के विकास को करने की, आज महाराष्ट्र ने पहल की है बिजली के मामले में, सिंचाई के मामले में, करप्शन को रोकने के मामले में। क्या राजस्थान सरकार महाराष्ट्र की नकल करना चाहती है? उड़ीसा की सरकार ने उसकी नकल की है और स्थाई काम किये हैं अकाल राहत कार्य में, उन्होंने कन्स्ट्रक्टिव वर्क किया है। क्या उसकी आप नकल करना चाहते हैं? जो अच्छा काम उन्होंने किया है उसकी नकल नहीं करना चाहते हैं और जो काम वह नहीं कर पाये हैं उनसे यह सरकार और सुखाड़िया साहब ने प्रेरणा ली है और प्रेरणा लेकर सरकारी कर्मचारियों की मांग को दबोचना चाहते हैं।

इसके अलावा सबसे बड़ा प्रश्न कई वर्षों से चलता आ रहा है कि सरकार कमीशन और समितियां नियुक्त करती है। हमारे देश में परम्परा बन गई है कि किसी मसले में टालमटोल करनी है तो कोई समिति नियुक्त कर दो, कोई कमीशन नियुक्त कर दो। लेकिन समिति और कमीशन नियुक्त करने से पहले, राजस्थान सरकार हो, भारत सरकार हो, अन्य प्रदेशों की सरकार हों कभी इस बात को स्वीकार नहीं करती है कि अमुक कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद उसे स्वीकार करेंगे। कभी स्वीकार करें या कभी स्वीकार नहीं करें—यह अपने हाथ

(श्री भैरोंसिह)

में विचार करने का अधिकार सरकार रखना चाहती है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने राणावत कमीशन की शिफारिशों को स्वीकार करने में इतनी कोताही क्यों बरती ? हरिश्चन्द्र माथुर कमीशन की सिफारिश राज्य सरकार ने स्वीकार क्यों नहीं की ? आप या तो कमीशन नियुक्त न करें और यदि करें तो रिपोर्ट आने के बाद में इमीजियेटली इस विधान सभा में इस वक्तव्य के साथ आयें कि अमुक प्रकार की सिफारिश सरकार स्वीकार करती है और अमुक प्रकार की सिफारिश सरकार रिजेक्ट करती है। यह हुकूमत इस प्रकार की बनी हुई है कि कमीशन की रिपोर्ट आ जाय तो यह सरकार यह बात कहेगी कमीशन की रिपोर्ट हमारे विचाराधीन है, राज्य सरकार उस पर विचार कर रही है। उसके बाद में निर्णय लेगी। राज्य सरकार का विचार समाप्त नहीं होता; निर्णय लिया नहीं जाता और उन्हीं सिफारिशों को लेकर किसी वर्ग से सम्बन्धित हों, वह वर्ग आंदोलित होने को तैयार हैं। भारत सरकार ने जो आयोग नियुक्त किया था महंगाई के सम्बन्ध में उस आयोग ने भारत सरकार को सिफारिश दी, राज्य सरकारों से तो नहीं कहा लेकिन आयोग ने जिस प्रकार की स्थिति बताई है 15) से 45) तक जो 1250) से कम वेतन पाते हैं उनको अंतरिम राहत देने की सिफारिश की है। मैं पूछना चाहता हूं कि इस आयोग ने जो सिद्धांत स्वीकार किए कि महंगाई का इन्डेक्स जिस प्रकार बढ़ता जाय उस प्रकार से हर सरकार को मूव करना चाहिए। आपने रघुवरदयाल की रिपोर्ट पढ़ी है ? आपने इस सिद्धांत को स्वीकार किया है ? यही सुखाड़ियाजी हैं जिन्होंने इस विधान सभा में कहा था कि सैंट पर्सेंट राज्य सरकार महंगाई के अनुपात में न्यूट्रेलाइजेशन कर रही है और महंगाई भत्ता बढ़ाती जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि प्राइस इन्डेक्स बढ़ती जा रही हैं, महंगाई भत्ता नीचे जा रहा है। ऐसी हालत में महंगाई के अनुपात में सरकारी कर्मचारियों को किस प्रकार राहत देना चाहते हैं ?

आज से तीन वर्ष पहले जिन सिद्धांतों को इस विधान सभा में मानकर, लोगों से तालियां बजवाई, आज वह स्टेज नहीं है। क्या महंगाई भत्ता उसके अनुपात में नहीं देना चाहिए ? मैं समझता हूं महंगाई जो बढ़ रही है उसके अनुपात में, भारत सरकार को जो रघुवरदयाल आयोग ने अन्तरिम राहत की सिफारिश की है, उसको आपको स्वीकार करना चाहिए। आप कहते हैं कि 7 करोड़ रुपए हम कहां से लायेंगे, उसके लिए टैक्स लगाने पड़ेंगे। विधान सभा बहुत दिनों से ये बातें सुनती आई है, जनता जानती है कि यह तो केवल 7 करोड़ का मसला है। जहां 100-100

(श्री भैरोंसिंह)
करोड़ अकाल के नाम पर एक एक वर्ष में खर्च हो जाय, पानी की तरह पैसा बहाया जाय, उस सरकार के सामने यह कोई समस्या नहीं है। केवल 3 लाख कर्मचारियों का कैसे गला घोंटा जाय, यह समस्या सरकार के सामने है, इसलिए अन्तरिम राहत की मांग को सरकार को स्वीकार करना चाहिए।

दो मोटे प्रश्न इस विधान सभा में कई बार आए हैं। विधान सभा के बाहर भी सरकारी कर्मचारियों ने कई बार मांग की है। एक आता है कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट का और दूसरा है प्रोमोशन का। इन दो चीजों को लेकर सरकारी कर्मचारियों में जबर्दस्त असन्तोष है। कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट्स के सम्बन्ध में सरकार ने घोषणा की है कि अल्पवेतन भोगी कर्मचारियों के सम्बन्ध में इस प्रकार की रिपोर्ट लिखने की पद्धति बंद की जायगी। लेकिन इस सदन को जानकारी दूं, मुझे अफसोस है कि मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं, मैं उनके सामने कहना चाहता था....

श्री मूलचन्द डागा : 30 मिनट हो चुके हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : आपको आदत है, डागाजी ?

श्री मूलचन्द डागा : डागाजी, डागाजी क्या ?

श्री भैरोंसिंह : मैं कहना चाहूंगा कि मेरिट का फार्मूला और कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट्स का फार्मूला सदन के सम्माननीय सदस्य चाहें विरोधी पक्ष के हों, चाहे सत्तारूढ़ दल के हों, इस प्रश्न पर गहराई से विचार करें। राजस्थान में राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। इस सर्विस का जिस दिन गठन हुआ था, (मुख्य मन्त्री के आने पर) मुझे खुशी है कि मुख्य मन्त्री आ गए। मैं चाहता था कि इन्हीं के सामने ये समस्यायें रखी जायं। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का प्रश्न उनके प्रोमोशन का सवाल, ये कई दिनों से विवादास्पद चल रहे हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने सदन में कई बार घोषणा की केवल सीनियोरिटी के आधार पर प्रोमोशन देने की कि जो बहुत ज्यादा क्वालीफाइड हैं, एक्टिव हैं, इन्टेलीजेन्ट हैं उनको प्रोमोशन का चांस नहीं रहता इसलिए अच्छा काम करने के लिए एन्कोरेजमेंट नहीं रहता। सिद्धांत तो अच्छा है। जो आदमी इन्टेलीजेन्ट हों एक्टिव हों, एक्सट्रा ऑर्डनरी डिलीजेन्ट हो, उनको प्रोमोशन के लिए ज्यादा चांसेज मिलने चाहिए। मैं समझता हूं सदन के किसी माननीय सदस्य ने आज तक आपत्ति नहीं की होगी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आर०ए०एस० के सम्बन्ध में नियम

(श्री भैरोंसिंह)

राज्य सरकार ने कानून के रूप में प्रस्तुत नहीं किए लेकिन इस कानून को 1964 से लेकर आज तक कितनी बार सरकार ने संशोधन किया। इन संशोधनों के तहत जितना आप जायेंगे, आपको पता लगेगा कि कुछ व्यक्तियों को मुख्य मन्त्रीजी प्रोमोशन देना चाहते थे इसलिए नियमों में बार बार संशोधन किया गया। आज आर० ए०एस० के अन्दर केवल तीन स्टेजेज हैं एक ऑर्डिनरी टाइम स्केल, दूसरा सीनियर स्केल और सिलेक्शन ग्रेड। सीनियर स्केल व ऑर्डिनरी स्केल के लिए सरकार ने सीनियोरिटी लिस्ट बनाई। उसमें पहले सीनियोरिटी के आधार पर प्रोमोशन्स होते थे बाद में सरकार ने उसमें संशोधन किया और उसमें मेरिट-कम सीनियोरिटी, इस बेसिस पर भी प्रोमोशन्स दिए जायं यह व्यवस्था है। फिर केवल मेरिट के आधार पर प्रोमोशन्स दिए जायं, इस बात की भी व्यवस्था की और इसके तहत मेरिट के मार्क्स किस प्रकार से दिए जायं, इसमें राज्य सरकार ने कई बार संशोधन किया। राज्य सरकार ने दो फारमूले बनाए। एक 25 मार्क्स का और दूसरा 75 मार्क्स का। जिन आदमियों की पीछे की सर्विस होगी उनको तो उस बेसिस पर नंबर दिए जायेंगे और 25 नंबर कान्फीडेन्शियल रिपोर्ट के आधार पर दिए जायेंगे। उसमें यह कर दिया कि जो प्रोमोशन के 5 प्रेसीडिंग साल होंगे उनके लिए 25 नंबर और पिछले समय का बाकी रेकार्ड चाहे एक वर्ष चाहे 30 वर्ष उसके लिए अमुक प्रकार के नंबर दिए जायेंगे। देखने में तो यह चीज अच्छी लगती है लेकिन सदन को सुनकर ताज्जुब होगा कि सारी व्यवस्था का लाभ उन व्यक्तियों ने उठाया है, उस लाभ के कारण जो 190 नंबर के ऊपर थे, 192 के ऊपर थे, वह भी सीनियर हो गए सीनियर स्केल में आ गए। उसके बाद सिलेक्शन ग्रेड में आ गए और दिसम्बर में जिस समय आई० ए० एस० ऑफिसर्स की सिलेक्शन कमेटी भारत सरकार से आती है, उस समय आप देखेंगे कि इसी वर्ष के अन्दर जो आदमी सीनियर स्केल में कन्फर्म होते हैं, सिलेक्शन ग्रेड में जाते हैं, प्रोमोशन होता है, वह आई. ए. एस. में होता है। एक साल में तीन तीन प्रकार के इन्क्रीमेंट्स राजस्थान की जनता को देखने को मिलेंगे।

ये संशोधन बार बार क्यों किए गए? इसके पीछे सरकारी कर्मचारियों में कितनी जलन पैदा हुई? राजस्थान के कुछ आर. ए. एस. अधिकारी उच्च न्यायालय में गए, सुप्रिम कोर्ट में गए। वहां उन्होंने सरकार के आदेशों को चुनौती दी, उच्च न्यायालय में उनकी रिट खारिज हुई। सुप्रिम कोर्ट में वहां स्टे ऑर्डर प्राप्त करने की कोशिश की। मुझे याद है उस समय 23 तारीख को शायद उनका केस सुप्रिम कोर्ट में आने वाला था, सरकार ने देखा कि 23 तारीख को यदि स्टे

(श्री भैरोंसिंह)

आर्डर दे दिया तो जिन लोगों को हम प्रोमोशन देना चाहते हैं, उनको नहीं दे पायेंगे। इसलिए 21 तारीख को सचिवालय की छुट्टी थी। श्री विष्णुदत्त शर्मा की मृत्यु हुई थी, वहां शोक मनाया गया था लेकिन मुख्यमंत्रीजी को इस बात की चिंता थी कि जिन लोगों को प्रमोशन देना चाहते हैं यदि 23 तारीख तक नहीं दिया तो सुप्रिम कोर्ट में से स्टे आ जायगा। तो उस शोक और छुट्टी के वातावरण में उन्होंने मंत्रिमन्डल की बैठक बुलाई और उन अधिकारियों को जो भी लिस्ट में आए थे जिसका कानूनी कारण नहीं है, उनको प्रोमोशन दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि बी लिस्ट आपने कहां से क्रीएट की? वह कौनसी थी? लेकिन आपको सुनकर ताज्जुब होगा कि मुख्यमंत्री जिन अधिकारियों को प्रोमोशन देना चाहते थे, बाकायदा लिस्ट डी० पी० सी० में आ गई लेकिन कुछ और थे जो पहली लिस्ट में नहीं आए उनको लिस्ट में लाने के लिए बी लिस्ट बनाकर डी० पी० सी० से कहा गया कि आगे जो वैकेन्सीज होने वाली हैं उनके नाम पर सैकेन्ड लिस्ट बनाई जाय, वह बनी और दामोदरलालजी जानते होंगे दूसरी लिस्ट जिस समय कैबीनेट में रखी गई तो मुख्यमंत्री ने आदेश दिए कि चीफ सैक्रेटरी लॉ डिपार्टमेंट से पूछे। और लॉ डिपार्टमेन्ट को पूछने के बाद इस बात का फैसला करें कि इस प्रकार की भी लिस्ट बन सकती है या नहीं। मैं मुख्यमंत्रीजी को चुनौती के साथ कहता हूं कि चीफ सैक्रेटरी के कैबिनेट मेमो को इस सदन के सामने प्रस्तुत करें तो पता लगेगा कि चीफ सैक्रेटरी ने कहा था कि लॉ डिपार्टमेन्ट की ओपिनियन और एडवोकेट जनरल की ओपिनियन लेने के बाद भी लिस्ट की आवश्यकता नहीं है। चीफ सैक्रेटरी की राय को स्वीकार किया गया। कैबिनेट से एक बार जब कोई बात रिजेक्ट हो जाय तो दुबारा जब तक कैबिनेट मेमो न बन जाय मिनिस्टर लेने के लिये नहीं कहता है लेकिन 23 तारीख को रिजेक्टेड रिजोल्यूशन को एप्रूव करने के लिये दुबारा कैबिनेट की मीटिंग बुलायी गयी 22 तारीख को ही चार्ज दिला दिया। आर० ए० एस० के कर्मचारी आज भी सुप्रिम कोर्ट में सरकार को रो रहे हैं। सुप्रिम कोर्ट में जो रिट पेश की गई है उसमें मुख्य मंत्रीजी के खिलाफ डाइरेक्ट चार्ज लगाये गये हैं कि ये अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिये ऐसा कर रहे हैं। सुप्रिम कोर्ट को दी हुई लिस्ट सुनना चाहते हैं तो सुना सकता हूं। क्या कोई भी अधिकारी ऐसा हो सकता है मुख्य मंत्रीजी की मंशा के विरुद्ध उन लोगों के खिलाफ कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट दे सकता है? क्या आप यह उम्मीद कर सकते हैं उससे? नहीं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : बी लिस्ट में मेरा कौनसा रिश्तेदार है यह बता दीजिये तो भ्रम दूर हो जाय?

श्री भैरोंसिंह : "ए" में मुन्नालालजी गोयल हैं । दूसरी में लक्ष्मीचन्दजी गुप्ता हैं जो आपके सैक्रेटरी हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सारे गवर्नमेन्ट ऑफिसर्स और एम्प्लाइज इनके रिश्तेदार हैं ?

श्री रामकिशन : रिश्तेदारों की लिस्ट दे दें तो छोड़ेंगे । मुख्य मन्त्री जी के बहुत ज्यादा रिश्तेदार हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक फैल रहे हैं ।

श्री भैरोंसिंह : डी० के० सक्सेना आपके सेक्रेटरी थे । मुन्नालालजी गोयल आपके जंवाई । क्या आप कह सकते हैं कि डी०के० सक्सेना में इतना दम है कि मुन्नालालजी गोयल के खिलाफ एडवर्स रिमार्क्स लिख दें 6 लाइन तक रिपोर्ट लिखनी चाहिये वह लिखेंगे 6-6 वर्ष तक एक स्थान पर बैठे रहें, एडवर्स रिमार्क न लिख सकें, उस कान्फिडेन्शियल रिपोर्ट पर प्रोमोशन देना चाहें तो सरकार के दूसरे कर्मचारियों में जलन पैदा होगी । मुझे मुन्नालालजी गोयल से कोई शिकायत नहीं है । इन्टेलीजेन्ट ऑफिसर हैं । कोई एक आदमी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता है कि राजस्थान के आर.ए.एस. में और कोई इन्टेलीजेन्ट ऑफिसर न हो, कई इन्टेलीजेन्ट आफिसर बैठे हैं जो सीनियर और सिलेक्शन ग्रेड में आ सकते है जो आई० ए० एस० में जाने योग्य हैं 'बी' लिस्ट । उपाध्याय, सक्सेना और कोचर उस लिस्ट में हैं । ये सारे अधिकारी 'बी' लिस्ट में रह गये । मुख्य मंत्री जी आप से पूछना चाहता हूं कि अभी बी लिस्ट क्यों नहीं तैयार करायी ? बी लिस्ट लीगली नहीं हो सकती । इस समय उसको तैयार नहीं कराया न पिछली वाली डी० पी० सी० से इसको तैयार करवाया गया । हाई कोर्ट सुप्रिम कोर्ट के कारण उनके एपॉइन्टमेन्ट नहीं हो सकते थे उनको एडहॉक प्रमोशन दिये गये और जब कन्फर्मेशन का सवाल आया विष्णुदत्त जी की डेथ के दिन उनको कन्फर्म कराया गया, चार्ज दिलवाया गया और विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया । मुख्य मंत्री जी आर. ए. एस. के प्रोमोशन्स आपने पक्षपात पूर्ण तरीके से किये या नहीं ? क्यों नहीं कह कर चलना चाहते हैं ? हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया और सुप्रिम कोर्ट में चले गये तो फन्डामेन्टल दृष्टि से भी आप स्टेन्ड नहीं करते कि जब न्यायिक दृष्टि से फैसला न हो जाय आप नहीं कर सकते और जो फैसला हो वह मानना चाहिये । मुख्य मंत्रीजी दो दिन बाद दूसरी कार्यवाही करना चाहते हैं। सुप्रिम कोर्ट में कहा गया कि प्रोमोशन्स नहीं देंगे । किन्तु राजस्थान सरकार की ओर से मामला पेश किया गया कि प्रोमोशन्स रोक

(श्री भैरोंसिंह)

दिये गये इसलिये प्रशासनिक दृष्टि से दिक्कत पैदा हो गई है इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी अब एपॉइन्टमेन्ट्स होंगे वह सबजेक्ट टू सुप्रिम कोर्ट के डिसिजन होंगे डी०पी०सी० को बिठा दिया। रूल्स का अमेन्डमेन्ट किया, पूरा केटलग है मेरे पास, जो अनुचित है और पक्षपात का प्रतीक है। डी० पी० सी० से सिलेक्शन करवाया। विधान सभा का अधिवेशन होगा और डी. पी. सी. की लिस्ट को देखेंगे तो कर्मचारियों में तबाही मचेगी। यदि सरकारी कर्मचारियों मे विश्वास पैदा करना है तो पक्षपात को छोड़ो, विधान सभा से नियमों को स्वीकार कराओ, कोई अमेन्डमेन्ट कराना है तो विधान सभा के माध्यम से कराओ। यह तो आप करते नहीं और ऑर्डिनेन्स के जरिये दबाने की चेष्टा करो उसका लाभ नही मिलेगा।

ऑर्डिनेन्स इश्यू किया उसके बाद यह सरकार कहती है कि हमने सरकारी कर्मचारियों से बिना रिवेन्जफुल एटीट्यूट लिये बातचीत की। आपस में जितने भी मतभेद थे उसको अच्छी तरह से साफ कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, यह दोनों जानते हैं कि जब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे तो मैंने विधि मंत्री श्री बरकतुल्ला खां साहब को चिट्ठी लिखी और निवेदन किया कि सरकारी कर्मचारी चोर डाकू नहीं है, अमुमन कानून तोड़ने वाले नहीं हैं, सरकारी कर्मचारी कोई ऐसा ऑफेन्स करके नहीं आये हैं कि उनके साथ जेल में क्रिमिनल का सा व्यवहार किया जाय। इसलिये उनसे निवेदन किया कि उनसे जेल में मिलने-जुलने की व्यवस्था की जाय, उनके खाने पीने की व्यवस्था में बाधा नहीं पहुंचायी जाय, उनके लिये कानूनी सहायता की व्यवस्था की जाय। आपको ताज्जुब होगा यह सुनकर कि राजस्थान की इस सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को जयपुर में गिरफ्तार किया, रातों-रात, धौलपुर भेजा, कोटा भेजा, भरतपुर भेजा और मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर दिया जो उनके केसेज को ट्रायल करेंगे और सजा देंगे, मैं समझता हूं कि सरकार का कर्मचारियों के साथ यह जबरदस्त अन्याय है। उनका जो फन्डामेन्टल राइट है कानूनी सहायता देने का और जहां गिरफ्तार किया जाय वहां उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाय लेकिन उनको रातों-रात धौलपुर भेजा और भरतपुर भेजा और कोटा भेजा, कानूनी सहायता नहीं, वकील मिले नहीं, पास में पैसा नहीं, वह किस प्रकार से अपना डिफेन्स कर सकता है ? इन सब बातों पर यह सदन विचार करे। राजस्थान सरकार ने जहां जहां कर्मचारियों को जेल में भेजा मजिस्ट्रेट नियुक्त किये। इस सम्बन्ध में जो मैंने पत्र लिखा जवाब आया उसके कुछ अंश सदन में पढ़ कर सुनाना चाहता हूं।

(श्री भैरोंसिंह)

उन्होंने जो जवाब दिया वह यह है, राजस्थान अत्यावश्यक सेवाओं के अनुसरण में जो मुकद्दमें चलेंगे उनकी सुनवाई राज्य में प्रचलित न्याय व्यवस्था के अनुरूप होगी और इस प्रकार के मामलों की सुनवाई एक्जोक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही करेंगे। जब तक राजस्थान के न्याय के ढांचे को बदला नहीं जाता इस अध्यादेश के अन्तर्गत सुनवाई एग्जोक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही कर सकते हैं मैंने निवेदन किया था कि इन मामलों को जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सुपुर्द किया जाय इसका जवाब तो उन्होंने यह दिया।

इसके अलावा मैं चाहता हूं जो लोग स्वयं गिरफ्तार हुए कोई भी नहीं कह सकता कि उन्होंने किसी अध्यादेश का उल्लंघन किया वे ऐसा करना भी नहीं चाहते थे तो ऐसी हालत में उन पर मुकद्दमे चलते है तो उनके लिये वकील आदि की व्यवस्था भी होनी चाहिये। कानूनी सहायता देने की आप व्यवस्था करें। उसका जवाब मिला कि अगर वे यह लिखकर दें कि उनको कानूनी सहायता की आवश्यकता क्यों है वे इसमें भाग लेने से इंकार करते हैं और माफी मांगते हैं तो अदालत देख लेगी और उनको छोड़ दिया जायगा।

तीसरा मेरा प्रश्न था कि उनको राजनैतिक बंदी के रूप में माना जाय वे ही सहूलियतें दी जायें उसके बारे में वे लिखते हैं राजस्थान सरकार के कर्मचारी को राजनैतिक बन्दी की संज्ञा देना असंगत है।

उपाध्यक्ष महोदय, आंदोलन होते रहते हैं और आंदोलन के दौरान कई प्रकार के व्यक्ति गिरफ्तार किये जाते हैं। सरकार के जो कर्मचारी हैं वे सरकार के पार्ट एण्ड पार्सल हैं उनके साथ सरकार को ऐसा बरताव नहीं करना चाहिए। किसी मामले में मतभेद हो गया हो तो उनको क्रिमीनल्स की तरह ट्रीट नहीं किया जाना चाहिये। उनके साथ जेलों में विशेष ट्रीटमेंट होना चाहिये। दुर्भाग्य यह है कि उनको ट्रीटमेंट क्रिमनल सा दिया गया। उनसे कहा गया कि तुमने कानून को तोड़ा है। हम भी कानून तोड़कर ही जेल जाते हैं दूसरे दर्जे में हमे स्थान मिलता है लेकिन सरकार के कर्मचारी को आप क्रिमीनल का सा व्यवहार देते है यह कहां तक आपके लिये उचित है? कोटा में कर्मचारियों को हथकड़ी डाल कर बाजारों में घुमाया गया और उनको जंगलों में ले जाकर छोड़ा गया। आपने उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जैसे मानो वे हार्ड हार्ड क्रिमीनल हों। यह सरकार के लिये किसी भी प्रकार से शोभनीय नहीं है।

अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान सरकार से

(श्री भैरोंसिंह)

आर्डिनेन्स इश्यू किया। मुख्य मंत्री महोदय कल कह गये कि सरकारी कर्मचारियों ने अपने आन्दोलन को स्थगित किया है अगर जिस दिन विड्रा कर देते हैं तो आर्डिनेन्स को विड्रा कर लिया जायगा।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैंने तो यह कहा था यह विधेयक विचारार्थ लिया जाये उससे पहले विड्रा कर लेने तो हम भी बिल के रूप में नहीं रखते।

श्री रामकिशन : आपने होशियारी से शब्द इस्तेमाल किये थे।

श्री भैरोंसिंह : आपने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जिससे दोनों मतलब निकलते हैं, लेकिन जिस भाषा में आपने कहा उसमे एक बात तो अवश्य झलकती है कि अगर कर्मचारी अपना आन्दोलन वापिस ले लेते हैं तो सरकार के लिये अध्यादेश प्रस्तुत करने की सरकार को आवश्यकता नहीं थी। अब मैं समझने में असमर्थ हूं कि सरकार अपने कर्मचारियों के साथ क्या सौदा कर रही है तुम आन्दोलन वापिस लो हम आर्डिनेन्स वापिस लेते हैं। क्या यह सरकार को शोभा देने वाली बात है? आपको आर्डिनेन्स इश्यू करने का अधिकार है आप अगर कर्मचारी दुबारा आन्दोलन करते हैं तो आप दुबारा भी आर्डिनेन्स जारी कर सकते हैं। किसने आपको रोका है कि आप आन्दोलनकारी कर्मचारियों को इस अध्यादेश के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते? आज जब कि आन्दोलन स्थगित हो गया है इस आर्डिनेन्स का महत्व नहीं है। आप इसके साथ इस प्रकार का प्रोविजन भी कर रहे हैं कि पहले नोटिफिकेशन निकालेंगे उसके बाद एसेन्सियल सर्विसेज डिक्लेअर करेंगे फिर यूनियन की मान्यता खत्म होगी और फिर जाकर यह प्रभावशील होगा। मैं पूछता हूं नोटिफिकेशन और आर्डिनेन्स में क्या अन्तर है? बाद में भी आप नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं आर्डिनेन्स इश्यू कर सकते हैं। उसमें सदन की अनुमति लेने की आवश्यकता भी एक दम नहीं रहती। आप आर्डिनेन्स लाकर यह चाहें कि सरकारी कर्मचारी आपके इस आर्डिनेन्स से डर जायेंगे यह होने वाला नहीं। आप इस तरह से सरकारी कर्मचारियों को दबाना चाहें तो हम यह मान कर चलें कि सरकारी कर्मचारियों के प्रति विश्वास नहीं। पी. डी. एक्ट द्वारा जनता को दबोचना चाहते हैं जनता में सरकार का विश्वास नहीं। मैं सरकार से नम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं आपको आर्डिनेन्स जारी करने के अधिकार हैं। इस पावर को आप बीस वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के लिये नहीं लाये आज पहली बार उनके लिये इस प्रकार का आर्डिनेन्स लाया जा रहा है। इतने अर्से में न तो उन्होंने ऐसा आन्दोलन किया और न गिरफ्तारियां हुईं। जब कर्मचारियों ने आपमें विश्वास कर आन्दोलन को स्थगित कर दिया है तो आपको भी उदारता बता कर इस अध्यादेश को वापिस लिया जाता और आपको तो इसको आगे होकर विड्रा कर लेना चाहिये था। लेकिन आपने यह नहीं किया। इसका असर कर्मचारियों पर बुरा पड़ेगा। वे समझेंगे कि हमने अन्धविश्वास मुख्य मंत्री में प्रगट किया लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने हमारे साथ विश्वासघात कर दिया है। इस तरह की धारणा उनकी नहीं बनने देनी चाहिये थी।

(श्री भैरोंसिंह)

मैं निवेदन करना चाहता हूं आप आर्डिनेन्स के जरिये आप में और सरकारी कर्मचारियों में बिटरनेस कायम होगी। बिटरनेस पैदा न हो बिटरनेस खत्म करने के लिये ही हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि जोइण्ट कन्सलटेटिव कमिटी आदि के बारे में कानून लगाइये जिस प्रकार की व्यवस्था अन्य जगहों पर की गई है राज्य सरकार उसको स्वीकार करे। उसके बाद भी राज्य सरकार के कन्ट्रोल में नहीं आती है तो आर्डिनेन्स निकाले। साधारण स्थिति में आर्डिनेन्स का भय बता कर उनको दबाना किसी भी मधुर सम्बन्ध बनाने की दृष्टि से उचित नहीं है। इससे आपके और कर्मचारियों के बीच में मधुर सम्बन्ध नहीं रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): अध्यक्ष महोदय, जो बिल पेश हुआ था उसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय यह प्रस्ताव रखा गया था। माननीय शेखावतजी ने जो बात कही उसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हिंसा को हिंसा से दबाया नहीं जा सकता। एक बात जरूर है कि अगर कर्मचारियों को जनता का समर्थन होता तो इनकी सहानुभूति में जनता भी कुछ प्रदर्शन करती। यहां इस प्रकार के भाषण होते हैं वे गेलेरीज को एड्रेस करने वाले होते हैं ऐसे भाषण मैं बहुत सुनता हूं। एक बात है दो करोड़ जनता है वे इन सरकारी कर्मचारियों के प्रति क्या भावना रखते हैं यह भी कभी आपने जानने की कोशिश की है? आप अगर आम जनता से इनके बारे में जाने, जनता के नुमायन्दे हैं इनके बारे में जनता से पूछें केवल गेलेरीज को एड्रेस करने से काम नहीं चलेगा। सरकारी कर्मचारी हमारे स्नेह के पात्र हैं उनके साथ प्रेम रखा जाना चाहिये लेकिन सरकारी कर्मचारियों को जो तनख्वायें देते हैं...

एक माननीय सदस्य: शेखावतजी ने इस तरह की कोई बात नहीं कही।

श्री देवीदत्त गाडिया: सुखाड़ियाजी के ये चमचे केवल चमचागिरी ही करना जानते हैं। यह तो डागाजी की आदत है पोलसन लगाना ही इनका काम है।

श्री भैरोंसिंह: डागाजी आप शेखावतजी न कहें इसका मतलब दूसरा निकलता है।

श्री मूलचन्द डागा: एक बात कहना चाहता हूं राजस्थान के नागरिक हैं आज उनकी एवरेज इन्कम क्या है। सरकारी कर्मचारियों की जो तनख्वायें हैं वे कम हैं, महंगाई भत्ता कम मिलता है अगर वे समझते हैं कि उनको कम तनख्वाह मिलती हैं तो वे छोड़ कर क्यों नहीं चले जाते?

श्री रामानन्द अग्रवाल: बहुत बड़ा सोशियेलिज्म है यह आपका?

श्री देवीदत्त गाडिया: आपने भूमि आवंटन का विरोध किया था आप कांग्रेस छोड़कर आजाओ।

श्री मूलचन्द डागा: आज देखने की बात क्या है वह यह कि जनता की नागरिक की एवरेज इन्कम क्या है? उससे ज्यादा कितना दिया जा सकता है। जिस प्रकार का वे काम जनता का करते हैं, उनका

(श्री मूलचन्द डागा)

व्यवहार जिस प्रकार का है, यह आपने कभी सोचा है? करोड़ों रुपया सरकार की इन्कम का राज्य कर्मचारियों की तनख्वाहों पर खर्च कर देते हैं इसके साथ-साथ उनको भी यह सोचना चाहिये कि उनका क्या कर्त्तव्य है जनता के प्रति? आप और हम जनता के नुमायन्दे हैं आपने कभी सोचा एक नागरिक को जो सुविधायें हैं उससे कितनी अधिक सुविधायें राज्य कर्मचारी को है मकान के लिये लोन मिल जाता है और अन्य अन्य सुविधायें मिल जाती हैं लेकिन आप यह ध्यान रखिये अनुशासन बिना विकास नहीं हो सकता।

एक माननीय सदस्य : भ्रष्टाचार क्यों पनप रहा है यह नहीं बताओगे। केवल यह बात कह दें...

श्री देवीदत्त गाडिया : बोलें तो ठीक।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। जब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं तो आप समझते हैं हमें नुकसान नहीं होता है। एक हरिजन भाई एक गांव में म्युनिसिपैलिटी में हड़ताल पर चला जाता है तो कितने हजार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो जाता है और अगर एक अहलकार..........

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पाली म्युनिसिपैलिटी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता क्या? चेयरमेनशिप का चार्ज लेने के बाद आपको...

श्री मूलचन्द डागा : (दोनों के साथ बोलने पर, अश्रव्य) क्या आप वकालत कर रहे हैं। मंहगाई भत्ता बढ़ जाय लेकिन जब उनका आर्डिनेन्स निकला तो मैं जानना चाहता हूं आम जनता की तरफ से कितने रिप्रजेन्टेशन आये कि इन पर यह आर्डिनेन्स नहीं लगाया जाय। सरकारी कर्मचारी तो अपनी खुद की दुनियां लेकर चलता है। जो उसका अपना कुनबा है वह यह जानता है कि जनता से अलग है और जनता के ऊपर हम हुकूमत करते हैं। इनके ऊपर सहानुभूति, प्रेम, मोहब्बत तब बढ़ सकती है जब जनता के प्रति वफादार हो, अपना काम करते हों। आज जो दूसरी जगह पर काम करने वाले लोग हैं उनको देखें क्या मिलता है? जो दूसरी नौकरी में हैं उनको क्या मिलता है यह आपने देखा है? एक काश्तकार क्या कमाता है? एक सड़क पर काम करने वाला क्या कमाता है? उसकी सुख सुविधाओं की आपको चिन्ता नहीं है। एक किसान है और या एक गांव में बैठने वाला है उसकी क्या हालत है? वे कैसे मकानों में रहते हैं? जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन हजारों लाखों कर्मचारियों की बातें सुनें-जो पढ़े लिखे हैं वे उनको डोमीनेट कर सकते हैं। हमने नहीं कहा आपकी सर्विसेज में यह होना चाहिये। अगर आपके डिपार्टमेंट से कुछ अन्याय होता है कभी आपने सुना है पिटाई करने वाले लोगों ने उन आम अधिकारियों के खिलाफ अवाज उठाई है कि इनकी तनख्वाह बन्द करो लेकिन यह अवाज नहीं उठाई। ऊंचे अधिकारियों को हजार रुपये मत दो, 700 रुपये दो और इसलिये आन्दोलन करते हैं-आन्दोलन करने का यह भी तरीका होता है, लेकिन व्यवस्था को कायम रखना है, अनुशासन को बनाये रखना है और अगर

(श्री मूलचन्द डागा)

देश को जीवित रखना है तो वह आवाज भी सरकार के पास पहुंचनी चाहिये। मैं पूछना चाहता हूँ आज इस अध्यादेश के सम्बन्ध में कितने दिन बाजार बन्द हुये, कितनी स्कूलें बन्द हुई, और कितने कालेज बन्द हुये? किस ने नहीं कहा कि यह बड़ा कानून आ रहा है। बाजारों में एक दिन भी हड़ताल नहीं हुई, एक दिन के लिये भी बाजार बन्द नहीं रहे। अगर सर्विस काम करना बन्द कर दें...

श्री रामानन्द अग्रवाल : तब आप खुश होते।

श्री मूलचन्द डागा : यह दोनों तरफ की बात है मैं जानता हूँ। आप खुद भी बाहर जाओगे तो कर्मचारियों मे कहोगे यह ठीक नहीं है। इनकी बातों का सवाल है? एक था-जो हमारी आर्थिक हालत है, जो हमारी वित्तीय स्थिति है उसको देखते हुये जो कुछ हम करते हैं। जो कुछ कदम हम उठाते हैं उस कदम के अन्दर एक आध पुतले जलायें, हम कलम रोक देंगे, सांकेतिक हड़ताल करेंगे। कितने करोड़ों रुपयों का जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। हमारी पंचवर्षीय योजनायें फेल हो जायं लेकिन एक बात जरूर है--सरकारी कर्मचारी हैं उनको दे दें।

कभी सरकारी कर्मचारी ने यह आन्दोलन किया बड़े-बड़े सेक्रेटरीज हैं जो हमारा शोषण करते हैं और केवल दो-तीन घंटे काम करते हैं। सारा काम छोटा कर्मचारी करता है और वह केवल दस्तखत कर देता है...

(4.23 म. प.)

(श्री विजयसिंह सभापति, पदासीन)

इन लोगों को सुविधायें कम करो। इनके पास इतनी सुविधायें नहीं होनी चाहिये, इनके पास गाड़ी नहीं होनी चाहिये। सरकारी कर्मचारी यह आन्दोलन नहीं करेंगे वे आन्दोलन करेंगे हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिये। हमने कब कहा सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिये। मेरी समझ में जितने सरकार ने अपने कर्मचारियों को प्लाट्स दिये, जितना मंहगाई भत्ता दिया उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे लेकिन आर्डिनेन्स से यह एक्ट आया तो कहने लगे यह काला कानून आया है। दो करोड़ जनता है उसको खड़ी करें और यह कहें कि यह काला कानून आ रहा है। लेकिन यह जनता का काला कानून नहीं है, जनता इसके लिये तैयार है। जनता का कहना है यह काला कानून ठीक है...

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : इस पाईन्ट पर वोट ले लिये जांय।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिये मैं एक बात, सभापति महोदय, आप मेरी बात से सहमत होंगे।

श्री सभापति : केरी आन।

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदय क्या आप सहमत हैं?

श्री सभापति : मैं तो कह रहा हूं केरी आन रखिये।

Page No 127

श्री मूलचन्द डागा : उस कानून के अन्दर कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप चाहें दूसरे तरीके से, वैधानिक तरीके से मीटिंग बुलवा सकते हैं, वैधानिक तरीकें से असेम्बली में बात कह सकते हैं। आप इस बात को कहने के लिये ठीक हैं··

श्री रामचन्द्र आर्य : आपको मालूम होना चाहिये आपका यह शासन कर्मचारियों के बल पर बना था नहीं तो बनने का सवाल ही नहीं था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह गलत बात है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अधिकारियों ने मेम्बरों को भेजा था। उनकी सहायता से आप आये हैं। यह बिल्कुल सही बात है।

श्री मूलचन्द डागा : इसलिये सभापति महोदय, यह जो कानून है उसको पारित किया जाय···

श्री नत्थीसिंह : आपको अभी यह ही पता नहीं है पारित किया जाय या जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। प्रस्ताव का ही इनको पता नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा : हां, इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

श्री सभापति : श्री रामानन्द अग्रवाल !

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय··

श्री यशवंतसिंह नाहर : सभापति महोदय···

(दोनों माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर, अश्रव्य)

··कल यह निर्णय हो गया था और उस पर आप बोल चुके थे। अब आपके बोलने का अधिकार नहीं है। जब इस आर्डिनेन्स के सारे पहलुओं पर–इसको अस्वीकार किया जाय, आप बोल चुके हैं······

एक माननीय सदस्य : नहीं बोले।

श्री यशवंतसिंह नाहर : बिल्कुल बोल चुके हैं।

श्री मूलचन्द डागा : हाउस में यह होता है जो बोलना चाहें वह कभी भी किसी विषय पर डिबेट कर सकता है ?

श्री सभापति : जनमत जानने के लिये प्रस्ताव है इसलिये बोलेंगे।

श्री यशवंतसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, दो मिनट एक तो यह है कि आप खूबसूरत जो अवस्था है उस पर ध्यान देते। एक पार्टी है, एक प्रतिनिधि है। इस सदन की कार्यवाही ले लीजिये सुबह से शाम तक ये बोलते रहे। अकेले ही सदन का अधिक समय ले लें।

श्री सभापति : हिम्मत की बात है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : आप चेयर पर बैठे हुये हैं उनको टाइम··

श्री सभापति : टाइम तो आप ले रहे हैं। जिनका प्रस्ताव है उनको कैसे मौका नहीं दिया जायगा ? इस प्रस्ताव पर नहीं बोले हैं। माननीय अग्रवाल जी।

Page No 128

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय....

श्री शंकरलाल : पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर। मैं इसमें निवेदन करना चाहूंगा हमारे जो नियमों के नियम 282 है—
"(1) Whenever the dedate on any motion in connection with a Bill or any any other motion becomes unduly protacted, the Speaker may, after taking the sense of the House, fxa time limit for the conclusion of discussion on any stage or all stages of the Bill or the motion, as the case may be."

निवेदन यह है कि इस संबंध में कल भी काफी देर तक विचार-विमर्श हुग्रा ग्रौर ग्राज भी लम्बी लम्बी स्पीच होंगी तो उसका टाइम निश्चित करना बहुत ही ग्रावश्यक है। ग्राप जो भी उचित समझें हाउस की सेन्स लेकर समय निश्चित कर दें तो जो माननीय सदस्यों का ग्रारोप है कि किसी को तो कम समय मिलता है ग्रौर किसी को ज्यादा समय मिलता है मैं समझता हूं कि यह शिकायत भी दूर हो जायेगी ग्रौर साथ ही इससे समय पर बिजनेस भी चलता रहेगा।

श्री यशवंतसिंह नाहर : लिस्ट में ग्रापका नाम भी तो नहीं है।

श्री सभापति : है।

श्री यशवंतसिंह नाहर : हमारे यहां सक्युलेट हुई उसमें नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, यह ग्रापत्ति जो माननीय शंकरलाल जी ने प्रस्तुत की है यह ग्रापत्ति उचित नहीं है। कारण यह है कि बिल पर विवाद काफी हो चुका हो तो उसके बाद में प्रोटेक्टेड डिबेट हो गयी हो तो विवाद को रोकने की बात खड़ी हो सकती है। मैं समझता हूं कि बिल पर ग्राज ही विचार शुरू हुग्रा है ग्रौर कल तो ग्रार्डिनेन्स पर विचार था...

श्री शंकरलाल : प्रश्न यह है कि हाउस में इसके ऊपर निर्णय हुग्रा था कि कल के बिजिनेस में इसके ऊपर निर्णय कर लिया जायेगा इसी बिल के ऊपर ग्रौर ग्रभी 4-30 बजे हैं ग्रौर केवल ग्राधा घण्टा बाकी है ग्रौर जो भी निर्णय हो वह ग्राधे घन्टे में होना चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ऐसा हाउस ने निर्णय नहीं लिया है। निर्णय हो चुका है।

श्री शंकरलाल : कल जो निर्णय लिया था उसको ग्राप नहीं मान रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कल हाउस ने कोई निर्णय नहीं लिया। ग्रापकी ग्रापत्ति 282 के ग्रन्तर्गत है वह लागू नहीं होती है। इसलिए ग्रापत्ति को निरस्त की जानी चाहिए। विधेयक पर ग्राज विचार हो रहा है ग्रौर इस पर पहले भैरोंसिंहजी बोले ग्रौर दूसरे डागाजी बोले ग्रौर ग्रपोजीशन से एक दो माननीय सदस्य ग्रौर बोलेंगे ग्रौर कांग्रेस के भी कुछ माननीय सदस्य बोल सकते हैं। गवर्नमेन्ट रिप्लाई होगा ग्रौर ज्यादा देर बैठना होगा तो बैठेंगे लेकिन इतने इम्पार्टेन्ट मसले पर डिबेट को इस तरह से करटेल करना चाहो तो यह कतई वाजिब

(श्री सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल)

नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि शंकरलालजी ने जो ग्रापत्ति प्रस्तुत की है 282 के ग्रन्तर्गत उसको निरस्त किया जाये ग्रौर माननीय रामानन्दजी को बोलने की इजाजत दी जाये।

श्री सभापति : ऐसा है कि 10–10 मिनट के लिए जो भी माननीय सदस्य बोलना चाहें वे बोल लें क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है। श्री ग्रग्रवाल।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल (ग्रलवर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल को जनता की राय जानने के लिए प्रसारित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि सरकार इस बात पर ही ग्रड़ी हुई है कि वह इस किस्म का कानून स्टेच्यूट बुक पर लाना ही चाहती है तो जो प्रावधान इस बिल के द्वारा सरकार ने प्रस्तुत किये हैं वे इस प्रकार के हैं जिनको ग्राज जल्दबाजी से पास नहीं करके यह ग्रावश्यकता है कि उस पर जनमत जाना जाये ग्रौर उसके बाद उस पर विचार करके यह सदन कोई निर्णय ले।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में जो ग्राम तौर पर यह वातावरण सरकार बना रही है कि ऐसी स्थिति पैदा हो गयी जो सरकारी कर्मचारियों ने क्रियेट की ग्रौर यह बिल केवल सरकारी कर्मचारियों के मीट करने के लिए बना रहे हैं ग्रौर केवल हड़ताल को मीट करने के लिए बना रहे हैं वह वास्तविक रूप से सही नहीं है ग्रौर बिल के प्रोवीजन्स सरकारी कर्मचारियों से ज्यादा कहीं काम्प्रीहेन्सिव हैं, इस बिल के प्रोवीजन्स स्ट्राइक से ज्यादा कहीं काम्प्रीहेन्सिव हैं। कई तरह की एक्टीवीटीज, कई तरह की बातें उनको कवर करने की हैं। मिसाल के तौर पर, सभापति महोदय, स्ट्राइक की डेफीनेशन इस बिल में जो कहा गया है वह न केवल नार्मल काम को कोई रोके उसके बारे में नहीं बल्कि इस बिल के पास होने से सरकार ग्रोवरटाइम करने के लिए भी मजबूर कर सकती है जिससे कि कोई ड्यूटी बाउण्ड नहीं है। ग्रगर 8 घण्टे का वर्किंग डे है ग्रौर कोई भी 8 घण्टे काम करे तो किसी को भी ग्रोवरटाइम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसमें स्ट्राइक की डेफीनेशन रखी है उसमें यह जो क्लाज 2 है इसका (बी) का पार्ट (1) इस प्रकार है:

"(i) refusal to work over-time where such work is necessery for the maintenance of any essential service,"

इसका मतलब यह हुग्रा कि सरकार किसी भी काम को एसेन्शियल सर्विसेस घोषित कर सकती है। कोई काम बाकी नहीं है जो कि इस बिल के तहत एसेंशियल सर्विसेस की जो डेफीनेशन रखी है उसमें एसेंशल सर्विसेस घोषित किया जा सकता है। न केवल सरकार द्वारा चलाये गये बल्कि सेमी–गवर्नमेंट ग्रौर लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट के द्वारा जो चलाये जाते हैं या प्राइवेट इन्स्टीट्यूशन्स तक जो चलाये जाते हैं ग्रौर एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स हैं वह भी इसके ग्रन्दर कवर होंगे ग्रौर एक प्राइवेट एडेड स्कूल है

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

जिसको एड मिल रही है सरकार से और वहां टीचर्स को वहां का मेनेजमेण्ट मजबूर करता है कि आपको ओवर-टाइम करना पड़ेगा तो टीचर्स इन्कार नहीं कर सकते। अगर आपका यह एक्ट बना हुआ है और इसके तहत आपने नोटीफिकेशन निकाला हुआ है और स्कूल के बारे में कहीं भी हड़ताल हुई, स्कूलों में या यूनिवर्सिटी में हुई तो वही प्रोवीजन्स लागू हो सकते हैं जो कि ओवरटाइम करने से इन्कार करे तो उसको भी आप इसके अन्दर कवर कर लेंगे। तो इस तरह से जो यह सेकण्ड है:

"(ii) any other conduct which is likely to result in or results in cessation or substantial retardation of work in any assential service."

क्योंकि जब कोई मुकदमा बनाया जायेगा या किसी को गिरफ्तार किया जायेगा तो भी इण्डीविजुअल को गिरफ्तार किया जायेगा तो पुलिस ऑफिसर को यह अधिकार हो जायेगा कि वह देखें कि इस आदमी के कन्डक्ट से काम चल रहा है लेकिन किसी तरह का रिटारडेशन हुआ है तो इसका अन्दाजा और इसका असेसमेण्ट आप पुलिस अधिकारी को दे रहे हैं, उसके कण्डक्ट से रिटारडेशन हुआ है इस बुनियाद पर भी वह गिरफ्तार किया जा सकता है, और इसके अन्दर कवर किया जा सकता है। इसलिए स्ट्राइक की डेफीनेशन में केवल स्ट्राइक ही नहीं बल्कि तमाम इस प्रकार की बातों को भी इसके अन्दर रखा है जो मैं समझता हूं कि बिलकुल एक शिकन्जे के अन्दर कसने की बात, जो तमाम आजादी इन्सान की है उसको रोकने की बात और यह ओवरटाइम काम को करने के लिए मजबूर करने की बात है— मैं समझता हूं कि बिल्कुल अनुचित और अन्यायपूर्ण है, वह इसके अन्दर रखी जा रही हैं।

इसके बाद में जो एसेन्शियल सर्विसेज की डेफीनेशन रखी गयी है उसके अन्दर सरकार से सम्बन्धित सर्विसेज, एज्यूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स की हैं या लोकल बाडीज की हैं अब जब यह स्थाई रूप से बन जायेगा तो एक कस्बा की म्युनिसिपैलिटी के अन्दर अगर हड़ताल होती है, गवर्नमेण्ट डिक्लेयर करती है और कर देती है आसानी से कि यह एसेन्शियल सर्विस है और जैसे ही यह स्टेट्यूट बना और बनने के बाद एसेन्शियल सर्विसेज किन-किन को मानते हैं उसके लिये नोटीफिकेशन निकल जायेगा और म्युनिसिपेलिटी भी उसमें आ जायेगी, बिजली-घर भी उसमें आ जायेगा, वाटर वर्क्स भी उसमें आ जायेगा, स्कूल भी इसके अन्दर आ जाने वाला है। तो मतलब यह है कि स्कूल के अन्दर स्ट्राइक या म्युनिसिपैलिटी के अन्दर स्ट्राइक होते ही इस कानून के तहत टीचर्स की गिरफ्तारी, स्टूडेण्ट की गिरफ्तारी, म्युनिसिपैलिटीज के मेहतरों की गिरफ्तारी और सब तरह के लोगों की गिरफ्तारियां एसेन्शियल सर्विसेज की वजह से होंगी। तो आप न केवल गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट पर ही यह चैक लगा रहे हैं बल्कि और जो लोग हैं तो इन्स्टीट्यूशन्स हैं उनके कर्मचारियों पर भी आप इस तरह की रोक लगा की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय : 10 मिनिट हो गये ?

श्री सभापति : 1 मिनिट बाकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इस तरीके से आपने जो फाइनेन्शियल एड देने का या इनसाइट करने का या इस तरीके से इसके अन्दर जो प्रोवीजन रखे हैं वे सारे के सारे प्रोवीजन्स इसके अन्दर जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा हर किसी चीज को उनसे कवर किया जा सकता है। यह, सभापति महोदय, मैं समझता हूं पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ आम जनता का रुझान है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है तो उस भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं लोग। कर्मचारियों के खिलाफ नहीं है। लोग तो भ्रष्टाचारी मिनिस्टर के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचर अगर एम. एल. ए. करता है तो उसके खिलाफ हैं और भ्रष्टाचार कोई भी करें मैं और आप भी हों तो उनके खिलाफ हैं। अगर माननीय सदस्य का यह कहना हो कि हरेक सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट है तो मैं समझता हूं कि यह वास्तविकता नहीं है। ऐसे भी ईमानदार ऑफिसर्स व सरकारी कर्मचारी हैं जो कि हमें देखने को मिले हैं कि जिनकी वास्तव में तारीफ की जानी चाहिए। खास तौर से मैं यह कहूंगा कि जो भ्रष्ट लोग हैं वे कभी यूनियन में नहीं आते हैं, न किसी हड़ताल में आते हैं और न कभी नेतृत्व करते हैं। वे सरकार की चमचागिरी करते हैं।

श्री मदन सिंह : इसका मतलब यह हुआ कि बड़े बड़े सेक्रेटरी हैं जो कि आन्दोलन में नहीं हैं वे सब भ्रष्ट हैं?

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका तो आप अन्दाजा लगाइये। यह आपकी समझ है। लेकिन मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस भ्रष्टाचार को सरकारी कर्मचारियों में से खत्म करना चाहते हैं और आज आप यह समझते हों कि एक चपरासी जिसको थोड़ी तनख्वाह मिलती है वह अन्दर आपको बुलाने और मिलाने के लिए·····

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनिट।

किसी ऑफीसर से मिलने का एक रुपया ले लेता है या तहसीलदार से मिलाने का चार आने लेता है तो मेरी सहानुभूति है इस बात से कि उसके लिए आप जिम्मेदार हैं। कम तनख्वाह देने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आप इन्टेरिम राहत या पूरी राहत और तरह की बातें नहीं देते हैं और उस स्थिति को कायम रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि कर्मचारी ट्रेड यूनियनों के जरिये अपने अधिकारों के लिए लड़ें। वह जो हैल्दी प्रवृत्ति है उसको आप कानून के जरिये से रोकना चाहते हैं और अनहैल्दी और भ्रष्टाचार की प्रवृति को बनाये रखना चाहते हैं। आप भ्रष्टाचार को बनाये रखना चाहते हैं। इस कानून को बनाकर, इस तरह की एक्टीविटीज पर रोक लगाकर, जो लोग इन्सानी जिन्दगी, इज्जत की जिन्दगी बिताना चाहते हैं, अपने हक के लिए लड़ने के लिए उनके अधिकार को रोक कर अगर आप इसको प्रोत्साहित करेंगे तभी भ्रष्टाचार को रूट आउट कर सकते हैं। इसको यूनियन्स ही खत्म कर सकेंगी। मैं समझता हूं कि कोई भी जिम्मेदार ट्रेड यूनियन भ्रष्टाचारी व्यक्ति के लिए नहीं कहती है कि इसको स्वाई कर दिया जाय। इसके लिए कोई

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
नहीं लड़ती है और जो अच्छी यूनियन्स हैं वे ऐसे लोगों को नेतृत्व में नहीं आने देती हैं। और भ्रष्टाचारी लोग नेतृत्व में आते भी नहीं हैं। इसलिए यह विधेयक जो आप बनाने जा रहे हैं मैं माननीय डागाजी से कहूंगा कि जैसा कि वे समझते हैं कर्मचारियों के बारे में वह दृष्टिकोण उनका गलत है। आम जनता से आप पूछ लें और इसलिए इस बिल को जनमत के लिए भेज दें। यूनियन्स और एसोसियेशन्स की ओपीनियन मंगा लें और उसके बाद में यह बिल लाया जाय। आप अपनी इन्टक से पूछ लें।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

आपकी जो लेबर एसोसियेशन हैं, आपके जो लेबर लीडर्स हैं उनसे पूछ लें कि इस एसेन्शियल सर्विसेज बिल के बारे में उनकी क्या राय है ? आप अपनी ऑल इंडिया आर्गेनाइजेशन, आपकी इन्टक आर्गेनाइजेशन से पूछ लें क्या उसकी एक्जीक्यूटिव कमेटी इसका समर्थन करती है कि यह एसेन्शियल सर्विसेज आर्डिनेन्स ठीक है हम कहते हैं कि वह नहीं करेगी। मैं समझता हूं कि कोई भी ट्रेड यूनियन इसका समर्थन नहीं कर सकती है।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

इसलिए मैं इस प्रस्ताव को मूव करता हूं।

श्री सभापति : श्री केसरीसिंह हाड़ा।

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : माननीय श्री भैरोंसिंह जी मेरे दल के बोल लिये हैं इसलिए मैं नहीं बोलना चाहता हूं।

श्री सभापति : श्री शिवनाथ सिंह।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मेरा नाम भी है।

श्री सभापति : आपका नाम भी आ जायेगा जहां लिखा हुआ है वहां। इतना तो मैं भी पढ़ा हुआ हूं।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सभापति महोदय मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि एसेन्शियल सर्विसेज बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

अभी अभी जनसंघ दल के माननीय नेता महोदय को मैंने सुना तो उन्होंने दलीलें केवल राजनैतिक दृष्टिकोण से दीं। उन्होंने इस बिल का विरोध किया। इस बिल का विरोध इसलिए किया कि माननीय मुख्य मंत्री जी के रिलेशन्स को प्रोमोशन दिया गया, इसलिए विरोध किया क्योंकि सर्विसेज रूल्स में डिफेक्ट है। इसलिए इस बिल का विरोध किया कि यहां पर कुछ दिन पूर्व कुछ कर्मचारियों ने आन्दोलन किया था और उस आन्दोलन में कर्मचारियों की मांगों को सरकार ने स्वीकार कर लिया। मैं समझता हूं कि राजनैतिक मंच पर ऐसा भाषण फिट बैठ सकता है। लेकिन जहां तक कानून का सवाल है तो उस कानून में क्या क्या खामियां हैं उस आधार पर उसका विरोध करते तो वह बात तो समझ में आ सकती है, लेकिन राजनैतिक दृष्टिकोण से राजनैतिक भाषण के हिसाब से विरोध नहीं कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि जो कर्मचारियों का आन्दोलन हुआ उसकी प्रतिछाया सदन पर है। थोड़े दिन पहले उसकी आवश्यकता थी पर आज भी माननीय सदस्य बोलते हैं तो उस आन्दोलन को

(श्री शिवनार्थसिंह)

दृष्टिकोण में रखते हुए बोलते हैं। यदि यह आन्दोलन नहीं होता और दूसरे ही वातावरण में यह विधेयक सामने आता तो दूसरा ही दृष्टिकोण होता। मैं मानता हूं कि उस दृष्टिकोण को छोड़कर बिल के मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखना चाहिए। मेरी स्वयं की व्यक्तिगत राय है कि यह बिल जो पास किया जा रहा है जिसको कानून की संज्ञा देने जा रहे हैं उसको मैं अपने प्रान्त के लिए एसेन्शियल मानता हूं। ऐसे बिल हमारे सामने होने चाहिए। हम राज्य कर्मचारियों का आदर करते हैं, उनको सहूलियत देना चाहते हैं जितनी कि दे सकते हैं, अपने साधनों के हिसाब से उनको अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें, लेकिन उनके हाथ में वह जरिया नहीं दे सकते हैं कि जिस क्षण चाहे अपना काम बन्द कर दें। आप एक तरफ तो यह देखते हैं कि इस बिल का राज्य कर्मचारियों के खिलाफ प्रयोग होगा। लेकिन आप उस स्थिति को भी देखिये कि सैंकड़ों मुकद्दमों की तारीखें लगी हुई हैं और 100-200 गवाह आते हैं बाहर से और वे कोर्ट में जाते हैं और राज्य कर्मचारी कहते हैं कि हम हड़ताल पर हैं तो उनकी क्या दशा होती है ? आप उनके दृष्टिकोण से भी देखिये। आप इस सदन में बैठे हुए हैं और आज इसी क्षण बिजली विभाग के कर्मचारी कह दें कि हड़ताल करते हैं तो आपको लाइट नहीं मिल सकती है। आप आज पानी का हिसाब देख लें, नहरों का हिसाब देख लें, किसी का भी देख लें जिससे जन जीवन ठप्प हो जाय और वे जनता के काम को छोड़ जायं तो आप इस बात को बरदाश्त नहीं कर सकते हैं। जन-जीवन को रैग्युलेट करने के लिए पावर्स राज्य के हाथ में होना चाहिए। हम यह नहीं चाहते हैं कि सरकार आर्बिट्रेरी ढंग से इसका प्रयोग करे। इसलिए इस बिल में ऐसा प्रावधान रखें।

कुछ प्रोवीजन्स इस बिल के ऐसे हैं कि जिनके बारे में मुझको आपत्ति है वह मैं निवेदन करना चाहता हूं। वे क्लाजेज 5-6 और 7 हैं। क्लाज 4 जो है उसमें आपने पेनाल्टी रखी है उस व्यक्ति के लिए जो हड़ताल में भाग ले। आज सरकार का स्वयं का अनुभव है कि एसेन्शियल सर्विसेज डिक्लेयर हो जाय उसके बाद में सरकारी कर्मचारी हड़ताल में भाग लेते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन 5, 6 और 7 में एबेटमेंट और फाइनेन्शियल एड देने वालों को जो सजा देने का प्रावधान है आई. पी. सी. को उठाकर देख लें या और किसी कानून को पढ़ कर देख लें कि मैं आफेन्डर को जो सजा होती है उससे अधिक एबेटमेंट को नहीं होती है। यह एक जनरल प्रिन्सीपल है। आपने देखा है कि जो मैन आफेन्डर है उसको आपने 6 महीने की सजा रखी है और जो एबेटमेंट करता है उसके लिए 12 महीने की सजा रखी है। चाहे तो जुर्माने को देख लें उसमें 250 का रखा है तो यहां पर 1 हजार का रखा है। जो फाइनेन्शियल एड करता है या उससे किसी तरह का सहयोग करता है तो उसके लिए भी वही सजा रखी है। तो मेरा यह निवेदन है कि कुछ दृष्टिकोण यह हो सकता है कि कुछ एजेन्सियां हड़ताल को भड़काती हैं और वे राज्य कर्मचारियों को भड़काते हैं इसलिए वह आन्दोलन होते हैं। वह दृष्टिकोण है, लेकिन उस दृष्टिकोण को इस दृष्टिकोण से

(श्री शिवनाथसिंह)

बाहर नहीं फैला सकते हैं । पिछले दिनों हड़ताल हुई तो कोई रिक्शा वाला यह नहीं कह सकता था कि उसने हड़ताल में सहयोग दिया, विद्यार्थियों की हड़ताल में सहयोग दिया, लेकिन हमने देखा था कि जब विद्यार्थियों की हड़ताल हुई थी तो विद्यार्थियों ने लोगों के ट्रकों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया और उनमें जबरदस्ती बैठकर जहां चाहे वहां ले गये। आपका जो पुलिस आफिसर है वह वीकर साइड में जायेगा। वह उस ट्रक वाले को गिरफ्तार कर लेगा क्योंकि उसने एक तरह से हड़ताल में सहयोग दिया, प्रदर्शन में भाग लिया। किसी होटल या दुकान में जबरदस्ती घुस गये हड़तालो और उसका सामान उठाकर ले गये, किसी के ट्रक पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते हैं। वे दबाव में आकर करते हैं तो आपका शासन उनको ही पकड़ेगा । वह यह नहीं देखेंगे कि किस दबाव में आकर उनको सहयोग करना पड़ रहा है । इसलिए जो प्रोवीजन आप एबेटमेंट का लाने जा रहे हैं तो इससे उन लोगों को प्रशासन तंग करेगा, बिना वारन्ट के उनको तंग करेगा और उन पर मुकद्दमें चलायेगा और अधिक सजा उनको होगी। इसलिए इस दृष्टिकोण को सामने रखकर इसको नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये प्रावधान 5-6-7 हार्ड हो जायेंगे । जिनका वास्तव में दोष नहीं है और जिन्होंने दबाव में आकर अपनी सुरक्षा को कायम रखने के लिए हड़तालियों से अपने प्राण बचाने के लिए कोई सहयोग कर दिया हो तो उनके लिए हार्डशिप होगी । इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि ये दो-तीन प्रोवीजन्स ऐसे हैं उनको ठीक करना है । आपका कन्वेन्शन क्या है, आपकी परम्परा क्या है ? आपकी परम्परा जनहित से सम्बन्धित है । राज्य कर्मचारी 3 लाख हैं तो जहां पर 3 लाख राज्य कर्मचारी हैं तो उनके परिवारों को देखें, उनके परिवार के कितने सम्बन्धी हैं उनको देखें बहुत बड़ा विस्तार होता है । इसलिए जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय और लोगों की राय ली जाय। दूसरे मजदूर संघ क्या कहते हैं, राज्य कर्मचारियों के संगठनों की क्या राय है इन सबका समन्वय करके एक ठीक ढंग से कानून बनाया जाय ।

मैं प्रिन्सीपली इस बात को मानता हूं। इस तरह सभी शक्तियां राज्य सरकार के हाथ में है । जनहित में मैं मानता हूं कि सेवायें चलती रहनी चाहिए। इसके बावजूद लोग हड़ताल करते हैं तो उनको सजा मिलनी चाहिये । इसका एक कारण यह भी है, कर्मचारी कितनी भी हड़ताल कर लें अन्त में हम एक हो जायेंगे। आप जो सख्त कानून बनाना चाहते हैं, आप एक बार तो कानून में सख्ती दिखाते हैं और अन्त में आप उसका उपयोग करने में ढीले पड़ जाते हैं । इसका परिणाम यह होगा कि वह सोचेगा कि हमारा कुछ होने वाला नहीं है । अगर इसका भी प्रावधान होगा तो अच्छा रहेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इसे जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाये ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन ।

श्री श्रवणलाल : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे तो आपने आर्डिनेंस निकाल कर इनको

(श्री श्रवण लाल)

पाबन्द किया। सो जब मन्त्री लोग दौरे पर जाते है, वहां जनता कितने समय का दुरुपयोग होता है। उनके केसेज की दुबारा तारीख बदल जाती है। मन्त्रियों के स्वागत में सरकारी कर्मचारी लिप्त रहते है। क्या इनके लिए आर्डिनेंस नहीं निकलेगा ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय समाप्त हो रहा है। जब तक यह पारित न हो जाये तब तक के लिए समय बढ़ा दिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की अनुमति से इस बिल के पारित होने तक के लिए समय और बढ़ाया जाता है।

श्री नत्थीसिंह : बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सदन से अनुमति तो लेते।

श्री उपाध्यक्ष : अनुमति ले ली है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप की अनुमति कल ही ले ली थी।

श्री रामकिशन : नहीं नहीं, मैंने सुना नहीं था।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 पर मैंने संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं अपने विचार उसके बारे में रखना चाहता हूं। पहले मैं जो कर्मचारियों के प्रति दृष्टिकोण रखा गया है उसकी प्रशंसा करता हूं। गवर्नमेण्ट सर्विसेज भी जानती हैं। चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया ने सरकारी कर्मचारियों के प्रति जो व्यवहार रखा है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है।

श्री रामकिशन : मक्खन लगा रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं किसी के मक्खन नहीं लगाता हूं।

श्री नत्थीसिंह : बिल उड़ा दिया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : केन्द्रीय सरकार ने जो महंगाई भत्ता बढ़ाया है। उसके माफिक हर बार राजस्थान सरकार ने बढ़ाया है। इससे 48 करोड़ का हमारी गवर्नमेन्ट पर भार पड़ा। जनता पर भार पड़ा। यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। इस वक्त राजस्थान सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है। फिर भी राजस्थान सरकार ने ऐसा मौका नहीं आने दिया।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : इसीलिए इन्टेरिम रिलीफ नहीं दी है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह खुद ही जानते हैं। किसी भी स्टेट ने अन्तरिम सहायता नहीं दी है। 30 करोड़ का हम को इन्ट्रेस्ट देना पड़ता है। इस प्रकार राजस्थान सरकार की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत वीक है। आज कोई भी यह नहीं चाहेगा कि साढ़े 4 करोड़ के टेक्सेज लगाकर उनको दे। किसी भी प्लान में कमी करके ही ऐसा किया जा सकता है। पीने के पानी में हम कटौती करना नहीं चाहते हैं। हम टेक्सेज बढ़ाना नहीं चाहते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : (अश्रव्य).

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : राजस्थान सरकार ने बहुत ही धैर्य रखा है। फिर बाद में यह

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

आर्डिनेन्स जारी किया है । और, जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने बयान में किया है, राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त दल अपने आन्दोलन को विथड्रा कर लेता है तो वह भी बिल को वापिस कर लेंगे। तो कोई भी विरोधी दल का जो इसका विरोध करते हैं तो उनको यह कहना चाहिये था कि जब आर्डिनेन्स विथड्रा करने के लिए तैयार है तो इससे अधिक क्या होगा ? जब हम साढ़े 7 करोड़ की मांग रखेंगे, अब उस स्थिति में जब कि कर्मचारी ऐसी स्थिति पैदा करते हैं कि वह गवर्नमेन्ट का कार्य ठप्प कर दे। अगर डाक्टर हड़ताल पर चले जायें, यह कौन चाहेगा ? आज पुलिस हड़ताल पर चली जाये तो ला एण्ड आर्डर ठप्प हो जाये । ये जितनी भी आपोजीशन पार्टीज हैं, यह लोगों को उकसाती है । गलत रास्ते पर ले जाती है । लोगों को गुमराह करना चाहती है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कानून तो रह ही नहीं गया है ।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : कानून की व्यवस्था जैसी राजस्थान में है · · · · ·

श्री विजयसिंह : नहीं है, अभी तो यह कानून बना रहे हैं ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : यह अवस्था पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं । तभी यह स्थिति आयी है । यह एक्स्ट्रा आर्डिनरी कानून है।

(श्री रामनारायण, चौधरी, सभापति, पदासीन)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आप सर्विसेज को गलत रास्ते पर लेजाकर हमें कानून बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं । यह हमारा दृष्टिकोण है । आप इस प्रकार की चीज चाहते हैं। क्या आप इस डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं ?

प्रजातंत्र को भी आप खत्म करना चाहते हैं । प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए एक · · · ·

एक माननीय सदस्य : आप फीस लेकर बोल रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हमें ऐसा कानून लाना पड़ेगा, प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए ऐसा कानून बनाना पड़ेगा । शक्तिशाली करने के लिए ऐसा कानून बनाना पड़ेगा । प्रजातंत्र को खत्म करने के लिए कम्युनिस्ट फोर्सेस वायालेंस का रास्ता अख्तियार कर रही हैं · · · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : कहां है प्रजातन्त्र ? राजस्थान में नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : आज वायोलेन्स कर रही हैं · · · · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : जबर्दस्ती है ? कहां है प्रजातन्त्र ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं कहना चाहता हूं कि पीसफुल एटमासफियर से ही प्रजातंत्र पनप सकता है · ·

श्री नत्थीसिंह : यह कानून प्रजातंत्र का नमूना है ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : नमूना नहीं है। आप प्रजातंत्र को कमजोर कर रहे हैं, आप प्रजातन्त्र को कुचलने

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
को कोशिश कर रहे हैं। प्रजातन्त्र को जीवित रखने के लिए, प्रजातन्त्र को मजबूत रखने के लिए · · ·

श्री मत्थीसिंह : 1921 में रोलेट एक्ट भी ऐसे ही आया था।

श्री रामचन्द्र आर्य : उस वक्त भी प्रजातंत्र था ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी और सभी तरह की पार्टी बंगाल में लागू करने की बात को सपोर्ट कर रही है या करने जा रही हैं। वह जानते हैं कि नक्सल पंथी · · ·

श्री मत्थीसिंह : आप वहां नहीं जायेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : हम जायें या नहीं · · ·

श्री रामचन्द्र आर्य : आप कहां गये थे सात मार्च को जब जौहरी बाजार में गोली काण्ड हुआ था ? आप कहां गये थे उस समय ?

श्री सभापति : आर्डर आर्डर !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इसलिए जो भी गये उनको विशेष रूप से मुझे कहना है कि हमारी स्थिति को देखते हुए सर्विसेज को (शोर गुल।[व्यवधान) सुनिये · · ·

श्री सभापति : आर्डर आर्डर। आपस में चर्चा न करें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : सर्विस क्लास को इस प्रकार के आन्दोलन में भाग नहीं लेना चाहिये और इस प्रकार हड़ताल पर जाकर कार्य को ठप्प नहीं करना चाहिये। हमको इस प्रजातन्त्र में इस प्रकार का कदम उठाना है जिससे हम विकास करें, प्रगति करें और हमारी स्टेट जो पिछड़ी हुई है, उसको आगे बढ़ायें। इस अवसर पर एक विशेष बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि सेक्रेटेरियट की सर्विस है, इनके ट्रांसफर नहीं होते हैं। यह बहुत ही हार्मफुल है। यह बहुत सा कान्फीडेन्शियल रिकार्ड अपोजिशन पार्टी को दे देते हैं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : ओह तेरे की !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : और मिस यूज करते हैं। गवर्नमेंट इनको चैक नहीं कर पाती है। और यह सेक्रेटेरियट सर्विसेज ट्रांसफर नहीं होने के कारण जयपुर में ही जमे रहे हैं, इससे डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचता है। एक राष्ट्रीय आर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचता है। इसलिए सेक्रेटेरियट सर्विस पर कंट्रोल रखने के लिए इन सर्विसेज का भी ट्रांसफर करना चाहिए।

श्री रामचन्द्र आर्य : इनके खिलाफ अध्यादेश जारी किया जाय।

श्री हीरा भाई : माननीय सभापति महोदय · · · ·

श्री साईराम सिंह : मिनिस्टरों के लिये भी आप कह दें · · ·

श्री मदनसिंह : बोलने नहीं दे रहे हैं।

श्री सभापति : आर्डर प्लीज ! रामचन्द्र आर्य। आप बोल रहे हैं क्या ?

Page No 138

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बोल रहा हूं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिये जल्दी।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : बीच बीच में खड़े हो जाते हैं इसलिए बैठना पड़ता है।

श्री सभापति : आप मेहरबानी करके आपस में चर्चा न करें। आप पीछे न देखें और आसन को सम्बोधित करें।

श्री पृथ्वी सिंह : मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्रस्ताव के विपक्ष में बोल रहे हैं या पक्ष में बोल रहे हैं।

श्री रूपसिंह : यह फाल्स और फेबोलस चार्ज लगाया गया है सेक्रेटेरियट एम्प्लाइज के खिलाफ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : वह इस प्रकार की जो गड़बड़ी हो रही है इसको चैक करने के लिए इनका भी दूसरी जगह ट्रान्सफर होने की व्यवस्था की जानी चाहिए। मैं सर्विसेज को भी कहना चाहता हूं...

श्री मदनसिंह : इट इज नाट पनिशमेंट!

श्री माल्यो सिंह : एसेंसियल सर्विस नहीं है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एसेंसियल सर्विस है...

श्री रूपसिंह : हाउस में यह नहीं आना चाहिए।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मुझे सर्विसेज को यह कहना है कि ईमानदारी पर चलें देश को आगे बढ़ाने में मदद दें।

श्री हीरा भाई : हाउस को कह रहे हैं या सर्विस वालों को ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं यह चाहता हूं कि बड़ी क्लास की सर्विस है उसको तो तीन हजार मिलते हैं और एक चपरासी को सौ रुपये मिलते हैं यह बड़ा भारी डिफरेंस है। इसको मिटाना चाहिए और यह प्रयास करना चाहिए कि कम से कम तनख्वाह डेढ़ सौ रुपये हों और अधिक से अधिक पन्द्रह सौ रुपये हों। हम समाजवाद को अपना रहे हैं तो हमें इस सम्बन्ध में भी कदम उठाना चाहिए और इस ओर अग्रसर होना चाहिये। यही मेरी भावना है और यही मेरा कहना है।

श्री सभापति : श्री रामचन्द्र आर्य!

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : सभापति महोदय, राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 के बारे में मेरा जनमत जानने के लिए प्रस्ताव है। यह जो विधेयक लाया गया है इसमें कई धाराएं ऐसी आपत्तिजनक हैं कि इस प्रकार के विधेयक को पारित करने के बाद में कर्मचारियों को ही नहीं दूसरी राजनैतिक पार्टियों के लोगों को, या किसी भी दुकानदार को दण्डित किया जा सकता है, क्योंकि इसमें इस प्रकार के प्रावधान हैं कि हड़ताल करने वाले को छः महीने की सजा और दो सौ रुपये जुर्माना, उकसाने वाले को एक वर्ष तक की सजा और एक हजार रुपये तक जुर्माना, जो चंदा वगैरह दे उनको एक साल की सजा और एक हजार रुपये तक जुर्माना। और यह भी पुलिस के हाथ में रखा है, पुलिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को बगैर वारण्ट के गिरफ्तार किया जा सकता है।

(श्री रामचन्द्र आर्य)

यह बड़े दुःख की बात है। एक तरफ तो प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि प्रजातंत्र को पनपाना है और सरकार इस प्रकार का काला कानून बनाकर कर्मचारी वर्ग को दबा देना चाहती है मैं यह कह देना चाहता हूं कि इस प्रकार के कानून से कोई वर्ग दबा नहीं करता है। यह कानून इस शासन के कफन की कील साबित होगा इसको कोई मानने को तैयार नहीं होगा। जब कर्मचारियों पर अत्याचार होगा तो कर्मचारी इसके विरुद्ध संघर्ष करेंगे। आन्दोलन कभी भी कानून से नहीं दबाया जा सकता है। अंग्रेजों ने बड़े बड़े कानून बनाये लेकिन हिन्दुस्तान के लोगों को वह नहीं दबा सके। उसी प्रकार गंगानगर के लोगों को आन्दोलन को दबाने के लिए राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था एक हजार रुपये जुर्माना और एक साल की सजा, वह भी पब्लिक ने पैरों के नीचे रौंद दिया। क्या आप तीन लाख कर्मचारियों को इस प्रकार के कानून से दबा सकते हैं। यह बुद्धि का दिवालियापन है। वह लोग ही लड़ते हैं जो अपने आपमें सच्चाई रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं। भ्रष्टाचारी कभी नहीं लड़ते हैं। जो लड़ने वाले होते हैं उनको कोई कानून बनाकर सरकार नहीं दबा सकती है। इसलिए मैं कहूंगा कि यह कानून पारित नहीं होना चाहिए। इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाना चाहिए क्योंकि इस प्रकार के काले कानून को पास करने के बाद में फिर कर्मचारियों की जबान में ताले पड़ जायेंगे।

जो यहां गृहमंत्री जी बैठे हैं, इनकी जो पुलिस की हालत है वह किसी से छिपी हुई नहीं है। साल भर में इस प्रदेश में हजार से ज्यादा आदमी कत्ल होते हैं और आधे से ज्यादा मुकदमे यह सरकार हार जाती है। इस प्रकार की पुलिस जो राज्य की शांति और व्यवस्था सम्भाले हुए है और ऐसे गृह मंत्री जी जो बैठे हैं प्रशासन को सम्भाल रहे हैं इनसे हम अपने आपको क्या सुरक्षित समझेंगे? जब भी चाहेंगे कह देंगे कि इन्होंने कर्मचारियों को उकसाया है इनको एक हजार रुपये जुर्माने की सजा और एक साल की कैद . . .

श्री मदनसिंह : अपने लिए नहीं है; कर्मचारियों का है।

श्री नाथी सिंह : सब पर है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह कानून है, इसमें कहीं नहीं लिखा है।

श्री मदनसिंह : राज्य कर्मचारियों के लिए है।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके अन्दर पैरा छः है . . .

श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल : राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के समर्थन में जो प्रस्ताव पास करें या बोलें उसे भी इन्स्टीगेशन में ले सकते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : पैरा छः में लिखा है। इस प्रकार का यह काला कानून बनाया जाय और फिर सत्ताधारी पार्टी में जो माननीय सदस्य बैठे हैं वह कहें कि हम प्रजातंत्र को मजबूत बना देना चाहते हैं। आप न

(श्री रामचन्द्र आर्य)

प्रजातंत्र को मजबूत बना सकेंगे और न सुखाड़िया जी की सरकार को मजबूत बना सकेंगे। इससे न प्रजातंत्र को फायदा पहुंचेगा और न सुखाड़ियाजी को फायदा पहुंचेगा। आप लोगों की धज्जियां उड़ने वाली हैं। इस प्रकार का कानून कभी सफल नहीं हो सकता है। इस प्रकार का कानून डिक्टेटरशिप में हो सकता है और न कि प्रजातंत्र में हो सकता है। जो मांग लेकर सामने आना चाहते हैं उनको आप इस तरह से दबा देना चाहते हैं–यह बिल्कुल अनुचित है। इसको वापस लेना चाहिए। मैं समझता हूं इस कानून का विरोध होना चाहिए। यह जो कानून है इसके बारे में राज्य सरकार जैसे यह महसूस कर रही है कि हम इसको पास करने के बाद प्रशासन को ठीक तरह से चला सकेंगे यह मानना गलत है।

यह सारी स्थिति राज्य सरकार ने पैदा की है। यह भेदभाव की नीति के कारण कर्मचारियों में संतोष पैदा हुआ है। आपने लोगों के हक मारे हैं। आपने छोटे कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया है। आप कहते हैं कि तनख्वाह इनको मिलती है। इस मंहगाई के जमाने में क्लर्क को 200 रु. मिलते हैं, उससे उनका गुजारा नहीं हो सकता, चपरासी को थोड़ी तनख्वाह मिलती है। आप थोड़ा नौकर रखें। कौन आपसे कहता है कि फौज इकट्ठी करो जैसे राजस्थान की दो करोड़ जनता गुजारा करती है, ये लोग भी करेंगे, सभी लोगों को आप नौकरी दे सकेंगे? कई पढ़े लिखे आदमी बेकार फिर रहे हैं। तो थोड़े से आदमियों को दबाने के लिए इस प्रकार का कानून बनायें और यह महसूस करें कि आप प्रशासन को चला सकेंगे आप, आप प्रशासन को नहीं चला सकेंगे। आप कर्मचारियों को दबायेंगे तो कल बेचारे काश्तकार, व्यापारी आंदोलन करेंगे आप किस किसको काला कानून बनाकर दबा सकेंगे। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि आप नहीं समझ रहे हैं कि बड़े बड़े अधिकारी सत्ता का दुरुपयोग करते हैं और इमानदार लोगों को ठोकरें खानी पड़ती है। बड़े अधिकारी बंगलों में रहते हैं, जीप गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े वेतन लेते हैं। उनको आप कुछ नहीं करते। जब छोटे आदमियों का सवाल आता है, उनके लिए आपके पास धनाभाव है, संकट की स्थिति है जबकि आपने 37 आदमियों की फौज इकट्ठी कर रखी है। इनके लाभ के लिए रोजाना विधान सभा में कानून पास करवाते हैं। सदस्यों को 31) मिलता है। मंत्रियों, राज्य मंत्रियों व उपमंत्रियों को वेतन व भत्ता देते हैं। हर प्रकार की सुविधा मिली हुई है और जो सुबह से शाम तक पहरा देते हैं उनके लिए दो रुपये रखे हैं। इससे बढ़कर आपकी गंदी नीति क्या हो सकती है?

एक तरफ आप कहते हैं कि समाजवाद ला रहे हैं तो आपको करनी व कथनी में इतना अन्तर नहीं होना चाहिए। बड़े अधिकारियों को वेतन कम दें, लेकिन छोटे कर्मचारियों का वेतन बढ़ायें और इस कानून के द्वारा उनको जो आप दबाने की सोच रहे हैं यह नीति बिलकुल गलत है। इस तरह से कोई नहीं दबाया जा सकता और अब माननीय सदस्य महसूस

(श्री रामचन्द्र आर्य)

करते हैं जो कि कांग्रेस की तरफ से बोल रहे हैं कि हम प्रजातंत्र को मजबूत कर रहे हैं तो आपको इस कानून को पास नहीं करना चाहिए यदि आप सत्ता में रहना चाहते हैं। आपको याद होगा कि 1967 में इन्हीं कर्मचारियों की मदद से आपने सरकार बनाई थी और जब मेम्बरों को उठाया था तो इन अधिकारियों की मदद से ही आपने उठाकर उनको बन्द किया और प्रलोभन दिया था अपनी कुर्सी के लिए . . .

श्री रोशनलाल शर्मा : कानोता हाउस में क्या किया गया ?

श्री नरपतसिंह : चोरी और सीना जोरी ?

(शोरगुल)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : पता नहीं कानोता हाउस में बंद किया या नहीं, कौन बैठा था लेकिन आज जयपुर नगर-पालिका के कांग्रेस के सदस्य सब दिल्ली में हैं आज की तारीख में . . .

(शोरगुल)

जयपुर नगरपालिका के सभी कांग्रेस के सदस्य आज की तारीख में दिल्ली में ताले में बन्द हैं।

श्री रोशनलाल शर्मा : हमेशा आप प्रोपेगंडा करते हैं। आपको चुनाव में बता दिया।

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या आप इसको प्रजातंत्र कहते हैं ?

श्री रोशनलाल शर्मा : बिल्कुल !

श्री रामचन्द्र आर्य : ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती है कि यह प्रजातन्त्र है ?

(शोरगुल)

श्री सभापति : आर्डर-आर्डर।

श्री रोशनलाल : क्योंकि आपका राज नहीं बना . . .

श्री रामचन्द्र आर्य : जो हार जाते हैं वह पार्टी हार को स्वीकार नहीं करती . . .

(शोरगुल)

सत्ता से चिपके रहने के लिए जो आपको कुकर्म करने पड़े वह करने के लिए तैयार हैं ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : गलत।

श्री रामचन्द्र आर्य : गरीब लोगों को राहत देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। विधान सभा पर 12 लाख खर्च करने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, नाचघर बनाने के लिए पैसा है, ऐय्याशी करने के लिए पैसे हैं, सब्जी खरीदने के लिए, पान लाने के लिए सरकारी गाड़ी जा रही है तब पैसे की कमी नहीं है और गरीब कर्मचारियों, छोटे तनख्वाह पाने वालों के लिए आपके पास पैसा नहीं है और आप गिनाते हैं कि घाटा है। कभी कहते हैं 29 करोड़ का घाटा है लेकिन मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला है। यदि आज कमीशन बिठाया जाय, तो तमाम मंत्री और

(श्री रामचन्द्र आर्य)

सारे अधिकारी, इसके अन्दर जिनका हाथ है, सारे जेल जा सकते हैं लेकिन कौन कहे ? किसको कहें ? कौन सुने ? जो चिलमें भरते हैं, खुशामद करते हैं, सिर्फ कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादले के लिए, अपने आदमियों को जमीन एलाट कराने के लिए और निजी काम कराने के लिए उनके लिए मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। यदि प्रजातंत्र को आप जिन्दा रखना चाहते हैं तो इस प्रकार के शासन को हटाकर नई पीढ़ी को आगे लाइए नहीं तो गली सड़ी सरकार इसकी जड़ के अन्दर भ्रष्टाचारियों की कड़ियां लगी हुई हैं यह लोगों की भलाई नहीं कर सकती · · · ·

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इस काले कानून को वापस लेना चाहिए, नहीं लेते हैं तो कर्मचारियों से कह देना चाहता हूं कि इसको फाड़कर फेंक दें इस कानून को। एक महीने के अन्दर इस सरकार को बता दें कि इस प्रकार के काले कानून जो बनाए जाते हैं उनका क्या होता है ? नौकरी नहीं रहेगी तो भूखे थोड़े ही मर जायेंगे ? 2 करोड़ आदमी नौकरी थोड़े ही करते हैं ? बाकी आदमी भी दूसरा धन्धा करते हैं। इतनी मांगें पेश करते हैं। गंगानगर का एक जिला था उसमें इतनी ताकत नहीं थी फिर भी सरकार को नाकों चने चबवा दिए।

श्री सभापति : स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं एक मिनट और बोलूंगा। मैं जानता हूं कि यदि मेरा प्रस्ताव नहीं होता तो आप कुर्सी पर बैठने वाले मुझे समय देने वाले नहीं हैं। मैंने बार बार कोशिश की है फिर भी समय नहीं मिला। मेरा प्रस्ताव है मैं बोलूंगा। 2 मिनट बोलूं, 5 मिनट बोलूं मेरी इच्छा है। आप जो सरकार में घमंड किए हुए बैठे हैं, उनको चेतावनी के रूप में कह देना चाहता हूं कि इस काले कानून के द्वारा आप किसी वर्ग को दबा नहीं सकते। आज आपने कर्मचारियों के खिलाफ काला कानून बनाया कल व्यापारी के खिलाफ बनायेंगे, परसों जनता के खिलाफ बनायेंगे, आप डिक्टेटर शिप पनपाना चाहते हैं ? लेकिन आप डिक्टेटर नहीं होंगे। इस तरह से भारत में नक्सलवादी फिर रहे हैं, वह कल आपके पीछे लगेंगे। जनता से उनका क्या वास्ता है ? सारी शक्ति आपके पास है, वह आपको बाहर नहीं निकलने देंगे। सारी जनता नक्सलवादी हो जायगी क्योंकि आपके कारनामे ऐसे हैं। आपकी करनी और कथनी में अन्तर है इसलिए जनता बगावत के लिए खड़ी हो रही है। क्या यह कानून बनाकर आप समझते हैं कि ये आपकी रोटी पर पलते हैं ? नहीं। ये 9-10 घण्टे काम करके कमाते हैं। क्या उनकी जबान बन्द करना चाहते हैं ? इस तरह के कानून बनाकर उनको दबाना चाहते हैं ? कल जिस तरह से यहां एक आदमी ने नारे लगाए तो उस तरह से असेम्बली में बम्ब फेंकेंगे जैसे भारत की पार्लियामेंट में भगतसिंह ने बम्ब फेंका था, वह जमाना था।

श्री मदनसिंह : जमाना कहां जा रहा है ? सभापति महोदय, आप कुर्सी पर बैठे हैं · · ·

(शोरगुल)

श्री रामचन्द्र आर्य : कानून फाड़कर बाहर फेंकना चाहिए।

श्री सभापति : अगर इनके भाषण में बाधा डालेंगे तो और लम्बा करेंगे। अच्छा होगा कि सन्तोष से इनको सुनें।

श्री रोशनलाल शर्मा : काफी समय हो चुका है।

श्री मदनसिंह : बम्ब फेंकेंगे तो हम मरेंगे, ये नहीं मरेंगे।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप लोग चाहते हैं कि हम मन्त्री बने रहें तो इस प्रकार का काला कानून विधान सभा में पेश न करें। यह आप अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। यहां बैठ कर पीछे चिलम भरी जाती है और हाथ खड़े किये जाते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, काफी हो गया। महरबानी करके बिराजो।

श्री रामचन्द्र आर्य : दो मिनिट और बोलूंगा।

मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार ने यह कानून पेश किया है, जो धारायें जोड़ी हैं उनको आप हटा लें।

कई माननीय सदस्य : कौनसा ?

श्री रामचन्द्र आर्य : आप नहीं समझते हैं। तमाम जनता कर्मचारियों के साथ हो जावेगी। 5 और 6 धारा में जो प्रावधान रखा है उसको आप वापिस ले लें। आप सरकार की चिलम भरने वाले बैठे हैं

(व्यवधान) (शोरगुल) (अश्रव्य)

आपका भी भला और कर्मचारियों का भी भला है। एक साल और रह गया है। एक साल के बाद राजस्थान के भाग्य से आपके भाग्य का निर्णय होने वाला है। जनता खूब देखेगी। आप इस विधान सभा में हरगिज नहीं आयेंगे। मुल्क भर में आपकी यही हालत होने वाली है। आप जीते नहीं थे बहुमत में। आपने जीते हुओं को खरीदा है। इसका प्रमाण आपको जयपुर की म्युनिसिपेलिटी में मिल गया। आप जोर जोर से कहते थे कि हमने जयपुर की नगर-पालिका पर कब्जा कर लिया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण करें, काफी समय हो गया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह जनमत जानने के लिये प्रस्ताव रखते हुए मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री सभापति : धन्यवाद।

श्री हरजीराम बुरड़क

(अनुपस्थित)

राजवी श्री रूपसिंह।

श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : सभापति महोदय, गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट ऐसेन्शियल सर्विसेज बिल सदन के सामने लाया गया है उसके लिये मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। इसका कारण यह है कि इस बिल की जो धारायें हैं 5 व 6 वे महज गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स से सम्बन्ध नहीं रखती हैं बल्कि ये उनसे सम्बन्ध रखती हैं जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को इन्स्टीगेट करेंगे। इसकी धारा 6 उनसे सम्बन्ध रखती है जो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को फाइनेन्स करेंगे। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को कोई भी पब्लिक

(श्री रूपसिंह)

का आदमी इन्स्टीगेट करेगा तो उसको सजा मिल सकेगी। यह पब्लिक से सम्बन्धित धारायें इसमें जोड़ी गयी हैं अतः इसको जनमत जानने के लिए भेजना आवश्यक है। इस बिल का सम्बन्ध राजस्थान के दो करोड़ आदमियों से है।

इस बिल में एक बड़ा डिफेक्ट रह गया है। धारा 4 में यह कहा गया कि गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट जो स्ट्राइक आदि करेंगे तो उनको 6 महीने की सजा और 200 रुपया जुर्माना किया जायगा। धारा 5 और 6 में जो इन्स्टीगेटर को सजा दी गयी है वह है 1 साल और 1 हजार रुपया जुर्माना जहां मेन ऑफेन्डर को सजा दी गयी है वो 6 महीने और 200 रुपये जुर्माने की है और धारा 5 और 6 में ऑफेन्डर से भी इस्टीगेटर को अधिक सजा दी गयी है। प्रिन्सिपल ऑफ ला के अनुसार जो सजा मेन ऑफेन्डर को दी जायगी वही सजा आप इन्स्टीगेटर को दे सकते हैं उससे अधिक नहीं। इसलिये यह आपका बिल डिफेक्टिव है।

इसके साथ ही साथ इस बिल की कोई आवश्यकता भी नहीं है। हमारे यहां गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स हैं। यह परिपाटी ब्रिटिश गवर्नमेन्ट के वक्त से चली आ रही है और 1947 से लेकर 1970 के अगस्त तक इस प्रकार की कोई शिकायत उनके विरुद्ध नहीं थी। उनके ऊपर यही एलीगेशन है कि वे अपनी डिमान्ड्स को प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रोमोशन्स एपोइन्टमेन्ट्स आदि में जो पक्षपात बरता जा रहा है उसके खिलाफ उनमें डिस्कन्टेन्टमेन्ट हैं। यदि सरकार की ओर से पक्षपात नहीं होता तो गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स को एजीटेशन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। उनको दण्ड देने के लिये सर्विस कन्डक्ट रूल्स पहले से ही बने हुए हैं तो फिर आज कौनसी जरूरत इस बिल को लाने के लिए आयी है? इस प्रकार इस कानून को क्रिमिनल्स के खिलाफ लाने के बजाय आप गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स के साथ काम में ला रहे हैं। यह अच्छा नहीं कर रहे हैं और 2 करोड़ जनता पर भी आप यह कानून थोपना चाहते हैं। बगैर उनकी राय माने यह भी अच्छा नहीं है।

इससे अधिक मुझे कुछ नहीं कहना है। इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय ताकि इसके अन्दर जो डिफेक्ट्स हैं उनको दूर किया जा सके व पब्लिक ओपीनियन का पता लगा सके।

श्री सभापति : श्री प्रेमसिंह सिंघवी।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : मेरा समय मैं माननीय श्री कृष्णकुमार जी गोयल को देता हूं।

श्री सभापति : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत है उस पर सब दूर से, यह ठीक है कि सरकारी पक्ष की ओर से जो विचार दिये गये, वे इस प्रकार के थे कि मानों लोकतन्त्र की दुहाई देकर एक मात्र कदम यदि रह गया है तो यही रह गया है कि राजस्थान की जो सर्विसेज हैं, उनको अपने अधिकारों के लिये अगर

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

आन्दोलन का रास्ता पकड़ना पड़े तो उस आन्दोलन को कुचलने के लिये राज्य सरकार अपने हाथ में सत्ता ले लें, सारे लोकतन्त्र के अधिकारों को आप स्थगित कर देना चाहते हैं, इस सब के लिए सरकार की भर्त्सना की गई है।

सभापतिजी चाहे मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य रहा हो, चाहे सरकारी पक्ष का वक्तव्य रहा हो चाहे सरकारी पक्ष का वक्तव्य रहा हो, किसी भी पक्ष ने सरकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर इन्टेरिम रिलीफ के प्रश्न को लेकर या अन्य मांगों को लेकर यह प्रश्न नहीं उठाया है कि उनकी जो कुछ मांगें हैं वे अनावश्यक हैं, निरर्थक हैं, किसी प्रकार विचार नहीं किया जाना चाहिये। स्वयं मुख्य मंत्रीजी ने उसके औचित्य को माना है लेकिन केवल राजस्थान सरकार की जो आर्थिक स्थिति है उसके कारण सरकार मजबूर है यह दृष्टिकोण देकर केवल इस प्रकार की फिजा बनाने की कोशिश की इसलिये यह आवश्यक हो गया है कि इस प्रकार का कानून बनाया जाय कि जिससे सरकार के कर्मचारियों को आन्दोलन करने या गिरफ्तारियां देने से रोका जाय।

सभापतिजी, अगर हम सारे इतिहास को देखें तो क्या राजस्थान के कर्मचारी अकस्मात एकदम राजस्थान सरकार को बिना सूचना दिये हुए गिरफ्तारियों पर आ गये, उन्होंने सारे राजकाज के काम को ठप्प कर दिया और ऐसी स्थिति पैदा हो गयी कि राज्य सरकार को मालूम नहीं था तब तो यह बात समझ में आ सकती थी कि राजस्थान सरकार आर्डिनेन्स और विधेयक प्रस्तुत करती। लेकिन कर्मचारियों के महासंघ के आन्दोलन के सारे इतिहास को देखा जाय, सभापतिजी, तो पता लगेगा कि राज्य कर्मचारी प्रारम्भ से लेकर संघर्ष करते रहे हैं। कभी प्रतिनिधि मंडल के द्वारा मांगें प्रस्तुत कीं, कभी जलूस के द्वारा और कभी अन्य तरीके से प्रस्तुत कीं और राज्य सरकार ने भी किसी भी स्टेज पर स्पष्ट रूप से अपनी बात को कर्मचारियों के सामने संघ के सामने, डेपुटेशन के सामने नहीं बताया कि राज्य सरकार उनकी मांगों को मानने में असमर्थ है और विचार नहीं कर सकती है। ऐसा जवाब राज्य सरकार की ओर से कभी किसी स्टेज पर सरकारी कर्मचारियों को नहीं दिया गया। राज्य कर्मचारी जब कभी उनसे मिले राज्य सरकार ने उनको सान्त्वना दी। कभी बैठकर कमेटी बनाने की बात की। केबीनेट स्तर पर विचार करने की बात कही। यदि आप समझते थे कि इनकी मांगें नाजायज हैं तो शुरू से ही आपको साफ कहना चाहिये था कि हम इन मांगों पर विचार करने में असमर्थ हैं इसलिये नामन्जूर करते हैं। इस प्रकार का रुख राज्य सरकार का कर्मचारी महासंघ के प्रति नहीं रहा। इस स्थिति में राज्य कर्मचारी राणावत वेतन आयोग की सिफारिशों पर आंखें लगाये बैठे रहे। मैं कहना चाहूंगा राणावत वेतन आयोग की जो सिफारिशें थीं वे पक्षपातपूर्ण थीं। राणावत आयोग ने छोटे वर्ग के कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया। उनको राहत देने के बजाय कई ग्रेड्स कम कर दिये गये। छोटे वर्ग के कर्मचारियों के साथ जिस प्रकार का ग्रेडेशन किया उसके मुकाबले

Page No 146

(श्री कृष्णकुमार गोयल)
हाई ऑफिशियल्स के ग्रेड्स ऊंचे किये, उनके स्पेशल अलाउन्सेज ज्यादा किये। यही कारण था जिससे छोटे वर्ग के कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ा। और इसी असन्तोष के कारण आगे जाकर राजस्थान कर्मचारी संघ को यह कदम उठाना पड़ा। इस संघर्ष की शुरूआत राणावत वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद से ही शुरू हो गई थी। इसके बाद में 15 मांगों को लेकर ये लोग आये फिर 12 को लेकर आये और साथ में उन्होंने यह भी ऐलान कर दिया था कि यदि ये मांगे मंजूर नहीं की गयीं तो विधान सभा के सामने धरना देंगे और उन्होंने धरना दिया। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री महोदय की 53वीं वर्ष गांठ पर राजस्थान के भिन्न भिन्न भागों से आकर कर्मचारियों ने मुख्य मंत्री के निवास स्थान पर भूख हड़ताल की। यही सिलसिला आखिर तक चलता रहा। प्रारम्भ के अन्दर आन्दोलन की जो तारीख बताई थी उस तारीख को स्थगित किया गया। फिर राजस्थान सरकार को अल्टीमेटम दिया कि अमुक तारीख तक हमरी मांगें नहीं मानी गई तो राजस्थान की राजधानी में हमारे तीन नेता भूख हड़ताल पर बैठ जायेंगे। भूख हड़ताल के दिनों में भी वार्ता प्रारम्भ रखी। राजस्थान सरकार एक ओर इन्कार नहीं करना चाहती थी केवल ढिले करना चाहती थी। इस दरमियान राजस्थान के अन्दर भूख-हड़ताल, कलम रोको हड़ताल और गिरफ्तारियों का एलान कर दिया। यह सारा इतिहास 67 से लेकर 70 तक का है आप किसी स्टेज पर भी यह नहीं कह सकते कि राजस्थान के कर्मचारियों ने अकस्मात ही आन्दोलन का रूप धारण कर लिया। और जब सब जगह गिरफ्तारियां शुरू हो गईं तो आप यह आर्डिनेन्स लाये। इस प्रकार आर्डिनेन्स लाना ब्रिटिश सरकार के जमाने में जिस काले कानून को आप और हमने लानत दी है जिन राज कर्मचारियों की कलम के इशारे पर आपकी सरकार टिकी हुई है, उन्हीं अपने कर्मचारियों का गला घोटने के लिए उनके अधिकारों को हमेशा के लिए समाप्त कर देने के लिये आप इस प्रकार के अधिकार अपने हाथ में ले रहे हैं। आपके आर्डिनेन्स लागू करने के बाद भी आन्दोलन पूरे वेग से चलता रहा सारे जिलों के कर्मचारियों में जोश आ गया आपकी सारी जेलें भर दी गईं। आज राज्य सरकार आर्डिनेन्स के माध्यम से बराबर समय समय पर इस प्रकार की बातें करती रही है कि आन्दोलन वापिस ले लो आर्डिनेन्स खत्म हो जायगा। इसकी शक्ति अपने आप में खत्म हो जायगी। जिस प्रकार के स्टेटमेण्ट आपके ऑल इण्डिया रेडियो के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से आये हैं उनसे क्या ध्वनि निकलती है? एक ही ध्वनि निकलती थी कि एक बार आन्दोलन को वापिस ले लो, स्थगित कर दो। इस तरह से राज्य कर्मचारी किसी ताकत के सामने नहीं किसी धमकी के सामने नहीं झुके उन्होंने मुख्य मंत्री के वचनों पर विश्वास करके अपना आन्दोलन स्थगित किया। आज आन्दोलन स्थगित हो जाता है, आज राज्य कर्मचारी जब चुप होकर बैठ गया है आज उनसे नहीं मिल रहे हो आप ऐसी बात नहीं समय समय पर आकर वे मुख्य मंत्री जी से बातें करते रहे हैं डेपुटेशन उनका मिलता रहा है।

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

राजस्थान के मुख्य मंत्री जी अपनी इलेक्शन पोटिशन के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो वार्ता की तारीखें बदल दी जाती है इस पर भी कर्मचारी ह्यूमिलियेटेड फील नहीं करते। इस तरह से समय समय पर उनकी मांगों पर विचार किया यह तो आप मानते चले आ रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं और राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि उनका रवैया दमन का नहीं रहा है दमन वे नहीं करना चाहते तो राजस्थान सरकार से पूछना चाहता हूं 8 व 9 तारीख को उनकी गिरफ्तारियां की गइ क्या राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कर्मचारियों को आश्वासन नहीं दिया कि 8 व 9 तारीख को जिनकी गिरफ्तारियां हुई उनको अनुपस्थित नहीं माना जायगा और उस दिन का वेतन दिया जायगा ? क्या इस बारे में राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को ह्यूमिलियेट नहीं किया, अपमानित नहीं किया ? मुख्य मंत्री आश्वासन देते हैं, मुख्य सचिव उसको टाल देते हैं। अन्तिम बार जब उनसे कहा गया तो अब नवम्बर में जाकर कान्फीडेन्शियल लेटर इश्यू होता है कि 8, 9 तारीख को जो लोग अनुपस्थित रहे उनको उपस्थित माना जायगा। इतने दिन तक आप क्या सोते रहे ? जब इस बारे में पांच छः बार डेपुटेशन मिला उसके बाद जाकर यह हुआ। इस तरह से आप यूनियन कर्मचारियों और पदाधिकारियों का अपमान नहीं मानते हैं ?

सभापति महोदय, जो ज्वलन्त प्रश्न है उनके बारे में आज नहीं तो कल आपको मानना होगा, और आप मानेंगे। आप आबादी के आधार पर सिटी एलाउन्स देना चाहते हैं सभी स्थानों के लिये देना नहीं चाहते। मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कोटा नगर की आबादी दो लाख से ऊपर चली गई है। औद्योगिक केन्द्र है वहां के कर्मचारियों को, पदाधिकारियों को आपने विश्वास नहीं दिलाया कि सिटी एलाउन्स कोटा के अन्दर भी दिया जायगा ? हो सकता है उस आश्वासन में कोई राज हो लेकिन आपने आश्वासन दिया है आज नहीं कल अवश्य सिटी एलाउन्स देना पड़ेगा। आप जो पीस मील समझौता करते हो, मांगें मानते हो तो आप पीस मील मांगे मानकर आन्दोलन को प्रज्वलित करते हैं।

राजस्थान के कर्मचारी जब इन्टेरिम रिलीफ की मांग लेकर आपके सामने आये आप कहते हैं इससे राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर कितना भार पड़ जायगा। आपके इस कथन से राज्य कर्मचारी सन्तुष्ट नहीं होने वाला है। राज्य कर्मचारी जानता है कि साढ़े सात करोड़ रुपया राजस्थान के लिये क्या मायने रखता है ? आपकी योजना में जो घोटाले हैं क्या वे उनसे छिपे हुए हैं ? एक एक योजना में लाखों रुपयों का घोटाला देखने को मिल जायगा। एक एक प्रोजेक्ट पर देखने को मिल जायगा, एक एक कन्ट्राक्ट पर देखने को मिल जायगा। राजस्थान राज्य के कर्मचारी से छिपी हुई बात नहीं है। वह प्रशासन का दायां होता है उससे आपके प्रशासन की कोई बात छिपी हुई नहीं है, वह आपके प्रशासन को गहराई तक जानता है। दिन-रात उसके आगे से फाइलें निकलती है। वह समझ कर चलता है कि राजस्थान की सरकार क्या काम करती है ? यह कांग्रेस की पार्टी किन ढगों

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

से चलती है, किस प्रकार प्रभावशाली व्यक्तियों को करों में और अन्य चीजों में छूट देती है, किस प्रकार लीज में नाजायज फायदा पहुंचाते हैं, किस प्रकार प्लाट्स और जमीनों के एलाॅटमेंट में धांधली बरतते हैं। यह राजस्थान का छोटा कर्मचारी सब समझता है। यह तर्क देना कि साढ़े सात करोड़ कहां से लाये इसलिये हम इन्टेरिम रिलीफ नहीं दे सकते हैं, इससे राजस्थान के कर्मचारी सन्तुष्ट होने वाले नहीं है। वह अपने संघर्ष पर आयेगा। हम संघर्ष का समर्थन नहीं करते हैं और न ही हम प्रवोक करना चाहते है, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री जी की दलीलों में कोई दम नहीं है, वह सन्तुष्ट नहीं होगा इसलिये मैं कहना चाहूंगा आन्दोलनों को न कानून ने रोका है और न आन्दोलन आपके कानूनों से रुकने ही वाले हैं। आन्दोलन में जब कर्मचारी उतरता है तो वह अपने अधिकारों को अच्छी प्रकार देखकर आता है और आन्दोलन में कूद जाता है। आपके आॅर्डिनेन्स के आ जाने के बाद किसी प्रकार आन्दोलन में कमी नहीं आई थी। महिला कर्मचारी जो पीछे रहती हैं वे भी पीछे नहीं रहीं और चूड़ियां लेकर आन्दोलन में कूद पड़ीं। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर और भभकेगा। आप यह समझें कि किसी प्रकार सरकार और कर्मचारियों के प्रति सद्भावना बनी रहे, मधुर रिश्ते बने रहें यह कभी अब होने वाला नहीं है। यह सब आपकी अब विडम्बना है, फरेब है कोई मधुर रिलेशन अब बनने वाला नहीं है। आपके सम्बन्ध और अब बिगड़ने वाले हैं और राज्य कर्मचारी और भड़केगा।

अच्छा हो राजस्थान की सरकार समय का तकाजा पहचान कर, देश में अराजकता की स्थिति को पहचान कर इस विधेयक को वापिस ले ले और इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनाये। अगर स्थिति फिर पैदा होती है तो फिर समय पर आॅर्डिनेन्स निकाला जा सकता है। आॅर्डिनेन्स निकालना तो आपके हाथ की बात है। आॅर्डिनेन्स निकालने के लिये आपका टेलिफोन पर हुक्म होता है और आॅर्डिनेन्स निकल जाता है। मेरा निवेदन है आप राज्य कर्मचारियों के सिर पर फिलहाल यह कच्चे धागे की तलवार न लटकायें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं राजस्थान की सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न न समझ कर इस अध्यादेश को वापिस लेगी।

श्री सभापति : श्री लाभचन्द वैद।

(अनुपस्थित)

श्री पृथ्वी सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री यशवन्त सिंह नाहर।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : सभापति महोदय इस सदन में आज विभिन्न विचार धाराओं से इस कानून के सम्बन्ध में कहा गया। यह काला कानून है इसे वापिस ले लिया जाय। शायद हम इस अवस्था को भूल गये कि हम राजस्थान के जन-प्रतिनिधि हैं। राजस्थान की दो करोड़ जनता के प्रतिनिधि बनकर आये हैं और उनके अधिकारों को और उनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यह हम न भूल जायं कि हमारे सामने लाॅबीज में लोग बैठे हैं उन मुद्दों को भूल जायं और

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

दिखाने के लिये बड़े लम्बे चौड़े भाषण दे दें जिसमें केवल भावना है और जिसमें कोई आधार नहीं.....

एक माननीय सदस्य : वोट तो कर्मचारियों ने ही दिये हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप हर वक्त दखल मत डालिये। सभापति महोदय, आप और हम कॉन्स्टीट्यूशन के क्रियेशन्स हैं। जब जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कर्मचारियों का फन्डामेन्टल राइट ले लिया गया तो मैंने कॉन्स्टीट्यूशन की एक एक धारा को देखा। मैंने कहीं नहीं देखा कि कर्मचारियों को गारन्टी दी गई है कि वे हड़ताल पर चले जायं। मेरा निवेदन यह है और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं आर्टिकल 99 में केवल इतना आपका कॉन्स्टीट्यूशन में लिखा है कि एसोसियेशन फार्म करने का, यूनियन फार्म करने का अधिकार है। मैं मानता हूं आप यूनियन फार्म करते हैं तो आपके इस अधिकार को चुनौती नहीं दे सकते हैं। मैं इस बात को भी मानने को तैयार हूं जब आप हितों की बात करें तो हितों के लिये लोगों के पास भी जायं। लेकिन इसके आगे का अधिकार है वह है राजस्थान की दो करोड़ जनता का। आज जिन बातों को लेकर, जिन सर्विसेज को लेकर राज्य सरकार ने एसेन्शियल सर्विस माना है, मैं नहीं समझता राजस्थान का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको एसेन्शियल सर्विसेज से पाला नहीं पड़ता होगा। यहां पर आपके रिपोर्टर महोदय बैठे हैं, यहां पर आपके चपरासी हैं, दूसरे क्लर्क हैं, अगर आप यह चाहते हैं कि अधिकार इनके हाथों में दे दिये जायं तो मुश्किल हो जायेगी। इसीलिये 1960 में सबसे पहले एक आल इंडिया एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टिनेन्स के लिए ऑर्डिनेन्स निकला उसको चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया। यह तो समझ में आता है कि आप एसोसियेशन फार्म कर लें पर राष्ट्रीय सेवाओं को ठप्प करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता है। मैं आपकी तरफ सुप्रीम कोर्ट के कुछ अंश सदन के समक्ष पेश करूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और आप याद करिये 20 अगस्त को हमारे राज्य कर्मचारियों ने एक परिपत्र निकाला और यह कह दिया तीन सितम्बर को राज्य-व्यापी काला दिवस मनायें और 3 सितम्बर, 1970 को काम रोक दीजिये। सारे सरकार का काम ठप्प कर दीजिए। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा राजनैतिक भेद भाव को भूलकर, कल आप को इधर भी बैठना पड़ेगा तब आप क्या कहेंगे? उनकी मांगों के सम्बन्ध में कोई मांग हो तो मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 9–9 साल के कर्मचारी बैठे हुए हैं और वह ऐसे कर्मचारी हैं जो परमानेन्ट नहीं हुए हैं। यह समझ में नहीं आता मुझे कि आपके एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में ऑफिसर से लगाकर छोटे कर्मचारी तक की किसी की सीनियोरीटि फिक्स नहीं हो पा रही है। इन मुद्दों के अलावा भी मैं यह कहना चाहता हूं रिटायर होने के बाद 20 साल का पता नहीं उनको पेन्शन नहीं मिल पाती है। उनके केसेज 20 साल बाद भी पेन्डिंग रह जाते हैं। मैं आपसे पूछना

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

चाहता हूं और मैं कर्मचारी वर्ग के माननीय सदस्यों से यह पूछना चाहता हूं यह क्यों पनपा हुआ है ? इस सरकार के वे अंग हैं। एक अधिकारी है आप और हम एम. एल. ए. मंत्री महोदय जो ट्रेजरी बेंच पर हैं राज्य के उच्च कर्मचारी बैठे हुए हैं सारे आदेश उनके द्वारा लिखे जाते हैं या टाइप किये जाते हैं कभी किसी ने ऐतराज किया ? मैं नहीं मानता हूं ऐसे आदेश को रोकने का प्रयत्न नहीं किया। ऐसी आस्था मैं मानता हूं। तीन सितम्बर को याद रखिये राजस्थान में देश व्यापी हड़ताल करने की धमकी दी उसके बाद ऑर्डिनेन्स नहीं निकाला, उसके बाद एक्चुअल हड़ताल हो गई और उसके बाद ? तारीख को यह ऑर्डिनेन्स निकाला। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसको मैं पढ़कर सुना देता हूं–

"This Ordinance was promulgated when the Government had to meet the crippling general strike in essential services that might have brought the whole country to a stand-still, and in such circumstances to say that the powers are dis-proportionately wide or that they constitute an unreasonable inroad into the fundamental rights, is absolutely wrong."

यह अपने यहां की सुप्रीम कोर्ट है सुप्रीम बॉडी है उसने यह कहा है फन्डामेन्टल राइट्स का हनन हुआ है या उस पावर्स के अनुकूल नहीं है, यह गलत बात है।

मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं एक तरफ आपका राष्ट्र है, सवा दो करोड़ राजस्थान की जनता है और एक तरफ सवा दो लाख राज्य कर्मचारी हैं। हमारी जिम्मेदारी है इन सवा दो करोड़ राजस्थान की जनता का, उनकी रक्षा के काम की है, उनकी रोजी-रोटी का का काम है वह इन सवा दो लाख कर्मचारियों के हाथ में हैं। इनके काम बन्द करने से राजस्थान की जनता को भूखों मरना पड़े...

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)

श्री शेरसिंह सिघवी : आपको रोटी ये देते हैं क्या ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज !

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कानून का कोई न कोई क्राइटेरिया तय करना पड़ता है। आप ऐसे कानून स्टेच्यूटरी रूप में देखना चाहते हैं। बिना इसके कानून का कोई उपयोग नहीं है, वह ऐसी किताब है जब तक वह सिचुएशन राइज नहीं हो राज्य कर्मचारी हड़ताल करने पर उतारू हों या हड़ताल हो चुकी हो उस समय सरकार एक ऑर्डिनेन्स निकाल दे। उस कानून के तहत स्ट्राइक को इल्लीगल डिक्लेयर करे और मैं कुछ माननीय सदस्यों से एक बात निवेदन करना चाहता हूं इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह तय किया है कि रीजनेबलनेस यह माना गया कि राइट टू फार्म एसोसियेशन, राइट टू मूव एबाउट, राइट टू डू एनीथिंग, राइट टू प्रापर्टी है तो क्या स्ट्राइक का अधिकार आपको इनडाइरेक्टली नहीं मिलता है ?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

तो इसी सुप्रीम कोर्ट में यह तय हुआ था :

"In applying the principle and test of reas nablen ss. the Court has to con ider the ques ion in the back- round of the acts and circu-ms'ances under which the Ordina-nce was made, the ratio of the harm for the individual citizen by the proposed remeby to the benefi-tial effect reasonably expected to the general public at large."

आपके सामने इसका निर्णय करने का अधि-कार है। राजनीति में मत बहिये।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं क्योंकि घंटी बज चुकी है, मेरा निवेदन करना है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं रामानन्दजी आपने कहा था कि ट्रेड यूनियन है। बहुत सुन्दर है बड़ी सुन्दर भावना है बोलने में कलेक्टिव बारगेनिंग इसके बिना समाजवाद नहीं आ सकता। यह हमारे यहां पर ट्रेड येनियन एक्ट है और इसी के अन्दर ट्रेड यूनियन की परि-भाषा भी है जिसको मैं पढ़कर सुना देता हूं। अगर यह सरकार इन्डस्ट्री है तो फिर ट्रेड यूनियन है। अगर टीचर एज्यूकेशन इम्पार्ट करता है कहीं क्लर्क बैठता है सेक्रेटेरियट में या दूसरी जगह इनमें ट्रेड यूनियन हो तो इनको अधिकार है फण्डामेण्टली। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें ट्रेड यूनियन को डिफाइन किया गया है :

"Tarde Union is a union in the eonduct of a trade or business."

श्री सभापति : रामानन्द जी नहीं हैं।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मुझे इससे कोई मतलब नहीं है उनके राज्य में तो किसी को अधिकार नहीं है। उनके यहां तो बैठा दिया जाता है और सुबह और शाम तक काम कराकर फिर खाने को और पहनने को दिया जाता है। इसलिए न तो ट्रेड यूनियन है और न राइट टू स्ट्राइक है। उनकी समस्याओं के संबंध में मैं माननीय मन्त्री-मण्डल से निवेदन करना चाहता हूं कि जो इनकी समस्यायें है और जो उनकी मांगें हैं उनके ऊपर सहृदयता से विचार करें और सहृदयता से विचार करके जो उनकी उचित मांगें हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूं कि कई कर्मचारी तो ऐसे हैं कि जिनको अपनी मांगों के बारे में ही जानकारी नहीं है कि उनकी मांगें क्या हैं? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत छोटा सा अधिकार आज सरकार अपने हाथ में ले रही है...

श्री रूपसिंह : सभापति जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आपने हवाला दिया है वह केस किस क्लास के एम्प्लाईज से सम्बन्ध रखता था और वह किस तरह के एम्प्लाईज थे?

श्री यशवंतसिंह नाहर : मैं सुप्रीम कोर्ट की नजीर से और आगे बढ़ता हूं। ट्रेट यूनियन इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के तहत दो अवस्थायें हैं। पहली अवस्था तो यह है कि जनरल स्ट्राइक में पब्लिक यूटिलिटी की सर्विसेज हैं जिसमें इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 22 में डिफाइन किया गया है लेकिन यह एसेन्शियल सर्विसेज न तो ट्रेड यूनियन में आती है

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

और न कलेक्टिव बारगेनिंग में आती हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्ट्राइक करने का अधिकार तो बिलकुल नहीं है और यह 1960 के टेलीग्राफ और रेलवे यूनियन के संबंध में आर्डिनेन्स निकला उसके ऊपर यह रूलिंग थी। हिन्दुस्तान में कई स्टेट्स ने अपने यहां पर यह कानून रखा हुआ है। सद्भावनायें रहें बहुत अच्छी चीज है। कल ऐसी अवस्था आ जाये कि राजस्थान का जन-जीवन क्षत-विक्षत हो जाये तो हम आप हिम्मत नहीं करेंगे कि इस असेम्बली को हम अटेण्ड करें। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजनैतिक भेदभाव को भूलकर इस पर विचार करो। कल आप भी यहां बैठ सकते हो और उस दृष्टिकोण से सोचें कि कैसे क्या होगा? कल आप बैठोगे तो इसके बारे में क्या सोचोगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

(5-58 म. प.)

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

(विराम)

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, कल एक माननीय सदस्य ने....

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें फिर भी मैं समय दे दूंगा।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर) अभी मैंने किसी को समय नहीं दिया है। माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

(श्री मदनसिंह दांता के बोलने पर) आप भी स्थान ग्रहण कर लें, माननीय दांता। अब तो जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं वे सभी बोल चुके हैं इसलिए अधिकार के तौर पर तो किसी को बोलना नहीं है....

श्री रामानन्द अग्रवाल : जो मोशन आफ कन्सीडरेशन का विरोध करना चाहते हैं कि इसको कन्सीडर ही नहीं किया जाना चाहिए वह भी बोल सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : और यह निश्चय हो चुका है कि इसको आज पारित किया जाये। इसलिए मैं फिर भी समय देता हूं....

श्री मदनसिंह : लिमिटेड दो दो मिनट।

श्री अध्यक्ष : हां, हां मैं दूंगा। माननीय दांता आपको तो इसमें समय देना ही है। श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर) : अध्यक्ष महोदय, इस एसेन्शियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स बिल के ऊपर दोनों ओर से सदन के माननीय सदस्यों की बहस मैं सुन रहा था। एक तरफ से दलील दी जा रही है कि वह इसके लिए तैयार होकर आये हैं कि यह कानून बहुत जरूरी है। मैं इस सम्बन्ध में, अध्यक्ष महोदय, बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि यह जो कानून है इसमें जो सरकार ने सरकारी मुलाजिमान के खिलाफ एसेन्शियल सर्विसेस को मेन्टेन करने के सम्बन्ध में अधिकार लिये हैं और अगर वह स्ट्राइक करते हैं तो उसको इल्लीगल करने के लिए कार्यवाही कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि समाज में, या देश में चाहे वह घर हो, चाहे वह गांव हो, चाहे वह राज्य हो या

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

राज्य का मुलाजिम हो, चाहे समाज का कोई भी अंग हो हर एक व्यक्ति को चाहे सर्विस में हो या सर्विस के बाहर हो, हरएक व्यक्ति को जो संसार में जन्मा है उसको सत्याग्रह करने का राइट है उस अधिकार से उस उसूल से, उस बात से, कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

एक माननीय सदस्य : सत्य है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय इस अधिकार से जो कि दैनिक अधिकार सत्याग्रह करने का है गांधीजी ने उसको राजनीति में प्रवेश कराकर हमारे देश को आज़ाद कराया। मगर मैं इस बात का भी पक्षपाती नहीं हूँ कि कोई आदमी गलती करे और उसकी तरफदारी की जाय, लेकिन निहायत अदब के साथ में माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर मुलाजिम यह महसूस करते हैं कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और सरकार नहीं मानती है तो क्या उनको सत्याग्रह करने का राइट नहीं है? जो गांधीजी के उसूलों के नाम पर वोट लेकर आये हैं वे अपने दिल पर हाथ रखकर बतायें कि सत्याग्रह करने का उनको राइट है या नहीं। अगर ये कहते हैं वायोलेन्स करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय मुझे ऐतराज नहीं है। अगर सत्याग्रह करते हैं अपने हक को लेने के लिए करते है, तो, अध्यक्ष महोदय आज प्रान्त में जितने भी प्राणी हैं तो हर प्राणी को अधिकार है अपनी सही मांगों के लिए--गलत मांगों के लिए मैं नहीं कहता-मगर कोई आदमी चाहे वह सरकारी मुलाजिम हो या न हो, अगर वह सत्याग्रह करता है यह उसका मोरल राइट है, और इसको गांधीजी ने अपनी राजनीति में तस्लीम किया है। अंग्रेज भी यही दलील दिया करते थे जो आज ये दलील देते हैं कि तीन लाख जनता से क्या होगा? अंग्रेज यही कहा करते थे कि सत्याग्रह से क्या राज्य प्राप्त हो सकता है जब कि हमने तलवार से राज्य लिया है, लेकिन आज उसी के बल पर हमने सफलता पूर्वक राज्य लिया है। जो अंग्रेज दलील दिया करते थे आज वही दलील चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों, थर्ड क्लास और फोर्थक्लास कहलाने वाले जो कर्मचारी हैं उनके सत्याग्रह के बारे में कहते हैं।

अलवर जेल में मुझे अवसर प्राप्त हुआ है उनसे मिलने का। उनमें से बहुत से लोग ऐसे थे जो कि यह कहते थे कि हमने सरकार को झुकाने के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिए, उसके लिए लड़ने के लिए सत्याग्रह किया है। मैं निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि उनको बहुत सी मांगें जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने स्टेटमेंट दिया है उसमें मान ली गई। वे जायज मांगे थीं और सरकार नहीं मान रही थी। यही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उन्होंने सत्याग्रह किया और सत्याग्रह के अन्दर उनके अधिकारों को माननीय मुख्य मंत्रजी ने माना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस परिस्थिति में कि जब कि आप उनको जायज मांगों को नहीं मान रहे थे तो क्या उनको उनके लिए सत्याग्रह करने को जरूरत नहीं थी? इस बात को कोई भी नहीं कह सकता, मैं क्या दुनिया का कोई भी जस्टिस यह नहीं कह सकता है कि उनको सत्याग्रह करने का अधिकार नहीं है, और इस सत्याग्रह करने के अधिकार को और उनके संघर्ष को दबाने

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

के लिए इस तरह का कानून बना दिया जाय कि आयन्दा के लिए वे उठ न सकें, यह ठीक बात नहीं है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सरकार, सरकार के जो मुलाजिम हैं, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास, जो कि गरीब सर्वेन्ट्स हैं उनके ऊपर जोर आजमायश कर रही है। इसी तरह से जो गरीब जनता है उसको दबाने के लिए एक नया कानून आ गया है। मैं सरकारी पक्ष से पूछना चाहता हूं और माननीय सदस्यों से बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूं कि पब्लिक के रिवोल्ट को, रिवोल्ट आप इसको मानते हैं, सर्विसेज के रिवोल्ट को आप कानून से नहीं दबा सकते हैं। मान लें कि वे हड़ताल का नोटिस देते हैं तो हड़ताल तो गांधी जी ने भी कराई थी। मान लें कि सरकारी मुलाजिम नोटिस देते हैं तो आप उनको जेल भेज देंगे। इसके अलावा फांसी तो नहीं लगा सकते हैं। जेल तो आपने पहले भी भेजा था। उसका नतीजा क्या निकलने वाला है दमन की नीति जो है उससे सत्याग्रह ज्यादा कामयाब होता है। जितने भी दुनिया के जोर आजमायश करने वाले थे उन्होंने जोर आजमायश कर ली। जो सच्चाई पर चलने वाला आदमी है वह उससे दबता नहीं है बल्कि उल्टे आगे बढ़ता है मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि सरकारी मुलाजिम हड़ताल करें। अगर उनको जायज मांगें हैं और आप नहीं मानते हैं तो वे हड़ताल कर सकते हैं। मैं इस उसूल को मानने को तैयार हूं। मैं इसीलिए सरकार से कहता हूं कि आप पहले से ही क्यों नहीं मानते हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं एक मिसाल और पेश कर दूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक स्टेटमेंट दिया है एकाउन्ट्स क्लर्क्स के बारे में स्टेटमेंट दिया है कि अभी तक तो यह था कि 65 में इम्तिहान पास कर लिया है जिनकी तीन साल की सर्विस हो गई है वे उस पोस्ट के लिए वेलिड हो सकते हैं लेकिन अब 70 में उनके लिए यह मानते हैं कि आयन्दा के लिए कि एकाउन्ट्स क्लर्क का जो 65 में इम्तिहान पास कर चुके हैं उनको भी दुबारा इम्तिहान देना पड़ेगा। मैंने ऐसी मिसाल नहीं देखी कि एक आदमी ने मेट्रिक या बी.ए. पास कर लिया है और उससे दुबारा कहा जाय कि तुम क्वालिफाई करो दुबारा। जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि एकाउन्ट्स क्लर्क्स को दुबारा इम्तिहान पास करने का उनको मौका दिया जायगा। हाई कोर्ट से यह रिजेक्ट होने वाला है। एकाउन्ट्स क्लर्क का इम्तिहान पास कर लिया, जब आपने इम्तिहान होल्ड कर लिया और इम्तिहान 65 में पास कर लिया तब आपने उनको मौका नहीं दिया और अब दुबारा कहते हैं कि जो एम.ए. और बी.ए. पास करके क्लर्क्स आ रहे हैं उनके साथ दुबारा इम्तिहान पास करो। मुझे इसमें

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

कोई लॉजिक नजर नहीं आती है। इस तरह की बात कहकर सरकार उल्टे उनको उकसाती है। उनकी बात को यदि धीरज से सुनती और अमल करती तो न सत्याग्रह होता और न हड़ताल होती। सरकार कानून के जरिये दमन करके—बड़े बड़े लोगों ने दुनियां में दमन करके देख लिया है— मतलब कोई हल नहीं कर सकती है।

(श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता)

पहले श्राप यह करें कि उनकी कन्सलटेटिव कमेटीज बनायें। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने बना रखी हैं। लेबर कॉन्फ्रेन्स में इस बात को कई बार पेश किया गया कि कन्सलटेटिव कमेटीज बनाई जायं। वह जमाना चला गया कि श्राप किसी भी फोर्थ क्लास सर्वेन्ट को कुछ कह सकते थे। वह भी श्रापका एक नागरिक है, वोटर है। उनको भी बराबर का श्रधिकार है। उसका फन्डामेण्टल राइट है श्रौर फन्डामेण्टल राइट प्राप्त करने का हरेक श्रादमी का श्रधिकार है। उसको भी जो सुविधाएं सबको मिलती हैं, मिलनी चाहिए। मैं इस बात का हामी नहीं हूं कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट काम न करें, लेकिन, श्रध्यक्ष महोदय, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जो सामुहिक तौर से गलत बात के लिए निश्चय करता हो, चाहे वह गांव की बात हो, चाहे देश की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो। कर्मचारी मीटिंग करके कभी यह निश्चित नहीं कर सकते हैं कि डाका लगाने जायेंगे, चोरी करने जायेंगे। वे श्रपनी मांगों को सही तौर से रखने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। ये कानून बन जाने के बाद भी होगा क्या? इसके बाद भी मांगें मनवाई जायगीं इसलिए कानून से डराने, धमकाने की नीति को छोड़कर सरकार को कन्सलटेटिव कमेटी या श्रौर नये सुझाव जो यहां पर श्राये हों उसके श्रनुसार करे। श्राज 23 साल से तो इस तरह के कानून की श्रावश्यकता नहीं थी। वे गरीब थे, फरमाबरदार थे, श्रापकी जी हजूरी करते थे। मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट सर्वेन्ट की तरह का गरीब तो दुनियां में कोई नहीं है। उनके लिए कानून श्राता है तो सरकार की श्रागे क्या स्थिति होगी, यह देखने के लायक है।

श्री श्रध्यक्ष : श्री दांता।

श्री विजयसिंह : श्रध्यक्ष महोदय, ...

श्री श्रध्यक्ष : मैं समय दे दूंगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : श्रध्यक्ष महोदय, सदन के समक्ष प्रश्न यह है कि पब्लिक श्रोपीनियन के लिए जाना चाहिए या नहीं। कल इसी सदन में कुछ विरोधी दल के सदस्यों की श्रोर से यह प्रस्ताव हुश्रा था कि इसको नहीं लिया जाय। उसके श्रन्दर वोटिंग हुश्रा। श्रब कहते हैं कि पब्लिक श्रोपीनियन के लिए जाना चाहिए। वैसे श्रापकी मरजी है। यह श्रॉर्डिनेन्स है श्रौर यह श्ररजेन्सी का है श्रौर श्ररजेन्सी के लिए श्राया है श्रौर फिर पब्लिक श्रोपीनियन के लिए गया तो इसकी श्ररजेन्सी खत्म हो जाती है। गवर्नमेंट मैं समझता हूं इसको लाना नहीं चाहती। जिसकी श्ररजेन्सी को तोड़ने के लिए यह वसीला चल रहा है तो मैं समझता हूं कि उसका सारा महत्व चला जा रहा है। बात यह चल रही है। यहां विधान सभा के श्रन्दर सदस्य कल कुछ कह जाते हैं श्रौर श्राज कुछ कहते हैं। पब्लिक श्रोपीनियन में जाएगा फिर सिलेक्ट कमेटी में जाएगा। कोई बात कब कहनी चाहिए, यह नहीं सोचते हैं।

श्रध्यक्ष महोदय, कल मैंने एक चीज कही थी। मैं कम्युनिस्ट नेता से कहने वाला हूं, मैंने कल कहा था कि रामानन्द जी रसगुल्ला खा रहे थे। उन्होंने कहा था कि रसगुल्ला नहीं खा रहा था, हमारे श्रादमी काम कर रहे थे। मतलब यह है कि उनकी पार्टी के श्रादमी सक्रिय थे।

(हंसी)

श्री रामानन्द अग्रवाल : यही तो है। वह सहानुभूति रखते हैं और हम साथ देते हैं।

श्री मदनसिंह : इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूं, अगर इसी तरह से संगठन करके एक राजकर्मचारी एक जनसंघ का संगठन हो, एक स्वतन्त्र पार्टी का हो तो वह गवर्नमेंट कितने दिन चलेगी ? इस कानून में वह कौन सी धारा है जो वह मांग नहीं कर सकते हैं ? इसके अन्दर यह है कि जो आन्दोलन करके सरकार को ठप्प करना चाहें, गवर्नमेंट मशीनरी को बन्द करना चाहें, उन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इसमें यह कहीं नहीं है कि वह मांग नहीं कर सकते हैं। मांग की कोई लिमिट भी हो जाये। अध्यक्ष महोदय, चायना में मांग हुई, सिपाही और अफसर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, अगर इस देश में भी ऐसी पार्टियां वही लाना चाहती हैं तो प्रजातन्त्र नहीं रह सकता है। वह जेल भी जा सकते हैं। वह वोट भी दे सकते हैं। वह मांग के लिए लड़ सकते हैं। इस प्रकार का एक कानून बनता है, आप उसका विरोध क्यों करते हैं ? माननीय सदस्य भैरोंसिंह जी ने जो जोश दिखाया था वह इसलिए दिखाया था। आप लोगों को भड़काते क्यों हो ? उनको जोश आता है तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि वह गवर्नमेंट मशीनरी को बन्द कर दें। ये जितने लोग हैं, ये यह मान चुके हैं कि अब हम गवर्नमेंट में नहीं आयेंगे। जैसे सुखाड़िया जी हमेशा रहेंगे। कल भी कानून आयेगा इससे भी सख्त कानून आयेगा। मैं कहता हूं जिसको 20 साल गवर्नमेंट रही है, उसका कितना प्रभाव रहेगा। 20 साल चीफ मिनीस्टर के हाथ में शासन रहा हो, उस को आप रसगुल्ले खिलाइयेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

थोड़ा सा समय और .... । अध्यक्ष महोदय, हमें अपना राजनैतिक स्तर ऊंचा उठाना चाहिए। अगर थोड़े से समय के लिए जैसा कि बद्रीप्रसाद जी कहते हैं, अगर देश के प्रशासन को ठप्प करने की कोशिश करेंगे तो आर्मी लगा दी जाएगी, पुलिस लगादी जायेगी। आर्मी के आदमी और पुलिस के आदमी लग जायेंगे। देश का काम बन्द नहीं हो सकता है। आप को पता नहीं है।

(शोरगुल, व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। 5 मिनिट केवल।

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय .....

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री मदनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि यह अगले कदम के लिए मौका देख रहे हैं। ये प्रोत्साहन दे रहे हैं। असेम्बली के तरीके से प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो ऐसा करते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए अभी बद्रीप्रसाद जी ने कहा, ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या कुछ आदमियों से कहीं काम ठप्प होता है ? 10 आदमी आन्दोलन नहीं कर सकते हैं। जनता आपके साथ नहीं है। राज्य कर्मचारियों के आप पीछे लगे हुये हैं। आप गवर्नमेंट मशीनरी को ठप्प करना चाहते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : इनकी अभी सरकार की गुलामी की बू नहीं गई है।

श्री मदनसिंह : मेरे में अभी आई है. ये गुलाम होकर आये हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : ये अभी भी गुलामी · · · ·

श्री मदनसिंह : मैं देश का गुलाम रह सकता हूं, लेकिन सुखाड़िया जी का गुलाम नहीं रह सकता जैसे कि आप 10 साल तक रह कर आये हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

इन घुसपैठियों की मदद हम न करें। ये प्रजातन्त्र के नाम से वोट लेकर आते हैं। मुझे दुख है, जो कम्युनिस्टों के खिलाफ पार्टियां हैं, वह भी उनके नारों में बह जाते हैं मैं जनसंघ को आज भी मानता हूं वहां डिसिप्लिन है। वह जनसंघ भी आज गलती करता है। वह कम्युनिस्टों का साथ देता है।

एक माननीय सदस्य : फिर उनके टिकट पर आये क्यों हैं ? उनका वफादार रहना चाहिए।

श्री मदनसिंह : मैं वफादार अपनी कान्स्टीट्युएन्सी का हूं। मैं न जनसंघ का गुलाम हो सकता हूं · · · ·

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए।

श्री मदनसिंह : मैं खुद दूसरी पार्टी बना सकता हूं। आप अलवर में दूसरी पार्टी शुरू कर सकते थे।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता : अब करें।

श्री मदनसिंह : वह करूंगा। इसीलिए मैं कहूंगा ऑर्डिनेन्स बहुत महत्वपूर्ण है। इसे जल्दी से जल्दी पास करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई। सिर्फ 5 मिनिट।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और यह भी एक शर्म की बात है कि हमको और नौकरी को दबाने के लिए ही और अपने आप को मजबूत करने के लिए ही यह हथियार बनाना पड़ा। वह जो बड़े अफसर हैं, चाहे मिनिस्टर को ले लीजिए जो राजस्थान में 3–3 हजार, ढाई–ढाई हजार रुपया वेकार पाने वाले लोग चाहते हैं, यह चाहते हैं कि हम अमेरिका और इंगलेन्ड से विद्याध्ययन करके, डाक्टरी की डिग्री पास करें, और हर देश के इतिहास की जानकारी करें और उससे ऊपर 3 हजार और 5 हजार पानेवाले व्यक्ति भी यह अनुभव करते हैं और मैं मानता हूं उसी प्रकार से राज्यकर्मचारी जो सुनते हैं, वह भी वही बनना चाहते हैं। तो क्या यह सरकार जो अपने को समाजवाद का ढिंढोरा पीटती है और अधिकारियों को ढाई हजार, तीन हजार, और 5 हजार वेतन देती है, उनको और भी दूसरे ढंग से रोजाना दिये चले जा रहे हैं। उनको बंगले और कारें दी जा रही हैं। तो क्या उनको जिन से आप 12–12 घण्टे के बजाय 24 घण्टे काम ले रहे हैं, उनके लिए कहते हो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। मैं मानता हूं देश के पास पैसा नहीं है। फिर इस देश का दिवाला नहीं निकलना चाहिए। और चाहे मन्त्री हो उसको भी 500 रु0 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। जो

Page No 158

(श्री हीराभाई)

एम. एल. ए. का काम है वही मन्त्री का भी काम है। उनको अलग खर्चा क्यों करने देते हैं। क्या 500 रु० में काम नहीं चाहता है? इतने में खर्चा पूरा नहीं होता है? और वह भी अलग चाहिए। इसके अलावा नाश्ते के लिए दिया जाता है। फिर वेतन क्यों मांगते हैं, भत्ता क्यों मांगते हैं? वेतन और भत्ता क्यों दिया जाता है? कहां इतना काम करते हैं? वह सिर्फ करते हैं भाषण–बाटन और फिर अपनी पार्टी का प्रोग्राम करके वापिस आ जाते हैं और ढाई हजार, तीन हजार ले लेते है। इनको चाहिये बंगले। बंगलों में रहने की आदत है चाहे झोंपड़ी में से आये हों। बंगले दिखाई देते हैं तो मजबूर हैं। मैं भी झोंपड़ी में से आया हूं। मुझे देखना पड़ता है, एक तरफ तो गृह मंत्री और सुखाड़िया के पास हजार का बंगला। कभी तीन सौ माहवार किराया का मकान लेकर रहे सुखाड़िया जी? सुखाड़िया जी के दस छोरा छोरी हैं और मेरे घर में उन्नीस मिनख हैं। मुझे उनसे भी ज्यादा बड़ा बंगला चाहिए। हम आज आजाद भारत में देखते हैं कि हम दुःखी हैं। (शोरगुल) सुनिये साहब हमारे आजाद भारत में हर आदमी यह सुविधा चाहता है, हर आदमी · · ·

श्री रोशनलाल शर्मा : औरतें कितनी हैं? यह भी बता दो।

श्री हीराभाई : इसलिए मेरी · · ·

श्री नत्थीसिंह : औरतें कई जायज हैं। और बुलाना चाहते हैं।

श्री हीरा भाई मेरी अर्ज है कि आपमें वह ईमानदारी है, वह मर्यादायें हैं · · ·

श्री अध्यक्ष : देखिये, मैं ज्यादा समय नहीं दे सकूंगा।

श्री हीराभाई : ज्यादा समय नहीं है तो इन सबको भी ज्यादा समय नहीं देना चाहिए था।

कर्मचारियों को देने के लिए साढ़े सात करोड़ रुपया नहीं है तो नहीं देना चाहिए। लेकिन जैसा एक दिन रेवेन्यू मिनिस्टर साहब ने कहा था, एक घर में चार रोटी हों और उसकी फेमिली में आठ सदस्य हों तो आधी आधी रोटी बांट कर खानी पड़ेगी। यह हिम्मत आपमें है क्या? आज मैं कर्मचारियों से अपील कर सकता हूं कि अपने देश के प्रति अच्छी भावना रखें और इस तरह से आन्दोलन नहीं करें। यह कहने का मैं हामी हूं लेकिन एक तो आकाश में जा रहा है, एक तो जनता की खून–पसीने की कमाई के आधार पर, जनता का खून चूस कर आकाश में चला जा रहा है, एक की तनख्वाह और भत्ता बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ चौथे श्रेणी के आदमी का डेढ़ रुपया बढ़ेगा। एक तरफ डेढ़ रुपया बढ़ायेंगे और गजेटेड ऑफिसर का डेढ़ सो रुपया बढ़ायेंगे। यह कहां न्यायसंगत है? आप क्यों इसे न्यायसंगत मानकर गलत काम कर रहे हैं? आपको देश में इन्सानियत पैदा करनी है और समाजवाद का नारा लगाना है तो डेढ़ हजार से ज्यादा और डेढ़ सौ से कम तनख्वाह नहीं रखनी चाहिए। यह हमें मानना पड़ेगा, यह हमें निर्धारित करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं देश के नागरिकों का, सरकारी कर्मचारियों का

Page No 159

(श्री हीराभाई)

मन भी मोड़ना पड़ेगा लेकिन पहले आप स्वीकार करें इस बात को, आपको ऐसा वातावरण पैदा करना पड़ेगा। आज एक आदमी सौ डेढ़-सौ का कोट पहनता है और दूसरा कर्मचारी फटे कपड़े पहन कर ऑफिसर के सामने जाता है तो ऑफिसर उसको डांट देता है—तुझे शर्म नहीं आ रही है, सरकारी कर्मचारी है क्यों ऐसा कपड़ा पहन कर चला आया तो एक तरफ उन्हें उसी तरह से दबाया जा रहा है। मैं कहता हूं कि कर्मचारियों के द्वारा आन्दोलन कराने के लिए कोई जिम्मेदार है तो यह कांग्रेस हुकूमत है, यह लोग सारी विदेशी सभ्यता का उपयोग कर रहे हैं और लोअर क्लास के कर्मचारियों को पैसे वालों के मुकाबले में सभ्य करवाना चाहते हैं। यह दो बातें एक साथ नहीं चल सकती हैं। यह कानून क्यों नहीं बनाते हैं जिससे किसी भी ऑफिसर के घर मियां-बीबी के घाघरे और लुगड़ी धोने की फोर्थ-क्लास के आदमी को इजाजत नहीं हो। फोर्थ क्लास के आदमी से ऐसे काम लेने की प्रथा को क्यों नहीं समाप्त करते ? एक अध्यादेश निकाल कर इस प्रकार के गलत काम कराने वाले को आप सजा क्यों नहीं दिलाते · · ·

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री हीराभाई : मेरा निवेदन है कि इनकी मांग पूरी की जाय वरना जो ऑफिसर हैं, जो ज्यादा रकम पा रहे हैं उनका वेतन नीचे लाकर डेढ़ हजार रकम कर दी जाय।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि संयम से, अच्छा वातावरण बना कर और लोगों में आस्था कायम करके ही हम राज्य को कायम रख सकेंगे · · ·

श्री अध्यक्ष : अब तो बैठ जाइये, माननीय सदस्य !

श्री हीराभाई : मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह !

श्री हीराभाई : अगर इस तरह दबायेंगे और लोगों को जेल जाने की आदत पड़ गई तो क्या करेंगे ? यह लोग जेल भरते चले जायेंगे तो क्या करेंगे ? तीन हजार कर्मचारी जेल में गये तो सुखाड़िया को झुकना पड़ा। पहले तो कहा कि नौकरी से बरखास्त कर देंगे · ·

श्री मदनसिंह : सुखाड़ियाजी की गवर्नमेंट को खत्म कर दो।

श्री हीराभाई : बाद में वह झुक गये कि हम समझौता करने के लिए तैयार हैं। आप तीन लाख आदमियों को नहीं झुका पायेंगे चाहे माथा पीट-पीट कर मर जाओ। इसलिये बड़े लोगों की तनख्वाह में कटौती करें और छोटे लोगों की तनख्वाह बढ़ायें और समाज के अन्दर जो खाई है इसको पाटने के लिए इन्तजाम करें। मिनिस्टर अपने वेतन और भत्ते में कटौती करें, जो एम. एल. ए. हैं वह अपने क्षेत्र में जाते हैं, सैशन दो–तीन महीने चलाते हैं मुश्किल से साल भर में फिर यह इकतीस रुपये रोज के लेने की क्या जरूरत है ? जो चौबीस

(श्री हीराभाई)
घण्टे काम करे उसको तो कहें कि डेढ़ सौ रुपया महीना लो। वह लोग जूते साफ करें और घर में झाडू मारें और हम लोग अपने पलंग सेटों में पड़े आराम करते रहें। हम लोग जहां जाते हैं वहां लोग हमें रोटी खिलाते हैं, और हम जाते हैं भाषण चाटन करने के लिए। हमारा भी हजार-हजार रुपया हो जाता है, फिर भी पेट नहीं भरता है। फिर जो डेढ़ सौ में अपना पेट-पालन करे उस पर यह काला कानून लगाना चाहते हैं। ऐसी मान्यता आपकी रही तो देश बरबाद होगा। अगर आपको देश को बरबादी से बचाना है तो इस अध्यादेश को वापिस ले लिजिये, इस बिल को वापिस ले लीजिये और मिल कर इस समस्या का समाधान निकालिये।

श्री अध्यक्ष : श्री विजयसिंह ! पांच मिनट !

श्री विजय सिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मन्त्री से निवेदन करना चाहता हूं, अगर आप यह कहें कि बांई ओर मत देखिये तो वह अवश्य देखेंगे। क्या होगा आप आर्डिनेन्स ला रहे हैं इससे ? इसका मतलब है आप राजस्थान में चाहते हैं कि अधिक हड़ताल और स्ट्राइक हों। इससे यह होगा।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जिस प्रकार भारत के अन्दर नन्दाजी कुछ अपनी ख्याति प्राप्त कर रहे थे तो उनके प्रति जलन कांग्रेस पार्टी में हुई और किसी प्रकार दमन चक्र चला कर उनको समाप्त किया गया। उसी प्रकार, गृह मंत्रीजी, आपके लिए भी दमन चक्र चल रहा है। यह अध्यादेश आने के बाद उसी प्रकार आपको खत्म होना पड़ेगा और आपको भी रिजाइन करना पड़ेगा। गृह मन्त्रीजी पहले आप यह करिये कि आप सोचिये, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिये और फिर इसको वापिस लेने की बात कीजिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, मारवाड़ी में एक कहावत है, बच्चा रोता नहीं है तो मां दूध नहीं पिलाती है। अगर राज्य कर्मचारियों की कुछ मांगें थीं तो उनके लिए सरकार को नहीं कहेंगे तो फिर किस से कहेंगे ? केवल गांधीजी ने रास्ता बताया था उसके अनुसार आन्दोलन किया और किसी को क्या कहा ? फिर ऑर्डिनेन्स की जरूरत क्या है ? वैसे भी ऑर्डिनेन्स के बिना कर्मचारियों का दमन करते हैं, उसका एक उदाहरण मैं पेश करता हूं। आज ही मेरे पास एक पत्र आया है, एक अध्यापक कुचामन पंचायत समिति में राजकीय प्राथमिक पाठशाला में था ...

श्री अध्यक्ष : एक व्यक्ति का क्यों प्रश्न रखते हैं, नीति का प्रश्न है।

श्री विजय सिंह : उनके साथ क्या हो रहा है वह निवेदन कर रहा हूं। 1968-69 में तीन महिने का अध्यापकों को वेतन नहीं मिला, उन्होंने इसके विरोध में भूख-हड़ताल करदी, तीन व्यक्तियों ने की। उस पर क्या हुआ ? उन पर 309 का मुकदमा एक साल के बाद चलाया कि तुम आत्म-हत्या करने वाले थे। उनको अरेस्ट कर लिया और अध्यादेश के बिना अरेस्ट करके परबतसर जेल में ले गये। वहां ले जाने के बाद 5-2-70 को वहां भी भूख-हड़ताल करदी। तो वहां से उन्हें जोधपुर जेल में

(श्री विजय सिंह)

भेज दिया गया और जोधपुर जेल में काल-कोठरी में डाल दिया, जहां पर, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्हें पेशाब करने के लिए भी बाहर नहीं निकाला गया। दोनों हाथों में हथकड़ियां डाल दी गई। पानी पिलाने के लिए कहा तो सिपाही सीखचों से पानी पिलाने के लिये आया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार पानी नहीं पीऊंगा, बिना पानी पीये रहूंगा। वह बिना पानी पीये रहे···

श्री अध्यक्ष : प्रिवेंटिव डिटेंशन बिल आ रहा है··

श्री विजय सिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : उस वक्त आ जाता यह विषय।

श्री विजयसिंह : उस व्यक्ति ने कहा कि तीन महिने का सम्पूर्ण मास्टरों को वेतन नहीं मिला, इसलिए भूख-हड़ताल की। लेकिन उसका यह हाल हुआ। जब ऐसी स्थिति है तो फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून की आवश्यकता क्या है? इस बिल की आवश्यकता क्या है? आप मर्जी आये वैसा कर सकते हैं। आपके मंत्री भूख-हड़ताल करते हैं तो उन पर मुकद्मा नहीं चलाया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट को आप मर्जी आये जैसे विक्टोमाइज कर सकते हैं। मुझे मालूम है, कोई सरकारी कर्मचारी अपना ट्रान्सफर कराने के लिए कहे, प्रोमोशन के लिए कहे तो यह कहते हैं कोई गरीब आदमी बताओ जिसको सिफारिश नहीं है, वहां लगा दूंगा। यह क्या स्थिति है प्रशासन की? प्रशासन अच्छे ढंग से चलता है तो कोई आवश्यकता नहीं है किसी अन्दोलन की। कोई मांग नहीं करेगा किसी प्रकार की। आप उनको वाजिब ढंग से समय समय पर जैसे भी आपकी हर बार वृद्धियां होती हैं उनकी तनख्वाह में भी वृद्धि करें, उनको सुविधा दें, आप 80–90 हजार की गाड़ी ले जायें साथ में ट्रांजिस्टर लेकर जायेंगे, और बीबियां सब्जी के लिए गाड़ी में जायंगी और आपकी बकरी की घास के लिए गाड़ी जायगी, लेकिन राज्य कर्मचारियों को अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस कानून को वापस ले लें, नहीं लेंगे तो यह कोई बंधन नहीं है, और भी आंदोलन कर सकते हैं। आप राज्य कर्मचारियों को दबाते हैं वह आपको दबा सकते हैं। पुलिस राज्य कर्मचारियों का साथ दे सकती है, मिलिट्री उनका साथ दे सकती है इसका आपको क्या भरोसा है?

श्री शंकर सिंह रावत (नसीराबाद) : अध्यक्ष महोदय, अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण कानून लागू करने में मैं समझता हूं इतना हुल्ला गुल्ला करने की आवश्यकता नहीं है। आज इसकी क्यों जरूरत पड़ी? क्यों सरकारी मशीनरी जो सारी है वह अपने उत्तरदायित्व से परे जा रही है और इनको भड़काने वाले और सरे चोपड़ पर स्पीच देने वाले, आज जैसे भैरोंसिंह जी ने बताया कि सुखाड़िया जी का दोष है, जिनको एरेस्ट करना चाहिए लेकिन यह विधेयक लाने में मजबूर भैरोंसिंह जी ने और इनकी पार्टी ने किया था, उनको नेक सलाह नहीं दी, इनको शह दी गई है, क्योंकि अगर कोई सरकार

(श्री शंकरसिंह)
कर्मचारियों के प्रति लोकप्रिय सरकार रही है तो राजस्थान सरकार रही है। आज उनकी सेवायें और आर्थिक लाभ....

श्री मदन सिंह : आप डाइरेक्ट भैरोंसिंह जी पर आ रहे हैं। मुझे मालूम है कि उन्होंने अपने भाई को कहा था कि यह तरीका ठीक नहीं है। इसलिए यह आरोप लगाना, यह गलत बात है। उन्होंने बहुत कोशिश की थी...

(शोरगुल)

उन्होंने अपने भाई को समझाया था। आप आरोप लगाते हैं कि उनकी वजह से यह हुआ भैरोंसिंह जी ने यह करवाया....

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

श्री श्रवणलाल : ये तो अकाल क्षेत्र से जीतकर आए हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

(श्री प्रेमसिंह सिंघवी और श्री शंकरसिंह रावत एक साथ बोलने लगे)

श्री विजयसिंह : क्या ये चौपड़ पर मौजूद थे?

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हैं? आप तो पैनेल में सभापति हैं?

श्री मदनसिंह : रामानंद जी थे चौपड़ पर।

श्री शंकर सिंह रावत : जिस देश में कर्मचारी अनुशासनहीन हों, छात्र अनुशासनहीन हों, फौज अनुशासनहीन होने का खतरा है, तो मैं विरोधी दल से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार और इस सदन की मान-मर्यादा और सरकार की व्यवस्था को सोचें तो यह अध्यादेश जो जारी किया है, वह लाभदायक है। पाकिस्तान में अभी तूफान में 5 लाख आदमी मर गए। वहां कर्मचारियों को आदेश दिए गए हैं कि लाशों को निकाला जाय। अगर कर्मचारी कहें कि हम तो भूख-हड़ताल करेंगे, उस समय अपनी मांगें रखें तो मैं समझता हूं तो इस तरह से...

श्री मदनसिंह : वहां पोलेंड के आदमी को मार दिया....

(शोरगुल)

श्री शंकर सिंह रावत : कर्मचारियों के प्रति सरकार का क्या रुख है? सरकार हमेशा यही सोचती है लेकिन इस तरह से मांग रखी जाय तो कर्मचारी देश का पहला नागरिक है, उसका उत्तरदायित्व है कि वह सरकार और राज्य के लिए सोचे। जिस संस्था के लिए जिसको पैसा मिलता है, नौकरी करता है, उससे ज्यादा काम करता है तो सेवा करता है। इस चीज को लागू करने में अगर विरोधी सदस्य न मानें तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, आप इनको पाबंद करें और आप कोशिश करें कि इसमें ये अड़चन न डालें।

श्री अध्यक्ष : पाबंद कैसे किया जाय?

(शोरगुल)

आॅर्डर प्लीज।

श्री डूंगाराम राजोरिया : अध्यक्ष महोदय......

श्री अध्यक्ष : मैं खड़ा हूं । स्थान ग्रहण करें । प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें ......

(श्री डूंगाराम बोलते रहे-शोरगुल)

मेजर श्री फतेहसिंह : हमारी पार्टी को समय नहीं मिला है ।

श्री अध्यक्ष : अच्छा बोल लें ।

मेजर श्री फतेहसिंह : I am so grateful

श्री डूंगाराम राजोरिया (दौसा) : मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा कि यह शेड्यूल्ड कास्ट व शेड्यूल्ट ट्राइब्स के सदस्य बोलना चाहते हैं

श्री अध्यक्ष : आप विषय पर आ जायं ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं क्षमा चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष : इसमें शिड्यूल्ड कास्ट व शिड्यूल्ड ट्राइब्स का प्रश्न नहीं है । सभी माननीय सदस्य एक स्तर पर हैं । आरम्भ रखें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इनके 12-1/2 प्रतिशत लोग कर्मचारी हैं ।

एक माननीय सदस्य : 28 प्रतिशत ।

श्री डूंगाराम राजोरिया : मैं निवेदन कर रहा था कि जो बिल प्रस्तुत किया गया है सरकारी कर्मचारियों पर, इसको जहां तक मैं समझता हूं, मंत्री महोदय को वापस लेना चाहिये । यह जो विधेयक आप पास कराने जा रहे हैं यह किन पर लागू होगा ? समाज का और राज्य का जो पिछड़ा हुआ तबका है, जो तीसरी व चौथी श्रेणी के कर्मचारी हैं, उन पर पड़ेगा । जब जब भी इन लोगों ने मांग की तो उन मांगों को हमेशा सरकार ने अपनी तरफ से दबाए रखा । जब जब भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का सवाल आया, तो इन लोगों के साथ में कभी भी सहानुभूति का वातावरण नहीं बनाया । सरकार ने यह कभी महसूस नहीं किया कि महंगाई का हर व्यक्ति पर बराबर असर होना चाहिए । महंगाई से बड़े छोटे का भेद नहीं होना चाहिए था । सरकार ने बड़े और छोटे कर्मचारियों के बीच भेदभाव बरता है । उससे क्या हुआ ? छोटे कर्मचारियों में असन्तोष बढ़ा । जब महंगाई से कर्मचारी दुखी हुए तो इन्होंने सरकार के सामने शान्ति से आन्दोलन करके अपनी मांगें रखी । जब आन्दोलन सफल होने लगे तो सरकार ने झूठ बोलकर कि तुम्हारी मांगें मानेंगे आन्दोलन समाप्त करवा दिया, और अब उनकी मांगों को मन्जूर नहीं करके इस कानून के द्वारा उनको दबाना चाहती है सरकार इनकी तकलीफ की तरफ ध्यान न देकर इन लोगों को दबाने की कोशिश कर रही है । यह सरासर अन्याय है । जितनी मांगें कर्मचारियों ने रखी है वह सब वाजिब हैं । इस महंगाई में कर्मचारियों का भरण-पोषण होना बड़ा मुश्किल है । सरकार बतावे जिस व्यक्ति को 100-150 मिलता है वह अपने बच्चों का पालन कर सकता है । क्या वह अपना प्राण निकालकर बच्चों को शिक्षा दे सकता है ? छोटा कर्मचारी कम तनख्वाह में अपने बच्चों का भविष्य नहीं बना सकता । अध्यक्ष महोदय, जब राणावत रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई, मैंने

(श्री डूंगाराम राजोरिया)

भी उसमें भाग लिया था। मैंने कहा था कि जितनी सुविधायें चारों श्रेणियों को दी जा रही हैं, उनमें पहली व दूसरी श्रेणी को ज्यादा दी गई हैं और छोटे कर्मचारियों के साथ भेदभाव किया गया है। मैंने कहा था कि तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की तनख्वाह और बढ़नी चाहिए लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने यह रिपोर्ट तैयार की है जो सिफारिशें लिखी हैं वे केवल प्रथम और दूसरी श्रेणी को ही ज्यादा लाभ पहुंचाने वाली हैं। मैंने यह भी कहा था कि राणावत साहब प्रथम श्रेणी के कर्मचारी रहे हुए हैं। इनको छोटे कर्मचारियों की तकलीफों का ध्यान क्यों होने लगा?

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है यह छोटे कर्मचारियों को दबाने के लिए लाया गया है ताकि वे अपनी मांगें सरकार के सामने नहीं रख सकें न ही वे हड़ताल व आन्दोलन कर सकें। इस विधेयक से कर्मचारियों की आवाज बन्द करने वाली बात की जारही है। जैसे छोटा तबका भारत वर्ष में हमेशा दबता और डरता रहा है इसी प्रकार से सरकार छोटे कर्मचारियों को इस विधेयक से दबाये रखना चाहती है। आज के युग में जबकि जनता का राज्य है इस तरह के विधेयक सरकार को नहीं लाने चाहिए। इस तरह के विधेयक एकतंत्र और तानाशाही के ज्वलंत उदाहरण हैं। इस विधेयक का उद्देश्य राजनैतिक भी है। इस विधेयक की धाराओं में यह भी प्रावधान है कि जो कोई आन्दोलन के लिए उकसायेगा उसको कैद व जुर्माना 1 हजार तक हो सकता है। इस विधेयक के जरिये सत्ताधारी पार्टी किसी भी अपोजिशन पार्टी के व्यक्ति को जब चाहे तब फंसा सकती है। इसलिए, अध्यक्ष महोदय, इस तरह के गलत कानून को सरकार वापस ले। इस विधेयक से कर्मचारी वर्ग में असन्तोष बढ़ने की संभावना के सिवा और कुछ नहीं होने वाला है। आज जो कमरतोड़ मंहगाई है उससे कर्मचारी परेशान हैं। मामूली तनख्वाह से वह गुजर नहीं कर पाता इसलिए गुजर नहीं होने पर भूखा कर्मचारी सरकार के गलत कानून की परवाह नहीं करता है। अगर कर्मचारियों में सन्तोष पैदा करना है तो सरकार मंहगाई कम करने की कोशिश करे. और जो मांगें वाजिब हैं, उनको सरकार को पूरा करना चाहिए और तभी कर्मचारियों का असन्तोष दूर हो सकता है। गलत विधेयकों से कुछ नहीं बनता।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हमारे दांता साहब ने भी सरकार की वकालत की।

श्री मदनसिंह : मैंने यह नहीं कहा कि रुपया नहीं बढ़ना चाहिये। मैंने यह कहा कि कानून पास होना चाहिये।

श्री डूंगाराम राजोरिया : क्या 22 साल में कर्मचारियों ने कभी आन्दोलन किया है? जब परेशानियां बढ़ने लगीं तब आन्दोलन किया।

श्री मदनसिंह : आपने कभी राज किया हो नहीं।

श्री डूंगाराम राजोरिया : इस तरह के कानूनों से कर्मचारी दबाया नहीं जा सकता।

श्री मदनसिंह : यह तरीका नहीं है राज करने का। राज करना सिखा रहे हैं। जगजीवनरामजी से पूछ लो।

श्री डूंगाराम राजोरिया : यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कानून राज्य सरकार ने इस समय रखा है उसको वापिस लेना चाहिये, ग्रौर यह महंगाई बढ़ी है उसको कम किया जाय, ग्रौर गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स की जो मांग है उसको मान लेना चाहिये।

श्री ग्रध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री) : ग्रध्यक्ष महोदय, इस ग्रध्यादेश पर विरोधी-दल के माननीय सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है उससे ऐसा मालूम होता है कि वास्तव में इस विधेयक के मेरिट्स ग्रौर डिमेरिट्स पर कोई विचार नहीं किया गया है। मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि माननीय सदस्य सरकारी कर्मचारियों की सहानुभूति ग्रपनी तरफ खींचना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह : सारी रात पीसा ग्रौर सवेरे कुछ नहीं।

श्री दामोदर लाल व्यास : ग्रापके ग्रौर मेरे बीच इस बारे में बात हुई कि ग्राने वाले चुनाव के कारण ग्राप इसे ग्रपोज कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : सारी रामायण पढ़ दी ग्रौर ग्राप पूछ रहे हैं कि सीता कौन थी? ग्रौर राम कौन थे।

श्री दामोदर लाल व्यास : ग्रापने जैसा कहा था कि चुनाव की वजह से समर्थन कर रहे हैं। मैंने सुना है।

श्री दौलतराम सारण : कब कहा था ?

श्री दामोदर लाल व्यास : ग्रापने जो कुछ कहा वह मैं नहीं कहूंगा।

ग्रध्यक्ष महोदय, समय समय पर राज्य सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर विचार किया है ग्रौर राज्य की वित्तीय स्थिति खराब होते हुए भी जितना पैसा बढ़ा सकते थे उतना बढ़ाया गया है। इस विषय में माननीय मुख्य मंत्री जी ने व दूसरे मेम्बरों ने सारी स्थिति बता दी है।

जब कभी टैक्स लगाने का सवाल ग्राता है तो विरोधी दल में बैठने वाले माननीय सदस्य उसका पूरा विरोध करते हैं ग्रौर राज्य कर्मचारियों की मांगे ग्रायेंगी तो उसका पूरा समर्थन करेंगे। सरकार की वित्तीय स्थिति की ग्रोर ध्यान नहीं देंगे। एक तरफ तो टैक्सों का विरोध करें ग्रौर दूसरी ग्रोर मांगों का समर्थन।

श्री देवीदत्त गाडिया : बेकार का खर्चा कर रहे हो वह बन्द करो।

श्री रामानन्द ग्रग्रवाल : ग्ररबन प्रापर्टी पर सीलिंग लगाग्रो।

श्री विजयसिंह : हम तो यह कहते हैं कि ग्रापको सरकार चलाना ही नहीं ग्राता है।

श्री दामोदर लाल व्यास : इतनी बहस हुई। राज्य कर्मचारियों के क्या मुद्दे हैं कितनी मांगें स्वीकार हो गयीं ग्रौर कितनी

(श्री दामोदर लाल व्यास)

मांगें स्वीकार नहीं हुई उससे इस बिल का सम्बन्ध नहीं है। किन्तु एक उसूल से इसका सम्बन्ध है। माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि दरअसल यह इस पर बेस्ड है कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को आया ट्रेड यूनियन बना कर ट्रेड यूनियन की तरह के कदम उठाने देना चाहिये या नहीं। उनको इसकी इजाजत मिलनी चाहिये या नहीं? राज्य की सिविल सर्विसेज को, इस देश की ही नहीं, दुनियां की किसी भी सिविलाइज्ड गवर्नमेंट ने, इस बात की इजाजत नहीं दी है कि उनको स्ट्राइक करने और ट्रेड यूनियन की तरह से हड़ताल करने का मौका दिया जाय। दुनियां के हर देश में राज्य में सर्विसेज के लिये कानून बने हुए हैं और हमारे यहां भी अन्डर दी कान्स्टीट्यूशन सिविल सर्वेन्ट्स कन्डक्ट रूल्स बने हुए हैं। गवर्नमेंट आफ इन्डिया में भी बने हुए हैं तथा दूसरी स्टेट्स में भी बने हुए हैं। अमेरिका और ब्रिटेन में भी हैं। सब जगह बने हुए हैं। उनमें यह साफ है कि इम्प्लोइड स्ट्राइक करने की सर्विसेज का कोई राइट नहीं है। जैसा कि मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यदि स्ट्राइक का अधिकार दे दिया जावे तो अदालतें बन्द हो जायेंगी। बिजली, पानी बन्द हो जायेंगे, दफ्तर बन्द हो जायेंगे और सारी जनता का काम ठप्प हो जायेगा और यदि आपकी यही मंशा है तो आप उन्हें स्ट्राइक कराने को प्रोत्साहित करें।

राज्य कर्मचारियों की जहां तक मांगों का प्रश्न है राज्य सरकार हमेशा उनकी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करती आयी है और आगे भी करेगी चाहे आप उनको उभारें। हमेशा उनके प्रति सिम्पेथेटिक रुख रहेगा जैसा कि रहा है। हम जिस कानून को बना रहे हैं उसका मतलब यह नहीं है कि उनकी वाजिब मांगों पर विचार नहीं करेंगे। बराबर उनको जो भी वित्तीय स्थिति के अनुसार सहूलियत दे सकते हैं देंगे। हम यह भी चाहेंगे कि सर्विसेज बराबर कानून और नियमों का पालन करें। कन्डक्ट रूल्स बने हुए हैं उनको वे मेन्टेन करें। कान्स्टीट्यूशन अधिकार हैं उनके अनुसार वे एप्रोच करें। जयपुर से आये माननीय सदस्य ने बहुत कुछ कहा। सीनियोरिटी और प्रोमोशन पर, कुछ लोग हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गये हैं उससे राज्य सरकार को कोई नाराजगी नहीं है। फन्डामेन्टल राइट है अदालत में जाकर अपनी ग्रिवान्सेज को रिड्रेस करा सकते हैं। हमें एतराज नहीं है। लेकिन जरा सी बात को लेकर राज्य सरकार के कर्मचारी असन्तुष्ट होकर स्ट्राइक पर जाते हैं तो कोई भी सिविलाइज्ड गवर्नमेन्ट इस प्रकार की इजाजत नहीं दे सकती, और न ही देनी चाहिये। मिसाल के तौर पर अर्ज करना चाहता हूं कि राजस्थान सिविल सर्विसेज रूल्स हैं उसके रूल 22 'ए' को आप देखिये। जैसा मैंने कहा 309 के अन्तर्गत है :

"no Government servant shall participate in any demonstration or strike in connection with matters pertaining to his services

This is Rule 22(A)

गवर्नमेंट आफ इन्डिया रूल (4) ए.

"no Governmenat servant shall participate in any demonstration or resort to any strike ...."

(श्री दामोदरलाल व्यास)
इसी तरह से दूसरी स्टेट्स के अन्दर भी है, अमेरिका के अन्दर as also in India in the British times prior to 1947.

श्री कर्णसिंह : थोड़ा सा मैं अर्ज कर दूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो बहुत एबल जज रहे हैं अपने जमाने के। आप मुझे सुन लीजिये··

श्री कृष्णकुमार गोयल : कण्डक्ट रूल्स के मुताबिक कन्ट्रोल करिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं बता रहा था युनाइटेड किंगडम में इस तरह का प्रोवीजन है। इसी तरह का प्रोवीजन सेन्ट्रल में रूल 4 ए और 22 ए गवर्नमेंट आफ इण्डिया का भी है। यह सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बता देता हूँ :

"It is absolutely legal and valid.' No one has accepted this as a fundamental right."

उन्होंने बात मानी है स्ट्राइक का राइट कभी नहीं दिया जा सकता। जहां तक माननीय नाहर साहब ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया सेन्ट्रल गवर्नमेंट के एक्ट के अन्दर भी उसी तरह का हवाला है··

Right to strike is not a fundamental right.

22 (ए) को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। राइट आफ स्ट्राइक किसी बात पर नहीं है। यह जो दलील दी जा रही है कि यह फण्डामेण्टल राइट है गवर्नमेंट सर्वेन्ट का, वह किसी ने नहीं मानी है। रामपुर से आये हुये माननीय सदस्य ने सत्याग्रह की परिभाषा के बैक ग्राउण्ड में गांधी जी का नाम ले कर बहुत जोर-शोर से भाषण दिया था। वे गांधीवादी हैं इससे मैं इन्कार नहीं करता, मैं उनकी इज्जत करता हूं। मैं जानता हूं कि आपकी सिम्पेथी पहले इस तरह की नहीं थी। आज उधर बैठने से हो गई यह क्यों हुई यह सब जानते हैं··

एक माननीय सदस्य : रामानन्द जी इनके साथी हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप तो स्ट्राइक कराने वाले हैं आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है,। मैं यह भी मानता हूं कि माननीय बद्रीप्रसाद जी कानून को जानते नहीं हों ऐसी बात भी नहीं है। वे भी सुप्रीम कोर्ट को जो रूलिंग है उसको समझते हैं उसके प्रोवीजन्स को समझते हैं, आर्डिनेन्स की भाषा को भी समझते हैं। जहां तक जज साहब का ताल्लुक है वे तो उधर बैठने से इस प्रकार के भाषण देने लग गये हैं। मगर मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको राजनैतिक प्रश्न न बनाया जाय। यही मेरी आपसे नम्रता पूर्वक प्रार्थना है। यह प्रश्न ऐसा है कि सुखाड़िया जी के साथ में आपने बीस साल तक काम किया, इतने थोड़े दिनों में आप बदल नहीं सकते। आप इसी आर्डिनेन्स के सम्बन्ध में साथ देने वाले हैं। भैरोंसिंह जी जिस उम्मीद में बैठे हुए हैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि जो व्यक्ति ईमानदारी से निष्पक्षता से यदि इस बात पर विचार करेंगे तो वे हमारे साथ आयेंगे आज की सेवायें जिन्होंने ईमानदारी से और निष्पक्षता से अपना कर्तव्य पालन किया

(श्री दामोदरलाल व्यास)
हैं वे उसी प्रकार अपना कर्तव्य पालन करती रहेंगी। आज जिस प्रकार का राजस्थान का विकास हुआ है जो तरक्की हर क्षेत्र में राजस्थान ने की है इन सेवाओं का सहयोग इसमें नहीं होता तो हम कामयाब नहीं हो सकते थे। सेवाओं ने बहुत महत्वपूर्ण सहयोग दिया है।

श्री भैंरोंसिंह: तभी तो आप यह इनाम उनको दे रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास: केवल जबानी हमदर्दी से काम चलने वाला नहीं है। असली हमदर्दी होनी चाहिये। जो भी कर्मचारियों के प्रतिनिधि मुख्य मन्त्री जी से मांगे लेकर मिलने आते हैं, मुख्य मन्त्रीजी, उनको कितनी ही दिक्कते हों, लेकिन जो संभव सहूलियतें देनी होती हैं वे हमेशा देते हैं। मुख्य मन्त्रीजी ने कर्मचारी संघ को उदारता पूर्वक यह आफर दी थी कि तुम अपना आन्दोलन विथड्रा कर लो हम भी इस बिल को पेश नहीं करेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी कर्मचारियों ने इसका उदारता पूर्वक उत्तर नहीं दिया। उनको किन्हीं लोगों से विश्वास दिलाया गया कि इस विधेयक का विरोध करेंगे। उनको गुमराह किया गया और इसी कारण उन्होंने आज तक एजीटेशन को विथड्रा नहीं किया।

जहां तक फण्डामेण्टल राइट्स का सवाल है उसके अन्तर्गत स्ट्राइक के अधिकार नहीं आते और सर्विस कण्डक्ट रूल्स के भी यह खिलाफ हैं। यह ठीक है कि हम इन रूल्स के तहत भी इनको दण्ड दे सकते हैं, लेकिन कितनों को? दो–चार को दस–बीस को। सारे ही कर्मचारियों को इसे अन्तर्गत सजा नहीं दे सकते जब सामूहिक इससे कर्मचारी हड़ताल कर देते है तो उसके लिए लाजिमी तौर पर कोई न कोई कानून बनाना पड़ेगा। आप इस बात को भी न भूलें कि यह केवल राजस्थान सरकार ही, न बना रही है, भारत सरकार ने भी इस प्रकार का कानून बना लिया है। दूसरी सरकारों ने जैसे महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब वगैरह ने मैसूर और रामानन्द जी की केरल में भी इस प्रकार का कानून है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की फुल बैन्च ने जो आबजर्वेशन्स दिये हैं जिनको नाहर साहब ने पढ़कर सुनाया है उसके बारे में आपको गौर से सोचना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल: केरल में नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास: आज कर्मचारी स्ट्राइक करते हैं, रामानन्द जी भी भूख हड़ताल के लिए आगे आ जाते हैं। कर्मचारी कहते हैं कि हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिये, हमें हमदर्दी नहीं चाहिये फिर भूख हड़ताल पर बैठ गये। रामानन्दजी भाषण देने के लिए तैयार हो जायेंगे। यह जो आपके तरीके हैं वे काम-याब होने वाले नहीं हैं। आपके इस प्रकार के कथनों से राज्य-कर्मचारी पथभ्रष्ट नहीं होंगे। वे उसी प्रकार से राज्य सेवा में निष्पक्षता से, ईमानदारी से लगे रहेंगे।

एक माननीय सदस्य: फिर जरूरत क्या है इस विधेयक को?

श्री मूलचन्द डागा: इसीलिए तो बहकाने वालों के लिए भी सजा का प्रावधान किया है।

श्री दामोदरलाल व्यास : एक बात यह भी कही गई ग्रौर जज साहब ने भी इस बात का एतराज किया कि एक्चुग्रल ग्रपराधी को सजा कम रखी गई है ग्रौर इन्स्टीगेट करने वाले को सजा ज्यादा रखी गई है यह ग्रनुचित है। मैं ग्रापसे निवेदन करूं यह हमने जानबूझ कर ज्यादा सजा रखी है। यह समझ लेना चाहिए कि हम सरकार के कर्मचारियों की नब्ज को जानते हैं। इस प्रकार हड़ताल ग्रादि करने वालों की संख्या पांच प्रतिशत से ज्यादा नहीं है, इससे ग्रधिक लोग इस प्रकार की हरकतों को पसन्द नहीं करते वे ग्रपने फरायजमन्सबी को जानते हैं, ग्रपने कर्तव्य को जानते हैं। सब जानते है कि सर्विस कण्डक्ट रूल्स में इस प्रकार की हरकतें प्रोहिबीटेड हैं। गैर कानूनी काम करेंगे तो नौकरी चली जायगी इसलिए पांच प्रतिशत से ग्रधिक इस तरह की गड़बड़ी नहीं करते।

ऐसे भी लोग हैं जो कर्मचारियों को इन्स्टीगेट करते हैं उनमें चुपचाप भाषण दे जाते हैं, स्ट्राइक करने के लिए उनको उकसाते हैं, कोई उनके लिए चूड़ियां भिजवाते हैं। ऐसे लोग जो कमजोर लोगों को इन्स्टीगेट करके उनको इस प्रकार की हरकतें करने को प्रोत्साहन देते हैं उनके लिए सजा ज्यादा होनी ही चाहिये। यह कोई ज्यूरिसप्रडेन्स का प्रश्न नहीं है कि एक्चुग्रल ग्राफेन्स करने वाले को कम सजा ग्रौर इन्स्टीगेट करने वाले को ज्यादा। यह तो हमने जानबूझ कर किया है। क्योंकि राज्य कर्मचारी इन्स्टीगुट करने से ही ग्राफेन्स कर पायेंगे, ग्रन्यथा ग्रमूमन तौर पर वे ऐसा नहीं करते हैं। फिर, रामानन्द जी, उनका ग्रान्दोलन चलाने के लिए फाइनेन्स कहां से ग्रा जाता है तो हम उस रास्ते को भी बन्द करना चाहते हैं। स्ट्राइक बन्द करना है तो ग्रापके इन्स्टीगेट करने वाले को, ग्रौर फाइनेन्स देने वाले को ज्यादा पनिशमेंट देना होगा ग्रौर इसलिए देंगे कि उनकी हिम्मत न पड़े। इसलिये यह ज्यादा पनिशमेंट की व्यवस्था जान बूझ कर रखी गई है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। ग्ररेस्ट विदाऊट वारन्ट रखना बहुत जरूरी था। जयपुर से ग्राने वाले माननीय सदस्य ने कहा इसकी जरूरत क्या है ? इसकी जरूरत बहुत ग्रधिक है। उन्होंने यह भी कहा है कि ग्राडिनेन्स फिर निकाल देते ग्रौर फिर जब जरूरत पड़े तो कर लेते। मैं ग्रापको ग्रर्ज कर दूं कि इतनी गलती करने वाले हम नहीं हैं कि इस कानून को नहीं बनाया जाय ग्रौर मान लीजिये कल के दिन विधान सभा चल रही है ग्रौर राज्य सेवा के लोग स्ट्राइक पर चले जाते हैं ग्रौर यहां हमारे कानून बनाने के ग्रन्दर चार दिन की देरी लग जाती है उस हालत में फिर हम ग्राडिनेन्स बना नहीं सकते। स्ट्राइक करके सारी कम्यूनिटि की लाइफ को ग्रौर राजस्थान के कारोबार को ठप्प कर देवें यह हम उचित नहीं समझते। इसी दृष्टि से हमने परमानेन्ट बिल रखना ज्यादा ग्रच्छा समझा है।

जैसा कि कहा गया माननीय मुख्य मंत्री जी ने ग्राश्वासन दिया था उन्होंने यह कहा था कि पीस टाइम में this Act will remain ineffective and unoperative. पीस टाइम नारमल टाइम्स पर इसका ग्रसर नहीं होगा वह तो तब होगा जब स्ट्राइक डिक्लेयर हुई– When we will issue a Notification, and only then this Act will come into operation. इसलिये मुख्य मंत्री जी का उस प्रकार का ग्राश्वासन नहीं था। ग्राज भी इस प्रकार का ग्राश्वासन है कि पीस टाइम में इसका ग्रसर नहीं होगा।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

आ अभी उनके लिए काफी अच्छे प्रोविजन्स है। मैं समझता हूं राज्य कर्मचारी इससे पूर्ण सन्तुष्ट हैं। और राज्य कर्मचारी संतुष्ट रहेंगे तभी राज्य का काम सुचारू रूप से चल सकेगा। बिना उनके कोग्रापरेशन के काम ठीक नहीं चलेगा। एक डिसिप्लिन की जो उनके अन्दर सेन्स है वह बिगड़ने न दें। और लोग इस दृष्टि से बड़बड़ करने वाले हैं वे राज्य सेवा से दूर रहे इसलिए इस, कानून को लाये हैं यह मांग हुई, वह मांग हुई, मांगों का अन्त नहीं रहेगा। सरकार और सरकारी मुलाजिम रहेंगे तब तक मांग रहेगी और उनकी मांगों पर हमेशा सहानुभूतिपूर्व विचार किया जाता रहेगा, विचार करते रहे हैं और करते रहेंगे। जितनी तकलीफ उनके काम में है उसको देखना है– इस बात को नहीं भूलेंगे।

ट्रेड यूनियन्स की बात कहते है। आप इस बात को मत भूलिये कि सरकारी सेवाओं में बहुत से बेनिफिटस मिलते हैं। पेन्शन, ग्रेचुएटी आदि मिलती है। सरकारी कर्मचारी आज इस बात को नहीं भूलता है–राज्य सेवा में रहते हैं तो उनको निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क चिकित्सा, हाउस रेन्ट इत्यादि की सुविधायें उपलब्ध हैं इसलिये राज्य सेवाओं का मुकाबला ट्रेड यूनियन्स से नहीं हो सकता है। ट्रेड यूनियन्स की बातें राज्य सेवाओं में नहीं पनप सकती हैं और उनको इजाजत नहीं दी है। इसी आशय से यह कानून लाये हैं, फिर आप इसका विरोध करते हैं आप विरोध में बैठे हैं, करें लेकिन मेरा निवेदन है कि इसको राजनैतिक इश्यू न बनाकर वास्तविकता पर विचार करें। अगर ऐसी स्थिति होती है और एसेंशियल सर्विसेज स्ट्राइक पर जाती हैं तो राज्य की क्या हालत होगी और खास तौर से ऐसे डिपार्टमेंट जिसमें मौत और जिन्दगी का सवाल है– जनता का रोज-मर्रा का काम जिनसे पड़ता है, उनकी क्या हालत होगी? उनकी वकालत करें, उनकी मांगों के लिये। आप उनकी वकालत करते रहेंगे क्योंकि आप विरोध में हैं, परन्तु उनको राइट है कि वे स्ट्राइक पर जा सकते हैं मैं निवेदन करूंगा बिलकुल उचित नहीं है। स्ट्राइक के राइट पर न किसी गवर्नमेंट ने कोग्रापरेशन किया है और न किसी कोर्ट ने कोआपरेशन किया है, और इसलिये इस कानून को लाये हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1970 को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। जो पक्ष में हो 'हां' कहें और विपक्ष में हो 'ना' कहें।

(ध्वनिमत के पश्चात्)

ना पक्ष जीता, ना पक्ष जीता।

(कई माननीय सदस्यों की एक साथ आवाज)

कई माननीय सदस्य (सरकारी पक्ष): "Noes" have it.

कई माननीय सदस्य (विपक्ष): "Eyes" have it.

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष: मैं पुनः रख देता हूं। प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1970 को जन मत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। जो पक्ष में हों वे 'हां' कहे, जो विपक्ष में हों 'ना' कहें।

Page No 171

(श्री अध्यक्ष)

(ध्वनि मत के पश्चात्) 'ना' पक्ष जीता, 'ना' पक्ष जीता।

कई माननीय सदस्य (विरोधी दल) : "Ayes" have it.

कई माननीय सदस्य (सरकारी पक्ष) : "Noes" have it.

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम डिविजन कराना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1970 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय।

श्री नत्थीसिंह : इस पर बोलेंगे। यह मूव नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1970 को प्रवर समिति के सुपुर्द ... (शोरगुल)

श्री नत्थीसिंह : इस पर विचार करेंगे। अभी जनमत पर हुआ है।

श्री रामकिशन : जनमत का पहले डिस्पोज आफ हो जाय तो दूसरा मूव करेंगे। मूव नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : यह विधेयक प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय या जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय दोनों एक ही प्रश्न हैं। इसलिये बोल तो सभी माननीय सदस्य चुके हैं। आप सहयोग दीजिये।

श्री नत्थीसिंह : पहले जनमत का है। व्यवस्था का प्रश्न है। जब विधेयक पर संशोधन यह है कि जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। इसमें हम डिविजन क्लेम कर रहे हैं उसको लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। माननीय सदस्य, इस आसन के डिक्रिशन पर रहता है। वाल्यूम आफ वायस से वह अन्दाज लगा लेते हैं और आप स्वयं भी लगा लेते हैं। पर डिविजन (विराम) दो तरीके होते हैं एक तो यह है कि खड़े हो जायें।

श्री रामकिशन : बहुत से कांग्रेस वाले वोट देना चाहते हैं ...

(शोरगुल, अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : प्रवर समिति का भी वैसा ही प्रश्न है। उस पर मैंने मान्यता दी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पार्टी डिविजन मांग रही है।

श्री अध्यक्ष : मैं दूसरा प्रस्ताव रखता हूं प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये।

श्री रामकिशन : पहले वाले का क्या हुआ है ?

श्री अध्यक्ष : निर्णय दे दिया है, प्रस्ताव गिर गया।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं यह बिलकुल सही है कि आसन वोट आफ वायस से अन्दाज लगा सकता है पर इसका विरोध किया जा रहा है तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सरकार और प्रतिपक्ष के

(श्री रामकिशन)

बोच में जो ग्राम निर्णय की व्यवस्था है। जो हम क्लेम कर रहे हैं और जो राइट्स में प्रावधान है, उसकी आप रक्षा करें। अन्तिम विरोध करने जा रहे हैं तो करने दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, आर्डर तो मैं प्रवर समिति का लेकर इसको वापिस ओपिन कर देता हूं।

प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवाऐं अनुरक्षण विधेयक, 1970 को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये ?

कई माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष) : 'हां'।

कई माननीय सदस्य (सरकारी पक्ष) : 'ना'।

विरोधी दल के माननीय सदस्य : हां पक्ष जीता।

सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य : ना पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष : अब मैं डिविजन पहले प्रस्ताव पर ले लेता हूं क्योंकि डिविजन मांगा है इसलिए घंटी बजा दी जाये। दुबारा पूछ लिया जाये ताकि शांति से फिर मनन कर सकें माननीय सदस्य।

(मत-विभाजन घंटी)

प्रश्न यह है कि विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये ?

कई माननीय सदस्य (विरोधी पक्ष) : 'हां'।

कई माननीय सदस्य (सरकारी पक्ष) : 'ना'।

विरोधी दल के माननीय सदस्य : 'हां' पक्ष जीता।

सरकारी पक्ष के माननीय सदस्य : 'ना' पक्ष जीता।

विरोधी दल के माननीय सदस्य : वी क्लेम डिविजन, सर।

श्री अध्यक्ष : 'हां' पक्ष के 'हां' लोबी में और 'ना' पक्ष के 'ना' लोबी में प्रस्थान करें।

(तदनन्तर सदस्य गण ऐच्छिक लोबीज में गये, श्री मदनसिंह दांता ने मतदान में भाग नहीं लिया)

राजस्थान अत्यावश्यक अनुरक्षण विधेयक, 1970 को जनमत के लिये भेजने का प्रस्ताव

(हां पक्ष की सूची)

क्रम संख्या	सदस्य का नाम
1.	श्री ओमदत्त भाटी
2.	श्री कृष्णकुमार गोयल
3.	श्री केसरीसिंह हाड़ा
4.	डा. श्री गंगासहाय
5.	श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा)
6.	श्री डूंगाराम राजोरिया
7.	श्री दिग्विजयसिंह
8.	श्री देवीदत्त गाडिया
9.	श्री दौलतरामसारण (डूंगरगढ़)
10.	श्री नत्थीसिंह
11.	श्री प्रेमसिंह सिंघवी

1	2
12.	मेजर श्री फतहसिंह
13.	श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता
14.	श्री भैरोंसिंह शेखावत
15.	श्री मनोहरसिंह मेहता
16.	श्री मेघराज
17.	श्री रामकिशन
18.	श्री रामचन्द्र (खण्डेला)
19.	श्री रामानन्द अग्रवाल
20.	श्री रूपसिंह राजवी
21.	श्री लक्ष्मन तानीवाल
22.	श्री लाभचन्द वैद
23.	श्री विजयसिंह (मकराना)
24.	श्री विट्ठल भाई
25.	श्री श्रवणलाल
26.	श्री हरजीराम मुरडक
27.	श्री हीराभाई

(ना पक्ष की सूची)

क्र. सं.	सदस्य का नाम
1.	श्री अमीनुद्दीन अहमद
2.	श्री अमीलाल यादव
3.	श्री अमृतलाल यादव
4.	श्री कन्हैयालाल पटेल (पिड़ावा)
5.	श्री कल्याणमल
6.	श्री कालूराम मेघवाल
7.	श्री कालूराम आर्य
8.	श्री किशनलाल वर्मा (सिकराय)
9.	श्री गंगाराम चौधरी
10.	श्री गणेशलाल
11.	श्री गिरधारीलाल व्यास
12.	सरदार श्री गुरदीपसिंह
13.	श्री गुलाबसिंह शक्तावत

1	2
14.	श्रीमती गौरी पूनिया
15.	श्री छुट्टनलाल
16.	श्री जगन्नाथ
17.	श्री जयकृष्ण शर्मा
18.	श्री जयनारायण (लसाड़िया)
19.	श्री जवाहरमल
20.	श्री जसराज
21.	श्री बिरदाराम
22.	श्री सुरेन्द्र व्यास
23.	श्री दामोदरलाल व्यास
24.	श्री देवीलाल मीणा (सराडा)
25.	श्री देवेन्द्र कुमार मीणा
26.	श्री दोलतराम (देसूरी)
27.	श्री धीरसिंह
28.	श्री नथमल चोहला
29.	श्री नन्दलाल वेरवा (पाटन)
30.	श्री नाथूराम
31.	श्री नारायणसिंह मसूदा
32.	श्री परसराम मदेरणा
33.	श्री पूनमचन्द विश्नोई
34.	श्री पृथ्वीराज पटेल
35.	श्री प्रद्युम्नसिंह
36.	श्रीमती प्रभा मिश्रा
37.	श्री बलवन्त
38.	श्री बुद्धिचन्द्र जैन
39.	श्री बिशम्भरनाथ जोशी
40.	श्री बृजसुन्दर शर्मा
41.	श्री भीखाभाई
42.	श्री भीमसेन
43.	श्री भूरालाल
44.	श्री मजलिस खां
45.	श्री मथुरादास माथुर
46.	श्रीमती मदन कौर

Page No 174

1	2
47.	श्री मनफूल राम
48.	चौधरी श्री मनफूलसिंह
49.	श्री महेन्द्रकुमार
50.	श्री माधोसिंह
51.	श्री मुल्कराज
52.	श्री मूलचन्द कटेवा
53.	श्री मोतीलाल
54.	श्री मोहनलाल मोदी
55.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया
56.	श्री मोहम्मद उस्मान
57.	श्री यशवन्तसिंह नाहर
58.	श्री रघुनाथ विश्नोई
59.	श्री शीशराम ओला
60.	श्री रतनलाल रोत
61.	श्री रामकिशोर व्यास
62.	श्री राजकुमार नन्दवाना (चित्तौड़गढ़)
63.	श्री रामचरण
64.	श्री रामदेवसिंह
65.	श्री रामनारायण
66.	श्री रामप्रसाद लड्ढा
67.	श्री रिद्धिचन्द पालीवाल
68.	श्री रोशनलाल
69.	श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत
70.	श्री शंकर सिंह
71.	श्री विद्यासागर
72.	श्री शंकरलाल जाट (कपासन)
73.	श्री शंकरलाल (जैतारण)
74.	चौधरी श्री शिवचरणसिंह
75.	श्री शिवनाथ सिंह
76.	श्री शीशराम पूनिया
77.	श्री शोभाराम
78.	श्री श्रीनिवास शारदा
79.	श्री श्रीराम रावत
80.	मास्टर श्री समर्थलाल
81.	श्री सहदेव शर्मा
82.	श्रीमती सुमित्रा
83.	श्री हरिदेव जोशी
84.	श्री हरिसिंह
85.	श्री हीरालाल देवपुरा

(7–25 म.प)

श्री अध्यक्ष : हाउस टू आर्डर।

'ना' पक्ष 85

'हां' पक्ष 27

(सरकारी पक्ष से करतल ध्वनि)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विपक्ष के माननीय सदस्य : नो, नो।

श्री अध्यक्ष : हां पक्ष जीता। विधेयक को विचारार्थ लिया गया। पारित।

श्री रामकिशन : नहीं, नहीं। इसको क्लाजवाइज लिया जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसमें एमेंडमेंट्स नहीं हैं तो भी हरेक क्लाज का विरोध करना चाहेंगे। किसी क्लाज का विरोध भी कर सकते हैं और किसी का समर्थन भी कर सकते हैं।

श्री विजयसिंह : कायदे कानून से चलेंगे। ऐसे थोड़े ही छोड़ देंगे। अगर

Page No 175

(श्री विजयसिंह)

विधान सभा ही कायदे कानून तोड़ेगी तो बनायेगा कौन? यह चलेगा कैसे?

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, कोई एमेंडमेंट नहीं है किसी क्लाज पर।

श्री रामानन्द अग्रवाल : किसी धारा को निकालने के लिए विचार दे सकते हैं।

श्री दामोदर लाल व्यास : एमेंडमेंट मूव करना चाहिए या डिलीट करने का।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसको आप एवायड नहीं कर सकते हैं। आपको इसको क्लाज-वाईं क्लाज पास करवाना पड़ेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर वोट ही करना है तो बैठिये 12 बजे तक।

श्री मदनसिंह : यह किसी पर प्रतिबन्ध नहीं है। मैं तो अभी जा रहा हूं। कौन रोकेगा?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह बात ठीक है आपकी।

श्री अध्यक्ष : रूल 85 इस प्रकार से है :

"When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member in charge may at once move that the Bill be passed.

श्री दामोदरलाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री केसरीसिंह हाडा : अध्यक्ष महोदय, इसकी क्लाज (2) में लिखा है कि जिस रोज विचारार्थ लिया जाय उसी रोज पास नहीं किया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में····

श्री केसरीसिंह हाडा : जिस रोज विचारार्थ लिया जाय उसी रोज बिल को पारित नहीं किया जाय, यह रूल की दूसरी क्लास में है।

श्री मदनसिंह : यह भी है आपने प्रस्ताव किया है कि पारित कर लिया जाय और आज ही होना चाहिए।

(सरकारी पक्ष से करतल ध्वनि)

श्री रामकिशन : कभी नहीं किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम यह डिमाण्ड नहीं करते हैं कि इसको एडजोर्न कर दें और जब तक फैसला न हो तब तक बैठने के लिए तैयार हैं लेकिन अन्तिम फैसले तक आप बैठें···

एक माननीय सदस्य : दिस इज नो एमेंडमेंट।

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है कि जहां एमेंडमेंट नहीं हों तो रूल 85 मैंने आपके सामने रख दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अमेंडमेंट केवल उस हालत में दिये जाते हैं जब कि किसी क्लाज या वर्ड को सब्स्टीट्यूट करना हो या किसी पर्टीक्यूलर क्लाज को डिलीट करना हो, लेकिन जब पूरी धाराओं को डिलीट कराना चाहते हैं तो किसी प्रकार का एमेंडमेंट नहीं आता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके लिए भी एमेंडमेंट होगा।

श्री अध्यक्ष : वह भी एमेंडमेंट है।

श्री भैरोंसिंह : वह एमेंडमेंट है कि किसी धारा में किसी वर्ड को डिलीट किया जाना चाहिए या सब्स्टीट्यूट किया जाना चाहिए, लेकिन किसी धारा को डिलीट किया जाना चाहिए और उसको पास नहीं किया जाना चाहिए उसके बारे में आज तक डिलीशन का एमेंडमेंट नहीं दिया गया है।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य स्वयं ने अनेक बार ऐसे एमेंडमेंट दिये हैं कि अमुक धाराओं को डिलीट किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जानते हैं और अध्यक्ष महोदय को स्वयं इस बात की जानकारी होगी कि किसी धारा को डिलीट करने के बारे में एमेंडमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। किसी धारा में कुछ वर्ड्स को डिलीट करना हो या सब्स्टीट्यूट करना हो तब जाकर वह क्वेश्चन खड़ा होगा न कि क्लाज एज ए होल के लिए।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप भी ऐसे सैकड़ों एमेंडमेंट लाये हैं कि इस धारा को डिलीट किया जाय।

श्री भैरोंसिंह : आप लाये होंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप भी लाये हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं नहीं लाया हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आपकी याददाश्त तो कमजोर हो गई है।

श्री भैरोंसिंह : आपकी याददाश्त तो ताजा होती जा रही है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि किसी एक पर्टीक्यूलर धारा को डिलीट करने के लिए सदन में विचार प्रस्तुत करें तो उसके लिए आवश्यक नहीं है कि एमेंडमेंट पेश किये जाने चाहिये। इसलिए जो धाराएं हैं इसके बाद में एक एक धारा के हिसाब से ले लें। अगर पास होंगी तो हो जायगी और जो मेम्बर्स विरोध करना चाहेंगे तो कर लेंगे केवल बोलने के पाइन्ट आफ व्यू से। मैंने रूल देखा है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी तक जो परम्परा रही है, वह 85 के अन्तर्गत रही है। अगर एमेण्डमेण्ट नहीं है तो पारित करने को लिया जा सकता है।

"When a motion that a Bill be taken into consideration has been carried and no amendment of the Bill is made, the member in charge may at once move that the Bill be passed"

अब तक जो चली आ रही है, वही परम्परा इस बार है। अगर एमेण्डमेण्ट

(श्री अध्यक्ष)

नहीं है तो पारित कर दिया जाये इसलिए इस नियम के अन्तर्गत मैं माननीय मन्त्री महोदय को कहूंगा...

श्री रामकिशन : समय बढ़ाने का आप को अधिकार है। आप बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : मैं नम्रता पूर्वक बोलने की अनुमति चाहता हूं, क्लाज पर नहीं थर्ड रीडिंग पर दे दें।

श्री हरिदेव जोशी : गलत परम्परा क्यों पड़े ?

श्री भैरोंसिंह : कोई गलत परम्परा नहीं है। क्लाज बाई क्लाज करने का विचार हुआ है। मैं समझता हूं कि एक-एक पर्टीक्यूलर पर ले लिया जाये तो जैसा कि माननीय गृह मन्त्रीजी ने कहा है, क्लाज के बारे में चर्चा ही नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात भी पूरी होगी। शायद उनको बुद्धि आ जाये तो शायद कोई क्लाज वापिस लेने की स्थिति में वह आ सकते हैं। इसलिए क्लाज वाई क्लाज डिबेट हो।

श्री गिरधारीलाल व्यास : किसी भी माननीय सदस्य ने एमेण्डमेण्ट नहीं दिया हैं। परम्परा यह रही है कि...

श्री हीराभाई : अगर गलती है तो वापिस कर दिया जाये।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जानकारी करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय...

श्री मदनसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस समय बिल की चर्चा हुई थी, उस समय क्लाज की चर्चा नहीं हुई थी।

श्री रामकिशन (भैर) : एक निवेदन करना है, जो बिल के पारित करने का तरीका है, एक-एक धारा पर हमारी क्या राय है, हम दें या न दें। उस धारा को हम हटाने के लिए कह सकते हैं। बदलने के लिए कह सकते हैं। वोट भी कर सकते हैं। एक-एक खण्ड को लिया जाता है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि एक-एक खण्ड पर विचार किया जाये। सम्भव है, हम किसी पर असहमत हों। मैं समझता हूं कि बिल पारित करने की जो प्रक्रिया है, हर धारा को पास करने का मतलब है हर धारा का विरोध।

श्री दामोदरलाल व्यास : अगर एमेण्डमेण्ट न हो तो...

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि अभी जो बहस हुई थी, उसमें माननीय शिवनाथसिंह ने कुछ महत्व की बातें रखी थीं। इस प्रकार से इसमें कुछ और कागज गलत रखे गये हैं। ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि इस हाउस में दूसरों की राय में उससे कुछ और अच्छी राय आ जाये।

श्री अध्यक्ष : जब तक एमेण्डमेण्ट नहीं आये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि सब्स्टेन्शियल एमेण्डमेण्ट नहीं हो तो रिजोल्यूशन लाया जा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
सकता है। खण्डशः विचार किया जा सकता है। थर्ड रीडिंग हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : खण्डशः विचार करने का कोई तरीका ही नहीं है एमेण्डमेण्ट नहीं है तो।

श्री दौलतराम सारण : फिर वोट लेने की जरूरत ही नहीं थी।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, नियम 80 में यह नहीं दिया गया है। इसमें कहीं भी यह पाबन्दी नहीं है कि संशोधन हो तभी विचार किया जाएगा। इसमें साफ लिखा हुआ है, रूल 80-- "इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी अध्यक्ष, जब यह प्रस्ताव कि विधेयक पर विचार किया जाये स्वीकृत हो गया हो, विधेयक को, या विधेयक के किसी भाग को खण्डशः सदन के सामने रख सकेगा।" इसमें यह कहीं नहीं है कि संशोधन हो तभी आप विचार कर सकेंगे। ऐसा नहीं है, अध्यक्ष महोदय, जब हम कहते हैं कि सारे के सारे क्लाज डिलीट कराना चाहते हैं तब तो सदन के सामने रखा जाना चाहिए।

श्री रामकिशन : इसीलिए संशोधन नहीं रखा है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : "Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may, when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, submit the Bill, or any part of the Bill, to the House clause by clause. The Speaker may call each clause separately, and when the amendments relating to it have been dealt with, shall put the question. "That this clause (or, this clause as amended, as the case may be) stand part of the Bill." यह तो साफ है।

श्री अध्यक्ष : मैं तो गाड़ी को निकालना चाहता हूं सहयोग के साथ।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय . . .

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष महोदय सब समझे हुये हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : रूल नम्बर 80 ...

श्री अध्यक्ष : समझ गया हूं।

श्री नत्थीसिंह : पढ़ने दीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अगर क्लाज बाई क्लाज नहीं करेंगे तो यह वैधानिक नहीं होगा।

श्री रामकिशन : बिल्कुल ठीक, हो ही नहीं सकता है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : "80. Submission of a Bill clause by clause.--Notwithstanding anything contained in these rules, the Speaker may, when a motion that a Bill be taken into consideration has been carried, submit the Bill, or any part of the Bill, to the House clause by clause."

श्री दामोदरलाल व्यास : आगे और पढ़िये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : "The Speaker may call each clause separately, and when the amendments relating to it have been dealt with, shall put the question: 'That this clause (or, this clause as amended, as the case may be) stand part of the Bill.'"

तो इसमें क्लीयर्ली यह प्रोवीजन है।

श्री दामोदरलाल व्यास : एमेण्डमेण्ट नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : यह कानून की बात है।

श्री रामकिशन : आप तो पुलिस वाले आर्टिकल जानते हैं। पुराने केसेज आपको याद हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : This is quite clear. The Bill has to be taken clause by clause.

क्लाज बाई क्लाज लेना ही पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : इसको मैं समझ गया हूं माननीय सदस्य, एमेण्डमेण्ट हो तभी है।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, मनन करने के लिए···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

मैं सदन के नेता महोदय की राय चाहूंगा। मैं रूल्स को समझ गया हूं इसके साथ ही एक एमेण्डमेण्ट अभी–अभी आया है, भैरोंसिंहजी का उसका समय तो नहीं है लेकिन मुझ पर एक दायित्व रह गया है। मैं स्वीकार करूं या न करूं।

श्री हरदेव जोशी : यह आपके डिस्क्रीशन पर है, आप स्वीकार करें या न करें।

श्री अध्यक्ष : बाकी मैं ववेचन कर दूं, अभी पारित हो जाय।

आप कुछ मार्ग दर्शन दें।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : अध्यक्ष महोदय, इस सदन की जो परम्परायें हैं और जो नियम हैं उनके अनुसार जब कोई एमेण्डमेण्ट नहीं आये तब बिल को पारित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अन्दर, उसके ऊपर कोई विरोध नहीं होना चाहिए···

श्री दौलतराम सारण : विरोध नहीं हो ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : सदन के अन्दर जब-जब ऐसी स्थिति आई है तो बिल को पारित किया गया है। इस परम्परा को ध्यान में रखते हुए इसका विरोध नहीं होना चाहिए।

श्री विजयसिंह : परम्परा का निर्णय तो हाऊस की कमेटी करेगी।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह मार्ग दर्शन क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा भी हो वह बता दें।

श्री रामकिशन : नीति का प्रश्न नहीं होता है तो हमारा समर्थन होता है और निश्चित तौर से समर्थन देते हैं। लेकिन वैसे खण्डशः पारित करने के समय सदन के सामने अपने विचार रखने का निश्चित तौर पर हमारा अधिकार है। यह साफ लिखा है।

श्री अध्यक्ष : यह प्रस्ताव आया है कि इसे पारित किया जाय। इस पर माननीय सदस्य अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

प्रश्न यह है कि इसे पारित किया जाय, इस पर माननीय सदस्य अपने विचार रख सकते हैं।

श्री भरोंसिह : यह कहां आया है प्रस्ताव ?

श्री अध्यक्ष : मूव हो गया है।

श्री रामकिशन : आप इस पर व्यवस्था दे दीजिये कि क्लाज बाई क्लाज...

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है, रूल 85 के अन्तर्गत पारित किये जाने का प्रावधान है।

श्री रामकिशन : ठीक है अब रखिये।

अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री जी ने इस बिल के सम्बन्ध में जो राय जाहिर की है, मैं समझता हूं, कल और आज की बहस सुनकर उनको कोई नई बात कहनी चाहिए थी। उन्होंने इस प्रकार की दलील दी है जिसका हमारे ऊपर असर नहीं पड़ा है। उन्होंने जो कुछ कहा है उससे मालूम पड़ता है कि जो विपक्ष में बैठे हुए सदस्य हैं वह विवेकशील नहीं है जब कर्मचारियों की हड़ताल होगी तो वह हड़ताल को भड़कायेंगे। उनका जिस

(7.40 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई उपाध्यक्ष, पद. सीन)

तरह कहने का मतलब रहा है वह इस तरह का है कि मानलीजिए सदन चल रहा हो और कर्मचारियों की हड़ताल हो जाय तो हम क्या करेंगे ? हम क्या कर, आर्डिनेन्स ला नहीं सकते और विरोधी दल कानून बनाने नहीं दें। मैं समझता हूं कि उनका यह कथन सारे विरोधी दल के सदस्यों के विवेक पर शंका करना है। उपाध्यक्ष महोदय, यह मन्शा हमारी कभी नहीं रही कि सरकारी सेवाओं में अनुशासन नहीं रहे। हमारी कभी यह कहने की मन्शा नहीं रही है कि सरकारी कर्मचारी सरकार के आदेशों का पालन नहीं करें। मैं समझता हूं कि जो भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी को वहन करने वाला दल होगा वह चाहेगा कि सरकारी कर्मचारियों में अनुशासन हो और वह सरकार के आदेशों का पालन करें। यह सारी बातें हमारे दिमाग में साफ हैं और यह सारी बातें हमारी नजर में हैं। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार का यह कहना कि जब कभी इस प्रकार की कोई स्थिति पैदा होगी तो हम राज्य सरकार का विरोध करेंगे और राज्य कर्मचारियों को भड़कायेंगे। मैं समझता हूं यह हमारे ऊपर शक करना है। मैं गृह मंत्री जी को, उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मार्फत यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी मन्शा सर्विसेज में असन्तोष फैलाने की नहीं है, अनुशासनहीनता की भावना उत्पन्न करने की नहीं है इस बिल का विरोध कर रहे हैं जैसा उन्होंने कहा और आज भी चर्चा की थी कि हमें फाइनेंशियल प्रश्न की जानकारी नहीं है। राजस्थान की जो भी वित्तीय स्थिति है उसमें यदि सरकारी कर्मचारी बार बार मांग करते हैं तो हम उनका समर्थन करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं। अगर कोई ऐसा दल है जो हर मांग में उनका समर्थन करने की जिम्मेदारी लेता हो तो भी हमारी कोई ऐसी मन्शा

(श्री रामकिशन)

नहीं है। हम सरकारी कर्मचारियों की हर मांग का समर्थन करने वाले नहीं है। हमारा इन मांगों के लिए समर्थन है लेकिन हर बार कर्मचारी हड़ताल करना चाहें मांगों को लेकर तो हम उनका समर्थन करने की स्थिति में नहीं हैं। मुझे तो ताज्जुब अब हुआ, माननीय गृह मंत्री जी ने जब कई देशों की मिसाल दी और ऐसे कहते चले गये जैसे कि हमारे पास कोई जानकारी नहीं हो उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी ऐसा कानून बना हुआ है, इंगलैंड में ऐसा कानून बना हुआ है। माननीय गृह मंत्री, अगर आप जानकारी चाहें तो मैं आपको कुछ देशों की जानकारी दे दूं, आपको मैं फ्रांस की जानकारी दे दूं, जहां पर पूंजीवाद है, पूंजीवादी देश है, लेकिन वहां पर सरकारी कर्मचारी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। आप तो हड़ताल की कह रहे हैं, फ्रांस जैसे देश के अन्दर चुनाव लड़ने का अधिकार है, यह मैंने आपको एक मिसाल दी। आप कहें तो मैं यूनाइटेड किंगडम की मिसाल दूं, आप कहें तो मैं अमेरिका की मिसाल दे दूं। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि फ्रांस जैसे मुल्क में सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वहां पर सरकारी कर्मचारियों की श्रेणी हैं, जैसे....

श्री दामोदरलाल व्यास : फ्रांस में माननीय सदस्य, चुनाव लड़ने का सवाल है। यहां प्रश्न है स्ट्राइक का। चुनाव लड़ने का अधिकारी तो होगा, आप बताइ स्ट्राइक करने का अधिकार किस देश में है?

श्री रामकिशन : मैं उसी पर आ रहा हूं। आप जरा धीरज से सुनिये।

श्री दामोदरलाल व्यास : किताब है कि नहीं है?

श्री रामकिशन : आपके पास कौनसी किताब है?

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरे पास तो है इसलिए आपसे पूछा।

श्री रामकिशन : इसका मतलब है आप मुझ पर शक करते हैं...

श्री नत्थीसिंह : हर एक विद्यार्थी नकल करके नहीं लिखता, अकल से भी लिखता है।

श्री रामकिशन : आप मेरी बात पर शक करते हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि किताब...

श्री दामोदरलाल व्यास : शक नहीं है। आप बोलिए कुछ भी।

श्री रामकिशन : मेरे व्यवहार में यह बात नहीं है। मैं जो भी बात कहता हूं वह प्रामाणिकता के साथ कहता हूं। मेरा निवेदन है कि फ्रांस जैसे देश में सरकारी कर्मचारियों को चुनाव लड़ने का अधिकार है। हमारी इस दिशा में दृष्टि है हमारे दल की दृष्टि है, यह है कि जो बड़े अधिकारी हैं, जो सरकार के बड़े कर्मचारी हैं उनको अधिकार नहीं होना चाहिए अन्यथा छोटे लोग हैं, छोटी श्रेणी के लोग हैं उनको चुनाव लड़ने का अधिकार हम देना चाहते हैं। जब लड़ने का अधिकार देना चाहते हैं, तो जहाँ तक स्ट्राइक का सवाल

(श्री रामकिशन)

है, मैं स्ट्राइक का अधिकार देने की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई भी सरकार अपने कर्मचारियों को निरन्तर स्ट्राइक पर रहने की इजाजत नहीं देती है। हम भी महसूस करते हैं कि अस्पताल के कर्मचारी अगर हड़ताल कर दें तो क्या होगा ? हम भी इनका समर्थन करने वाले नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विकसित समाज में, समाजवादी समाज का दायरा बढ़ता चला जाता है, कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ती जाती है, आज के वीस वर्ष पहले जो सरकारी कर्मचारी थे, वह सीधे उस समय के शासन के नौकर थे। लेकिन आज रोडवेज कार्पोरेशन हो गया है, और आगे कोई भी सरकार संगठन खड़ा कर दें तो वहां भी कर्मचारी होगा और उनको भी एक नोटिफिकेशन को निकाल कर, आप चाहेंगे, तो हड़ताल के अधिकार से रोक देंगे। इसलिए हमने इसका घोर विरोध करने का फैसला किया है। लेकिन यह फैसला हमने इस दृष्टि से नहीं किया है कि हम सरकारी कर्मचारियों को निरन्तर हड़ताल करने के लिये उकसायेंगे। हमारे कहने की यह कतई मन्शा नहीं है कि हम उनका समर्थन करेंगे। इस सदन में मेरा निवेदन है कि ऐसी मन्शा नहीं है कि ऐसी स्थिति आये। आप विरोधी दल के विवेक पर भरोसा रखिये। सरकार कभी पेरेलाइज हो जाय—यह हम कभी नहीं चाहेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, गृह मन्त्रीजी जिस प्रकार की व्याख्या को लेकर चल रहे हैं उसके अनुसार वह चल सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने कल निवेदन किया था कि यह जो कर्मचारी हैं यह सामूहिक रूप से किसी अधिकार की मांग करते हैं तो उनके साथ में बात कर सकती है सरकार, बात करने की स्थिति ला सकती है। इसका जो जवाब गृह मंत्री जी ने दिया उस पर मुझे हंसी आई, उन्होंने कहा कि इस प्रकार का अधिकार होना जरूर चाहिए कि जो हड़ताल करे उसको सजा मिले। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो आन्दोलन को उकसायेगा, हड़ताल के लिए उकसायेगा उसको लम्बी सजा देनी चाहिए, इस लिए हमने लम्बी सजा रखी है। बड़ी खुशी की बात है। मैंने तो कल ही कहा था कि आप बिना किसी चीज को देखे वैसे ही दस्तखत नहीं कर देते हैं आपने यह प्रावधान जान बूझ कर रखा है। इसमें आपको कन्जर्वेटिव दृष्टि है। आप समझते हैं कि लम्बी सजा रखने या देने से लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना छोड़ देंगे। ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हमने भी संघर्ष किया है, शोभाराम जी यहां पर बैठे हैं ....

एक माननीय सदस्य : वह सवाल नहीं है।

श्री रामकिशन : ब्रिटिश शासन ने कानून बनाया था कि जो भी आन्दोलन में भाग लेगा उसकी जायदाद जब्त कर ली जायगी, उसको राज्य के बाहर निकाल दिया जायगा, उसके परिवार के लोगों को राज्य के बाहर निकाल दिया जायगा लेकिन क्या हम लोगों ने संघर्ष करना छोड़ा था ? हम भी इस तरह के आन्दोलनों में से निकल चुके हैं। वैसे हम इस बात के समर्थक नहीं है कि सरकारी कर्मचारी निरन्तर हड़ताल करें। हम इसके भी समर्थक नहीं है कि आये दिन उनका वेतन बढ़ा दिया जाय। लेकिन यह

(श्री रामकिशन)

सरकार की ही असफलता है क्योंकि यह सरकार मंहगाई रोक नहीं पाती है । इसलिए कर्मचारी निरन्तर मांग करते रहते हैं । मुझे अफसोस हुआ, कांग्रेस दल के अधिकांश माननीय सदस्यों ने कहा कि सरकार के कर्मचारी भ्रष्ट हैं । उन्होंने यहां पर ऐसे कहा जैसे इस सदन में किसी को ईमानदारी का सर्टीफिकेट दे रहे हों। उन्होंने यह भी कहा कि इस हड़ताल के साथ किसी की सहानुभूति नहीं है । मुख्य मंत्री जी ने भी यह कहा कि कर्मचारियों को अन्तरिम सहायता देने के लिए जनता टैक्स नहीं देगी । सरकारी कर्मचारी और सरकार के बीच में वह जनता का प्रश्न ले आये। सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं, यह तो हम पिछले बीस वर्ष से कहते आ रहे हैं। हमें खुशी है कि आज आपने इस बात को स्वीकार तो कर लिया। लेकिन सवाल यह है कि यह भ्रष्टाचार क्यों फैला ? आपने यह स्वीकार तो कर लिया कि सरकार के अधिकांश कर्मचारी भ्रष्ट हैं·····

श्री दामोदरलाल व्यास : मैंने कहां स्वीकार किया है ?

श्री रामकिशन : आपके दल के लोग बोले हैं, आप रिकार्ड को देख लीजिये। तो आप मुझे बताइये कि आप किस बात के लिए सन्देह कर रहे हैं विरोधी दल पर···

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कतई यह बात मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि सरकार के अधिकतर कर्मचारी भ्रष्ट हैं।

श्री रामकिशन : यह तो रेकार्ड कह रहा है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं मानता हूं कि अधिकतर सरकारी कर्मचारी अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं. ईमानदार हैं। यह बिल्कुल गलत बात है जो आप कह रहे हैं।

श्री रामकिशन : आप पुलिस मंत्री बन कर पुलिस का जैसा व्यवहार कर रहे हैं।

श्री दामोदरलाल व्यास : आप विशिष्ट ब्राह्मण बन कर वैसा व्यवहार कर रहे हैं ।

श्री रामकिशन : मैं नहीं कह रहा हूं, यह रेकार्ड पर बोल रहा है। आपके लिए तो सरकारी कर्मचारियों के दो लाख, ढाई लाख वोट का महत्व होता है। हमारे लिए ऐसा नहीं है। हम तो सिद्धान्त की वजह से लड़ रहे हैं। पुलिस को जिस प्रकार के अधिकार आप दे रहे हैं। आपकी अच्छी नियत होती तो सदन के समक्ष जो कानून होता वह दूसरे ढंग का होता। इसके अलावा आप परसों प्रिवेंटिव डिटेन्शन विधेयक ला रहे हैं·····

श्री दामोदरलाल व्यास : उसके सम्बन्ध में उस वक्त कहें ।

श्री रामकिशन : उसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करूंगा । वह अब आप किस लिए ला रहे हैं? आपको वह 1956 में लाना चाहिए था जब इस प्रकार की हालात बनी थी आज तो आप मुस्लिम लीग से सहयोग कर रहे हैं। खैर, फिलहाल मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा जिस दिन यह विधेयक आयेगा उस दिन विस्तार से इस बारे में बतलाऊंगा। मैं कहना चाहूंगा कि आपकी मन्शा यह है, आपको जान बूझ कर

(श्री रामकिशन)

इस प्रकार की मन्शा है कि इस राज्य को पुलिस स्टेट बना दें। इसलिए हम लोग सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन नहीं करते हुए, उनकी सारी मांगों का समर्थन नहीं करते हुए भी जो आपकी भावना है, आपकी मन्शा है, जो आपकी नीति है उसका घोर विरोध करते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सरकारी कर्मचारियों को आप खुद जानते हैं, पिछले तेइस साल में एक बार हड़ताल की है। हिन्दुस्तान के सरकारी कर्मचारियों ने भी केवल एक बार हड़ताल की है। ब्रिटिश शासन काल में भी एक बार की थी सन् 43 में, वह भी लोगों के कहने से, डॉक वर्कर और दूसरे लोगों ने। लेकिन राजस्थान सरकार की सिविल सर्विस ऐसी नहीं है, आप भले ही आप कल्पना के अन्दर ऐसी स्थिति खड़ी कर लें। ऐसी स्थिति कभी आये तो उस समय आप इस तरह की कार्यवाही करने पर विचार करें। फिलहाल मेरा निवेदन है कि इस आर्डिनेन्स को कानून हम बनने नहीं देंगे। आपने जो कहा है, उससे हम समझते हैं कि आप हमारे विवेक पर शक कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हमारे विवेक पर शक करने का अधिकार आपको है नहीं। यह कम्युनिस्ट मुल्क में तो व्यवस्था है, कम्युनिस्ट मुल्कों में इस प्रकार का अधिकार नहीं है...

श्री रामानन्द अग्रवाल : वहां अन्तर्विरोध नहीं है। वहां विवेक शून्यता नहीं है लेकिन वहां के शासन और जनता में अन्तर्विरोध नहीं है। आप इसको समझिये।

श्री रामकिशन : उन मुल्कों में अधिकार नहीं हैं लेकिन आप अपने को डेमोक्रेटिक स्टेट कहते हैं और डेमोक्रेटिव स्टेट बनने का बहाना करते हैं। बहुमत आपका है, आप पास करायेंगे, हम सारी बात को नहीं समझ रहे हैं क्या? हमारे 27–28 वोटों की कीमत नहीं समझी जा रही है लेकिन हम आपके मन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं और यह जो प्रावधान आपने रखा है, कि कोई सहानुभूति प्रकट करेगा यदि कोई सहयोग करेगा तो मैं समझता हूं 1972 के बाद स्थिति आने वाली है हम तो गद्दी पर बैठेंगे और फिर आप गिरफ्तार होने को तैयार है?

श्री दामोदरलाल व्यास : यह कल्पना कहां से आ गया?

श्री रामकिशन : बुढ़ापे में हमको आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा क्योंकि कर्मचारियों की मांगों का आप समर्थन करेंगे। आपको खुद को ज्ञान नहीं। सरकार से हटने के बाद विरोधी सदस्य की हैसियत से आपका क्या आचरण होगा? मुझे हंसी आई, आप इतिहास भूल गए, हिन्दुस्तान में कांग्रेस सरकार नहीं है। तीन राज्यों के अलावा मिली-जुली सरकारें हैं। आप कह रहे थे जब कभी तनख्वाह बढ़ाने का मसला आता है तो हम समर्थन करते हैं और टैक्स लगाने का विरोध करते हैं। आप क्या कर रहे हैं तामिलनाडू में।

श्री दामोदरलाल व्यास : राजस्थान की बात करें।

श्री रामकिशन : आप उत्तरप्रदेश में क्या करते हैं? बिहार में क्या करते थे? मध्यप्रदेश में जब अपोजीशन में थे तो आपके

(श्री रामकिशन)

लोग जूते फेंकते थे चेयर की तरफ। आप संपूर्ण देश वाली पार्टी नहीं हैं, आपकी हैसियत बड़ी जरूर है लेकिन सारे देश की सार्वभौम पार्टी आपकी नहीं है। उत्तर प्रदेश में आप जो अध्यादेश लाए थे, वह आपके सामने वापस हो रहा है। खैर। केरल और उड़ीसा में कानून है। केंद्रीय सरकार ने कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है और दो सरकारों ने बनाया है। अगर इन सरकारों ने बनाया है तो ये कोई हमारे लिए मनुस्मृति है कि इनके चरण चिन्हों पर चलें? केन्द्र में सरकार अनडेमोक्रेटिव सरकार है। चीन व पाकिस्तान से पराजित होने वाली, देश के सम्मान को खोने वाली सरकार है। भुखमरी और बेईमानी की सरकार है, उसके कामों की नकल करेंगे? उत्तर प्रदेश में जो सरकार ने काम किया था, वह सरकार चली गई और उसका अध्यादेश भी वापिस हो रहा है तो आप ठंडे मन से विचार करें क्योंकि आपकी उम्र 62-63 हो गई है, ज्यादा गर्मी की जरूरत नहीं है आपको चिंतन व मनन की जरूरत है। जो प्रावधान आपने बिल में रखे हैं, मुझे शक है कि पुलिस उनका ईमानदारी के साथ प्रयोग कर सकेगी। आपकी मन्शा ऐसी नहीं है लेकिन आपने प्रावधान किया है कि जो इनको भड़काएगा, मदद करेगा उनको गिरफ्तार करेंगे। मैंने कल कहा है कि चंदा देना मदद नहीं? स्ट्राइक वालों को कोई कर्जा देना चाहेगा, कपड़ा उधार लेने जायेगा तो भी वह मदद है, उसकी व्याख्या पुलिस का सब इन्सपेक्टर करेगा, वह उतर आए तो कोई बच नहीं सकता। राजस्थान की हालत यह है कि हर राजनैतिक दल राज्य-कर्मचारियों का विरोध करता है, पुलिस के भ्रष्टाचार का विरोध करता है। कहीं कहीं एस. डी. ओ. और तहसीलदार का विरोध किया है। कहीं तो क्लेक्टर बढ़िया हैं कहीं तो ऐसे ही बैठे हैं। तो पुलिस इन्सपेक्टर कहेगा कि अच्छा मौका मिला है। हम इस बात पर इनको पकड़ते हैं कि आपने कर्मचारियों की मदद की है, सहयोग दिया है, इनको भड़काया है, प्रोत्साहन दिया है। तीनों धाराओं में उनको पकड़ लेंगे। तो उस समय राजस्थान का जीवन-क्षेत्र जेल खाना बन जाय यह मन्शा आपकी नहीं है, लेकिन कानून की व्याख्या पुलिस का अधिकारी करेगा, सारी संभावनाएं निहित है ऐसी हालत में मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों जिद् कर रहे हैं। आपने तो एक टेक्नीकल पॉइंट पकड़ ली मुख्यमंत्री और आपने कि कर्मचारियों ने हड़ताल सस्पेंड की है। जो राजनैतिक आंदोलनों में रहे हैं उनको मालूम है कि एक आंदोलन जब चरम सीमा पर पहुंचता है तो दुबारा उस सीमा तक नहीं पहुंच सकता। गंगानगर में जो आंदोलन हुआ, उसकी गर्मी दुबारा हम नहीं ला सकते।

श्री दामोदरलाल व्यास: पहले पॉइंट्स को रिपीट कर रहे हैं।

श्री रामकिशन: प्रोसीडिंग्स पढ़कर देख लें। 15 शब्द भी बता दें। वैसे तो हमारा अधिकार है, हम रिपीट भी करते हैं। आप में और मुख्य मंत्री में क्या फर्क है? इस समय जो स्थिति है वह राज्य के लिए गंभीर और खतरनाक है। इन्हीं शब्दों के साथ चाहूंगा कि आप इस कानून को पारित न करायें। आपने कहा नोटिफिकेशन के लिए। एसेन्शियल सर्विसेज की व्याख्या आपने की है।

(श्री रामकिशन)

हिन्दुस्तान की तीन स्टेट्स की व्यवस्था बताई लेकिन आप उत्तर प्रदेश को विदेश समझ रहे हैं, आंध्र प्रदेश को विदेश समझ रहे हैं आप दुनिया के तीन डेमोक्रेटिक देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और यू. के. को लें। मैं आपको यदि उदाहरण दूंगा तो आप समझेंगे कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, मुझे शर्म आती है। लेकिन अमेरिका की क्या व्यवस्था है? उनकी सर्विसेज किस तरह से बंटी हुई हैं। दो तरह की सर्विसेज हैं एक फेडरल सर्विसेज और दूसरे स्टेट सर्विसेज। उसकी आप जानकारी करें। उनको क्या क्या दे रहे हैं? अमरीका के कर्मचारी आप समझेंगे कि महंगाई भत्ते पर हड़ताल करेंगे? वहां एक व्यक्ति की वार्षिक आय 20 हजार रुपए की है और राजस्थान में 540 रुपये है। वहां हड़ताल और तरह की होती है। वहां हड़ताल न तो महंगाई भत्ते के लिए होगी न निवासस्थान के किराए के लिए होगी, न आने जाने के साधनों के लिए होगी। इन साधनों की पहले ही वहां पूर्ति हो गई। लेकिन वहां बेरोजगारी चलती है। आपने उदाहरण गलत दिए। वकालात करते करते आप पुराने पड़ गए। आपको तो पुलिस वाला डंडा याद आता है जैसे पुलिस वाले कहते हैं कि गड़बड़ी करोगे तो डंडा लगेगा। आप कह रहे थे कि प्रत्येक कर्मचारी हड़ताल करने वाले को 6 महीने की सजा, जो इन्स्टीगेट करेगा उसको 12 महीने। जो चंदा देगा उसको 2 साल। आप एक धारा और जड़ दें कि जो चंदे का हिसाब रखेगा उसको 20 साल। अन्त में कहो कि सबका सर काटा जाय। एक दिन मैंने विधान सभा में कहा था कि आप विशिष्ट ब्राह्मण हैं। आप कहते हैं कि डंडा चलाओ, मारदो, जबान निकाल दो। वशिष्ट ने राम को यह समझाया कि यह कर दो लेकिन बाल्मीकी ने दूसरी बात उनको सिखाई। आप बाल्मीकी बनो।

श्री दामोदरलाल व्यास : यह आपकी क्वालिटी है? आप बिल पर नहीं बोल रहे हैं।

श्री रामकिशन : आपने गलत उदाहरण दिए हैं। देशों के नाम मैंने आपको बताए। वहां की व्यवस्था की जानकारी नहीं है आपको। यह बिल सदन अस्वीकार करेगा। आप विवेक खो चुके हैं। आप नहीं समझेंगे। राज्य कर्मचारियों की हड़ताल होती है या नहीं महत्वपूर्ण बात नहीं है लेकिन जो प्रावधान आपने किए हैं जो आपके सोचने के दोष हैं, उसकी वजह से हम संदिग्ध हैं। कांग्रेस दल के माननीय सदस्यों ने कुछ बातें कही थीं। मैं चाहूंगा कि आप इसको वापस ले लें नहीं तो सदन अस्वीकार करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री ने जो बिल को पारित करने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दूं?

श्री रामकिशन : कौनसा?

श्री दामोदरलाल व्यास : कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन।

श्री रामकिशन : वह भी पुलिस के मारफत भेज दें।

श्री दामोदरलाल व्यास : वैसे भी आपके पास आ जायगा।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री रामचरलाल व्यास (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 31 वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

दिनांक 20 व 21 नवम्बर, 1970 को लिये जाने वाले कार्य के सम्बन्ध में समिति सिफारिश करती है कि इसके लिये समय का बंटवारा इस प्रकार किया जाय :

शुक्रवार, दिनांक 20 नवम्बर, 1970 (1) अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1970-71 (प्रथम संकलन) पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक पर विचार तथा उसका पारण।

(मांगों पर मुख बन्द का प्रयोग अपरान्ह 3.30 बजे किया जायेगा)

(2) राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1970 पर विचार एवं उसका पारण।

शनिवार, दिनांक 21 नवम्बर, 1970 निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण।

(1) राजस्थान निवारक निरोध विधेयक, 1970 तथा

(2) राजस्थान नगर सुधार (संशोधन) विधेयक, 1970।

नोट : (1) उपरोक्त समय के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

(2) शनिवार, दिनांक 21 नवम्बर, 1970 को प्रश्न काल नहीं होगा।

(विराम)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 31 वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 31 वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

सहमति प्रकट की गयी।

श्री रामकिशन : अच्छी बात का समर्थन कर रहे हैं।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। जब इससे पहले हमने यह सवाल पूछा था सदन में कि पंचायत चुनाव हो रहे हैं या नहीं ? इसकी स्थिति को स्पष्ट किया जाय तो पंचायत मंत्रीजी ने कहा था कि 19 तारीख को पंचायत विधेयक आ रहा है उस वक्त सप्लाई करेंगे। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन पेश हुआ इसमें पंचायत विधेयक नहीं आ रहा है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में आपकी व्यवस्था चाहूंगा कि पंचायतों के चुनाव के बारे में स्थिति को स्पष्ट कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : बिजिनेस में पंचायत विधि संशोधन विधेयक रखा हुआ था और उसी संदर्भ में मंत्री महोदय ने कहा था कि स्थिति का स्पष्टीकरण कर दिया जावेगा। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और उसमें इसको नहीं रखा गया है। कार्यक्रम उस तरह का स्वीकार कर लिया गया है। उसमें मंत्री महोदय क्या कर सकते हैं ? उस संदर्भ में कहा था।

श्री नत्थीसिंह : हमारा स्थगन प्रस्ताव था। अनतंत्र का सवाल है। स्थिति को साफ कराई जाय। आप पंचायतों के चुनाव कराना चाहते हैं या नहीं ? छिपा क्यों रखना चाहते हैं। यह अनिश्चित अवस्था नहीं चल सकती। आपको इस पर व्यवस्था देनी होगी। यह हमारा अधिकार है।

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो स्थिति आपने रखी है सदन में उस पर मैंने उस दिन यह कहा था कि पंचायत संशोधन विधेयक जब विचारार्थ लिया जावेगा उस समय कहूंगा। उस बिल को आप ले नहीं रहे हैं। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी कब ले रही है और या नहीं ले रही है मैंने उसकी रिपोर्ट देखी नहीं है। माननीय सदस्य ने स्थगन प्रस्ताव रखा था। जो भी फैक्ट्स हैं वह सचिवालय को भेज दिये जावेंगे।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, एडजोर्नमेन्ट मोशन पर सरकार की ओर से जवाब दिया था तो कहा था कि उस दिन जवाब दे दूंगा जब विधेयक लिया जायगा। आज वह नहीं है विधेयक...

श्री उपाध्यक्ष : आज के बिजिनेस में रखा हुआ है।

श्री रामकिशन : हम यह नहीं कहते हैं कि बयान दें या न दें। आ रहा है तो कहें। वरना एडजोर्नमेन्ट मोशन पर जवाब दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसको पास करने के बाद उसको ले लेंगे।

श्री दिग्विजयसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि कोई टॉप सीक्रेट तो नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इस सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न सदन में कई बार उठ चुका है।

श्री दामोदरलाल व्यास : मेरा पारित का प्रस्ताव है पहले उस पर बहस होनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप कहें कर बदल जायं। इस स्थिति में भी बात न करें। एडजोर्नमेन्ट मोशन हमने दिया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : वे अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हर तरह की बात करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम आपकी व्यवस्था चाहते हैं कि आज होगा या कब होगा?

श्री दौलतराम सारण : इस व्यवस्था के सवाल के बीच में मुख्य सचेतक महोदय बार बार विघ्न पैदा करते हैं। बार बार व्यवस्था में अव्यवस्था पैदा करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वे अपनी ड्यूटी का पालन कर रहे हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उनकी यह ड्यूटी है तो उनको छोल दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अभी विचाराधीन विषय है इस बिल को पारित किया जाये। व्यवस्था का प्रश्न तो विचारणीय विषय के सम्बन्ध में उठाया जा सकता है। वैसे मैं निवेदन करदूं कि मंत्रियों के विधेयक जो विचाराधीन है इसके बाद लिया जा सकता है।

श्री रामकिशन : यह कहा कि सिलेक्ट कमेटी को चला गया है इसलिये वह आने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न बीच में कैसे उठ सकता है जब दूसरा मोशन चल रहा है।

श्री नत्थीसिंह : कार्य सलाहकार समिति ने सारा आॅर्डर बदल दिया है तब उठाया है।

श्री उपाध्यक्ष : बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी में भी सब ही दलों के प्रतिनिधि बैठते हैं और उस वक्त यह प्रश्न विचारना चाहिये था और पंचायत वाले विधेयक को नहीं लेना है तो कहना चाहिये था।

श्री रामकिशन : उस वक्त कराते थे।

श्री उपाध्यक्ष : उस चीज को स्वीकार कर लिया गया है।

श्री रामकिशन : कल कहा था मुख्य मंत्री बता दें इस समय बता दें इससे क्या फर्क पड़ने वाला है।

श्री उपाध्यक्ष : अभी सदन में वो बिल चलेगा। बिजिनेस बीच में रोक कर इसको कैसे लिया जा सकता है?

श्री नत्थीसिंह : कल बता दीजिये परसों बता दीजिये।

राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएं अनुरक्षण विधेयक, 1970 पर अग्रेतर विचार

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इस विधेयक के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था सरकार की ओर से इस विधेयक को लाने के सम्बन्ध में इसकी आवश्यकता के बारे में जो दलीलें गृह मंत्री महोदय ने दी हैं। या उनके और माननीय सदस्यों ने दी है उससे मैं और भी कनविन्स हुआ हूं कि इस बिल के पारित किये जाने का विरोध किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय ने इस बात को कहा है कि वे गवर्नमेण्ट सर्वेण्ट्स को राइट टू स्ट्राइक नहीं देना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, सरकारी कर्मचारियों की इस विधेयक के आने से पहले जो भी स्थिति थी वह थी पर कानून नहीं था। तेईस बरस हो गये कांग्रेस पार्टी को राज करते हुए। मैं पूछना चाहता हूं कितनी बार राज्य कर्मचारियों ने स्ट्राइक की हैं, कितनी बार यह स्थिति आई है। उनके बारे में आप जिन पार्टियों पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं इन्स्टीगेट करते हैं तो आप ही बताइये इन्स्टीगेशन पर कितनी बार इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है। प्रश्न विचारणीय यह है जिसको मैं कह रहा हूं ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठने वाले माननीय सदस्य इस बात को गंभीरता से सोचें आज तेईस वर्ष के बाद लगातार शासन में रहते हुए भी आज तक आपको इस कानून की जरूरत नहीं पड़ी ? आज क्यों जरूरत पड़ रही है ? आप इसके लिये कहते हैं कि हम प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं इसलिये हमको इस किस्म के कानून को स्टेच्यूट बुक्स में अवश्य लाना चाहिये। मेरा इस बारे में आपसे यही बार बार निवेदन है कि आप प्रजातन्त्र के कन्सेप्ट को इस कानून को लाकर खतम कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर हमारे प्रजातंत्र में हमारे कन्सेप्ट क्या है ? इसी से प्रजातंत्र के सम्बन्ध में हमारे और आपके दृष्टिकोण में बुनियादी अन्तर सामने लगता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस कन्सेप्ट में हमने हिन्दुस्तान के प्रजातन्त्र को समझा है वह यह है कि बहुमत जनता के लिये, बहुमत के हित के लिये बहुमत की सरकार द्वारा चलाया जाने वाला शासन, इस प्रकार का हमारा प्रजातन्त्र का कन्सेप्ट है। आप 22–23 वर्ष के शासन के बाद जो कर्मचारियों में असन्तोष की ज्वाला भभकी है वह आर्थिक विषमता के कारण भड़की है। इस तरह से कर्मचारियों को दबाने के लिये यह कानून ला रहे हो उधर पी. डी. एक्ट ला रहे हो। एसेंशियल सरविसेज का कानून किन लोगों के लिये ला रहे हो ? आज एसेंशियल सर्विसेज में कौन लोग काम कर रहे हैं ? समाज के संचालन में जिन सेवाओं की आवश्यकता है उनके ऊपर आप कानूनी पाबन्दी कर रहे हो। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज के कुछ लोग तो आवश्यक सेवाओं में लगे हुए हैं और कुछ लोग अनावश्यक सेवा वाले लोग नियन्त्रण कर रहे हैं, राज्य कर रहे हैं, हकूमत उनके ऊपर कर रहे हैं। वे यह कहते हैं कि हमारी सेवायें इतनी आवश्यक नहीं हैं, उस पर कन्ट्रोल की जरूरत नहीं है, उसको जारी रखने के लिये कोई कानून की जरूरत नहीं है। लेकिन समाज का उच्च वर्ग बड़ा वर्ग है वेतन का सवाल होगा, सेवाओं का सवाल होगा उसमें अनावश्यक कार्य करने वाले लोग जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, कोठियों में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रहते हैं, जिनके बंगले में लान लगे हैं जिन का वेतन का स्तर ऊंचा है वे लोग उच्च वर्ग के लोग हैं । जिनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं, समाज के लिये उनकी उपयोगिता नहीं, उनके लिये आप कानून नहीं बनाना चाहते । समाज को गरीब जनता मेहनत कश जनता जो ऐसे कामों में लगे हुए हैं जो समाज के लिये आवश्यक हैं उसको आप तनख्वाह भी कम देते हैं सुविधायें भी कम देना चाहते हैं और उनसे काम कराना चाहते हैं उन लोगों को कानून के जरिये पाबन्दी लगाना चाहते हैं आपको इसी तरह का काम करना होगा । क्या मैं यह कहूं मनु महाराज ने जो वर्ण भेद की रचना की थी जिस आधार पर वर्णभेद का सृजन हुआ था काम करने वाले शूद्र कहलायेंगे उनके लिये समाज की व्यवस्था भिन्न होगी । द्विज जन जिसको आज हम एक्सप्लॉयेटिंग क्लास कहते हैं उनकी समाज व्यवस्था भिन्न होगी । अगर द्विज जन किसी शूद्र की लड़की से छेड़छाड़ कर लेता है तो वह उनको क्षम्य है और अगर शूद्र का लड़का द्विज जन की लड़की से छेड़छाड़ कर लेता है तो वह अपराधी है और उसको सजा दी जायगी । इसी तरह की आवश्यक सेवायें और अनावश्यक सेवाओं में भेद किया जा सकता है । वर्किंग क्लास के लोग महनत करके समाज को जीवित रख रहे हैं उन लोगों की सेवायें जरूरी हैं, जिनका काम करना जरूरी है शराब का ठेका चला रहे हैं जो शराब निकाल रहे हैं, वकालात कर रहे हैं, सट्टा कर रहे हैं, जागीरदारों की तरह से लगान ले रहे हैं इस प्रकार के लोगों का जिनका काम आवश्यक नहीं है ।

श्री मोहनलाल मोदी : व्यवस्था का प्रश्न है । श्री अमृतलालजी यादव अपने स्टाफ को लेकर हाउस की लोबी में बैठे हुए हैं, जो आब्जेक्शनेबल है ।

एक माननीय सदस्य : देखा जाय, उपाध्यक्ष महोदय ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं निवेदन करना चाहता था कि हमारे देश के अन्दर मनु महाराज ने किन्हीं हालतों के अन्दर यह वर्णभेद का वर्ग विभेद का जो क्रम चलाया उसमें जो काम करने वाले लोग थे वे शुद्र कहलाने लगे । महनत करने वालों को शुद्र की श्रेणी दी गई । समाज के शोषक द्विज वर्ग जिनके हाथ में राज्य की सत्ता दी गई है वे आज यह चाहते हैं कि जो शोषित वर्ग रहा है जिस प्रकार की मान्यता पहले रहती आई है उसी को वे आज पुनःस्थापित करना चाहते हैं । गरीबों पर और शोषित पर कानून लागू करना चाहते हैं । मैं आपसे पूछना चाहता हूं वह वर्ग जो निकम्मा है, ठेकेदारी में लगा हुआ है, शराब के धन्धे में लगा हुआ है, घर में बैठा ब्याज कमा रहा है तो ऐसे लोगों के लिए आप इस प्रकार का कानून क्यों नहीं लाये कि अगर आवश्यक सेवा वाले लोग हड़ताल कर देते हैं, महतर यदि हड़ताल कर देता है तो उनकी जगह इन निकम्मे लोगों को लगाया जायगा । सरकार को यह राइट होना चाहिए कि ऐसे निकम्मे लोग जिनकी भीड़ बढ़ती जा रही है शहरों की गन्दगी साफ करें । लेकिन यह आप नहीं करना चाहते । आप तो जो गरीब तबका है जो शोषित रहा है उसको आवश्यक सेवा के नाम पर उससे यह कहेंगे तेरे बाप दादा भी हमारा पखाना उठाते रहे हैं तुझे भी

Page No 192

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

उठाना पड़ेगा। समाज के कर्णधारों ने जिन लोगों के साथ सदियों से अन्याय किया है आप उन्हीं से पाखाना उठवाने के लिए उनको मजबूर करना चाहते हैं और वह भी कानून बनाकर। आप कानून बनाना ही चाहते हैं तो इस प्रकार का अमेण्डमेण्ट क्यों नहीं लाते कि यदि आवश्यक सेवा हड़ताल करती है तो उनकी जगह अनावश्यक सेवा के लोग लगाये जायेंगे। उनकी सेवाओं को मोबीलाइज करेंगे। क्योंकि समाज के ऊपर संकट आ गया है....

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय एक क्वेश्चन....

श्री उपाध्यक्ष : नो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह कहना चाहता हूं, यह समाज जो हमारा है यह समाज जिसके अन्दर सामाजिक न्याय का जबरदस्त अन्तर्विरोध है। इस अन्तर्विरोध को मिटाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। अपने देश में एक वर्ग विहीन और शोषण विहीन समाज कायम करने का संकल्प लिये हुए हैं। वह संविधान के अन्दर जो फन्डामेन्टल राइट्स हैं उसमें न सही लेकिन डाईरेक्टिव प्रिन्सिपल्स में यह दिशा अवश्य है और मैं समझता हूं रूलिंग पार्टी जिन सिद्धान्तों की घोषणा करती है, उन पर चलना चाहती है तो उस सिद्धान्तों के डाइरेक्शन में यह है कि समाज में जो असमानता विद्यमान है....

श्री मोहनलाल मोदी : मैंने कहा उस पर क्या एक्शन लिया?

श्री उपाध्यक्ष : आपका वह पाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मोहनलाल मोदी : मेरा विशेषाधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : उसको अन्य किसी तरीके से ले आयें।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : माननीय सदस्य की बात बिल्कुल ही खत्म कर दी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन कर रहा था। इस तरह से समाज के अन्दर यह असन्तोष, यह स्ट्राइक, यह जद्दोजहद है इसके कारण क्या हैं? आप भी मानते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इस समाज में डिस्पेरिटी, इस समाज में एक अन्तर्विरोध है। एक तो वह वर्ग है जो साधन सम्पन्न है, जो शोषण कर रहा है और दूसरा वर्ग मेहनत करने वाला है, उसका शोषण होता है। जब तक समाज में यह अन्तर्विरोध रहेगा तब तक संघर्ष होगा और जो शोषित वर्ग है वह उस शोषण के खिलाफ लड़ेगा। मैं समझता हूं आप सच्चे समाजवाद को लाना चाहते हैं तो यह शासक वर्ग आपका समाजवाद नहीं ला सकता है। जब तक शोषित वर्ग इसके लिए संगठित होकर संघर्ष नहीं करेगा, अपने अन्याय को खत्म करने के लिए लड़ेगा नहीं तब तक शोषण का अन्त नहीं होगा। हिन्दुस्तान की आजादी का यही इतिहास है, हिन्दुस्तान में आर्थिक आजादी का यही क्रम रहा है और दुनियां भर का यह इतिहास रहा है, शासक वर्ग अपने शोषण को नहीं छोड़ने

Page No 193

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

वाला है इसलिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाज में स्ट्राइक अनिवार्य नहीं है, समाज के अन्दर हड़ताल अनिवार्य नहीं है, समाज के अन्दर प्रदर्शन अनिवार्य नहीं है लेकिन जब तक समाज में वर्ग भेद और शोषण रहेगा तब तक यह अनिवार्य रहेगा और उसको कानून के जरिये दवाना चाहते हैं तो इसका मतलब यह है कि शासित वर्ग के हितों की आप रक्षा नहीं करना चाहते हैं, उसके हितों का आपको कोई ध्यान नहीं है। शासक और शासित वर्ग सदियों से रहा है। उसको आखिरी तौर पर दवाने में न कोई कामयाब हुये हैं और न कोई कामयाब होगा। न उनको डन्डे के रास्ते से दबाया जा सकता है और न उनको किसी और रास्ते से ही दबाया जा सकता है। इसका सीधा सादा मतलब है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में यह कहा जो यहां के राज्य कर्मचारी हैं वे सरकार के प्रति 95 फीसदी लायल हैं, वे सरकार के कामों से सन्तुष्ट हैं। मैं समझता हूं अगर 95 फीसदी लायल हैं, सन्तुष्ट हैं और अभी भी आप मानते हैं तो इस तरह की कार्यवाही नहीं करते। आपने कहा है डवलपमेंट के काम में जो भी अचीवमेंट क्लेम करते हैं, आप मानते हैं उनके बगैर नहीं हो सकता है तो फिर आज यह अविश्वास क्यों? आज यह फरक का प्रश्न क्यों? मेरे साथ पांच आदमी चलते हैं और मैं माणक चौक की चौपड़ पर चिल्लाता हूं और पांच आदमी को साथ लेकर चलता हूं तो क्या समाज असुरक्षित होता है? क्या इनडिसिप्लिन फैलता है? उन 95 प्रतिशत लोगों के लिये यह कानून, (यह विधेयक, यह दण्ड व्यवस्था क्यों? किस लिये, आप वास्तविकता पर पर्दा डालना चाहते हैं? वास्तविकता यह है कि आपकी पूंजीवादी नीतियों ने जबरदस्त अन्तर्विरोध आज समाज में खड़ा कर दिया है।

आपके सामने वित्तीय संकट है, इसको मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन इस वित्तीय संकट के हल के लिये कई रास्ते हैं। क्या यह वित्तीय संकट आपका अनिवार्य है? इस दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है जिस साढ़े सात करोड़ के लिये आप कहते हैं। इन्टेरिम राहत दे दें तो सुपरपलुअस हो जायगा और हम प्रयत्न कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं यह बीमारी गहरी है। अगर आप इस रास्ते पर चल पड़े, आप स्ट्राइक पर पाबन्दी लगा रहे हैं तो इसका लोजिकल नेक्स्ट स्टेप यह है कि आप आर्गेनाइजेशन के राइट को छीने, यह बिलकुल लाजिकल स्टेप है। क्योंकि इस कानून के बावजूद स्ट्राइक अनिवार्य हुई, अन्तर्विरोध ज्यादा हुआ तो आप इसको हल नहीं कर सकेंगे। स्ट्राइक इसके बावजूद होगी। आपने देखा इसी हड़ताल में क्या हुआ है। आपके आर्डिनेन्स लाने के बाद हड़ताल ने जोर पकड़ा है। आप कहेंगे राइट आफ एसोसियेशन खत्म करें, राइट आफ डिमोंस्ट्रेशन खत्म करें, राइट आफ मीटिंग खत्म करें और अभी गृह मंत्री जी कह रहे थे इन स्ट्राइकों के लिये ज्यादा सख्त तजवीज कर रहे हैं तब आप राइट्स को और उस पार्टी को बान करने के कानून भी साथ की साथ लायेंगे। इस तरह की यह दिशा है तो आप

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

गंभीरता से सोचें किस रास्ते पर आप चलना चाह रहे हैं। हिन्दुस्तान को बढ़ती हुई फासिस्ट की शक्तियों से लड़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं देश की तमाम फोर्सेस आपके लीडर की अवहेलना करें तो यह कानून लायें। फासिस्ट शक्तियों से लड़ने के लिये। मैं बहुत अदब से पूछना चाहता हूं ये शक्तियां जो कानून का सहारा लेकर आ रही हैं, यह जो दिशा लेकर आ रहे हैं यह उन फासिस्ट शक्तियों के साथ हैं और यह लड़ने की दिशा है। इसमें मेरे कांग्रेस के नेता गंभीरता से विचार करें जो कांग्रेस में रिओरियन्टेशन की कोशिश कर रहे हैं, जो स्थान परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं, देश के संकट को नये तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अगर इस प्रकार की दलीलें दी गई–आर्थिक और वित्तीय संकटों के बारे में आखिर आज जो यह हड़ताल हुई यह किन कारणों से हुई उनको आप लोगों ने स्वीकार किया लेकिन यह वित्तीय संकट इस तरह से चलने पर खतम होने वाला नहीं है। आज बढ़ती हुई बेरोजगारी बढ़ती हुई मंहगाई है और आज सवेरे डिसकशन में सवाल आ रहा था एक तरफ किसान की पैदावार में घटते हुये भाव भी सामने हैं। इस द्वन्द को, इस अन्तर्विरोध को आप कैसे रोकेंगे ? यह आपकी डवलपमेंट योजनाओं के बावजूद बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है ? आपकी यह महंगाई क्यों बढ़ रही है ? इन बुनियादी समस्याओं की जड़ों में जब तक आप नहीं जायेंगे तब तक आप इसके ऊपरी हल की तरफ ही सोचते रहोगे। मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज स्वतन्त्र पार्टी के लोगों ने भी और जनसंघ पार्टी के लोगों ने भी सुबह जब अनाज का जिक्र हो रहा था इस बात की दलील पेश की कि सरकार को बीच में आना चाहिए, सरकार को नियन्त्रण करना चाहिए और सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए...

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि जनसंघ ने अपनी अखिल भारतीय नीतियों के अनुसार फूड कार्पोरेशन का स्वागत किया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बड़ी खुशी की बात है और जनसंघ अगर देश की हवा देखते हुए अपनी नीतियों में परिवर्तन करता है तो वह स्वागत योग्य है लेकिन कम से कम स्वतन्त्र पार्टी की ट्रेड के लिए सरकार का इन्टरफियरेन्स नहीं हो, प्राईसेज का, कन्ट्रोल नहीं हो, फूड ग्रेन की ट्रेड सरकार के हाथ में नहीं जाये इस प्रकार की दलील सामने देते थे। यह बात खुशी की है कि आज वह इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं लेकिन सदन में वह दरअसल इस एजीटेशन की फिलॉसफी को स्वयं जनता का भी नहीं करते, सरकारी कर्मचारियों की बात तो अलग जनता को भी इसके अन्दर एजीटेशन नहीं करना चाहिए जिससे मेरे ख्याल से इस तरफ बैठने वाले लोग उस हद तक तो सम्बन्धित नहीं हैं और आगे के लिए कह नहीं सकते लेकिन मैं अभी तक जो भी उनकी फिलॉसफी या उनके कार्यक्रम को समझा है वह आम जनता को आन्दोलन का अधिकार है, स्ट्राइक का भी अधिकार है इस बात को अभी स्वीकार करते हैं, लेकिन आज वह भी उसमें विरोध

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में आये। इसको मुझे जानकर खुशी हुई और मैं कहना चाहता हूं कि यह जो फण्डामेण्टल क्वेश्चन आपके सामने है इसमें बुनियादी नीतियों का परिवर्तन किये बगैर आप उसको हल नहीं कर सकते। मुख्यमन्त्री महोदय ने कल प्रोपेगण्डा की तरह इस बात को कहा कि 7 करोड़ का इससे बोझ पड़ेगा। 7 करोड़ का टैक्स क्या आप लगाने को तैयार हैं? मैं बहुत अदब से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम हमारी पार्टी की ओर से चाहे आप ऑल इण्डिया रूप को ले लें या यहां ले लें और भी दूसरी पार्टियां हैं जिन्होंने कि टैक्स किसी किस्म का नहीं लगे राज्य या केन्द्र की आमदनियां टैक्स के जरिये नहीं बढ़े इस थ्योरी को कभी नहीं अपनाया है बल्कि इसके विपरीत हम इस बात को कहते रहे हैं कि जिन वर्गों पर, मेहनतकश गरीब वर्ग पर आपने टैक्सों का भार डाला है उसको राहत दीजिए और जिनको शक्ति है उनके ऊपर टैक्सों का बोझा ज्यादा डालिये। अभी आपकी खुद की पार्टी ने अर्बन प्रॉपर्टी पर सीलिंग बनाने के सिद्धान्त को स्वीकार किया है। केन्द्रीय सरकार ने इस बात को कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को यह सीलिंग मुकर्रर करने का अधिकार है। उन्होंने इसके लिए मॉडल बिल भी भेजा है। कौन इन्कार करता है? कम से कम हम तो इन्कार नहीं करते, सोशियेलिस्ट पार्टी तो इन्कार नहीं करती कि आप अर्बन प्रापर्टी पर सीलिंग मुकर्रर करें और जो सरप्लस प्रापर्टी है उसको जनता के हित में लें, जनता के काम में लगायें, डेवलपमेंट करें, राहत के लिए दें। किस ने इन्कार किया? आज आपने बिल बनाया, कानून बनाया कि जो शहरों के अन्दर खाली जमीनें पड़ी है उनके ऊपर टैक्स लगे। हमने सजेस्ट किया, आपने लगाया। लेकिन आप उसको लागू नहीं कर रहे हैं, आप उस टैक्स को वसूल नहीं कर रहे हो . .

श्री उपाध्यक्ष : आप इस बिल के स्कोप से बहुत ज्यादा दूर चले गये हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय इन्होंने दलील दी कि क्या आप टैक्स लगाने को तैयार हैं, आमदनी कहां से आयेगी मैं दलील का खण्डन कर रहा हूं . . .

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, भावनाओं में बह रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : भावनायें ही इन्सान में होती है। भावनायें इन्सान से दूर नहीं होती। भावनायें गलत नहीं होनी चाहिए और माननीय सदस्य स्वीकार करेंगे कि मैं कोई गलत भावना से नहीं कह रहा हूं।

तो उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गंभीरता से विचार करें। हमने टैक्सों का विरोध भी किया है, समर्थन भी किया है बल्कि हमारी शिकायत है कि आप टैक्सों को वसूल नहीं कर रहे हैं। उनकी तरफ हमने ध्यान दिलाया है। आपसे कह रहे हैं आप वसूल करें।

पिछले बजट में आपने बड़े-बड़े लोगों पर से पांच वर्ष का लेण्ड टैक्स माफ कर दिया। हम लोगों ने कहा कि आप क्या कर रहे हैं। हमने कहा कि राजाओं के पास

Page No 196

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इतनी सम्पत्ति है इसकी लो, यह स्टेट प्रापर्टी से सम्पति बनाई हुई है। उनकी कोई इनहेरीटेन्स को है कि या ट्रेडीशनल है उस को छोड़कर जो स्टेट एक्सचेकर से प्रापर्टी बनाई है जैसे यह जवाहरात हैं लैण्ड हैं इनको लीजिए और स्टेट के एक्सचेकर में लाइये। आपकी वित्तीय स्थिति सुधरेगी। लेकिन आप यह नहीं करना चाहते हैं। आप रियायतें देते हैं बड़े बड़े सेठों को जमीन देते हैं बड़े बड़े जागीरदारों को यह रोजमर्रा इस सदन के सामने प्रश्न आते हैं। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो मेहनतकश वर्ग है उनकी मांगों को वित्तीय कठिनाई कहकर आप टालने की कोशिश करें इससे जनता में संतोष नहीं होगा।

(8.35 म. प.)

(श्री रामनारायण चौधरी, सभापति, पदासीन)

अभी आने वाले 25 नवम्बर को हिन्दुस्तान के पैमाने पर विद्यार्थी और नौजवान बेरोजगारी के खिलाफ आन्दोलन कर रहे हैं, धरना देंगे, गिरफ्तारियां होंगी। क्या आप इस तरीके के आर्डिनेन्स लाकर उन विद्यार्थियों की उस भावना को रोक देंगे? क्या आप ला सकते हैं विधेयक? आप आर्डिनेन्स लायेंगे और उनकी गिरफ्तारियां भी करेंगे? लेकिन गम्भीरता से विचार करें कि क्या इस तूफान को, क्या बेरोजगारी वास्तविक नहीं है देश के सामने? क्या महंगाई देश के सामने वास्तविकता नहीं है? क्या कर्मचारियों के सामने उनकी फाइनेन्स डेफिसिट है घर का क्या यह वास्तविकता नहीं है? क्या इस विधेयक से वह वास्तविकता समाप्त हो जायेगी? जब घर के अन्दर वह जाते हैं, बच्चे कहते हैं मुझे किताब चाहिए, दवाई चाहिए, बीवी कहती है कि मुझे साड़ी चाहिए वह वास्तविकता खतम हो जायेगी क्या? वह वास्तविकता है जो मजबूर करती है आन्दोलन के लिए और वह वास्तविकता है जो कि मजबूर करती है और मैं एक मिसाल देता हूं आपको...

श्री रामकिशन : यह आप गलत कह रहे हैं आखिर बीवियों ने कहा कि साड़ी चाहिए तो उसी को पकड़ लायेंगे कि उन्हीं ने उत्तेजित किया है इसके लिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्यों के सामने मिसाल तौर पर मैं बात रखना चाहता हूं कि हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं। हम बार-बार इस सदन में इस प्रश्न को उठाते हैं कि उन लोगों से घर पर काम नहीं लिया जाये। वह बात गैर-कानूनी भी है लेकिन इस बात को भी हम जानते हैं कि डिप्टी मिनिस्टर से लेकर और नीचे तक जितने भी आफिसर्स हैं या कोई भी हैं सब के घरों के ऊपर चपरासियों से काम लिया जाता है। यह निर्विवाद सत्य है। अब यह कानून हाथ में लेते हैं या नहीं यह गृह मन्त्रीजी खुद अपने दिल में जान सकते हैं। वह खुद अपने घर के अन्दर कानून को हाथ में लेते हैं। जिस कानून को वे बनाते हैं उसी को तोड़ते हैं या नहीं? अभी राज्य मन्त्रीजी बैठे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, समाज की यह वास्तविकता है या नहीं है? हमने खूब कोशिश करली कानून नहीं बनवा सके, रुकवा नहीं सके और अब अगर चपरासी अपनी यूनियन बनाता है और यह कहें कि हम काम घर पर नहीं करेंगे और आप उनको विक्टी-

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मोईज करो और फिर वह उसके ऊपर हड़ताल करे तो यही हुआ कि ठाडा मारे भी और रोने भी न दे। समाज के अन्दर आप यह स्थिति पैदा करने जा रहे हैं। आप इस पर गम्भीरता से विचार करें कि आप समाज के अन्दर यह स्थिति पैदा करने जा रहे हैं कि समाज के अन्दर एक सत्ताशाली कांग्रेस के रूप में, एक वर्ग के रूप में सदियों से सत्ताशाली वर्ग चला आया है। यूरोप में एक लोग गुलाम थे और दूसरे लोग गैर गुलाम थे। उनके अधिकार कुछ नहीं थे। आज हिन्दुस्तान में उसी रूप में नहीं, लेकिन दूसरे विभिन्न रूप में वह स्थिति है। आज जो समाजवाद का नारा है, वह केवल रोडवेज के नेशनेलाइजेशन या बैंकों के राष्ट्रीयकरण का नारा नहीं है...

श्री मोहनलाल मोदी : सभापति महोदय, समय का ध्यान है कि नहीं। कितने समय तक आप बोलेंगे?

श्री सभापति : आर्डर प्लीज।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मेरा बहुत बुनियादी क्वेश्चन है जो कि हमारे सामने है। मैं समझता हूं आज आप चाहे दृढ़ प्रतिज्ञ हों मुझे इस बात से सरोकार नहीं है, लेकिन जो मूलभूत क्वेश्चन है जो कि इसके साथ में जुड़ा हुआ है उन पर विचार करें, क्योंकि आप कहते हैं कि आप समाजवाद की तरफ जाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी आप बनाना चाहते हैं जिसमें शोषण न रहे और जिसमें वर्गभेद न रहे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में जाने के लिए वर्ग संघर्ष अनिवार्य है वर्ग संघर्ष मौजूद है, मगर शोषित वर्ग के, निम्न वर्ग के लड़ने के अधिकार को आप छीन लें तो इसका मतलब यह है कि जो उनकी नेचुरल शक्ति है, उनकी वित्तीय शक्ति नहीं, आर्थिक शक्ति नहीं, शैक्षणिक शक्ति नहीं है लेकिन संख्या की जो उनकी नेचुरल शक्ति है उसको कानून से अपने हाथ में लेकर पुलिस और फौज की ताकत पर उस ताकत को रोक देना चाहते हो...

श्री यशवन्तसिंह नाहर : सभापति महोदय, मैं पॉइन्ट ऑफ आर्डर पर निवेदन करना चाहता हूं। लॉस्ट स्टेज और फर्स्ट स्टेज पर यह बोलते चले आ रहे हैं। सारे सदन का समय ये मेम्बर इस तरह से ले लें तो हमारे लिए बोलने के लिए कैसे सम्भव होगा? इसलिए मैं, माननीय सभापति-महोदय, मैं, निवेदन करना चाहता हूं कि टाइम लिमिट तय की जाय। हम लोग को भी बोलने का हक है और हम भी बोलना जानते हैं।

श्री रामकिशन : बोलिए ना।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : किस तरह से बोलें?

श्री मोहनलाल मोदी : रामानन्द जी ही सारा समय ले लें तो हमें बोलने का समय ही कहां रहता है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप अपना भाषण जल्दी समाप्त करें।

श्री गिरधारीलाल व्यास : प्रजातन्त्र में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हमें भी बोलना है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं···

श्री रतनलाल रंत : समय का अभाव है, समय नहीं है और ऐसी परिस्थिति में ये समय ज्यादा ले रहे हैं तो यह समय का शोषण भी कर रहे हैं (हंसी) तो फिर आप समाजवाद कहां ला रहे हैं ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसीलिए यह मेजर गवर्नमेंट ने······

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय नाहर साहब पत्रकार दीर्घा को इशारा कर रहे हैं कि आप तो जाइये ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : आप मानलें कि मैंने किया है तो मैंने अपराध नहीं किया है । क्या कहते हैं···

श्री रामकिशन : नाहर साहब आपको दिक्कत क्या पड़ रही है ?

श्री यशवन्तसिंह नाहर : मैं कोई कबाड़ा नहीं करूंगा . .

श्री रामकिशन : सदन में बैठे हुए दीर्घा को आप एड्रेस नहीं कर सकते हैं ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : क्या कर लेंगे आप ?

श्री रामकिशन : आप सुनेंगे तभी तो बताऊंगा । सभापति महोदय, आपने दीर्घा की तरफ इशारा किया कि आप तो जाइये और आप कहते हैं कि सदन का अपमान नहीं है । कल से यहां पर बैठे बैठे पतंग उड़ायेंगे दीर्घा तक तो उड़ने देंगे क्या ? (हंसी) मैं चाहता हूं कि माननीय नाहर साहब, रूल्स के तहत मैं यह उठा रहा हूं, सदन से माफी मांगें इन्होंने स्वयं ने स्वीकार भी किया है, कि मैंने दीर्घा को एड्रेस किया है । उसके लिए रूल है ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : कौन सा रूल है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : दीर्घा को एड्रेस नहीं कर सकते हैं ।

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री रामकिशन : सभापति महोदय, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं···

श्री यशवन्तसिंह नाहर : जो मेम्बर्स कभी भी किसी रूल का पालन नहीं करते हैं और मैंने एक रूल का नहीं किया तो आप कहते हैं कि मैं क्षमा मांगू । नियम का पालन नहीं किया तो क्या अपराध किया···

श्री सभापति : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहली गलती हुई है क्षमा कर दें ।

श्री सभापति : रामानन्दजी आप अपना भाषण समाप्त कर दें ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस आधार पर कि यह विधेयक समाजवाद विरोधी है, प्रजातन्त्र विरोधी है, मेहनतकश जनता का विरोधी है ।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

शोषक वर्ग के निहित स्वार्थों के लिए उनका शोषण को जारी रखने का हथियार मात्र है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं और शोषक वर्ग को यह चेतावनी भी देना चाहता हूं कि जिस परपज से जिस मुद्दे से, जिस उद्देश्य से आप इस विधेयक को (समय–समाप्ति–सूचक घंटी) ला रहे हैं यह विधेयक उस तमाम असन्तोष को रोकने में समर्थ नहीं होगा। इसके जरिये जितने भी लोग जेलों में जायेंगे, जितने भी मुकद्दमे चलेंगे उससे ज्वाला क्रान्ति की और ज्यादा भड़केगी, ज्यादा प्रज्वलित होगी, और इस समाज के तमाम शोषक वर्ग को, तमाम उनकी वकालत करने वालों को, उनका साथ देने वालों को वह ज्वाला क्रान्ति की उनको स्वाहा कर देगी। इससे वह रुकने वाली नहीं है। अगर उसको रोकना चाहते हैं तो उसको रूट से रोके, नहीं तो कुछ भी रुकने वाला नहीं है। मेहनतकश जनता अपने अधिकारों को लेगी। आप शोषक वर्ग को बचाने के लिए कितने ही कानून बना दें तब भी वे लड़ेंगे। आप हमें इन्स्टीगेटर्स कहते हैं लेकिन यह वह पार्टी है जिसने दुनियां को वह ज्ञान दिया है कि पहले यह कह दिया करते थे कि तुम गरीब हो, कमजोर हो तो किस्मत को वजह से हो, लेकिन कम्युनिज्म ने ही दुनियां के गरीबों और मेहनतकशों को कहा है कि तुम लोग इकटठे होकर इन गुंडे लोगों को हटा सकते हो। आज वही ज्ञान वही सूचना, वही संदेश हम लोग पहुंचा रहे हैं और आप कितने भी कानून बना दें–– कानून हिटलर बना गया, मुसोलिनी बना गया तो जो बना गया लेकिन इतिहास बताता है कि उनको ठोकरों में डाल दिया मेहनतकश लोगों ने। याद रखिये राज्य कांग्रेस का जायगा। आपकी सिन्डीकेट जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी से हाथ मिलाने वाली है। हिन्दुस्तान में आगे आने वाला जो आर्गेनाइजेशन है उन रिवोल्यूशनरी शक्तियों के साथ आप क्या खड़े होंगे? आप नहीं खड़े होंगे। आज आप किसी तरीके से उनके साथ में हो सकते है लेकिन यह धोखा है, कैमोफ्लेज है। आप उन फोर्सेज को रिप्रेजेन्ट कर रहे है। इसलिए मैं इस विधेयक का तीव्र विरोध करता हुआ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री मनोहरसिंह मेहता।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं पांच मिनट में बैठ जाऊंगा।

श्री रामकिशन: 5 मिनिट में ही क्यों आज तो सर्वोदयी भाषण होगा लम्बा।

श्री मनोहरसिंह मेहता (माडण्लगढ) : सभापति महोदय, आज जिस स्थिति का आपको सामना करना पड़ रहा है यह तो शुरूआत मात्र है। आपने जब से गांधीजी का रास्ता छोड़ा है एक एक करके तो यह सब बातें तो सामने आने वाली थीं। कहा जाता है कि स्वराज्य आ गया। कहां आ गया स्वराज्य? स्वराज्य तो तब होगा जब कि विषमता मिटती एक दूसरे के काम आते। एक दूसरे के दुःख दर्द को समझते। तो ठीक ही ही कहा है–"आयो पण ई अटक्यों कठे स्वराज्य", एक तो कहां 58 साल तक सर्विसेज चलती जाती है, आई. सी. एस. की और एक तरफ कहा जाता है चपरासी से 55 साल में ही कि तुम रिटायर हो जाओ।

(श्री मनोहरसिंह मेहता)

एक आई. ए. एस. रिटायर होगा तो उसको एक लाख की ग्रेचुएटी मिलेगी और चपरासी को उनके घर पर झाडू देनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा उसके भी बाल बच्चे हैं। वह भी चाहता है कि उसके बच्चों को भी शिक्षा मिले ताकि वे भी आई. ए. एस. बन सकें।

मैंने, सभापति जी, कल भी यह निवेदन किया था कि सत्याग्रह करने का अधिकार उसको है जो अधिकार के साथ-साथ कर्तव्य का पालन भी करता है। मुझे तो आश्चर्य उस वक्त हुआ जब कि गृहमंत्रीजी ने यह कहा कि अधिकतर कर्मचारी बड़े इमानदार हैं। वे पुलिस के मालिक हैं जिसमें यह करीब करीब नियम है, मापदण्ड ही बन गया है कि 100) रु से रिश्वत कोई कम नहीं खाता है, और जिनके हाथ खून से रंगे हुए हैं उनके 4–5 तबादले ही होकर मुल्तवी होते है। रोज के दैनिक कामों में इन लोगों का दखल है। ईमानदार आदमी तकलीफ पाता है और जो रिश्वत खाता है वह मौज करता है। कत्ल करके भी लोग हजारों रुपये देकर छूट जाते हैं। और दूसरों को फंसा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने यह कहा कि अधिकतर लोग ईमानदार हैं। अगर अधिकतर लोग ईमानदार हैं तो यह काला कानून क्यों लाते है ? उनको प्रेम से समझायें। यह बात सच है कि अधिकांश कर्मचारी गलत रास्ते पर लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने राजस्थान का अन्न खाया है। राजस्थान की भूमि तपस्या की भूमि है। आज भी वे ठीक रास्ते पर आ सकते हैं, लेकिन कैसे आ सकते है ? वे तब आ सकते हैं जब कि आप त्याग का परिचय दें। जैसा कि मुख्यमंत्रीजी ने कल फर्माया था कि पहले तो 37 रुपये कुल मिलाकर तनख्वाह मिलती थी। जब 37 रुपये उनको मिलते थे तो एम. एल. एज. को साढ़े बारह रुपया मिलता था और आज 31 रुपया रोज मिलता है। पहले कुल मिलाकर 200 रुपये मिलते थे और आज कुल मिलाकर 500 रुपये मिलते हैं। पहले उनको फ्री पास नहीं था, आज फ्री पास मिलता है। 12 हजार किलो मीटर घूमने को सारे हिन्दुस्तान में मिलता है। पहले मेडिकल सुविधाएं नहीं मिलती थीं। अब बीमार हो जाओ तो सारी सुविधाएं मिलती हैं कर्मचारी देखते हैं एक एक मिनिस्टर 80-30 हजार की गाड़ी में बैठा हुआ है। क्या उनके दिल पर छुरी नहीं चलती है ? एक और यह तलवार लटक रही है। एम. एल. ए. 12 हजार किलोमीटर फ्री चलते हैं। फर्स्ट क्लास मांगते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सचमुच वह लोग ईमानदारी से काम करें तो वह मुश्किल नहीं है। उन्होंने राजस्थान का नमक खाया है। आप ईमानदारी दिखायें तो वह भी दिखायेंगे। लेकिन बड़े बड़े अधिकारी आयें जब क्या होता है ? चार-चार, पांच-पांच, दुकाने शराब की खुली हुई है। बड़े बड़े अधिकारी शराब पीते हैं। जो नहीं पीते हैं उनको दकियानूसी कहते हैं।

श्री सभापति : शराब पीना बुराई है क्या ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : आज गर्व से कहते हैं कि इन्दिरा जी समाजवाद ला रही है। इन्दिराजी के लड़के को मोटर कारखाना लगाने का परमिट मिल गया है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, भावनाओं में जा रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : इनको गांधी जी के सिद्धांत भी बता दें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : इन्दिराजी ने अपने लडके को कारखाना लगाने को परमिट दे दिया है । तो यहां के मंत्री और अधिकारी पीछे रहने वाले क्यों ? यह स्टेज अब है ।

कुण बरजे दीवाण ने, मन चाहे जो लेय ।
कामदार जी आप का, का जद पाछे रेय ।।

दूसरा है,

तोलो थे मन मायने, जनता का विपरीत ।
खाद्य न पावे लोग अर आप भरवो नवनीत ।।

आपके पिताजी का स्वर्गवास हो जाये तो उनकी अस्थियां विसर्जन के लिए सरकारी मोटर में जाते हैं । सरकार पर 29 करोड़ का कर्जा है । हम यह नहीं कहते हैं कि आप उनके इन्टेरिम राहत में 8 करोड़ दें । लेकिन आप कृपा करके...

श्री रोशनलाल शर्मा : (अश्रव्य)

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, यह कह रहे हैं, मैं एम. एल. ए. बना हूं ।

श्री रोशनलाल शर्मा : जवाब दे दूं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय...

श्री सभापति : यह कह चुके हैं आप । (व्यवधान) आर्डर, आर्डर । माननीय सदस्य ।

श्री रोशनलाल शर्मा : मैं एक जानकारी चाहूंगा, सभापति महोदय ।

श्री सभापति : दे चुके हैं ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, जब यह साधारण आदमी थे, तब मेरे 6-6 नौकर थे । टट्टी का लोटा भी नौकर मांजते थे लेकिन आज उनकी हालत अच्छी हो गई है । आप बात करते हैं फिजूल की । मुझे अपनी बात कहने का अधिकार है । जब आप बोलते हैं तो मैं कभी बीच में नहीं बोलता हूं । आजादी से पहले आप के लंगोटी भी पहनने को नहीं थी । अब आप आजादी के बाद राजा बन गये हैं । पहले दो जून को खाने को नहीं मिलता था । आज उनके घरों के बाहर कारें खड़ी हैं ।

श्री सभापति : विनाश हो रहा है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : नहरी जमीन है । औरतें सोने से पीली हो रही हैं । जमीन जायदाद है । बीबी, ससुर, भाई, भतीजा और बच्चों के नाम से जायदाद है । और अपन तो यहां असेम्बली में इस संकल्प से आये हैं, तीन हाथ जमीन के लिए आये हैं । शान से जायेंगे, नहीं जायेंगे तो दूसरे उठा कर ले जायेंगे । मैं तो कहता हूं कि मैं कांग्रेसी हूं कांग्रेस की परिभाषा यह है कि जिसके कोई जायदाद न हो । न जिसने कुछ बनाया हो । वही कांग्रेसी है ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य; विषय पर आ जायें ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : वही बनाया है,

सत्ता आही है नशो, तोल बोल कहरोक ।
दारू की सी बोतलां, गटकावे जनरोक ।।

आप मदहोश हो रहे हैं । आपको क्या परवाह है ? किसी के घर पर क्या बीत रही है । मुझे मालूम है, मुख्यमंत्री जी के मन में

(श्री मनोहरसिंह मेहता)
इन लोगों के लिए सचमुच सद्भावना है। इसलिए कृपा पूर्वक विधेयक को वापिस लीजिए। इसमें वह भी त्याग के पथ पर आयेंगे। वह सच्चे मायने में सच्चाई से काम करेंगे। आप लोग सही रास्ते पर आजायें। करोड़ों रुपयों की कमी की जा सकती है। पंचायत समितियों को खत्म करो।

श्री रोशनलाल शर्मा : (अश्रव्य)

श्री मनोहरसिंह मेहता : सभापति महोदय, आसन पर आप हैं यहा रोशनलाल जी? बोलिये, आपका हुकुम मानें या इनका मानें?

श्री सभापति : बोलिये, आप बोलिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मैं अधिक निवेदन नहीं करना चाहता हूं। देश पर संकट है। तो हम को सोचना चाहिए। एक चीज छोड़ने से क्या होगा? गांधी जी राउण्ड टेबुल कान्फ्रेंस में गये थे तो दुशाला छोड़ दिया था। अगर वह आदमी दुशाला ओढ़ लेता तो क्या फर्क पड़ता। उसने कहा, मैं गरीब देश का प्रतिनिधि हूं। बादशाह से मिलने गया तो कहा, चूंकि मैं गरीब देश का प्रतिनिधि हूं, इसलिए मैं इसी तरह आ सकता हूं, बादशाह मिलें तो सही, नहीं मिलें तो सही। इसको नहीं ओढ़ सकता। गांधी चर्खा क्यों चलाता था। राउन्ड टेबल कान्फ्रेन्स से आकर रात को दो बजे चर्खा चलाता था। वह चाहता था, मेरे देश का ग्रामोद्योग ही ऐसा है, ओ गरीबों को, देश के पचास करोड़ आदमियों को जिन्दा रख सकता है खेती और ग्रामोद्योग ही जिन्दा रख सकता है। इसलिए वह चर्खा कातता था। एक पैंसिल का टुकड़ा होता तो उसको भी व्यर्थ नहीं जाने देता था। वह कहता था, है तो यह पैंसिल का टुकड़ा लेकिन देश के एक एक पैसे की कीमत है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप सोच समझ कर खर्च करें क्योंकि आपको देश का मार्ग दर्शन करना है। हो सकता है मेरे में कमजोरियां हों। कमजोरियां हैं इसलिए ही मुझ पर आपका असर नहीं होता है। कमजोरियां नहीं होती तो मुझ पर आपका असर हो जाता है। इसलिए हमें अन्तदर्शन करके अपनी कमजोरियों को दूर करने की, उनको निकालने की चेष्टा करनी चाहिए। मैं आप से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने में से कमजोरियां निकालिये और इस अध्यादेश को वापिस लीजिये। आप प्रेम से जीतिये कर्मचारियों को। यह कर्मचारी तो आपके शरीर के एक अंग हैं, आपके परिवार के अंग हैं। परिवार वालों पर कहीं तलवार लटकाई जाती है। आप प्रेम से उनको समझाते हैं, प्रेम से जीतते हैं। एक दीवार के अन्दर चूना, पत्थर, ईंट होती है. इसलिए सबको प्रेम से, ईमानदारी से, समन्वय से जीतिये तब तो आप सफल हो सकते हैं। संक्षेप में मेरा निवेदन इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद!

एक माननीय सदस्य : यह तो संक्षेप में कहा है।

श्री सभापति : माननीय गाड़िया!

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : माननीय सभापति महोदय, इस बिल के ऊपर माननीय गृह मंत्री जी ने जो अपने विचार प्रकट किये और उन्होंने जिस हल्केपन से अपने विचार प्रकट किये, मुझे ऐसा लगता है कि माननीय गृह मंत्री के मन-मस्तिष्क में कर्मचारियों के

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

प्रति किसी प्रकार की हमदर्दी नहीं है। उन्होंने कर्मचारियों के प्रश्न को लेकर विरोधी दल के सदस्यों पर, उनकी भावनाओं पर सन्देह किया। कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों का जब विरोधी दल के सदस्यों ने समर्थन किया तो उन्होंने यह कह कर टालने का प्रयत्न किया कि राजस्थान की निरन्तर अकाल के कारण वित्तीय स्थिति खराब है। माननीय गृह मंत्री ने, लेकिन बार बार कर्मचारियों के लिए यह कहा कि राजस्थान के सरकारी कर्मचारी, जिनकी संख्या ढाई लाख की है, उनमें से 95 प्रतिशत कर्मचारी ईमानदार हैं, कर्तव्यपरायण हैं। इससे मुझे ऐसा लगता है कि गृह मंत्री को ही नहीं, तमाम ट्रेजरी बैंचेज पर बैठने वाले माननीय सदस्यों को डर लगता है कि हम यह जो काला कानून बना रहे हैं, इसके साथ थोड़ा बहुत सरकारी कर्मचारियों को ईमानदार और कर्तव्यपरायण नहीं बताया तो हमारी कुर्सी और हुकूमत कहीं खिसक नहीं जाय। विरोधी पक्ष के हम लोग इस तरह की बात नहीं करते हैं। सरकार जिन पर अत्याचार करे, दमन करे और हमें सलाह करे कि इसको विरोध नहीं करें। आपने यदि मजदूरों के ऊपर, किसानों के ऊपर अत्याचार किया, उनका दमन किया, राज्य कर्मचारियों के ऊपर अत्याचार किया, उनका दमन किया तो हमारा यह नैतिक कर्तव्य हो जाता है कि हम उसका डट कर विरोध करें। इस तरह का विरोध हम इस सदन में करते आये हैं और कर रहे हैं और सदन के बाहर राजस्थान की ढाई करोड़ जनता को साथ लेकर सरकार गलत नीतियों पर इसी प्रकार अगर चलती रही, तो इस प्रकार के काले कानून का हम डट कर विरोध करेंगे।

माननीय गृह मंत्रीजी ने अपने वक्तव्य में बार बार मुख्य मंत्री जी की तारीफ की। मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य मंत्री ने गृह मंत्री को धमकी दी है कि या तो काले कानून को पास कराओ, वरना तुमसे मैं गृह विभाग छीन लूंगा। इसलिए उन्होंने वफादारी को जताने के लिए मुख्य मंत्रीजी की बार बार तारीफ की है। मुझे ऐसा लगता है, जिस समय राजस्थान के कर्मचारियों के नेताओं ने भूख-हड़ताल करने की चेतावनी दी तो राजस्थान के इन मुख्य मंत्री ने, श्री सुखाड़ियाजी ने घोषणा की, मैं भूख हड़ताल के आगे नहीं झुकूंगा, न मेरी सरकार झुकेगी। उस समय कांग्रेस के नेताओं ने कहा, राजस्थान के मुख्य मंत्री हमारे ऐसे बड़े नेता हैं मानो कि शेर हैं। इसी प्रकार, इसी प्रकार जिस समय आॅर्डिनेन्स जारी किया था, उस समय कांग्रेस के नेता गृह मंत्री मुख्य मंत्री जी की तारीफ कर रहे थे कि कितना बड़ा भारी शेर है। मैं कांग्रेस के नेताओं को बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री को बार बार आप शेर कहते हैं, मैं भी कहता हूं, शेर है। लेकिन वह जंगल का शेर नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री सरकस का शेर है। आपको याद होगा, जिस समय सरकस के शेर को पिंजड़े में बन्द करके दर्शकों के सामने लाते हैं और जब वह पिंजड़े के बाहर आता है तो शेर सिंह गर्जना करता है, लेकिन सरकस के शेर के ऊपर मास्टर का हंटर पड़ता है तो वह दांत निकाल देता है, दुम दबा लेता है। दूसरा हंटर पड़ता है तो दुम दबा कर पिंजड़े में चला जाता है।

श्री सभापति : अच्छा, हो गया। आॅर्डर प्लीज !...

श्री देवीदत्त गाड़िया : सुखाड़िया इसी तरह सरकस का शेर है। राजस्थान के कर्मचारियों का सुखाड़ियाजी ने कहा था कि मैं भूख-हड़ताल के आगे नहीं झुकूंगा, पध्यादेश के द्वारा राज्य कर्मचारियों को कुचल दूंगा, लेकिन राजस्थान के राज्य कर्मचारियों को, जनता को, सुखाड़िया का वक्तव्य सिंह गर्जना, सरकस के शेर की तरह लगा और उन्होंने चिन्ता नहीं की। उन्होंने भूख-हड़ताल की। उन्होंने जो मांग रखी थी, गृह मंत्रीजी कहते हैं सुखाड़ियाजी अपने वचन पर कायम रहते हैं, सुखाड़ियाजी जो आश्वासन देते हैं उस पर कायम रहते हैं। लेकिन क्या सुखाड़ियाजी ने यह नहीं कहा था, आप हड़ताल वापिस ले लें, आन्दोलन वापिस ले लें, मैं आपकी न्यायोचित मांगों के बारे में विचार करूंगा। अन्तरिम राहत के बारे में मुख्य मंत्री ने राजस्थान के कर्मचारियों को लिख कर दिया था जो केन्द्रीय सरकार अन्तरिम राहत की नीति स्वीकार कर लेगी मैं भरसक उसको पूरा करूंगा। कर्मचारियों ने पूछा था कि वचन भंग तो नहीं करेंगे। तो कर्मचारियों को लिखित में दिया, लिख कर दिया है सुखाड़िया जी ने, मैं वचन भंग नहीं करूंगा। कहां गया वचन ? कहां गया आश्वासन। मैं कहना चाहता हूं कि राज्य के कर्मचारियों ने सुखाड़िया जी की सही नब्ज पहचानी है—यह जंगल का शेर नहीं है, यह जंगल के शेर की सिंह गर्जना नहीं है, यह सरकस के शेर की सिंह गर्जना है, जो मास्टर के हंटर पड़ने पर वापिस दुम दबा कर पिंजड़े में चला जाता है। राज्य कर्मचारियों ने यह बताया है, उन्होंने भूख-हड़ताल की और आर्डिनेन्स की धज्जियां उड़ा दीं, उन्होंने जेलें भर दीं। क्या आपने उनको सस्पेन्ड किया क्या उनको बरखास्त किया ? सुखाड़ियाजी में हिम्मत नहीं है। यह कांग्रेस की सरकार बड़ी डरपोक है—हम इस बात को जानते हैं, राजस्थान की जनता जानती है, यह हुकूमत झुकती है झुकाने वाला चाहिए....

एक माननीय सदस्य : एक हंटर चाहते हैं।

श्री रामकिशन : ऐसा हंटर पड़ता है कि पिंजड़े की तरफ भाग जाय।

श्री देवीदत्त गाडिया : कांग्रेस कहती है कि हम लोकतंत्र की स्वस्थ परम्पराओं में, समाजवाद में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस लोकतंत्र और समाजवाद की दुहाई देती है। इसलिए ही आप डण्डे के बल पर राज्य कर्मचारियों का दमन करना चाहते हैं, इस शासन में काला कानून बना कर राज्य कर्मचारियों को दबोचना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, सरकार का और कर्मचारियों का चोली-दामन का सम्बन्ध है। दोनों जब तक एक दूसरे के पूरक बन कर नहीं रहेंगे, दोनों में से किसी का अस्तित्व नहीं रहेगा। आप राज्य कर्मचारियों को डण्डे के बल पर धमकाना चाहते हैं, दबोचना चाहते हैं। लेकिन याद रखिये, मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि गेंद को जितना दबायेंगे उतनी ही वह उछल कर ऊपर जायगी। इसलिए जितना आप जुल्म करेंगे, जितना दमन करेंगे उतना ही राजस्थान के कर्मचारी इसका विरोध करेंगे, जिनकी संख्या सवा दो लाख, ढाई लाख है, जिनके परिवार के सदस्यों की संख्या दस लाख के करीब है और

(श्री देवीदत्त गाडिया)

रिश्तेदार उनके साथ हैं। इस प्रकार एक करोड़ जनता राज्य कर्मचारियों के परिवार और रिश्तेदारों से सम्बन्धित है। जब आपने लोकतंत्र में बहुमत को माना है, लोकतंत्र के अन्दर जनता की भावनाओं को हमने आदर किया है तो क्या कारण है कि ये कर्मचारी जो अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर राज्य सरकार के पास बार बार शिष्टमंडल लेकर गए और अपनी मांगों के लिए कहा तो सुखाड़ियाजी ने इन्कार कर दिया। उन्होंने भूख हड़ताल की, आन्दोलन किया, जेलों को भरा। यह देखकर मुख्य मंत्री ने कहा कि मैं आपकी मांगों को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, आंदोलन को स्थगित कर दो। लेकिन इस प्रकार से राजस्थान के मुख्य मंत्री ने अपने वचनों को भंग किया है, और कई लोग कहते हैं कि सुखाड़ियाजी आंदोलन को स्थगित कराने में बड़े माहिर हैं, चकमा देने में बड़े माहिर हैं। मैं कहता हूं कि सुखाड़ियाजी का आश्वासन थोथा है। जिस प्रकार से गंगानगर के किसानों ने आंदोलन किया, उसको शांत कराने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, लिखित में भी कहा कि तुम्हारी मांगों को पूरा करेंगे लेकिन आज तक हिन्दुस्तान के अन्दर यदि कोई मुख्य मंत्री ऐसा है जो अपने वचनों को भंग करता है, लिखित में दिए हुए आश्वासनों को तोड़ता है और यह कलंक यदि किसी पर है तो हिन्दुस्तान के जितने प्रांतों के मुख्य मंत्री हैं उन पर नहीं, अकेले पाप का भागी राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं। आज सुखाड़ियाजी इस प्रकार की बातों से जनता को भुलावा देते हैं। एक कहावत है। एक शंख था, दूसरा था ढपोल शंख। शंख से जलेबी मांगो, कहो कि पांच-छः किलो जलेबी दो तो पांच किलो जलेबी मिलेगी। ढपोल शंख से 5 किलो मांगो तो कहता था कि एक मन लो, लेकिन वास्तव में एक छटांक का भी पता नहीं। सुखाड़ियाजी ढपोल शंख के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। गंगानगर के किसानों ने अपनी न्यायोचित मांगों को रखा। सुखाड़ियाजी ने दो कदम आगे आकर इस आंदोलन को स्थगित कराने के लिए कहा। आपने हंस कर लोगों से कहा कि आपकी मांगों को स्वीकार करता हूं। इस प्रकार से आपने राज्य कर्मचारियों से भी धोखा किया है। उसके कारण कर्मचारी दबने वाले नहीं हैं। इस प्रकार से यदि आपने काला कानून बनाया और यह कहा कि हम कर्मचारियों की मांगों...

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

अकेला कम्युनिस्ट पार्टी का एक सदस्य उनको एक घण्टा और मुझको बोलते हुए अभी 5 मिनट हुए हैं...

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप 19 सदस्य हैं तो आपको 19 घण्टे मिलने चाहिए।

श्री विजयसिंह : ये 19 सदस्य हैं तो 19 घण्टे लेंगे।

श्री रामकिशोर : इसलिए स्वतन्त्र पार्टी की संख्या घटाइए।

श्री देवीदत्त गाडिया : राज्य सरकार और गृह मंत्री ने आज अपने वक्तव्य में कहा कि राज्य कर्मचारियों को अंतरिम राहत के नाम पर 7½ करोड़ रुपये खर्च होगा और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं

Page No 206

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

है कि उसको वहन कर सके। हम चाहते तो जरूर हैं लेकिन वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण हम अंतरिम राहत नहीं दे सकते। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं, सभापतिजी, जिस सरकार ने 170 करोड़ रुपये अकाल राहत के नाम पर खर्च किए और उसका 60 प्रतिशत से अधिक रुपये रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के अन्दर बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों की जेब में चले गए कांग्रेस नेता, मंत्री, कांग्रेसी विधायक और जन–प्रतिनिधियों की जेब में चले गए उनका सरकार ने क्या किया ? क्या जनता इस चीज को बरदाश्त करेगी ? एक ओर कहते हैं कि जनता 7½ करोड़ के बोझ को वहन नहीं कर सकती यदि अंतरिम राहत देते हैं, तो आप इस बात को कह कर जनता और कर्मचारियों के बीच में फूट डालना चाहते हैं और जनता इस बात को जानती है। आप कहते हैं कि वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि राजस्थान के बड़े बड़े उद्योगपतियों में, पूंजीपतियों में, करोड़ों रुपए का बकाया सेल्स टैक्स का है, शराब के ठेकेदारों में बकाया है करोड़ों रुपए का, उसी प्रकार से माइन्स के अन्दर करोड़ों रुपए बकाया हैं, क्यों नहीं आप वसूल करते ?

आपने उदयपुर और भीलवाड़ा जिलों में बसों का राष्ट्रीयकरण करके सरकारी बसें क्यों नहीं चलाई ? क्योंकि निजी बसों के मालिकों से आपको चन्दा व पैसा मिलता है। आपको सरकारी आय बढ़ाने की चिन्ता नहीं है इसलिए कि राज्य सरकार की आय के स्रोत लम्बे चौड़े हैं और जितनी बकाया रकमें हैं यदि उनको इकट्ठा कर लें, और लोगों पर 5-5 साल से सेल्स टैक्स की बकाया, शराब के ठेकेदारों में बकाया और खनिज विभाग के ठेकेदारों में रॉयल्टी और दूसरी बकाया है, उनको वसूल कर लें तो जनता और सदन स्वागत करता लेकिन इस प्रकार से बड़े बड़े उद्योगपति टैक्स की चोरियां करते हैं, उनके टैक्सेज की बकाया है, उन पर अध्यादेश लागू करके रकम वसूल नहीं कर सके और वित्तीय स्थिति को खराब बता कर इस प्रकार कहना चाहते हैं कि हम अंतरिम राहत नहीं दे सकते।

दूसरी बात आपने 12 साल वाले कर्मचारियों को एक विशेष वेतन वृद्धि दी है। जो आपने यह इन्क्रीमेंट दिया है उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जिन कर्मचारियों के सेवाकाल में 1-4-70 को 4 दिन रह गए उनके लिए क्या किया ? यदि उनको एक इन्क्रीमेंट नहीं दिया तो एक साल की सीनियोरिटी के अन्दर अन्तर आ जायेगा। आपने कभी इस बात पर विचार नहीं किया। आज जो राज्य कर्मचारियों में सबसे बड़ा असन्तोष है, वह इस बात का है। आज क्या सरकार इस सदन में यह घोषणा करने के लिए तैयार है कि जब भी जिस कर्मचारियों को 12 वर्ष का सेवाकाल हो जायगा, उनको एक इन्क्रीमेंट दे दिया जायगा ? लेकिन राज्य सरकार इस नीति संबंधी मामले की घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है। आपने 1-4-70 को 12 साल के सेवाकाल वालों को तो एक इनक्रीमेंट दे दिया लेकिन आगे आने वाले जिनके 12 साल में 2 माह या, 1 माह या 15 दिन या 10 दिन के बाद 12 साल पूरे होने वाले हैं, उनके लिए क्या करेंगे ? क्या इस सम्बन्ध में घोषणा करने के लिए तैयार हैं ?

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

मैं मानकर चलता हूं कि सरकार ने वास्तव में उन कर्मचारियों में जो असन्तोष है उसको दूर नहीं किया है। एक ओर सरकार कहती है कि नौजवानों को आगे आना चाहिए। कर्मचारियों के अन्दर यंग ब्लड है। आप इनका शोषण कर रहे हैं। दूसरे बड़े बड़े राजपत्रित अधिकारी हैं, चाहे आई.ए.एस.ऑफिसर्स, चाहे आर.ए.एस. ऑफिसर्स उनको हजारों रुपए का वेतन देते हैं, सुख-सुविधायें देते हैं, उन पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं है, चाहे ऑफिस में हों या नहीं, छुट्टी लें या नहीं, उन पर मंत्रियों का कोई अंकुश नहीं। मैं मान कर चलता हूं कि इस सदन में बैठने वाले मंत्री हैं, उनमें इतनी योग्यता नहीं कि विभाग के जो अधिकारी हैं उनको अपने अंकुश में लेकर नियमानुसार काम लें। जैसे वे नोट बना कर दे देते हैं, मंत्री हस्ताक्षर कर देते हैं। जिस राज्य में ऐसे मंत्री हों, पढ़े लिखे नहीं हों, एक लाइन पढ़ नहीं सकते लेकिन मंत्रि-मण्डल में बैठे हैं, वे क्या करेंगे ?

मुख्य मंत्रीजी ने उदाहरण दिया कि 1950 के अन्दर कर्मचारियों का वेतन यह मिलता था और आज हम यह वेतन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मुख्य मंत्री इस सदन में नहीं हैं लेकिन 1961 के अन्दर राजस्थान के मंत्रियों पर प्रति वर्ष 10 लाख रुपए खर्च होता था लेकिन, आज मंत्रीमण्डल पर 30-40 लाख के बीच में खर्च होता है और राजस्थान के वित्त मंत्री के टेलीफोन पर प्रति वर्ष 7 हजार रुपए खर्च होता है। जब एक वित्त मंत्री फोन पर इतना खर्च कर सकता है और आप उनको वहन करते हैं, यह आप बरदाश्त करेंगे, इसके लिए आप टैक्स लगायेंगे, इसके लिऐ आपके पास बजट है लेकिन राज्य कर्मचारी जो गरीब हैं, पीड़ित हैं, मध्यम वर्ग और गरीब तबके के हैं, वह यदि अन्तरिम राहत के नाम पर अपनी वेतन वृद्धि चाहते हैं तो कहते हैं कि 7½ करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस प्रकार आप जनता के सामने जाकर कहें। कर्मचारी आज दुखी हैं, उसके बाल बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी 135 रु. पाता है जो इसैन्शियल सर्विसेज के अन्दर आता है चाहे अस्पताल में हो, चाहे बिजली विभाग में हो, चाहे वाटर वर्क्स में हो उस पर यह काला कानून लागू होता है।

लेकिन राजस्थान के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर्स, सुपरिन्टेन्डिंग इन्जीनियर, चीफ इन्जीनियर, डाइरेक्टर, ये इस प्रकार की एशेन्शियल सर्विसेज में आते हैं वे अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं और उन पर सरकार का अंकुश नहीं है। आप कहते हैं कि वित्तीय स्थिति खराब होने के कारण से हम नहीं कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने इस प्रकार का काला कानून बनाकर दबोचने की स्थिति रखी है, और आप कहते हैं इसको संकट कालीन स्थिति में लागू करेंगे....

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाना चाहता हूं। माननीय सदस्य जिस प्रकार से बोल रहे हैं उनको चाहिये था कि वे इस पर बोलते कि यह बिल पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिये, कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार देना चाहिये या नहीं। इस तरह से बोलना चाहें तो बोलें, मुझे कोई एतराज नहीं है। प्रश्न सिर्फ विचाराधीन यह है कि राजस्थान

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

के राज्य कर्मचारियों को हड़ताल का अधिकार देना चाहिये या नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यही तो कह रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो मांगों पर बोल रहे हैं। वित्तीय स्थिति से इसका ताल्लुक नहीं है। हड़ताल का अधिकार देना चाहिये या नहीं इस पर बोलें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि माननीय सदस्य अपने आपको प्रगतिशील बताते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह तो मेरे सोचने की बात है। रामानन्दजी कहें तो बात समझ में आ सकती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : गृह मन्त्रीजी थे इसलिये हिम्मत नहीं थी कि ये बोलें। माननीय सभापति महोदय, इस हिन्दुस्तान के अन्दर यदि लोकतंत्र को जिन्दा रखना है तो लोकतन्त्रीय साधनों को जुटाना होगा। हिन्दुस्तान के अन्दर इस प्रकार की फिजा बन रही है उसका कोई पाप का भागी है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 23 वर्ष से इस देश में शासन करने वाली पार्टी कांग्रेस है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इस प्रकार की डिबेट पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। माननीय सदस्य, हिन्दुस्तान की स्थिति पर चले गये। कोई स्कोप डिबेट का तो होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सभापति : आॅर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाड़िया : सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य समझ न सकें तो मुझे बड़ा दुख है। कर्मचारियों को अपनी मांगों को मनवाने के लिये लोकतन्त्रीय तरीके से आंदोलन करने का अधिकार भी है। आप यह मान कर नहीं चल सकते कि जनता के नौजवान व्यक्तियों ने राज्य सरकार की सर्विस कर ली तो उनकी नागरिकता ही खत्म हो गयी। वे भी वैसे ही नागरिक हैं जिस प्रकार दूसरे नागरिक हैं। उसने सेवा करना स्वीकार किया तो चन्द पैसों के खातिर। लेकिन उसने अपनी आत्मा को नही बेचा है। राजस्थान के सरकारी कर्मचारी चाहे पी. डब्ल्यू. डी. के हों, चाहे इरिगेशन के हो, चाहें किसी डिपार्टमेन्ट के हों, राज्य सरकार के सामने पहले मेमोरेन्डम देते हैं और एसोसियेशन के डेपुटेशन के रूप में मिल कर अपनी मांगों को पेश करते हैं, यदि उसको स्वीकार नहीं किया जाता है तो लोकतन्त्रीय तरीके से, वैधानिक तरीके से, राज्य सरकार को नोटिस देकर हड़ताल करते हैं। करते आये हैं। 23 साल तक हड़ताल और प्रदर्शन करने का अधिकार रहा है। राजस्थान की सरकार या गृह मन्त्रीजी कहें कि कन्डक्ट रूल्स में हड़ताल करने का अधिकार नहीं था तो क्या यह मान कर चलें कि आज से दो दिन पहले तक उन कन्डक्ट रूल्स का ध्यान नहीं था और आज ध्यान में आया है। जब यह है तो आपने यह काला कानून सदन में रख कर बहुमत के नाम पर थोपने की कोशिश क्यों की ?

(9.25 म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

आपने यह काला कानून बनाया तो निश्चित रूप से इसकी भयंकर प्रतिक्रिया

(श्री देवीदत्त गाडिया)

होगी । पुलिस और फौज के आधार पर आप किसी व्यक्ति को दबा सकते हैं लेकिन उसकी आत्मा को नहीं दबा सकते । सदन का अधिक समय न लेकर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं···

श्री उपाध्यक्ष : आप जी भर कर बोल लीजिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी मेरे ऊपर हमेशा महरबानी रही है । राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों ने 8, 9 सितम्बर को हड़ताल करने की चेतावनी दी थी । । मुझे याद है कि राजस्थान के गृह सचिव और मुख्य सचिव ने यह रिपोर्ट दी थी कि कोई हड़ताल नहीं होगी और उनकी रिपोर्ट के आधार पर सोये पड़े थे । क्या आन्दोलन नहीं हुआ ? क्या सारे कार्यालय ठप्प नहीं हो गये ? मुख्य सचिव और गृह सचिव सरकार को गुमराह कर सकते हैं । मैं अन्तिम रूप से कह देना चाहता हूं इस प्रकार का काला कानून राज्य कर्मचारियों पर थोपा गया और काले कानून के अन्दर इस प्रकार की क्लाजेज जोड़ी गई कि उनके प्रति जो हमदर्दी दिखायेगा और उनको उकसायेगा तो उसको गिरफ्तार करके सजा और जुर्माना किया जायगा । हमारा यह अधिकार है कि उनकी मांगों की सुरक्षा के लिये समर्थन करेंगे। यदि आपने इस काले कानून को पास कर दिया तो मैं कहना चाहता हूं कि विभागों के कर्मचारियों ने अब तक आन्दोलन किया है अब पुलिस के कर्मचारी, सी. आई. डी. वगैरा के लोग भी आन्दोलन करेंगे । राजस्थान कर्मचारी भाइयों के समर्थन के लिये भी आन्दोलन करेंगे और जेलों में जावेंगे, पुलिस के छोटे कर्मचारी भी आन्दोलन करेंगे और थानेदार, डी वाई. एस. पी. और एस. पी. आदि जो लोग बंगलों में रहते है, उन के खिलाफ उनके छोटे कर्मचारी भी आन्दोलन करेंगे, उन्होंने भी निर्णय कर लिया है कि कर्मचारियों पर काला कानून लगा कर जुल्म करेंगे तो जेलें भर देंगे और वैधानिक दृष्टि से हम लोग भी सरकारी कर्मचारियों का साथ देंगे। काले कानून की धज्जियां उड़ायेंगे जिस प्रकार आर्डिनेन्स की धज्जियां उड़ी थीं। इसलिए मैं राज्य सरकार से कहता हूं कि समय रहते समझ जायं। सुबह का भूला शाम को भी घर आ जाय तो वह भूला हुआ नहीं कहलाता । आपको चाहिये आर्डिनेन्स लाने के बजाय आप कर्मचारियों को सद्भावना से सद्प्रेम के साथ उनको जीतिये। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे निवेदन है आप इस विधेयक को वापिस लेंगे । यही मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री हीरालाल देवपुरा : मेरा निवेदन है कि कोई नये तथ्य हो तो सामने लायें जायं । कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में यहां पर काफी कहा जा चुका है, पहले भी बहुत कुछ कह दिया गया है । इस कानून के बारे में रिपीटीशन ही हो रहा है । कोई नयी बात नहीं आ रही है।

राज्य कर्मचारियों की मांगों का जहां तक सवाल है उनको रखने के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है । अवैधानिक तौर पर हड़ताल पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। फण्डामेण्टल राइट्स पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया है । माननीय सदस्यों ने कोई खास बात नहीं बतायी है।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने नयी बात कही थी। 30-12-70 तक जिनको 12 साल की सर्विस हो जाती है उनको भी ग्रेड इन्क्रीमेन्ट देंगे या नहीं ? यह नई बात नहीं है क्या ?

श्री विजयसिंह : मुख्य मंत्री, सर्कस का शेर नहीं है। यह इसका जवाब कैसे देंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : आप गीदड़ हैं क्या ?

श्री हीरालाल देवपुरा : इस कानून के सम्बन्ध में विशेष बात नहीं कही, इसलिये जवाब की आवश्यकता नहीं है। बिल को पारित किया जाय।

श्री हीराभाई : आप जो शान्ति कायम रखने के लिए यह विधेयक ला रहे हैं क्या आप तनख्वाहों की सीमा बान्धने के लिये तैयार हैं कि डेढ हजार रुपये से ज्यादा किसी को नहीं मिलेगा ? यह नया सवाल है आप उत्तर दीजिये।

श्री रामकिशन : राज्य गृह मंत्री महोदय ने जिस हल्के ढंग से हमारे उठाये हुए प्रश्नों का जवाब दिया है इससे यह साफ पता चलता है कि सरकार अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक नहीं है। ऐसे कानून जो लोकतन्त्र पर प्रहार करने वाले हैं, आप उस बारे में भी जवाब न दे सके।

श्री विजयसिंह : यह कोई अच्छा तरीका है ? शराब पीये हुए मालूम होते हैं।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे शोर गुल, अश्रव्य)

श्री भैरोंसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह जानकारी मिली है कि इस आर्डिनेन्स के विरोध में हाई कोर्ट में रिट याचिका सरकारी कर्मचारियों की तरफ से प्रस्तुत है। जिस बिल के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट विचाराधीन हो उस प्रश्न पर सदन द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये।

यह माननीय गृह मंत्री भी जानते हैं कि आर्डिनेन्स को बिल के विरोध में रिट याचिका सरकारी कर्मचारियों की चल रही है, उस पर विचार हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस आर्डिनेन्स को बिल के रूप में लेकर आये हैं इसको पास करते हैं तो जुडिशियल मैटर पर इसका असर पड़ेगा और यह अच्छी परम्परा नहीं होगी।

श्री दामोदरलाल व्यास : माननीय सदस्य भी यह जानते हैं कि रिट याचिका हो तो भी इससे इस सदन के जो अधिकार हैं उसमें कोई दखल नहीं दे सकता। सदन को अधिकार है, लेजिस्लेचर सुप्रीम है। इससे किसी प्रकार की कान्स्टीट्यूशनल दिक्कत नहीं आती है। इसको माननीय सदस्य भी अच्छी तरह जानते हैं।

श्री रामकिशन : जिस प्रकार का उत्तर गृह मंत्री महोदय ने दिया उससे प्रतीत होता है कि उनकी लोकतन्त्र में आस्था नहीं है। इस उत्तर से तो मुझे यह विश्वास हो गया है कि इससे कर्मचारियों के जो वास्तविक अधिकार हैं उस पर कुठाराघात होता है। हम उसमें भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(संसोपा दल के सदस्यों के साथ बहिर्गमन)

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं भी इस काले कानून का तीव्र विरोध करते हुए सदन से बहिर्गमन करता हूं।

काला कानून मुर्दाबाद। काला कानून मुर्दाबाद।

(श्री रामानन्द अग्रवाल द्वारा बहिर्गमन)

श्री रामप्रसाद लड्ढा : This is the contempt of the House, Sir.

श्री कृष्णकुमार गोयल : राज्य मंत्री जी ने हमने जितने भी प्रश्न उठाये उनका एक का भी जवाब नहीं दिया। मेरा निवेदन है कि इस पर रिट चल रही है और सारे मामले पर हाई कोर्ट में विचार हो रहा है। इस तरह से लोकतन्त्र में आपका विश्वास है तो आप इस पर विचार स्थगित कर दें। गृह मंत्री महोदय ने खुद ने माना है कि सर्विस रूल्स के अन्दर इस प्रकार को व्यवस्था है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी प्रदर्शन करता है, सत्याग्रह करता है, तो उस पर एक्शन लिया जा सकता है। उसके बावजूद भी आप यह बिल लाये हैं इससे साफ जाहिर होता है कि आपका लोकतन्त्र में विश्वास नहीं है। न किसी प्रकार की आस्था है। आपने जिस रूल का हवाला दिया है, कि सर्विस रूल्स का कोई उल्लंघन करता है तो उसको सस्पेण्ड कर सकते हैं। उसके बाद उसको सर्विस से अलग भी कर सकते हैं। यह व्यवस्था मौजूद थी तो फिर कानून के लाने की क्या आवश्यकता थी? इस तरह से आप कर्मचारियों पर दुधार तलवार लटकायी रखना चाहते हैं ताकि वे अपनी जिन्दगी में आन्दोलन का सहारा न लें। लेकिन मैं यह आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जो लोग आन्दोलन की मार्ग अपनाते हैं वे ऐसे कानूनों की चिन्ता नहीं करते। वे परिणामों की उपेक्षा करते हैं। मैं समझता हूं कर्मचारी इससे हताश होने वाले नहीं हैं। उनको नौकरी की चिन्ता नहीं, वे उससे अलग होने के लिये भी तैयार हो जायंगे। आप सोचते होंगे कि इस प्रकार के कानून से वे भयभीत हो जायेंगे यह आपकी मन्शा पूरी होने वाली नहीं है। आप अपने आपको बहुत प्रगतिशील कहते हैं लेकिन जिस प्रकार का कानून आप लाये है यही आपकी प्रगतिशीलता का नमूना है? यह बड़े दुख की बात है। हम इस प्रकार के कानून के पास कराने में भागीदार नहीं बन सकते, अतः मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(जन संघ के माननीय सदस्यों सहित बहिर्गमन)

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैंने निवेदन किया प्यार से जीतिये, ये आपके परिवार के स्तम्भ हैं। आप परिवार के सदस्यों के लिये जो तरीका अपना रहे हैं वह घृणा का तरीका, है इसको मैं पसन्द नहीं करता, इसलिये सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(माननीय सदस्य द्वारा बहिर्गमन)

श्री विजय सिंह : जिन कर्मचारियों ने हिन्दुस्तान की आजादी में पूर्ण सहयोग दिया आज उनको आप कानून के जरिये दबा रहे हैं। आजादी के बाद ये सोचते थे कि आजादी के साथ ये बैठेंगे अपनी मांगे मनवायेंगे। मुझे दुख है कि कांग्रेस की दब्बू

Page No 212

(श्री विजय सिंह)

नीति की वजह से यह काला कानून लागू कर रहे हैं। इस दब्बू नीति का हम साथ देना नहीं चाहते। इसलिये मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

इस प्रकार के काले कानून पास हो इसलियें मैं मेरे दल के साथ बहिर्गमन करता हूं और इस काले कानून को यहीं इनके साथ धोती टोपी कांग्रेसियों के साथ छोड़ देना चाहता हूं।

(स्वतंत्र पार्टी के माननीय सदस्यों के साथ बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अत्यावश्यक सेवायें अनुरक्षण विधेयक, 1970 को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री दामोदरलाल व्यास: एक बिल आज के ऐजेन्डे में और है। उसे भी पास करा लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : वापिस आ जायेंगे सब।

श्री दामोदरलाल व्यास : कोई बात नहीं।

(विराम)

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 20 नवम्बर के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 9–42 रात्रि दिनांक 20 नवम्बर, 1970 के प्रातः 11–00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

Page No 213

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 208 की सूची)

1-12-68 से और पश्चात् में:—

क्र. सं.	नाम विभाग	प्रभावित कर्मचारी	सेवामुक्त कर्मचारी	राजपत्रित वेशी कर्म.	मंत्रालय से वेशी कर्म.	अधीनस्थ कर्म.	सहायक वेशी कर्म.
1.	पंजीयक, सचिवालय	7	..	..	3	..	4
2.	भेड व ऊन विभाग	30	..	1	..	29	..
3.	बन्दोबस्त विभाग 232 66	318	5	..	..	193	34
4.	जागीर आयुक्त	9	..	..	8	1	..
5.	देवस्थान विभाग	14	..	..	4	..	10
6.	निदेशक, नियोजन विभाग	2	..	..	2	..	..
7.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	124	..	..	..	122	2
8.	श्रम आयुक्त	1	..	..	..	1	..
9.	मुख्य अभियन्ता सिंचाई	159	..	..	137	22	..
10.	भाषा विभाग	14	..	..	14	..	..
11.	पोलोटेक्निक, बीकानेर	1	..	1	..	..	..
12.	मूल्यांकन संगठन	12	2	..	10	..	..
13.	जिलाधीश, अलवर	3	..	..	3	..	..
14.	कर आयुक्त, जयपुर	167	35	..	49	40	43
15.	राजस्थान जन सेवा आयोग	12	2	..	10	..	..
16.	मुख्य नगर नियोजन, जयपुर	10	..	..	1	8	1
17.	आबकारी आयुक्त	55	..	..	15	..	40
18.	दुग्ध वितरण योजना, जयपुर	52	20	..	2	12	18
19.	आर्थिक एवं सांख्यिकी	31	..	2	..	29	..
20.	राजकीय म. विद्यालय, सिरोही	3	..	..	3	..	..
21.	राज. विद्यालय, बांसवाडा	18	9	..	5	..	4
22.	पोलोटेक्निक, उदयपुर	6	3	..	..	..	3
23.	समाज कल्याण विभाग	105	..	11	6	50	38
24.	राजकीय सैनिक, वैमानिक एवं नाविक मंडल	6	3	..	3	..	..
25.	राजकीय म. विद्यालय, टोंक	3	..	..	3	..	..
26.	पशुपालन विभाग	135	..	18	30	77	10
27.	राजकीय म. विद्यालय, पाली	1	1	..	..	..	..
28.	ग्राम सेविक ट्रेनिंग सें, मंडोर	2	..	2	..	..	..
29.	जिलाधीश, जालोर	1	..	..	1	..	..
30.	स्टेट केमीकल्स वर्कस, डीडवाना	1	..	..	1	..	..
31.	मीरां गर्ल्स म. विद्यालय, उदयपुर	2	2	..	..	..	..

1	2	3	3	4	5	6	7
32.	मुख्य वन संरक्षक, जयपुर	189	..	..	39	85	65
33.	तकनीकी महाविद्यालय, जोधपुर	28	..	3	1	11	13
	टोटल	1521	82	38	350	630	285

Page No 215

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 211 की सूची)

Copy of dying Declaration of Shri Hotilal recorded by Additional District Magistrate on 19-4-70 at 7.00 P. M. in General Hospital, Bharatpur in presence of Medical Jurist by order of P. M. & H. O. Bharatpur.

मुझे कल 18-4-70 को 2 बजे श्रीमान् कटारा साहब थानेदार सेवर ने पकडा। मुझ से तीन लेटर लिखवाय। रात भर मुझे नंगा करके मारा फिर आज सुबह 19-4-70 को मारा। कहने लगे हम तुझे गोली मारेंगे पेरोकारी के लिये कैसे आया? मैंने जब कुछ नहीं कहा कि मैं लेटर में यह नहीं कहूंगा कि पुलिस ने जोर देके लिखाये मुझसे रात को फिर कहा। दिन में 302) रु. ले लिये एक चश्मा और एक घडी ले लिये। मुझे मारने लगे तब मैं टट्टी में घुस गया और मेरे कागजात जो फायल थी ले ली जिसमें रसीदें थी और तार की रसीद थी। फिर मुझे मारने लगे और जो पहरे पर संतरी था उसने संगीन घुसेडी तब मैं टट्टी में भागा और अन्दर से दरवाजा पकड लिया। संगीन एक बार घुसेडी। मेरा गवाह कोई नहीं हो सकता है।

Hotisingh S/o Jai Kishan R/o Delhi Papa Nagar Tonk Road Military Road C/o Sobha Rama Asha Ram House No. 1633 Delhi.

Sd/- HOTI SINGH

Because of nail injury the dying declaration were recorded by Shri D. P. Mishra Medical Jurist, Bharatpur in my presence, hearing and as stated by Hotisingh.

Sd/- D. P. Mishra
19-4-70 7.20 P. M.

Sd/- J. K. Sharma
19-4-70 7.20 P. M.
A. D. M.

Anesthea लेने से पहले होतीसिंह ने बुलाकर यह और लिखाया कि याद आने पर जब मैं दरवाजे में घुसा था तो सन्तरी संगीन चला रहा था। एक पुलिसमेन और था वह भी चला रहा था। धाडिया सी थी जिसमें धार थी।

ह. होती सिंह
Sd/- D. P. Mishra.

ह. जे. के. शर्मा

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची)

OFFICE OF THE AGRICULTURAL ENGINEER, RAJASTHAN, JHOTWARA, JAIPUR (WEST)

No. F. 7 ( )/*AE*/*Pro*/66/4486-90 *Dated* 10*th March*, 1966.

M/s. Radha Ballabh & Sons,
Tripolia Bazar, Jaipur.

Sub:—Supply of Sheets.

Dear Sir,

With reference to your letter No. I&S/R/66 dated 8.3.66 please supply C. R. E. P. Sheets 10G. and up on-II column rate which fixed by the Iron & Steel Controller, Calcutta.

(1) CREP sheets 10G. and UP -16M/T.

The bill of cost in triplicate may please be sent to the undersigned for early payment.

Yours faithfully,
Sd/-
Agricultural Engineer.

c. c. to:—

(1) A. A. E. (W/s)

(2) A. A. E. (Stores)

(3) A. A. O.

(4) Bill Clerk, with the remarks that the amount is chargeable from the budget head 124-capital outlay.

Sd/-
Agricultural Engineer.

OFFICE OF THE AGRICULTURAL ENGINEER, RAJASTHAN, JHOTWARA, JAIPUR (WEST)

No. F.7 ( )/*AE*/65-66/ *Dated* 26*th March*, 1966.

Messers. Radha Ballabh & Sons,
Tripolia Bazar, Jaipur.

Sub:—Supply of Iron & Steel.

Dear Sir,

With reference to your letter No. I&S/R/66, dated 19-3-1966. Please arrange to supply the following :—

		Rs.
1.	M. S. Flat Iron 45×5um-85 M/T @ 838.36 per M/T.	
	Base price as per J. P. C. announcement No. 30	738.00
	Sectional Extra	30.00
	C. S. T.	15.36
	Octroi.	5.00
	Your commission.	50.00
		838.36
2.	M. S. Flat Iron 45x10 mm-95 M/T. @ 828.16 per M/T.	
	Base price as per J. P. C. announcement No. 30	733.00
	Sectional Extra.	20.00
	C. S. T.	15.16
	Octroi	5.00
	Your commission.	50.00
		828.16
3.	M. S. Flat Iron 50x10mm-185 M/T @ 828.16 per M/T.	
	Base price as per J. P. C. announcement No. 30	738.00
	Sectional Extra.	30.00
	C. S. T.	15.16
	Octroi	5.00
	Your commission.	50.00
		828.16
4.	M. S. Flat Iron 50x12 mm-135M/T @ 810.82 per M/T.	
	Base price as per J. P. C. announcement No. 30.	728.00
	Sectional Extra.	19.00
	C. S. T.	14.82
	Octroi	5.00
	Your commission	50.00
		810.82
5.	G. R. B. P. Sheet 10G.-8×3 or 8xi-50 M/T. & 1122.12	
	Base price as per I. S. C.	1096.00

C. S. T.	21.12
Octroi.	5.00
	1122.12

6. C. R. B. P. Sheets-140. 8x3-50M/T @ 1145.58	1096.00
Base price as per I. S. C.	23.00
Sectional extra.	21.58
C. .S T.	5.00
Octroi	
	1145.58

Rajasthan sales tax as applicable.

(2) Payment 90% through Bank & 10 % within 30 days. Forwarding charges Rs. 10/- per M/T will be paid extra.

In case the material is in specific length the specific length should be clearly mentioned in the body of bill and required certificate be recorded then only the specific length extra, if any, will be allowed.

If we receive the material in bending the bending charges, will be paid extra.

Delivery—within week time.

Sd/-
Agricultural Engineer, Rajasthan, Jaipur

No. F. 7 (104)/AR/K-64/-6566/6064-6 Dated 26-3-1966

c. c. to :—
(1) Asstt. Agri. Engr. (Stores) (2) Asstt. Agri. Engineer (M/s)
(3) Asstt. Accounts Officer (M/s) Jaipur, (4) Bill Cleark chargable head under 124-capital outlay.

Sd/-
Agrioultural Engineer, Raj., Jaipur.

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

मार्केटिंग सोसायटी पीलीबंगा में गबन का मामला

217. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मार्केटिंग सोसाइटी पीलीबंगा में भारी गबन हुआ है ? यदि हां, तो कौन से सन् में हुआ है और कुल कितना गबन हुआ है ?

(2) क्या यह सही है कि आडिट रिपोर्ट में गबन साबित होने पर भी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों और यदि नहीं तो इसमें कौन व्यक्ति दोषी पाया गया है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, कुल 31,461.27 गबन हुआ, ब्यौरा संलग्न है। आडिट रिपोर्ट साल 1958-59, 59-60 व 61-62 सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध आडिट रिपोर्ट में गबन पाये जाने पर राजस्थान सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 74 (1) के अन्तर्गत आचरण की जांच की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

ट्रेक्टर खरीदने के लिये ऋण

218. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा वर्ष 1965 से अब तक कितने व्यक्तियों को ट्रेक्टर खरीदने के लिए ऋण दिया गया है ?

(2) ऋण प्राप्त करने वाले कितने व्यक्तियों ने ट्रेक्टर खरीदे हैं ?

(3) जिन व्यक्तियों ने ट्रेक्टर नहीं खरीद कर ऋण का दुरुपयोग किया है उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) सन् 1964-65 से 1966-67 तक 241 व्यक्तियों को ट्रेक्टर खरीदने हेतु ऋण दिया गया।

(2) 207 व्यक्तियों ने ट्रेक्टर खरीद लिए।

(3) जिन व्यक्तियों ने ट्रेक्टर नहीं खरीदे उनके खिलाफ वसूली की कार्यवाही जिलाधीशों द्वारा की जा रही है। दो व्यक्तियों से सम्पूर्ण राशि वसूल कर ली गयी। जिलावार सूची संलग्न है।

Statement showing the details of taccavi loan for the purchase of tractors sanctioned during the year 1964-65 to 1967-68

Sl. No.	Name of the District	No. of parties to whom loan sanctioned			No. of parties who purchased the tractors.			No. of parties who haeve not purchased the tractors.		
		1964-65	1965-66	1966-67	1964-65	1965-66	1966-67	1964-65	1965-66	1966-67
1.	Alwar	5	2	—	5	1	—	—	1	—
2.	Ajmer	3	4	2	3	4	1	—	—	1
3.	Bundi	1	3	1	1	3	—	—	—	1
4.	Bhilwara	8	5	3	6	5	2	2	—	1
5.	Barmer	—	—	1	—	—	1	—	—	—
6.	Bikaner	1	1	1	1	1	1	—	—	—
7.	Bharatpur	10	9	7	9	8	7	1	1	—
8.	Chittorgarh	3	1	—	2	1	—	1	—	—
9.	Churu	1	—	2	1	—	2	—	—	—
10.	Ganganagar	6	5	1	5	3	1	1	—	—
11.	Jodhpur	5	4	8	2	4	8	3	—	—
12.	Jalore	1	1	2	1	1	2	—	—	—
13.	Jhunjhunu	1	—	—	1	—	—	—	—	—
14.	Jaisalmer	1	—	—	1	—	—	—	—	—
15.	Kotah	2	2	1	1	1	1	1	1	—
16.	Pali	5	6	5	5	6	4	—	—	1
17.	Nagaur	32	24	6	28	19	4	4	5	2
18.	Sawai Madhopur	1	—	1	1	—	1	—	—	—
19.	Sirohi	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20.	Sikar	1	3	3	1	3	—	—	—	3
21.	Tonk	—	1	—	—	1	—	—	—	—
22.	Udaipur	1	—	2	—	—	1	1	—	1
23.	Jaipur	14	10	12	12	9	12	2	1	—
		102	81	58	87	72	48	15	9	10
		241			207			34		

अजमेर में पानी की व्यवस्था

219. श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर पश्चिम): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान (अजमेर) बनास जल योजना अजमेर नगर की बढ़ती हुई आबादी के लिये अपर्याप्त है ?

(2) क्या यह सही है कि मुख्य मंत्री ने स्वच्छ जल योजना अजमेर क उत्सव में राजमहल जल योजना की घोषणा की थी ?

(3) अजमेर की जनता के लिये पर्याप्त जल की व्यवस्था के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?

उत्तर

(1) बनास जल योजना का अभी प्रथम चरण पूरा हुआ है, द्वितीय चरण पूर्ण होने पर जल वितरण पर्याप्त रहेगा।

(2) ऐसी कोई जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(3) बनास जल प्रदाय योजना का प्रथम चरण पूर्ण हो चुका है। द्वितीय चरण में बनास नदी पर राजमहल के पास बांध बांधने की व्यवस्था है उससे अजमेर की जनता को पर्याप्त जल मिल सकेगा।

कोटा जिले में ट्यूबवेल की स्कीम

220. श्री नन्दलाल (किशनगंज) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अब तक किस किस जिले में ट्यूबवेल लगाये गये हैं और कितने कितने ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह सही है कि कोटा जिले में आज तक यह स्कीम लागू नहीं की है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) ट्यूबवेल स्कीम को लागू करने से पहले विभाग को किन किन बातों पर आवश्यक रूप से विचार करना पड़ता है ?

(4) क्या राज्य सरकार कोटा जिले में ट्यूबवेल स्कीम लगाने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में सन् 1969-70 तक विभिन्न स्कीमों, विभागों एवं अन्य एजेन्सियों के अन्तर्गत जो नलकूप लगाये गये हैं उनकी जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है (सूची संख्या 1)। इनमें से जो नलकूप स्टेट ट्यूबवेल स्कीम के अन्तर्गत लगाये गये हैं उन्हें अलग सूची में दर्शाया गया है। (सूची संख्या 2)।

(2) यह सही है कि कोटा जिले में स्टेट ट्यूब वेल स्कीम के अन्तर्गत कोई नलकूप नहीं लगाया गया, क्योंकि इस जिले में अधिकतम सिंचाई नहरों व बांधों से की जाती है तथा इस जिले में साधारणतया हाईड्रोज्योलोजिकली अधिक क्षमता वाले नलकूपों के उपयुक्त स्थान नहीं हैं।

(3) स्टेट ट्यूबवेल स्कीम लागू करने से पहले मुख्यतः यह जरूरी होता है कि उस स्थान के बारे में यह पूर्णतया मालूम हो कि वह स्थान अधिक क्षमता वाले नलकूप लगाने के उपयुक्त है एवं सिंचाई के अन्य साधनों की वहां पर कमी है।

(4) राज्य सरकार की कोटा जिले में स्टेट ट्यूब वेल लगाने की अभी कोई योजना नहीं है।

(कृषि मंत्री)

List No. 1.

Districtwise number of the Tubewells with Rajasthan Ground Water Board constructed under various schemes as mentioned against each.

S.No.	Name of the District	1st & 2nd Exploration (ETO)	Nomadic Breeder	200T/W Scheme (ETO)	Famine Relief Scheme	Rajakheda State T/W Scheme	Total
1.	Bikaner	—	—	5	9	—	14
2.	Jodhpur	—	—	3	19	—	22
3.	Bharatpur	—	—	—	—	12	12
4.	Nagaur	—	—	2	10	—	12
5.	Pali	—	—	—	1	—	1
6.	Barmer	—	—	—	11	—	11
7.	Jalore	—	2	18	1	—	21
8.	Churu	—	—	—	2	—	2
9.	Jaisalmer	11	3	11	9	—	34
10.	Alwar	1	—	—	—	—	1
	TOTAL	12	5	39	62	12	130

List No. 2.

Districtwise list of the successful Tubewells constructed by the Rajasthan Ground Water Board upto the year 1969-70.

S. No.	Name of the District	T/W constructed.
1.	Jodhpur	82
2.	Jaipur	89
3.	Bikaner	52
4.	Bharatpur	28
5.	Nagour	51
6.	Pali	9
7.	Barmer	23
8.	Sikar	12
9.	Jhunjhunu	34
10.	Kota	6
11.	Jalore	17
12.	Bundi	6
13.	Churu	5
14.	Alwar	18
15.	Sirohi	2
16.	Ajmer	17
17.	Jaisalmer	27
18.	Tonk	10
19.	Ganganagar	15
20.	Sawai Madhopur	9
	TOTAL	512

बांसवाड़े के चिकित्सालय भवन पर व्यय

221. श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या चिकित्सा मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे:—

(1) बांसवाडा में चिकित्सालय भवन का जो निर्माण हो रहा ह उसमें अनुमानित कितना धन व्यय होगा ? जिले की जनता से इस निमित्त जन सहयोग के रूप में कितना धन एकत्रित हो चुका हं तथा राज्य सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

(2) इस भवन के निर्माण कार्य की क्या स्थिति है तथा प्रस्तावित भवन कब तक तैयार हो जायगा ?

उत्तर

(1) अनुमानित लागत 8,27,000) रुपये की होगी। जन सहयोग से 3,57,216.99 पैसे एकत्रित हुए हैं राज्य सरकार से इस कार्य के लिये 2,00,000) रुपये की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) निर्माण कार्य जारी है। यह कार्य अक्टूबर, 1972 तक पूर्ण होने की सम्भावना है।

नजरबन्दी अध्यादेश के अन्तर्गत गिरफ्तारी

222. श्री रामकिशन (वैर) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राजस्थान में किसी को नजरबन्दी अध्यादेश के तहत गिरफ्तार किया गया ? यदि हां, तो सूची सदन की मेज पर रखन की कृपा करें।

(2) किन कारणों से गिरफ्तार किया गया है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में तीन व्यक्तियों को निवारक निरोध अध्यादेश, 1970 के तहत निरुद्ध किया गया है। ये हैं सर्वश्री शफी मौहम्मद, बशीर अहमद व सम्पतसिंह।

(2) सर्व श्री शफी मौहम्मद व बशीर अहमद को राज्य की सुरक्षा हित में तथा श्री सम्पत सिंह का राज्य में पब्लिक ऑर्डर को भंग न होने देने के हित में निवारक निरोध किया गया।

छीपा बड़ौद-सारथल सड़क की मरम्मत

223. श्री प्रेमसिंह सिंघवी (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छीपा बड़ौद से सारथल, कलमोदिया होते हुए जो सड़क हरनावदा शाहजी जाती ह उस पर कलमोदिया से हरनावदा तक की सड़क की हालत बहुत खराब है और बरसात के मौसम में बसों का आवागमन भी बन्द हो जाता है ?

(2) क्या यह सही है कि इस सड़क की मरम्मत सड़क बनने के बाद एक बार भी नहीं हुई हैं ?

(3) क्या सरकार इस सड़क का जीर्णोद्धार का प्रबन्ध यथाशीघ्र करन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक इस सड़क का सुधार हो जावेगा ?

उत्तर

(1) कलमोदिया से हरनावदा के बीच के भाग की दशा ठीक नहीं है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) साधारण मरम्मत उपलब्ध धन राशि अनुसार प्रतिवर्ष कराई जाती है।

(3) अर्थाभाव के कारण अभी योजना नहीं है।

शहरी सम्पत्ति की सीमा

224. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या नगर नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) केन्द्रीय सरकार ने अरबन सीलिंग की सीमा के बाबत में राज्य सरकार से कोई पूछताछ की थी ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने अपनी राय क्या दी ?

(2) क्या राज्य सरकार अपने राज्य में शहरी सम्पत्ति की सीमा निर्धारित करना चाहती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी हां, । मामला विचाराधीन है ?

(2) मामला विचाराधीन है।

पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच

225. श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चूरू लोहिया कालेज पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच का क्या परिणाम रहा ? इस सम्बन्ध में न्यायाधीश की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अभाव में गोलीकांड संबंधी पूर्ण तथ्यों को जांच नहीं कर सके और उन्होंने सरकारी पक्ष के सम्मुख अपनी यह मजबूरी भी रखी परन्तु उनका क्षेत्राधिकार सीमित ही रखा गया ?

(3) अब इस सम्बन्ध म सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्तर

(1) चूरू लोहिया कालेज पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच का परिणाम इस प्रकार रहा :—

(अ) फायरिंग का औचित्य नहीं था।

(ब) चूंकि फायरिंग अनुचित थी अतः यह विवाद कि किस हद तक इसका औचित्य है, नहीं उठता।

आयोग ने निम्न सिफारिशें कीं :—

(क) मृत व्यक्तियों के आश्रित एवं घायल व्यक्तियों को क्षति पूर्ति की जाय। यदि कोई सम्पत्ति का नुकसान हुआ हो तो उसकी भी क्षतिपूर्ति की जाय।

(ख) जो फायरिंग के लिये जिम्मेदार थे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय। फायरिंग पार्टी के खिलाफ जो केस दर्ज हैं उसकी जांच चालू की जाय और एक वरिष्ठ निष्पक्ष पुलिस अफसर को यह कार्य सुपुर्द किया जाय। इस अधिकारी को यह निर्देश दिया जाय कि रायफल पार्टी के सदस्य यदि बयान दें और उनमें जिस प्रकार श्री मुरादखां ने बयान दिये हैं उस प्रकार की बातें हों तो उनकी रोशनी में अपनी जांच को परिवर्तित एवं संशोधित करें। इस सम्बन्ध की आयोग की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखदी गयी है।

(गृह मंत्री)

(2) जांच की कार्यवाही फाइल से प्रकट होता है कि संघर्ष समिति के वकील श्री परिहार ने आयोग से क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करवाने के लिये राज्य सरकार को लिखने के लिये समय मांगा परन्तु राज्य सरकार को ऐसा कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ न ही किसी अन्य स्रोत से इस प्रकार का पत्र प्राप्त हुआ।

(3) राज्य सरकार ने निम्न कार्यवाही की:—

(1) मृत व्यक्ति के आश्रितों को दस हजार रुपये दिये जा चुके हैं।

(2) घायल व्यक्तियों को मुआवजा देने की कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) रायफल पार्टी के विरुद्ध पंजीकृत केस में उप महानिरीक्षक, सी. आई. डी., क्राइम ब्रान्च को आयोग की सिफारिश के अनुसार जांच करने के आदेश दिये हैं।

(आयोग की रिपोर्ट विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)।

आन्त्रशोध की बीमारी से मृत्यु

226. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर): क्या चिकित्सा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर में गत सालों आन्त्रशोध की बीमारी से काफी मनुष्य मर गये ? अगर हां, तो कितने मनुष्य किस किस गांव में कब कब मरे ? क्या यह भी सत्य है कि उपचार का समय पर उचित प्रबन्ध नहीं किये जाने के कारण इतनी मौतें हुई हैं ? अगर हां, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है ? अगर नहीं, तो इतनी मौतें किस कारण से हुईं ?

(2) तहसील सांचोर में अन्य बीमारियों से कितनी मौतें पिछले महीने में हुईं ?

(3) क्या यह भी सत्य है कि कुछ मौतें पौष्टिक अनाज न मिलने से एवं अनाज न मिलने से भूख के मारे भी हुई हैं ? अगर हां, तो कितनी व कहां कहां पर हुई हैं ? अगर नहीं, तो किन किन अन्य कारणों से ?

(4) जिला जालौर में आन्त्रशोध की बीमारी एवं अन्य बीमारियों से अब तक कितनी मौतें पिछले दो अकाल वर्षों में हुई हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें। जिले में इतनी मौतें क्यों हुईं ? क्या बीमारी के उपचार की समुचित व्यवस्था समय पर नहीं की गई थी ? अगर हां, तो क्यों नहीं ? अगर नहीं, तो फिर इतनी मौतों के अन्य क्या कारण थे ?

(5) जिले म भविष्य में मौतें नहीं हों इसके लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि पिछले दिनों कुछ मौतें तहसील सांचोर में ग्राम हसरोल व काछला में फ्लू, निमोनिया या अन्य बीमारियों से हुई हैं ? अगर हां, तो कितनी किस बीमारी से ? भविष्य में ऐसी बीमारियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

(7) मलेरिया बुखार से इस वर्ष कितनी मौतें हुई हैं ?

(चिकित्सा मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, सूची संलग्न है। रोग की सूचना प्राप्त होते ही उपचार का पूर्ण प्रबन्ध किया गया। चिकित्सा व्यवस्था में कोई कमी नहीं रखी गई थी। स्टाफ पर्याप्त मात्रा में लगाया गया था। दवाइयों की पूर्ण व्यवस्था थी।

(2) सूची संलग्न है।

(3) जी नहीं। शेष जानकारी प्रश्न के भाग (1) में संलग्न है।

(4) चाही गई सूचना प्रश्न के भाग एक की सूची म अंकित है। जालौर जिले में इलाज की पूर्ण व्यवस्था की गई थी। भ्रमणशील इकाइयां लगाई गई थीं और औषधियों की भी पूर्ण व्यवस्था थी।

(5) जालौर जिले में सरकार न इलाज करने की पूर्ण व्यवस्था कर रखी है। भ्रमणशील इकाइयां पर्याप्त मात्रा में स्थापित करदी गई हैं। औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(6) जी नहीं, ऐसी कोई सूचना सरकार को प्राप्त नहीं हुई है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता है।

(7) कोई नहीं।

जालौर

तहसील सांचौर में माह अक्टूबर, 68 से 31–7–69 तक हुई आन्त्रशोथ से मृत्युओं का विवरण

क्रम. सं.	ग्राम का नाम	रोगियों की संख्या	मृत्युओं की संख्या
1	2	3	4
1.	कारड़ा	5	2
2.	बोड़िया डूंगरी	81	27
3.	अरनाय	17	3
4.	कारावाड़ी	2	1
5.	पारावा	16	4
6.	पाड़ारड़ो	2	1
7.	रमोबर	7	5
8.	गोलासन	4	2
9.	पीतलवाना	3	1
10.	गोलिया	3	1
11.	लोनीवाड़ा	4	2

(चिकित्सा मंत्री)

1	2	3	4
12.	ग्राकोली	2	2
13.	डाया की ढाणी	2	1
14.	डावास	12	1
15.	ग्रचलपुरा	1	1
16.	पूरकी ढाणी	1	1
17.	कोजारलान	2	2
		164	57

चिकित्सा विभाग को प्राप्त हुई मृत्यु सम्बन्धी सूचनाएं जिला जालोर माह ग्रक्टूबर, 68 से 31-7-69 तक पंचायत समिति वाइज।

क. सं.	नाम पंचायत समिति	ग्रान्त्रशोथ से मृत्यु	ग्रन्य मृत्यु	योग
1.	ग्राहोर	20	6	26
2.	सियाना	5	5	10
3.	सवाला	22	11	33
4.	बड़गांव	18	2	20
5.	सांचोर	57	14	71
6.	भीनमाल	17	10	27
		139	48	187

ग्राम निम्बी जोधान का नल-कूप

227. श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम निम्बी-जोधा, तहसील लाडनूं, जिला नागौर में राजस्थान भू-जल मण्डल, जोधपुर द्वारा कोई नल-कूप बनाया गया था ? यदि हां, तो कब और उस पर कितना खर्चा हुआ तथा इसका पानी का निकास प्रति घन्टा कितना है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त नल-कूप पर अब तक कितना कितना खर्चा किस किस मद से हुआ ?

(3) उक्त नल-कूप के पानी को किस काम में लिये जाने की योजना थी और किस काम में लिया जा रहा है ?

Page No 228

(श्री हरजीराम बुरडक)

(4) उक्त नल-कूप के पानी को निकालना कब शुरू किया गया ?

(5) क्या यह भी सत्य है कि उक्त नल-कूप पर खराब इंजन लगाया गया है जो कार्य नहीं कर रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? और कब तक दूसरा इंजन लगा दिया जायेगा ?

(6) क्या यह भी सत्य है कि उक्त नल-कूप में जितना पानी का निकास बताया गया है उतना पानी भी अब तक नहीं निकाला जा सका है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां, यह सत्य है कि ग्राम निम्बी-जोधा में एक नल-कूप अकाल सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1968-69 में इस विभाग द्वारा बनाया गया था। इस नल-कूप को बनाने, पम्प आदि लगाने व निर्माण कार्य पर अब तक 64,339) 12 रुपयों का व्यय हुआ है तथा 2500 गैलन प्रति घण्टा नल-कूप के पानी का निकास है।

(2) उक्त नल-कूप पर जितना खर्चा जिस जिस पद में हुआ उसकी सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ?

(3) उक्त नल-कूप के पानी को अकाल के समय पीने के पानी के काम में लिए जाने की योजना थी व उसी काम में लिया गया।

(4) उक्त नल-कूप से पानी अगस्त, 1969 से निकालना शुरू किया गया।

(5) जी नहीं। यह सत्य नहीं है कि उस पर खराब इन्जन लगाया गया। जेनेरेटिंग सेट के साथ जो इन्जन था उसमें कुछ त्रुटि रहने के कारण उसने ठीक काम नहीं किया व उसको बाद में ठीक कर दिया गया।

(6) उक्त नल-कूप में जितना पानी का निकास बताया गया था उतना ही निकाला गया है।

Statement regarding Nimbi Jodhan Tubewell (District Nagour)

1.	Expenditure for Construction of Tubewell	Rs. 16338.00
2.	Discharge	2500 gallons per hour.
3.	Actual Expenditure for only installation of pump.	Rs. 7451.56
4.	Expenditure for construction of Civil Works	Rs. 13325.92 (Only running bill paid rest of the amount is yet to be paid)
5.	Cost of pump with cable	Rs. 6208.04
6.	Cost of Generating set.	Rs. 21115.00

अलवर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक के मैनेजर के विरुद्ध कार्यवाही

228. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक के मैनेजर के कुछ फर्जी टी. ए. बिल ऑडिट द्वारा पकडे गये हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त मैनेजर की योग्यता सहकारिता विभाग व बोर्ड द्वारा अपनाये गये नियमों के अनुसार नहीं है ?

(3) क्या यह भी सही है कि इसी मैनेजर द्वारा दो बार डबल लॉक की चाबियां खोई जा चुकी हैं ?

(4) क्या यह भी सही है कि इस बैंक की ऑडिट रिपोर्ट में भी काफी गंभीर अनियमिततायें बताई गई हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि दी सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक, अलवर की बिल्डिंग के निर्माण में भी काफी गडबडियां बताई गई हैं ? क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की है और नहीं की, तो क्यों नहीं की ?

उत्तर

(1) जी हां। कान्करेन्ट ऑडिटर द्वारा मैनेजर के कुछ टी. ए. बिलों को फर्जी बताया है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। मैनेजर कार्यालय से दो बार डबल लॉक की चाबी खोई गई।

(4) जी हां।

(5) जी हां। निर्माण कार्य की तकनीकी एवं मूल्यांकन की जांच भवन एवं पथ विभाग के अभियन्ता से करवायी जा रही है।

रपटों की मरम्मत

229. श्री गोरधन सोनी (मेडता): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मेडता सिटी से पादू तक डामर रोड बना हुआ है ? यदि हां, तो यह किस साल डामर रोड बना ?

(2) क्या यह सही है कि इसे डामर रोड बनाते समय कई जगह रपट बांधने के लिये कच्ची सडक ही छोड दी गई ? यदि हां, तो ऐसी कितनी रपटें बांधना जरूरी हैं ?

(3) क्या यह सही है कि इन रपटों के नहीं बांधने से यातायात में काफी दिक्कत रहती है एवं वाहनों में टूट-फूट अधिक होती है ?

(4) क्या यह सही है कि लांपोलाई से बाहर निकलने एवं पादू से बाहर निकलने के लिये पूरी वर्षा ऋतु में अधिकतर सडक पर पानी भरा रहता है जिसके कारण कभी कभी यातायात भी ठप्प हो जाता है ?

(5) क्या यह सही है कि मेडता शहर की सडकों में सबसे अधिक यातायात इसी सडक पर है ?

(6) क्या सरकार इस सडक पर इन रपटों का कार्य शीघ्र आरम्भ कराना चाहती है ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां। यह डामर रोड 1965-66 में बनी थी।

(2) जी हां। 6 स्थानों पर क्रॉस ड्रेनेज बनाने को जगह छोड़ी गई है।

(3) अधिक वर्षा में यातायात को कठिनाई होती है। वाहनों के टूटफूट की जानकारी इस विभाग को नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

(6) अर्थाभाव के कारण अभी कोई योजना नहीं है।

राजस्थान क्रय-विक्रय संघ

230. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान क्रय-विक्रय संघ के अध्यक्ष कौन हैं और कब से हैं ?

(2) सदस्यों आदि के ऋण के अलावा राज्य सरकार हिस्सा पूंजी के रूप में कितने लाख रुपये खर्च कर चुकी है ?

(3) क्रय-विक्रय संघ को कोई लाभ हुआ या नहीं ? यदि हुआ, तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. के अध्यक्ष श्री मोतीलाल चौधरी दिनांक 12-12-60 से हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा संघ की हिस्सा पूंजी में 56,30,000 नियोजित किया गया है।

(3) गत वर्षों में संघ के हानि-लाभ की स्थिति इस प्रकार है :—

वर्ष	लाभ	हानि
1957-58	194.49	
58-59	50472.55	
59-60	26299.37	
60-61	--	78637.58
61-62	--	32281.73
62-63	20333.45	
63-64	128195.70	
64-65	--	16944.45
65-66	452.46	
66-67	25653.68	
67-68	20340.00	
68-69	20470.40	
69-70	संतुलन चित्र तैयार किया जा रहा है।	

सडकों की मरम्मत

231. श्री श्रवण लाल (हिन्डौन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि महुआ से करौली व हिण्डौन से भरतपुर तथा फजीकापुरा से कोटरी सडक की हालत खराब हो चुकी है ?

(2) क्या यह भी सच है कि इस सडक पर सरकार की ओर से कोई देखभाल नहीं की जाती है ?

(श्री श्रवणलाल)

(3) सरकार इन सडकों को बनाने में क्यों ढिलाई कर रही है और आगे सरकार क्या विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सडकों के कुछ भागों की दशा अच्छी नहीं है ।

(2) जी नहीं ।

(3) महुवा से हिन्डौन रोड के तथा कैलीका पूरा से कोटरी सडकों के लिये आलोच्य वित्तिय वर्ष में क्रमशः 1 लाख व 50 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है । हिन्डौन ब्याना रोड का मामला विचाराधीन है । उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत की योजना है ।

अस्पताल भरतपुर को एम्बूलेन्स

232. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जनरल अस्पताल, भरतपुर में पिछले बहुत समय से एम्बुलेन्स नहीं है तथा आक्सीजन का भी वहां अभाव रहता है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ऐसी स्थिति है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त अभाव के कारण गंभीर रूप से बीमार मरीजों को लाने की कोई भी व्यवस्था अस्पताल में नहीं है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस कठिनाई को दूर करने के क्या कदम उठाये हुए हैं ?

उत्तर

(1) एम्बूलेन्स करीब दो साल 6 महीने से उपलब्ध नहीं है । किन्तु आक्सीजन हर समय उपलब्ध रहती है ।

(2) जी हां; योजना मद में आर्थिक सुविधा अनुसार नई एम्बूलेन्स उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है । किन्तु आर्थिक परिस्थितियों के कारण अभी तक खरीदना सम्भव नहीं हो पाया है ।

भूमि विकास बैंक, लाडपुरा

233. श्री बृजबल्लभ बोहरा (दीगोद): क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) भूमि विकास बैंक द्वारा लाडपुरा-दीगोद सन् 1966 से सन् 70 तक किन किन आदमियों को किस किस कार्य हेतु कितना कितना कर्जा दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) किन किन लोगों द्वारा इस रकम का सही उपयोग नहीं किया गया ? सूची देने का कष्ट करें । और किन आदमियों ने बिना स्वीकृति भूमि विकास बैंक यह चीजें बाजार में बेच दी हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(3) क्या यह सही है कि जिन लोगों ने भूमि विकास द्वारा खरीदा हुआ सामान बेच दिया है उनके खिलाफ एक मुश्त वसूली की कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब से ?

उत्तर

(1) कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा लाडपुरा, दीगोद तहसील में सन् 1966

(सहकारी मंत्री)
से सन् 1970 तक क्रमशः 316 व 200 व्यक्तियों को विभिन्न कार्य हेतु जो कर्जा दिया गया है उसकी सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(2) जिन सदस्यों द्वारा रकम का सही उपभोग नहीं किया गया है। सूची परिशिष्ट "ब" संलग्न है। किसी व्यक्ति ने बिना भूमि विकास बैंक की स्वीकृति कोई चीज बेची है। ऐसी जानकारी बैंक को नहीं है।

(3) प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहकारी संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त सरकारी अधिकारी

234. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान की कितनी सहकारी संस्थाओं में सरकारी अधिकारी प्रति नियुक्ति पर दिये हुये हैं और उन संस्थाओं में उस केडर के कितने कितने स्थान हैं? सूची ब्योरेवार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने यह नीति निर्धारित की थी कि सहकारी संस्थाओं में प्रति नियुक्तियों के स्थान पर उनके स्वयं के कर्मचारी रहने चाहिये? यदि हां, तो यह नीति कब निर्धारित की गई और तब से अब तक इस ओर क्या प्रगति हुई?

उत्तर

(1) राजस्थान की 52 सहकारी संस्थाओं में सरकारी अधिकारी प्रति नियुक्ति पर दिये हुये हैं। संस्थाओं में उस केडर के कितने कितने स्थान हैं इसकी जानकारी नहीं है।

(2) जी नहीं।

बी. एच. सी. पाउडर का वितरण

235. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1966-67 में बी. एच. सी. पाउडर पंचायत पलखडी, अकबरपुर, माधोगढ और बख्तपुरा जो कि पंचायत समिति उमरेण, जिला अलवर के अन्तर्गत आती है को 200 कट्टे किसानों को फ्री बांटने के लिये दिया गया था?

(2) क्या यह सही है कि इस पाउडर को बांटने की जुम्मेवारी इन ग्राम पंचायत के ग्राम सेवकों पर थी? यदि हां, तो उस समय वहां पर कौन कौन ग्राम सेवक कार्य करते थे?

(3) क्या यह पाउडर वास्तव में किसानों को बांटा गया? यदि हां, तो कितने कट्टे? क्या इनमें से कुछ कट्टे बचे थे? यदि हां, तो उनका क्या उपयोग किया गया?

(4) क्या राज्य सरकार ने वास्तविक वितरण के संबंध में किसानों से जिन्हें यह पाउडर दिखलाया गया है जांच की है? क्या यह सही है कि उक्त ग्राम सेवकों ने यह पाउडर किसानों में न बांटकर उसका ब्लैक किया है और किसानों के फर्जी नाम और दस्तखत अंगूठे कराये हैं?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

(4) प्रश्न ही नहीं उठता।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 210 की सूची)

क्र. सं.	बल्ब	ट्यूब-लाइट
1.	3	3
2.	1	1
3.	2	4
4.	4	3
5.	1	2
6.	1	3
7.	1	1
8.	2	2
9.	3	[illegible]
10.	–	1
15.	1	1
16.	–	2
17.	–	3
18.	–	1

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 215 की सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN

MEDICAL & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

No. F. 1 (1) (15) *MPB*/57. *Dt. the* 30*th July*, 70.

To,

The Director of Medical &
Health Services, Rajasthan.,
Jaipur.

Sub:—Donation for the construction of a Dispensary building at Rani District, Pali.

Ref:—Your letter No. YO/Don/230/331/70, dated 25-2-70.

Sir,

In supersession of this Deptt. letter of even number 24-4-68, I am directed to convey sanction of the Governor to acceptance of offer of donation of Rs. 1,12,450/- (One lakh Twelve thousand four hundred fifty only) for construction of a Building for dispensary at Rani Distt. Pali along with staff quarters by Sarvashri Amar Chand Pukhraj Hingar on the following conditions:—

(1) That the donor will deposit Rs. 1,02,450/- in two instalments. The first instalment of Rs. 40,000/- shall be deposited immediately and the remaining second instalment of Rs. 63,450/— as soon as the construction work is taken in hand.

(2) That the building will be got constructed through the PWD (B&R) on behalf of the donor according to the plan approved by the SMHS. and no charges for preparation of estimates and plan and supervision would be covered under the provisions of the P. W. D. Order No. F. 1. (189) PW/59, dated 11-7-64.

(3) The donor will bear the cost of land and expenditure on construction of the boundary wall amounting to Rs. 10,000/-

(4) The building will be named as "Shri Hingarh Dispensary" and will be handed over to the Govt. for ever on its completion.

(5) The surplus money shall be utilised for furnishing and for meeting the running expenses for of the dispensary etc., for one year.

Yours faithfully,
Sd/-
Section Officer.

Copy forwarded to the:—

1. Collector Pali.
2. Chief Engineer, B. and R. P.W.D. Jaipur.
3. Distt. Medical & Health officer, Pali.
4. Shri Pokhraj Hingarh, C/o M/s. Kishramull Kundandamull, 46 Strand Road, Calcutta-7.

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 218 की सूची)

क्षय निवारण केन्द्र बूंदी का सालाना व्यय निम्नलिखित मदों में किया जाता है :—

1.	अधिकारियों का वेतन	10,000.00
2.	अराजपत्रित कर्मचारियों का वेतन	30,000.00
3.	भत्ते एवं मानदेय	
	मंहगाई	25,000.00
	यात्रा भत्ता	4,000.00
	चिकित्सा व्यय	1,000.00
	अन्य भत्ते	300.00
4.	अन्य प्रभार:—	
	वर्दियां	800.00
	भेषज एवं दवाइयां	5,000.00
	कपड़े एवं बिस्तर	500.00
	अन्य मद	3,000.00
	डाक तार एवं टलीफोन	500.00
	प्रकाश एवं जल	2,000.00
	फर्नीचर	2,000.00
	गाड़ियों के संधारण एवं परिचालन	3,000.00
	मकान किराया	5,000.00
	औजार एवं उपकरण	2,000.00
	एक्सरे फिल्म एवं असेसरीज	1,000.00
	परचज ऑफ टाइप राइटर	1,000.00
		96,100.00

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 231 की सूची)

मेड़ता सिटी अस्पताल में वर्ष 1960 से वर्ष 1969 तक इलाज किये गये रोगियों की सूची:-

वर्ष	इलाज किये गये रोगी इन्डोर	इलाज किये गये रोगी आउटडोर	दैनिक औसत इन्डोर	दैनिक औसत आउटडोर
1960	100	41,901	4	241
1961	106	42,381	4	240
1962	109	40,899	4	229
1963	113	41,540	4	242
1964	186	52,247	5	291
1965	295	43,917	8	231
1966	250	43,017	8	225
1967	283	42,179	9	222
1968	251	38,323	6	209
1969	210	42,105	5	227

मेडता सिटी अस्पताल के लिये दवाइयों की स्वीकृत धन राशि का वार्षिक ब्योरा :—

सन्	रकम
1960	6530
1961	7225
1962	6400
1963	6780
1964	6210
1965	6300
1966	5274
1967	8810
1968	5767
1969	8534
1970	5997 (अक्टूबर)

परिशिष्ट 9

(अतारांकित प्रश्न संख्या 222 की सूची)

पद 1	आउट-पुट 2	कर्तव्य एवं दायित्व 3	वेतन 4
1. सेक्शन आफिसर सचिवालय	व्यक्ति विशेष तथा विभाग के कार्यभार पर निर्भर है। इसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियंत्रण, विभाग में प्राप्त होने वाली डाक का वितरण एवं उसके निपटारे के लिये देख रेख, विभाग में निपुणता एवं दक्षता से कार्य का संचालन ताकि नियोजित कर्मचारी पूर्ण रूप से कार्यरत रहे और अपना काम समय पर पूरा करे। प्रत्येक कर्मचारी के कार्य का मूल्यांकन एवं निरीक्षण जिससे कि किसी कर्मचारी का काम पिछडा न रहे। प्रत्येक कर्मचारी के संबंध में प्रति मास मूल्यांकन की रिपोर्ट तैयार करना तथा उसका उच्च अधिकारियों द्वारा अनुमोदन। कर्मचारियों का कठिन मामलों में मार्गदर्शन। विभाग का तिमाही पूर्णरूपेण निरीक्षण कर रिपोर्ट व्यवस्था एवं पद्धति विभाग को प्रस्तुत करना। साथ ही विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना। विभाग द्वारा जारी किये जाने वाली स्वीकृति एवं पत्रावि पर हस्ताक्षर करना जिसके लिये स्थाई आदेश में वह सक्षम है।	275-20-375-25-650
2. आशुलिपिक सचिवालय	कार्यालय में कार्य पर निर्भर है। इसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	जिस अधिकारी के पास नियोजित है उसके द्वारा दिये हुए डिक्टेशन को भली प्रकार मुद्रित करना। कार्यालय से अधिकारी के पास, प्राप्त हुए ड्राफ्ट मुद्रित करना एवं हस्ताक्षर कराकर विभाग में लौटाना। अधिकारी के पास प्राप्त होने वाले पत्र एवं पत्रावली का लेखा रखना जिससे कि आवागमन का अभिलेख रहे। अधिकारी के पास	(1) 225-15-345-20-525 (2) 170-10-210-15-390

1	2	3	4
		रहने वाली नियम आदि की पुस्तकों को संशोधनों से पूर्ण रखना। कार्यालय में अन्य मन्त्रालय कर्मचारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना। प्रतिमास निपटाई गई पत्रावली का विवरण तैयार करना एवं पेंडिंग मामलों की सूचना संबंधित विभागों को भेजना। अधिकारी की हर प्रकार से कार्य संचालन में सहायता करना एवं प्रत्येक मामले में गोपनीयता का ध्यान रखना।	
3. कार्यालय अधीक्षक	व्यक्ति विशेष पर तथा विभाग के कार्यभार पर निर्भर है। जिसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	अधीनस्थ कर्मचारियों पर नियन्त्रण रखना और उनका मार्गदर्शन। प्रतिदिन की डाक का वितरण। रजिस्टर, पत्रावलियों का व्यवस्थित रूप से रखवाना। प्रतिवेदनों का समय पर भिजवाना। आवश्यक पत्रादि का नोट रखना और उनके निरवर्तन की कार्यवाही समय पर करवाना।	(1) 225-15-345-20-525 (2) 180-10-220-15-385-20-425।
4. आशुलिपिक अधीनस्थ कार्यालय	कार्यालय में कार्य पर निर्भर है जिसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	प्रत्येक शीघ्रलिपिक जिस अधिकारी के पास नियोजित है उसके द्वारा दिये हुए डिक्टेशन को भली प्रकार मुद्रित करता है। अधिकारी द्वारा कार्यालय से संबंधित अन्य कार्य जो सौंपे जावें सम्पन्न करता है।	(1) 180-10-220-15-385-20-425। (2) 160-8-200-10-240-15-360।
5. लेखाकार	व्यक्ति विशेष एवं विभाग के कार्यभार पर निर्भर है जिसका तुलनात्मक विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।	विभाग के लेखा संबंधी कार्य का संचालन एवं व्यवस्था करना। समय समय पर आय-व्ययक बनाना तथा विभागीय खर्च पर नियन्त्रण रखना। विभाग में खरीददारी एवं अन्य लेखा संबंधी मामलों में निर्धारित प्रणाली एवं नियमों का अनुपालन करवाना। लेखा आपत्तियों तथा अन्य लेखा संबंधी कार्य करना।	200-15-350-20-450।

परिशिष्ट 10

(अतारांकित प्रश्न संख्या 223 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

निगमों के नाम 1	अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम 2	
1. राजस्थान राज्य होटल निगम	1. श्री गोवर्धन सिंह मेहता	अध्यक्ष
	2. श्री शाह कस्तूरमल, जयपुर	सदस्य
	3. श्री डी. के. सक्सेना, सचिव उद्योग	"
	4. श्री पी. के. बी. कुरूप, वि. सचिव वित्त	"
	5. श्री के. एन. शर्मा, जयपुर	"
	6. श्री यतीन्द्र सिंह, उप शासन सचिव, सामान्य प्रशासन	"
	7. श्री वी. एन. काक, प्रबन्ध संचालक	"
2. राज. राज्य कृषि उद्योग निगम	1. श्री चन्दन मल वैद	अध्यक्ष
	2. श्री मोहन मुकर्जी	सदस्य
	3. श्री सत्य प्रसन्न सिंह भण्डारी	"
	4. श्री डी. के. सक्सेना	"
	5. श्री एम. पी. सारथी	"
	6. श्री के. एम. मेहता	"
	7. श्री रघुवीर सिंह	"
	8. श्री राम नाथ	"
	9. श्री जे. के. जैन (भारत सरकार)	"
	10. श्री जे. सी. वर्मा "	"
	11. श्री एल. एल. रे "	"
3. राजस्थान लघु उद्योग निगम	1. श्री भीम सेन, उप मंत्री, उद्योग	अध्यक्ष
	2. श्री जे. एम. एल. ताम्बी, जयपुर	संचालक
	3. श्री डी. के. सक्सेना, उद्योग सचिव	"
	4. श्री डी. आर. मेहता, उप सचिव उद्योग	"
	5. श्री अजीतसिंह मेहता, उप सचिव वित्त	"
	6. श्री वी. आई. राजागोपाल, निदेशक, उद्योग	"
	7. श्री एम. एल. गोयल, प्रबंध संचालक	"
	8. श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चूण्डावत	
	9. श्री के. एल. जैन	
	10. श्री जगमोहनदास मूंदडा	
	11. श्री अजय कुमार जैन	
	12. श्री सरदार प्यारा सिंह	

1	2	
4. राजस्थान वित्त निगम	1. श्री कमल नयन बजाज	अध्यक्ष
	2. श्री दिनेश किशोर सक्सेना	संचालक
	3. श्री जगमोहन सिंह	"
	4. श्री फिलीप थोमस	"
	5. श्री टी. एम. सेन	"
	6. श्री हरीश चन्द्र गोलेछा	"
	7. श्री रामनाथ पोद्दार	"
	8. श्री अलोक प्रकाश जैन	"
	9. श्री जी. एस. अग्रवाल	"
	10. श्री जसवन्त सिंह सिंघवी	प्रबन्ध संचालक
5. राज. राज्य इन्डस्ट्रियल एण्ड मिनरल डवलपमेन्ट निगम	1. श्री भगवत सिंह महता	अध्यक्ष
	2. श्री मोहन मुकर्जी	संचालक
	3. श्री दिनेश किशोर सक्सेना	"
	4. श्री एम. एल. सेठी	"
	5. श्री वी. आई. राजागोपाल	"
	6. श्री अलोक प्रसाद जैन	"
	7. श्री पी. एम. लोकनाथन	"
	8. श्री पदमपत सिंघानिया	"
	9. श्री जी. डी. सोमानी	"
6. राज. राज्य पथ परिवहन निगम	1. श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा	अध्यक्ष
	2. श्री एस. एल. खुराना	सदस्य
	3. श्री मोहन मुकर्जी	"
	4. श्री गोविन्द जी मिश्रा	"
	5. श्री रघुनाथ दास बांगड	"
	6. श्री हजारी लाल शर्मा	"
	7. श्री महेन्द्र सिंह बनेडा	"
	8. श्री ए. एल. संचेती	"
	9. श्री रघुवीर सिंह	"
7. राज. स्टेट वेयर हाउसिंग निगम	1. श्री आनन्द मोहन लाल, वि. सचिव, कृषि	अध्यक्ष
	2. श्री रामसिंह, सचिव, राज. फार्मर्स फोरम	संचालक
	3. श्री प्रकाश मल चतुर	"
	4. रीजनल मैनेजर, खाद्य निगम	"
	5. प्रधान विकास अधिकारी	"
	6. उप प्रधान अधिकारी, कृषि (रिजर्व बैंक आफ इण्डिया)	"
	7. श्री सी. पी. सहगल, प्रबन्ध संचालक स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	"
	8. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर	"
	9. निदेशक, कृषि विभाग, जयपुर	"
	10. उप शासन सचिव (वित्त-1)	"

परिशिष्ट - 11

(अतारांकित प्रश्न संख्या 224 की सूची)

सूची—(क)

भारत पाक युद्ध के दौरान राजस्थान मुख्य मंत्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष/ रक्षा कोष में प्राप्त राशि ।

क्रम सं.	नाम जिला	धनराशि
1.	नागौर	4,43,581.24
2.	टोंक	1,19,362.13
3.	जोधपुर	5,29,894.25
4.	डूंगरपुर	1,79,247.71
5.	जयपुर	11,10,581.24
6.	चूरू	43,788.19
7.	गंगानगर	11,40,110.01
8.	भरतपुर	7,94,743.82
9.	झुन्झुनू	2,17,718.40
10.	झालावाड	1,58,349.00
11.	अजमेर	6,78,657.54
12.	चित्तौडगढ	2,73,072.48
13.	जैसलमेर	47,569.31
14.	जालोर	3,17,170.16
15.	सिरोही	1,38,452.99
16.	बांसवाडा	1,63,441.32
17.	बूंदी	69,310.46
18.	सवाई माधोपुर	67,180.37
19.	भीलवाडा	4,39,552.88
20.	बीकानेर	4,00,667.76
21.	पाली	1,91,872.70
22.	अलवर	1,17,413.25
23.	उदयपुर	10,26,638.55
24.	कोटा	10,39,528.84
25.	सीकर	44,776.77
26.	बाडमेर	40,398.42
	कुल	97,93,079.79

सूची–(ख)

भारत पाक युद्ध के दौरान राजस्थान मुख्य मंत्री सुरक्षा सेवा कल्याण कोष/रक्षा कोष में बिना छपी रसीद के प्राप्त धनराशि का विवरण।

क्रम सं.	नाम जिला	धनराशि	
1.	नागौर	3,086–00	नगर पालिका लाडनूं द्वारा
2.	जालोर	1,609–00	विकास अधिकारी आहोर एवं श्री रघुनाथ विश्नोई सांचोर द्वारा एकत्रित
3.	बाडमेर	4,269–50	पंचायत समिति चौहटन, शिव द्वारा एकत्रित।
	योग	8,964–50	

परिशिष्ट 12

(अतारांकित प्रश्न संख्या 126 की सूची)

मत्स्य बीज पालन केन्द्र की सूची

क्र. सं.	केन्द्रों का नाम	मत्स्य बीज पालन की संख्या/नर्सरी पोंड्स का नं०	छोटे तालाबों (नर्सरी पोण्ड्स नर्सरी पोंड्स का क्षेत्र (एकड़)
1.	जयसमन्द/अलवर	8	2
2.	सिलीसेढ़/अलवर	16	4
3.	बरेठा/भरतपुर	11	8
4.	सेवल/जयपुर	8	2
5.	कानोता/जयपुर	14	3–5
6.	गम्भीरी/चित्तौड़	13	3–8
7.	मोरेल/सवाईमाधोपुर	5	1–5
8.	फतेहसागर/उदयपुर	12	3
9.	माउन्ट आबू/सिरोही	2	1–2
10.	/बूंदी	5	1–2
11.	आमेर/जयपुर	2	1–2
12.	रामप्रताप सागर/कोटा	6	1–6
13.	रामगढ़/जयपुर	15	3–6
14.	बोरखण्डी/टोंक	5	1–2
15.	कैथून/कोटा	10	2–5
16.	जवाई/सिरोही	3	2
17.	दूध तलाई/उदयपुर	8	2–5
18.	सरेर/भीलवाड़ा	12	3
19.	रंगबाड़ी/कोटा	4	1–0
20.	मुई/सवाई माधोपुर	5	1–1
21.	हनुमान गढ़/हनुमान गढ़	6	1–6

आय तालिका

सन्	आय लाखों में
1965–66	7–25
1966–67	13–00
1967–68	10–38
1968–69	9–41
1969–70	10–00

परिशिष्ट 13

(अतारांकित प्रश्न संख्या 237 की सूची)

तालिका (क)

क्र. सं. 1	मुकदमा नं. व वर्ष 2	धारा 3	नाम मुलजिमान 4	नतीजा तफ़तीश 5
1.	11/67	302 आई. पी. सी.	1. पदमसिंह	चालान किये गये।
			2. धमी	
2.	26/67	,,	1. नन्वूवर	,,
3.	124/68	302/आई.पी.सी.	1.	सी. आई. डी., जयपुर में जेर तफतीश है। कैमिकल एक्जामिनर की रिपोर्ट का इन्तजार है।
4.	14/69	391/34 आई. पी. सी.	1. रामकिशन	
			2. धाबाई	
			3. हरेकृष्ण	चालान किये गय।
			3. तहीराम	
			,, चम्पानारायण	
5.	69/69	302/309 आई. पी. सी.	निल	अदम व कुआ में एफ़. आई. आर. दी गई।
6.	10/70	302 आई. पी. सी	1. विजेन्द्र	
			2. महेन्द्र	
			3. मिरं लाल	चालान किये गये।
			4. वीर रघुवीर	
			5. यमुदोर	
7.	65/70	302/307 आई. पी. सी.	1. मन्मोहनी	1. चालान किये गये।
			2. गणेशी	
			3. कालआ	

			4. दुर्गा	
			5. रामदयाल	
			6. हुकमा	
			7. अर्जुन	
			8. सुमेरा	
			9. चोखा	
			10. आसा	चालान किये गये।
			11. सलगा	
			12. हन्सा	
			13. मंगला	
			14. परसाराम	
			15. अगना	
			16. कमल	
			17. कपासी	
8.	12/70	302 आई. पी. सी.	..	मुकदमा अदम पता रद्द
9.	52/70	301/309 आ. पी. सी.	1. मुन्शो	मुलजिम द्वारा कुए में कूद कर आत्म हत्या करने से एफ. आई. आ.र. दी. गई।
10.	19/70	302/203 आई. पी. सी.		आत्म हत्या करना पाया गया एफ. आई. आ.र. दी गई।

तालिका (ख)

क्र. सं. 1	मुकदमा नं. व वर्ष 2	धारा 3	नाम मुलजिमान 4	नतीजा तफ़तीश 5
1.	11/67	302 आई. पी. सी.	1. बदन सिंह 2. धर्मा	चालान किये गये
2.	26/67	,,	1. मन्धूवर	
3.	14/69	301/34 आ. पी. सी.	2. बाघाई	

1	2	3	4	5
			3. हरकृष्ण	,,
			4. तहीराम	,,
			5. चम्पानारस	
4.	10/70	302 आई. पी. सी.	1. विजेन्द्र	
			2. महेन्द्र	
			3. मिठ्ठनलाल	
			4. वीर रघुवीर	
			5. यदुवीर	
5.	65/70	301/307 आई. पी. सी.	1. मन्मोहनी	
			2. गणेशी	
			3. कालुम्र:	
			4. दुर्गा	
			5. रामदयाल	
			6 हुकमा	
			7. अर्जन	
			8. सुमेरा	
			9. चोखा	
			10. आस:	
			11. सलगी	
			12. हंसा	
			13 परसरा	
			1 अगना	
			15 कमल	
			16. अमासी	
			17. मंगला	

परिशिष्ट 14

(अतारांकित प्रश्न संख्या 240 की सूची)

श्याम सुन्दर एण्ड कम्पनी, हनुमानगढ़ के सदस्यों की सूची

1. श्री घनश्यम दास
2. श्री श्याम सुन्दर
3. श्री बृज प्रकाश
4. श्री जय प्रकाश
5. श्री ओम प्रकाश
6. श्री मोहन लाल
7. श्री चिमन लाल
8. श्री घनश्याम दास
9. श्री सूर्य कान्त
10. श्री रवीन्द्र दास
11. श्री किसन प्रसाद
12. श्री प्रेम प्रकाश।

परिशिष्ट 15

(अतारांकित प्रश्न संख्या 143 की सूची)

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में वर्ष 1969–70 में एक साला आवंटन भूमि का उपनिवेशन तहसीलवार विवरण:—

क्रम संख्या	नाम उपनिवेशन तहसील	अस्थाई आवंटन भूमि बीघों में
1.	रायसिंहनगर	15.324
2.	नूपगढ़	15.653
3.	विजयनगर	16.599
4.	सूरतगढ़ नं. 1	16.400
5.	सूरतगढ़ नं. 2	22.601
6.	सूरतगढ़ नं. 3	11.724
7.	महाजन	44 268
8.	छतरगढ़ नं. 1	48.939
9.	छतरगढ़ नं. 2	29.931
10.	हनुमानगढ़	—
11.	नोरंगदेसर	—
12.	रावतसर	—
	योग जिला गंगानगर	2,21,401
13.	पूगल	7,240
14.	लूनकरणसर	1,726
15	बीकानेर	33,768
	योग जिला बीकानेर	41,034
	सम्पूर्ण योग :-	2,62,435

राजस्थान नहर योजना क्षेत्र में वर्ष 1970–71 के लिये अस्थाई भूमि आवंटन की मास अक्टूबर 1970 तक की प्रगति तहसीलवार।

क्रम संख्या	नाम उपनिवेशन तहसील	आवंटन क्षेत्रफल बीघों में
1.	अनूपगढ़	14,308
2.	श्री विजयनगर	21,468
3.	रायसिंहनगर	32.3 8
4.	सूरतगढ़ नं. 1	27,933
5.	सूरतगढ़ नं. 2	26,156
6.	सूरतगढ़ नं. 3	24,977
7.	हनुमानगढ़	4,769
8.	नोहर-भादरा	6,290
9.	रावतसर	13,965
10.	छतरगढ़ नं. 1	19,325
11.	छतरगढ़ नं. 2	13,123
12.	पडसाना	12,261
13.	पूगल	6,671
14.	लूणकरनसर	10.208
15.	बीकानेर	16,123
	योग	2,50.045

1–माह अक्टूबर तक उपरोक्त 15 तहसीलों को आवंटित की प्रगति ।	2,50,045 बीघा
2–राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थगन आदेशों से प्रभावित भूमि को गत वर्ष आवंटित की गई थी और इस वर्ष भी कब्जा चल रहा है।	32,000 "
3–अन्य दीवानी अदालतों के स्थगन आदेशों से प्रभावित भूमि।	926 "
4–गत वर्ष 3 अथवा पांच वर्ष हेतु आवंटित भूमि	42,000 "
5–नाली क्षेत्र	3,000 "
6–घग्घर डिप्रेशन्स का रकबा	1,000 "
	3,28,971

सूची जिला गंगानगर के गंग नहर व भाखरा क्षेत्र में हुई भूमि आवंटन वर्ष 1966–67 एवं 1970–71

क्रम संख्या	नाम तहसील	वर्ष 69–70 व्यक्तियों की सं.	भूमि एकड़ में	वर्ष 70–71 व्यक्तियों की सं.	भूमि एकड़ में
1.	गंगानगर	402	115	422	1195
2.	करनपुर	1092	7554	1602	7072
3.	पदमपुर	1120	5347	1038	5143
4.	रायसिंहनगर	4873	81504	4816	81015
5.	अनूपगढ़	5599	5096	495	4536
6.	हनुमानगढ़	724	4517	705	4 [illegible] 4
7.	सूरतगढ़	97	380	103	418
8.	सादूलशहर	132	175	126	374
9.	संगरिया	788	169	76	11
10.	टिब्बी	252	441	127	300
11.	नोहर	879	9053	973	11581
12.	भादरा	921	3830	26	360
		19129	119313	10581	117190

परिशिष्ट 16

(अतारांकित प्रश्न संख्या 244 की सूची)

सूची विधान सभा प्रश्न संख्या 67/अ. ता. द्वारा श्री हंसराज आर्य विधायक

क्र.सं.	नाम तहसील	व्यक्तियों की संख्या	तादाद भूमि एकड़ों में
	खारिज शुदा भूमि		
1.	हनुमानगढ़	68	754
2.	शादूल शहर	1	25
3.	सूरतगढ़	30	151
4.	नोहर	4	17
5.	भादरा	14	128
		117	1075

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 19 नवम्बर, 1970)

स्कम्भ संख्या	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
1	2	3	4
1	अन्तिम से 1	ा	लिया
2	,, 7	काय	कार्य
5	,, 2	फाइनेशियल	फाइनेन्शियल
6	,, 10	इन्स्ट्रुमेण्ट्स	इन्स्ट्रूमेण्ट्स
7	,, 17	वकशॉप	वर्कशाप
10	,, 11	स	सब
17	,, 6	हारालाल	हीरालाल
20	9	व इन्च	व 4 इन्च
25	21	की	--
27	19	घदि्	यदि
35	7	--	वर्ष के बजट में इसका
45	अन्तिम से 4	ेश करें	पेश न करें
46	2	पा	पाकि-
46	13	काई	कोई
47	1	सरका	सरकार
53-54	शीर्षक	अत रांकित	अतारांकित
57	अन्तिम से 8	सहायत	सहायता
81	,, 1	गगोर	गूगोर
82	1	सरका	सरकार
82	अन्तिम से 11	सावजनिक	सार्वजनिक
86	,, 1	खा	रखा
92	9	19 9	1969
98	अन्तिम से 8	का	की
99	,, 3	ज्याद	ज्यादा
101	,, 7	शोरगुज	शोरगुल
102	13	कटौती	स्थगन
103	10	दूसर	दूसरे
103	11	लोग	लोगों का
104	8	मंगाना	मंगानी
105	3	ह	यह
105	अन्तिम से 6	रखे हुए	रखी हुई है
108	3	आना	आनी
108	17	होना	होनी

1	2	3	4
108	17	उसके	की उसके
109	1	सदस्य	सदस्य
109	12	होना	होनी
110	अन्तिम से 3	मालूल	मालूम
115	,, 4	कि	की
119	1	का	की
119	25	दा	दी
120	5	उनक	उनके
120	12	कानूना	कानूनी
121	9	कि	कि
123	अन्तिम से 8	(भरतपुर	(भरतपुर)
125	9	श्रा	श्री
127	21	म	में
127	शीर्षक	190	1970
138	अन्तिम से 13	श्री	श्री
145	5	प्रभाम	प्रभाव
145	अन्तिम से 2	स स्य	सदस्य
149-150	शीर्षक	अध्यक्षीय]	अध्यक्षीय
150	10	सम्भावनी	सम्भावना
152	अन्तिम से 4	पर्चा	चर्चा
154	,, 3	गत	गलत
163-164	शीर्षक	नवम्बर	19 नवम्बर
164	7	र	रख
164	11	भेरे ह	भैरोंसिह
165	अन्तिम से 8	सताशचन्द्र	सतीशचन्द्र
169	9	जानकारा	जानकारी
243	अन्तिम से 1	बदी	बन्दी
244	,, 12	क	के
248	अन्तिम से 6	छाड	छोड़
255	6	dedate	debate
,,	8	any any	any
,,	9	Protacted	Protracted
,,	10	f x	fix
256	15	Csesation	Cessation
274	अन्तिम से 2	रामचन्द्र आर्य	श्री राम चन्द्र आर्य
296	4	प्रतष्ठा	प्रतिष्ठा
297	18	इतना आपका कॉन्स्टीट्यूशन	इतना कान्स्टीट्यूशन
300	16	स्टेटयटरी	स्टेट्यूटरी
301	5	Con ider the quesion	Consider the question
334	3	जो	जी
336	1	इसे	इसमें

1	2	3	4
336	2	इससे	अप से
,,	7	प्रका	प्रकार
,,	10	को	के
337	8	ले।	लेना
,,	अन्तिम से 15	स्ट्राइ	स्ट्राइक
338	3	नको	उनको
340	16	जय	जायें
342	9	तरीके होते	तरीके के होते
344	15	।जस्थान	राजस्थान
347	16	श्री राक कुमार नन्ददाना	श्री राम कुमार नन्दवाना
350	अन्तिम से 11	श्री रार्म शन	श्री रामकिशन
353-54	शीर्षक	170	1970
359	अन्तिम से 5	पदसीन	पदासीन
363	18	अप	आप
368	16	श्री रा कि श	श्री रामकिशन
,,	अन्तिम से 1	मध्यमदेश	मध्य प्रदेश
369	10	बनया	बनाया
370	अन्तिम से 4	खतरनाख	खतरनाक
379	9	में	में
382	9	कि ीं	किन्हीं
383	11	उपर	ऊपर
,,	अन्तिम से 2	थह	यह
388	17	इन्टर्फिथरेन्स	इन्टरफियरेन्स
389	अन्तिम से 7	मेजा	भेजा
391	,, 5	समने	सामने
,,	,, 2	साप्त	समाप्त
393	शीर्ष	(श्रीरामान्नद अग्रवाल)	(श्री रामानन्द अग्रवाल)
395	3	श्री रतनलालरेत	श्री रतनलाल रोत
,,	6	(हंसी)	—
396	3	(हंसी)	—
397	अन्तिम से 5	सते	सकने
398	,, 15	श्री मनोहर सिंह मेहता (माडगलगढ)	श्री मनोहर सिंह मेहता (मांडल गढ)
403	,, 5	गरबों	गरीबों
406	16	इसी प्रकार-इसीप्रकार	इसी प्रकार—
411	अन्तिम से 4	इसलि	इसलिये
,,	,, 1	लगों	लोगों
413	9	ऑाफिसर्स	ऑफिसर्स
418	2	छा	छोटे
,,	5	लाब	लोग
,,	20	थही	यही
421	अन्तिम से 2	पुधारु	दुधारू
423	5	सदर्यों	सदस्यों
424	अन्तिम से 4	9-42 रात्रि	9-42 बजे रात्रि

4

1	2	3	4
428	11	which fixed	which is fixed
429	12	Scctional	Sectional
432	2	Paries	Parties
„	„	th	the
„	„	hacve	have
435	6	ह	है
„ अन्तिम से	6	करन	करने
437 „	9	आन्त्र शोव	आन्त्र शोथ
439 शीर्ष		(चिकिसमं ी)	(चिकित्सा मंत्री)
456	8	गय	गये
461	6	रार्य हनगर	रायसिंहनगर
462	8	4 4	4174